100+ युद्धपोतों के निर्माता

जी आर एस ई GRSE

जी आर एस ई लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

नए रास्तों की तलाश

विषयसूची

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश	2
जीआरएसई के बारे में	7
व्यवसाय मॉडल	8
दृष्टिकोण एवं लक्ष्य	9
मूल्य	10
पोत निर्माण कौशल	12
प्रभावशाली पोर्टफोलियों	14
पोत मरम्मत – फ़्लीट रखरखाव सुनिश्चित करना	16
इंजीनियरिंग डिवीजन	18
स्वदेशीकरण	20
नवाचार एवं नई प्रौद्योगिकी अंगीकरण	21
10 वर्ष की मुख्य वित्तीय बातें	22
हमारे रिश्ते की पूंजी	24
निदेशक मंडल	26
निगमित सूचना	30
रणनीतिक पहल	31
निदेशक रिपोर्ट	35
प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट	76
निगमित शासन पर रिपोर्ट	81
व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट	103
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	136
महालेखानियंत्रक की टिप्पणियाँ	145
तुलन पत्र	146
लाभ और हानि का विवरण	147
नकदी प्रवाह विवरण	148
इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण	150
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स	151
108वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	195

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

लोकसभा / राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात

अधिप्रमाणित

रक्षा राज्य मंत्री

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

सर्वप्रथम, मैं आप सभी का इस वार्षिक आम सभा की बैठक में स्वागत करता हूँ, और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए हमारी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता है।

अक्सर कहा जाता है कि, "आपके पास एक बड़ा विजन होना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए छोटे कदम उठाने चाहिए"। जीआरएसई का विजन 2030 निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी है और हम अपने विजन को प्राप्त करने के लिए त्वरित कदम उठाने का इरादा रखते हैं। इस दिशा में, महत्वपूर्ण उपलब्धियों और कई महत्वपूर्ण पहलों के शुभारंभ से चिह्नित वर्ष 2023-24 ने निश्चित रूप से सही गति निर्धारित की है।

रूस-यूक्रेन क्षेत्र और मध्य पूर्व में संघर्षों के कारण अत्यधिक अस्थिर व्यापक आर्थिक वातावरण के कारण दुनिया ने अराजकता और व्यवधान का अनुभव किया, "टीम जीआरएसई" ने असाधारण लचीलापन दिखाया है और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ वित्तीय प्रदर्शन दिया है। निरंतर प्रक्रिया सुधार, नवाचार, टिकाऊ पोतनिर्माण प्रथाओं, नई प्रौद्योगिकी अपनाने और ग्राहकों की खुशी के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता पर हमारा ध्यान पोतनिर्माण और रक्षा क्षेत्रों में हमारी प्रमुख स्थिति को मजबूत करता है। यहां, मैं यह बताना चाहूंगा कि यह वर्षों से आपका निरंतर समर्थन और विश्वास है, जिसने हमें चुनौतियों का सामना करने और हर साल आपके लिए निरंतर मूल्य प्रदान करने के लिए सभी जटिलताओं को पार करने का विश्वास दिया है।

वर्ष का परिप्रेक्ष्य - वित्तीय प्रदर्शन

वित्त वर्ष 24 जीआरएसई के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है, और मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं और बढ़ती लागतों के बावजूद, जीएसआरई ने सभी प्रमुख मैट्रिक्स में उत्कृष्ट वित्तीय परिणाम दिए। 'परिचालन से राजस्व' पिछले वित्त वर्ष में ₹ 2,561.15 करोड़ के मुकाबले ₹ 3,592.64 करोड़ रहा, जिसमें 40% की वृद्धि दर्ज की गई। हमारे 'कर से पूर्व लाभ' और 'शुद्ध लाभ' क्रमशः ₹ 480.92 करोड़ और ₹ 357.27 करोड़ दर्ज किए गए, दोनों में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 57% की वृद्धि दर्ज की गई। ये सभी प्रमुख पैरामीटर (परिचालन से राजस्व, कर से पूर्व लाभ और शुद्ध लाभ) कंपनी के इतिहास में अब तक के सर्वाधिक रहे हैं। इसके अलावा, 'प्रति शेयर आय' वित्त वर्ष 23 में ₹ 19.91 की तुलना में ₹ 31.19 थी। यह मजबूत वित्तीय प्रदर्शन एक स्वस्थ आदेश पुस्तिका और एक प्रभावी परियोजना निष्पादन रणनीति द्वारा संचालित था।

मैं हमारे क्यू4/वित्त वर्ष 24 के परिणामों का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा, जहां 'शुद्ध लाभ' दोगुना होकर ₹ 112 करोड़ हो गया और 'परिचालन से राजस्व' ने वित्त वर्ष 23 की इसी तिमाही की तुलना में 70% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 1,016 करोड़ हो गया। हमारा परिचालन प्रदर्शन भी मजबूत रहा, जहां ईबीआईटीडीए 343% बढ़कर ₹ 90.60 करोड़ हो गया।

प्रत्यक्ष प्रदर्शन की मुख्य बातें

वित्त वर्ष 24 के दौरान हमने पोतनिर्माण निष्पादन के जो मील के पत्थर हासिल किए, वे हमारे ग्राहकों के लिए अनुबंध संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाते हैं। इसका उदाहरण भारत में निर्मित होने वाले सबसे बड़े सर्वेक्षण पोत आईएनएस संध्याक की डिलीवरी और वर्ष के दौरान सात पोतों का जलावतरण है। 'विंध्यागिरी', तीसरा पी17ए एडवांस्ड फ्रिगेट, 'संशोधक' चौथा सर्वेक्षण पोत (बड़ा) और चार एंटी सबमरीन शैलो वॉटर क्राफ़्टों (एएसडब्ल्यूएसडब्ल्यूसी) 'अंजदीप', 'अमिनी', 'अजय' और 'अक्षय' का वर्ष के दौरान जल में प्रवेश हुआ। इनके अलावा, जीआरएसई के हरित प्रौद्योगिकी पोतों में प्रवेश ने भी इस देश में अपनी तरह के सबसे बड़े पोत, शून्य उत्सर्जन एनजी इलेक्ट्रिक फेरी 'ढेऊ' के जलावतरण के साथ एक बड़ी छलांग लगाई।

हम वर्तमान में भारतीय नौसेना के लिए 18 युद्धपोतों का निर्माण कर रहे हैं, और इन पोतों को हमारे ग्राहकों की संतुष्टि के साथ डिलीवर करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। परियोजना 17ए का पहला पोत, जो जीआरएसई के लिए प्रमुख परियोजना है, वित्त वर्ष 26 में डिलीवर करने के लिए लक्ष्य पर है। परियोजना के दूसरे और तीसरे पोतों के छह महीने के अंतराल पर इसके तुरंत बाद सुपुर्दगी की उम्मीद है। पहला सर्वेक्षण पोत (बड़ा) 04 दिसंबर 23 को डिलीवर किया गया था और उसके पश्चात, परियोजना के शेष तीन पोत प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। दूसरे पोत को क्यू2/वित्त वर्ष 25 के दौरान डिलीवरी के लिए तैयार किया जा रहा है। आठ में से छह एएसडबल्यू शैलो वाटर क्राफ्ट पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं और अंतिम दो इस वर्ष के दौरान लॉन्च होने वाले हैं। सभी चार अगली पीढ़ी के महासागर गश्ती पोतों का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है और यह परियोजना निर्धारित समय पर आगे बढ़ रही है।

हमने दो वर्ष पूर्व पोत मरम्मत सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करना आरंभ किया जब हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से रणनीतिक पट्टे पर कोलकाता में तीन ड्राई-डॉक का अधिग्रहण किया था और तब से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 14 रिफिट पूरे कर चुके हैं। हम वर्तमान में भारतीय नौसेना के लिए एक प्रमुख रिफिट को भी अंजाम दे रहे हैं, और ये उपलब्धियाँ पूरे स्पेक्ट्रम में व्यापक समुद्री समाधान देने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।

बेली ब्रिज डिवीज़न एक छोटा वर्टिकल होने के बावजूद आज भारतीय बाज़ार में अग्रणी है। इस खास सेगमेंट में विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए दृढ़ प्रयासों, नए उत्पादों की शुरूआत और एक सक्रिय विपणन रणनीति के परिणामस्वरूप इस डिवीज़न से राजस्व वित्त वर्ष 23 में ₹ 69 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में ₹ 140 करोड़ हो गया है। भारतीय सेना और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय संगठनों जैसे सीमा सड़क संगठन, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम के साथ किए गए समझौता ज्ञापनों ने वित्त वर्ष 25 में अतिरिक्त विकास के अवसरों की संभावनाएं बढ़ा दी हैं।

नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाना

इस वर्ष हमने नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के लिए शून्य-उत्सर्जन अगली पीढ़ी की बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक फेरी, ढेऊ का जलावतरण शिपयार्ड के लिए विशेषज्ञता के एक नए क्षेत्र की शुरुआत करता है। इस पोत का डिजाइन और निर्माण न केवल टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल समुद्री समाधानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर जोर देता है, बल्कि उभरते हुए आकर्षक हरित ऊर्जा पोत बाजार के लिए भी दरवाजे खोलता है।

हमारे पूरक कौशल और अनुभव का लाभ उठाने की आवश्यकता को समझते हुए, जीआरएसई ने नए और रोमांचक बाजार क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए कई उद्योग भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापनों में प्रवेश किया है। जुलाई 2023 में बहु-भूमिका क्षमताओं के साथ एक मानव पोर्टेबल स्वायत्त अंडरवाटर वाहन (एमपी-एयूवी) "नीराक्षी" का लॉन्च ऐसी ही एक साझेदारी का परिणाम है। हम मानव रहित सतही वाहनों (यूएसवी) के विकास पर भी काम कर रहे हैं और वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में एनएसटीएल को अपना पहला यूएसवी देने की उम्मीद कर रहे हैं। इन उन्नत प्रौद्योगिकी पोतों ने भविष्य के लिए तैयार होने की जीआरएसई की क्षमता का प्रदर्शन किया है और हम तेजी से विकसित हो रहे प्रौद्योगिकी परिदृश्य और उभरती हुई ग्राहक आकांक्षाओं को बनाए रखने के लिए ऐसे प्लेटफार्मों के विकास को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं।

मैसर्स कैटरपिलर इंक., के साथ भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के लिए मध्यम गति के इंजनों के उत्पादन, बिक्री और सेवा के लिए समझौता ज्ञापन तथा एमटीयू सीरीज 4000 समुद्री इंजनों के उत्पादन और स्थानीयकरण के लिए मैसर्स रोल्स रॉयस के साथ लाइसेंस समझौता, रांची में डीजल इंजन संयंत्र में हमारी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाएगा, ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रयास हैं जिनसे देश में महत्वपूर्ण समुद्री प्रणोदन प्रौद्योगिकी लाने की उम्मीद है।

इसके अलावा, नवाचार की भावना को बढ़ावा देने और देश में हमारे संपन्न स्टार्ट-अप इको सिस्टम का लाभ उठाने की दिशा में, जीआरएसई इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम (गेन्स) की शुरुआत की गई और इस राष्ट्रीय ओपन चैलेंज स्कीम का पहला संस्करण मई 23 में आयोजित किया गया। इनोवेटर्स से हमें जो भागीदारी और समर्थन मिला, वह उत्साहजनक रहा है और दो प्रोजेक्ट (एआई और रोबोटिक्स में) वर्तमान में इस योजना के माध्यम से वित्त पोषित किए जा रहे हैं। इनोवेटर्स समुदाय के साथ यह रोमांचक जुड़ाव जारी रहने वाला है और हमने हाल ही में गेन्स का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है।

भावी दृष्टिकोण

हमारी आदेश पुस्तिका की स्थिति अच्छी है, जो 31 मार्च 24 तक ₹22,652 करोड़ थी। इसमें भारतीय नौसेना के लिए प्रमुख युद्धपोत निर्माण अनुबंध शामिल हैं: प्रतिष्ठित पी17ए परियोजना, एंटी-सबमरीन शैलो वॉटरक्राफ्ट परियोजना, सर्वे वेसल (बड़ा) परियोजना, और अगली पीढ़ी के ऑफशोर पेट्रोल वेसल परियोजना।

इसके अतिरिक्त, हमने एक समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से 840 करोड़ रुपये का आदेश प्राप्त किया है और बांग्लादेश सरकार के साथ 340 करोड़ रुपये और एक यूरोपीय ग्राहक के साथ 450 करोड़ रुपये के निर्यात अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

हमारा प्राथमिक ध्यान भारत सरकार की जरूरतों को पूरा करने और राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू युद्धपोत निर्माण पर है। हम भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए युद्धपोत निर्माण परियोजनाओं के लिए कई आगामी बोली अवसरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें आठ अगली पीढ़ी के कॉर्वेट के लिए भारतीय नौसेना से एक आरएफपी भी शामिल है। हम आने वाले वर्षों में 5 अगली पीढ़ी के सर्वेक्षण पोत, 2 बहुउद्देश्यीय पोत, 21 वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट, 6 एनजीओपीवी, 22 आईबी और 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट के लिए निविदाओं की भी उम्मीद करते हैं।

गैर- रक्षा मोर्चे पर, एक और महत्वपूर्ण अवसर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा दो तटीय अनुसंधान पोतों के लिए निविदा है, जिसकी कीमत लगभग ₹ 500 करोड़ है। हम हरित ऊर्जा प्लेटफार्मों के लिए और अधिक ऑर्डर प्राप्त करने की ओर भी देख रहे हैं, जिन्हें पश्चिम बंगाल और केरल जैसी विभिन्न राज्य सरकारें खरीद सकती हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने कई पहल और नीतियों को शुरू करके समुद्री क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी है। सागर माला परियोजना, जल मार्ग विकास परियोजना, हरित सागर और ग्रीन टग ट्रांजिशन प्लान जैसी पहल विकास को गति देने पर केंद्रित हैं और वे खुद को जीआरएसई के लिए अवसर के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

वैश्विक स्तर पर, यूरोप और मध्य पूर्व से विभिन्न प्रकार के पोतों की मांग बहुत अधिक है, जिसमें शॉर्ट सी शिप, ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स, विंड फार्म सपोर्ट वेसल्स, प्रोडक्ट टैंकर आदि शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में, वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य, जिसमें वैश्विक स्तर पर प्रभाव वाले क्षेत्रीय तनाव शामिल हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा और संचार बुनियादी ढांचे की अखंडता की रक्षा करने की बढ़ती आवश्यकता के कारण रक्षा पोतों की मांग में वृद्धि होने की संभावना है। इन उभरते अवसरों का लाभ उठाते हुए, हमारा लक्ष्य वैश्विक पोत निर्माणकर्ताओं और रक्षा ठेकेदारों के साथ रणनीतिक गठबंधन बनाकर युद्धपोतों और वाणिज्यिक पोतों के लिए अधिक निर्यात ऑर्डर सुरक्षित करना है, जिससे हमें संयुक्त विशेषज्ञता का लाभ उठाने और नए बाजारों तक पहुँचने में मदद मिलेगी।

हम उभरती मांग को पूरा करने के लिए पोतनिर्माण क्षमता का विस्तार करने और बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की दिशा में कई कदम उठा रहे हैं। शिपयार्ड के पास दक्षता बढ़ाने और उत्पादन समय में कटौती करने के लिए एआई, वर्चुअल रियलिटी और रोबोटिक्स के उपयोग सहित अत्याधुनिक पोतनिर्माण तकनीक है। नई सुविधाओं को विकसित करने और मौजूदा सुविधाओं को उन्नत करने के लिए निवेश की योजना बनाई गई है, जिसमें एक नए ड्राई डॉक और अतिरिक्त असेंबली वर्कशॉपों का पुनरोद्धार शामिल है। पश्चिमी तट पर पोतनिर्माण क्षमता का विस्तार करने की हमारी रणनीति के हिस्से के रूप में, जीआरएसई ने भावनगर और गोवा में अपने शिपयार्ड में वाणिज्यिक पोतों के निर्माण के लिए एक प्रमुख निजी शिपयार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

ग्रीन शिपिंग और बंदरगाहों को हरित बनाना भारत सरकार के मुख्य फोकस क्षेत्र हैं। जीरो एमिशन एनजी फेरी परियोजना के क्रियान्वयन के माध्यम से प्राप्त विशेषज्ञता के निर्माण के अलावा, जीआरएसई हाइड्रोजन संचालित पोतों और हाइब्रिड टग के डिजाइन और निर्माण में भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। शिपयार्ड अक्षय ऊर्जा स्रोतों को भी अपना रहा है और टिकाऊ शिपयार्ड संचालन के लिए ऊर्जा-बचत उपायों को लागू कर रहा है।

वाणिज्यिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों में स्वायत्त प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ रहा है। जीआरएसई ने उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर हवाई, सतही और उपसतह अनुप्रयोगों के लिए स्वायत्त वाहनों के विकास में विशेषज्ञता हासिल की है और इस क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए तैयार है।

अगली पीढ़ी के पोतों और स्टेल्थ तथा मानव रहित/स्वायत्त पोतों सहित उन्नत समुद्री प्रौद्योगिकियों के डिजाइन में अनुसंधान एवं विकास के लिए निरंतर निवेश की योजना बनाई गई है। पोतनिर्माण और रक्षा प्रौद्योगिकियों में स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थानों और प्रौद्योगिकी फर्मों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार केंद्र की स्थापना भी प्रस्तावित है।

जन, विविधता और प्रतिभा प्रबंधन

मानव संसाधन हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं, जो हर दिन हमारी कंपनी के मिशन, विजन और मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए लगन से काम करते हैं। जीआरएसई में, हमारी लोगों को प्राथमिकता देने वाली संस्कृति और प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने और बनाए रखने में निवेश करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने के लिए लोगों को अपस्किलिंग और रीस्किलिंग सुनिश्चित करने के लिए चुस्त तरीके अपना रहे हैं।

हमारे लोगों का जुनून, समर्पण और प्रतिबद्धता हमारी प्रगति को आगे बढ़ाती है और हम लगातार एक सहायक और समावेशी कार्य वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उन्हें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए सशक्त बनाता है। जीआरएसई सशक्तिकरण, सम्मान और गरिमा का मिश्रण प्रदान करने का प्रयास करता है, जो आंतरिक रूप से विविधता को बढ़ाता है और एक विषम टीम की आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करता है।

महिलाएं तेजी से नेतृत्व की भूमिकाएं निभा रही हैं और उन्हें उत्तराधिकार योजनाओं में सावधानीपूर्वक शामिल किया जाता है। उनकी विकास योजनाओं पर बारीकी से नज़र रखी जाती है और सभी स्तरों पर उनका समर्थन किया जाता है। हम दिव्यांग और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को काम पर रखकर समावेशिता को भी प्राथमिकता देते हैं।

हमारे विविध कार्यबल को निरंतर संलग्न रखने और बनाए रखने तथा सुरक्षा, नैतिकता और निष्पादन की संस्कृति को बढ़ावा देने के हमारे प्रयास हमारी रणनीति के प्रमुख स्तंभ हैं।

हितधारकों के लिए विश्वास और मूल्य का सृजन

जैसा कि आपकी कंपनी गतिशील पोतनिर्माण क्षेत्र की जटिलताओं को नेविगेट करती है, हम शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों और समुदायों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह गर्व की बात है कि आपकी कंपनी के शेयर की कीमतें पिछले छह वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं, जो पिछले जारी मूल्य से 22 गुना अधिक है। हमारा बाजार पूंजीकरण ₹ 25,000 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया, जो हमारे शेयरधारकों के अटूट विश्वास और भरोसे को दर्शाता है।

हमारी दीर्घकालिक रणनीति के अनुसार कार्य करना, हमारे शेयरधारकों को पुरस्कृत करना आपकी कंपनी की प्राथमिकता बनी हुई है। इस प्रयास के लिए, आपकी कंपनी वित्त वर्ष 24 के लिए ₹107.22 करोड़ के लाभांश वितरण का प्रस्ताव करती है, जिसमें ₹ 90.72 करोड़ के अंतरिम लाभांश के अलावा ₹16.50 करोड़ का अंतिम लाभांश भी शामिल है।

सतत विकास और ईएसजी

हमने हमेशा माना है कि दीर्घकालिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए, हमें मुनाफे से परे देखने और अपने सभी हितधारकों, जिसमें ग्राहक, व्यावसायिक साझेदार, शेयरधारक और सबसे बढ़कर, प्लैनेट और समाज शामिल हैं, का ख्याल रखने की आवश्यकता है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमारा भविष्य का विकास हमारे बहु-हितधारक मॉडल पर निर्भर करेगा और मूल्य श्रृंखला में स्थिरता को शामिल करना वास्तव में अपरिहार्य है।

मानवता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए, आपकी कंपनी ने स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण और आजीविका के क्षेत्र में सामाजिक हस्तक्षेप के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंच बनाई है।

आपकी कंपनी निगमित शासन प्रथाओं के मानकों का पालन करते हुए मूल्यों और सिद्धांतों को लगातार अपनाने और बनाए रखने में गर्व महसूस करती है। हम शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं; हमारे हितधारकों के हितों की हर कदम पर रक्षा की जाएगी।

कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) और सेबी लिस्टिंग विनियमों द्वारा तैयार निगमित शासन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है, सिवाय अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के। आपकी कंपनी को निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए लगातार "उत्कृष्ट" रेटिंग दी गई है।

समापन टिप्पणी

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था, "छोटा लक्ष्य रखना अपराध है...बड़ा लक्ष्य रखें।" जी हाँ, हमारा लक्ष्य बड़ा है और हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने तक कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

वित्त वर्ष 24 में प्रगति और स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता से प्रेरित असाधारण उपलब्धियाँ हासिल हुईं। हमने जो परिणाम दिए और कठिनाइयों का सामना करते हुए जो दृढ़ता दिखाई, उससे यह साबित होता है कि हम भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी कंपनी अपनी उपलब्धियों पर विश्राम नहीं करेगी और हम अपने सामने आने वाले अवसरों का लाभ उठाने हेतु नए सिरे से उद्देश्य की भावना के साथ उत्कृष्टता की खोज जारी रखेंगे।

रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग और केंद्र व राज्य सरकारों को उनके दृष्टिकोण, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और सीमा सड़क संगठन के भरोसे और भरपूर समर्थन के लिए भी आभारी हूँ । मैं उत्कृष्टता की इस यात्रा में उनके अटूट समर्थन के लिए निदेशक मंडल, हमारे कर्मचारियों, आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों और प्रौद्योगिकी भागीदारों को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं जीआरएसई में निरंतर विश्वास और भरोसे के लिए, हमारे शेयरधारकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपके भरपूर प्रोत्साहन की आशा करता हूँ क्योंकि हम प्रत्याशा और आशावाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

जय हिंद

कमोडोर पीआर हरि, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ASCENSION
P603

जीआरएसई के बारे में

जीआरएसई रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत में एक प्रमुख पोत निर्माण कंपनी है, जो मुख्य रूप से भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक की पोत निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करती है। जीआरएसई एक विविध, लाभकारी और लाभांश देने वाली कंपनी के रूप में तथा युद्धपोत निर्यात करने एवं भारतीय नौसेना और तटरक्षक को 100+ युद्धपोतों को सुपुर्द करने वाला देश का प्रथम शिपयार्ड होने का गौरव प्राप्त है। कंपनी की व्यापक उत्पाद श्रृंखला 'युद्धपोतों' तक फैली हुई है। हथियारों के लिए, जिसमें वाणिज्यिक पोत, विभिन्न डेक मशीनरी, समुद्री डीजल इंजन, नौसेना सर्फेस बंदूकें और बैली-प्रकार के पोर्टल स्टील ब्रिज शामिल हैं।

व्यवसाय मॉडल

स्वदेशीकरण
पोत निर्माण
दृष्टिकोण
2030 तक एक नवरत्न कंपनी बनना और विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ भारतीय शिपयार्ड के रूप में पहचाना जाना
सह – रेटिंग मूल्य
गुणवत्ता आश्वासन
इंजीनियरिंग
मरीन डीजल इंजन
नवोन्मेष

दृष्टिकोण

2030 तक नवरत्न कंपनी बनना और वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ भारतीय शिपयार्ड के रूप में पहचान बनाना ।

लक्ष्य

डिजाइन क्षमता में आत्मनिर्भर होना और अत्याधुनिक निर्माण प्रक्रियाओं को लागू करना ।

प्रतियोगी मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण युद्धपोतों का निर्माण, सुपुर्दगी समय और उत्पाद सहायता के मामले में ग्राहक की अपेक्षा से अधिक की पूर्ति ।

ग्राहक संतुष्टि,उत्पाद नवोन्मेष,निर्यात संभावनाओं पर पकड़, कर्मचारी और अन्य हितधारक जुड़ाव तथा प्रतिभा विकास के माध्यम से निरंतर विकास प्राप्त करना ।

भारत सरकार की पहल और प्रौद्योगिकी का लाभ उठा कर संचालन के सभी क्षेत्रों मे "सुधार एवं परिवर्तन" ताकि निष्पादन के अगले स्तर को प्राप्त किया जा सके ।

नए भौगोलिक क्षेत्रों में परिचालन का विस्तार करना और नवाचार के माध्यम से उत्पाद पोर्टफोलियों को बढ़ाना ।

मूल्य

निष्पक्षता

जीआरएसई अपने विक्रेताओं, स्वतंत्र ठेकेदारों, व्यापार भागीदारों और ग्राहकों को अपने साथ बार-बार व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने के माध्यम से स्वयं को निष्पक्ष व्यावहार की एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाने की कल्पना करता है। कंपनी संगठन के भीतर और बाहर अपने सभी लेनदेन में पूर्ण पारदर्शिता लाने की राह के पथ पर मजबूती से अग्रसर है।

उदारता

उदारता का अर्थ है कि संगठन का प्रत्येक सदस्य कंपनी की सफलता में भाग लें । पुरस्कार और मान्यता जीवन का एक अभिन्न अंग है, इससे कर्मचारी में प्रेरणा व निष्ठा बढ़ती है जिससे हम उच्च उत्पादकता की ओर अग्रसर होते हैं।

उत्कृष्टता की दिशा में अग्रसर

कंपनी अपनी पिछली उपलब्धियों पर गर्व होकर रुकना नहीं चाहती अपितु वह लगातार बेहतर उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने की कोशिश करती है, लगातार ग्राहक संतुष्टि में सुधार करती है, परिचालन क्षमता को उन्नत करती है और संगठन में सभी की उत्पादकता को बढ़ाती है। इस मूल्य पर जोर आंशिक रूप से निकट भविष्य में व्यापार की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मक से प्रेरित है।

कर्मचारीयों के कल्याण के प्रति चिंता

कर्मचारी अपने करियर को पैसा कमाने के एक साधन से कहीं अधिक के रूप में देखते हैं। वे ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं जिसे सच में उनकी परवाह है । कर्माचारी चाहते हैं कि पर्यवेक्षकों उनके विचारों और चिंताओं को सुनें । वे चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा कैरियर मार्ग मिले जिसमें वे सीखते रहैं, नए कौशल प्राप्त कर सकें और संगठन के साथ आगे बढ़ सकें। संगठन के सभी स्तर के प्रबन्धक चाहते हैं कि उन्हें अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जिन प्रौद्योगिक,मानव संसाधनों और धन की आवश्यकता है, उनकी आपूर्ति की जाए । जीआरएसई की इस मूल्य प्रणाली को अपने भविष्य में भी जारी रखने की योजना है ।

सामुदायिक भागीदारी

जीआरएसई की योजना अपने प्रचालन स्थल के आस पास के समुदाय व समाज के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए एक सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी भूमिका को जारी रखने की है।

नवोन्मेष

व्यापर में नवोन्मेषक लगातार उभरती हुई ग्राहक जरूरतों की तलाश कर रहे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए सर्वोत्तम समाधान डिजाइन कर रहे हैं। नवोन्मेष द्वारा कंपनी अपने ग्राहकों के लिए नए जीवन मूल्य निर्मित करती हैं । निरंतर नवोन्मेष से निगम को बढ़ती प्रतिस्पर्धा में आगे बने रहने में मदद मिलती है क्योंकि वो प्रतियोगियों से पहले उभरते अवसरों का लाभ उठा पाते हैं। जीआरएसई ने इस मूल्य प्रणाली को अपने वर्तमान और भविष्य के कार्यों में दृढ़ता से लागू करने की योजना बनाई है ।

पोत निर्माण कौशल

जीआरएसई का पोत निर्माण प्रभाग भारत की समुद्री विनिर्माण क्षमताओं का एक प्रतीक है।

एक प्रभावशाली उत्पाद श्रृंखला और उससे भी अधिक प्रभावशाली ग्राहकों के साथ, यह पोत निर्माण क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और कौशल का प्रमाण है। चूँकि समुद्र वैश्विक भू-राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण सीमा बना हुआ है, जीआरएसई जैसे प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करने में एक प्रमुख योगदानकर्ता हैं कि भारत हमेशा तैयार और हमेशा रिसाइलेंट रहे। जीआरएसई का पोत निर्माण प्रभाग विविध नौसैना और वाणिज्यिक जलयानों के निर्माण में कंपनी की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है। मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र के शिपिंग उद्योग के लिए काम करते हुए, जीआरएसई ने अत्याधुनिक जलयानों के निर्माण के लिए नाम कमाया है जो भारत की नौसैना के ताकत और समुद्री विशेषज्ञता का प्रमाण हैं।

हमारे प्रभावशाली
पोर्टफोलियो पर एक गहरी नज़र

फ्रिगेट्स

ये युद्धपोत, समुद्र के संरक्षक हैं। उन्नत हथियार और निगरानी प्रणालियों के साथ फ्रिगेट नौसैना फ्लीट का एक दुर्जेय हिस्सा हैं।

एंटी सबमरीन वारफेयर कार्वेट

सबमरीन के खतरों का पता लगाने और उनका मुकाबला करने के लिए तैयार किए गए ये जलयान समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मिसाइल कार्वेट

कॉम्पैक्ट लेकिन घातक, ये जलयान मिसाइलों से लैस हैं और नौसेना में रक्षा रणनीतियाँ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ।

लैंडिंग शिप टैंक और लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी

ये जलयान उभयचर अभियानों के दौरान सैनिकों, उपकरणों और वाहनों के परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं।

सर्वे वेसल

समुद्री अन्वेषण के लिए आवश्यक, ये जलयान महासागरों का चार्ट बनाते हैं और महत्वपूर्ण नेविगेशनल डेटा प्रदान करते हैं ।

फ्लीट रीप्लेनिशमेंट टैंकर

सहायक भूमिका निभाते हुए, वे ईंधन और प्रावधानों की आपूर्ति करके यह सुनिश्चित करते हैं कि फ्लीट चालू रहे।

पेट्रोल वेसल

फास्ट पेट्रोल वेसल से लेकर ऑफशोर और इनशोर पेट्रोल वेसल तक, ये देश के जल की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करते हैं।

डब्ल्यूजे-एफएसी, होवर क्राफ्ट और फास्ट इंटरसेप्टर नाव

तीव्र प्रतिक्रिया के लिए डिज़ाइन किए गए, ये जलयान तेजी से जुड़ाव और तटीय रक्षा के लिए आवश्यक हैं। भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक जीआरएसई के प्रमुख ग्राहक बने हुए हैं। कंपनी के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इन दो सम्मानित प्रतिष्ठानों के साथ इसके व्यवहार से उत्पन्न होता है, जो जीआरएसई द्वारा बनाएं गए विश्वास और गुणवत्ता आश्वासन को रेखांकित करता है।

पोत मरम्मत –
फ़्लीट रखरखाव सुनिश्चित करना

जीआरएसई ने अपनी इन-हाउस डिज़ाइन क्षमता और विशेषज्ञता और आधुनिक संपत्तियों के विशाल पूल के साथ, श्रीलंका, मॉरीशस और सेशेल्स सहित देशों के लिए पोतों का निर्माण और मरम्मत की है। जीआरएसई के पास अब भारतीय समुद्री क्षेत्र में मरम्मत की मांग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक समर्पित पोत मरम्मत वर्टिकल है। पोत मरम्मत विभाग के पास नौसेना के युद्धपोतों, तटरक्षक पोतों और वाणिज्यिक पोतों की मरम्मत/रिफिट में काफी विशेषज्ञता है। जीआरएसई के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र का संचालन करने वाली टीम के पास तट और जल दोनों में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। जीआरएसई विक्रेताओं, अच्छी तरह से स्थापित आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली, विशेषज्ञ डिजाइन और तकनीकी सहायता के एक मजबूत पूल के साथ अनुसूचित और साथ ही अनिर्धारित / आपातकालीन मरम्मत और रखरखाव दोनों करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।

रक्षा और वाणिज्यिक पोत मरम्मत सेवाएं

- किसी भी सुविधा में शेड्यूल्ड ड्राई डॉकिंग और रिफिट प्रबंधन
- रखरखाव/मरम्मत के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, स्टील निर्माण कार्य, पाइपिंग, हाइड्रोलिक सिस्टम आदि से संबंधित कार्यों का पूरा स्पेक्ट्रम
- आईओआर क्षेत्र में पोत या फ्लीट के रखरखाव और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इन-सर्विस-समर्थन
- तकनीकी अध्ययन और विफलता विश्लेषण

इंजीनियरिंग प्रभाग:
नवाचार की विरासत

जीआरएसई पोत निर्माण और अत्याधुनिक इंजीनियरिंग समाधानों में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। जीआरएसई का इंजीनियरिंग प्रभाग विविधीकरण और नवाचार के प्रति कंपनी के समर्पण का प्रतीक है। पोर्टेबल ब्रिज से लेकर विशेष डेक मशीनरी तक स्वदेशी समाधानों को प्राथमिकता देकर भारत की इंजीनियरिंग क्षमता को बढ़ाने में जीआरएसई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे-जैसे समुद्री उद्योग आगे बढ़ रहा है, इंजीनियरिंग प्रभाग निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, बेजोड़ समाधान प्रदान करेगा और जीआरएसई की वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थिति को मजबूत करेगा।

एक विविध पोर्टफोलियो

पोर्टेबल ब्रिज

गतिशीलता और संरचनात्मक नवाचार का प्रतीक, जीआरएसई के पोर्टेबल ब्रिजों ने कनेक्टिविटी समाधानों में क्रांति ला दी है। आसानी से जोड़े और अलग किए जाने के लिए डिज़ाइन किए गए ये ब्रिज आपातकालीन स्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चुनौतीपूर्ण इलाकों में आवाजाही को सुविधा प्रदान करते हैं और पारंपरिक बुनियादी ढांचे की कमी या समझौता होने पर निर्बाध परिवहन सुनिश्चित करते हैं।

डेक मशीनरी मदें

स्वदेशीकरण के प्रति जीआरएसई की प्रतिबद्धता का प्रमाण, जीआरएसई द्वारा निर्मित डेक मशीनरी मजबूत और तकनीकी रूप से उन्नत है। चुनौतीपूर्ण समुद्री वातावरण में संचालन के लिए डिज़ाइन किए गए ये अभिन्न घटक पोतों के कुशल संचालन को सुनिश्चित करते हैं, जिससे वे समुद्री उद्योग के लिए अपरिहार्य बन जाते हैं।

समुद्री डीजल इंजन: आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम

जीआरएसई का इंजन डिवीजन, रांची में अपनी अत्याधुनिक सुविधा से संचालित हो रहा है और जर्मनी के एमटीयू के साथ दीर्घकालिक साझेदारी से मजबूत होकर समुद्री डीजल इंजन के भविष्य को परिभाषित कर रहा है। यह सहयोग शीर्ष-स्तरीय वैश्विक प्रौद्योगिकियों को स्थानीय विनिर्माण शक्तियों के साथ जोड़ता है। यह डिवीजन इंजन बनाने से कहीं अधिक काम करता है - यह आत्मनिर्भरता और समुद्री उत्कृष्टता के लिए भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है।

रांची में स्थित, जीआरएसई का उन्नत डीजल इंजन प्लांट अत्याधुनिक तकनीक और बेहतर गुणवत्ता के प्रति कंपनी के समर्पण का उदाहरण है।

यह सुविधा इंजनों की विस्तृत असेंबली से लेकर उनके गहन परीक्षण और रखरखाव तक कई तरह के संचालन को संभालती है। अत्याधुनिक परीक्षण बेंच की विशेषता वाला यह प्लांट गारंटी देता है कि उत्पादित प्रत्येक एमटीयू डीजल इंजन जीआरएसई और एमटीयू के समान सटीक गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है। प्लांट में परिष्कृत मशीनरी है और पेशेवरों की एक कुशल टीम कार्यरत है। उनकी विशेषज्ञता गारंटी देती है कि प्रत्येक इंजन को बेहतरीन प्रदर्शन, स्थायित्व और भरोसेमंदता के लिए तैयार किया गया है।

स्वदेशीकरण

स्वदेशीकरण

भारत की "मेक इन इंडिया" पहल के अनुरूप, जीआरएसई ने विभिन्न तरीकों से स्वदेशीकरण के प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त उत्पादन, सह-उत्पादन, संयोजन, और टीओटी के साथ भारत में डिजाइन और निर्माण शामिल है ।

स्वदेशीकरण की विजय

जीआरएसई ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए निर्मित पोतों में स्थानीय रूप से प्राप्त उपकरणों का उच्च प्रतिशत एकीकृत करके उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उदाहरण के लिए, एंटी-सबमरीन वारफेयर कार्वेट और लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी में 85% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। इसके अतिरिक्त, रांची में डीजल इंजन प्लांट (डीईपी) के हाल ही में आधुनिकीकरण के माध्यम से, जीआरएसई ने इंजन भागों के निर्माण के 40% को स्थानीय बनाने की महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है।

उन्नत हथियार / सेंसर

जीआरएसई वर्तमान में भारतीय नौसेना के लिए 30 मिमी नेवल सरफेस गन सहित अत्याधुनिक नौसेना प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण को आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा, कंपनी भारतीय नौसेना के पोतों पर उपयोग के लिए कम आवृत्ति परिवर्तनीय गहराई वाले सोनार को स्वदेशी बनाने के प्रयासों को आगे बढ़ा रही है।

40% स्थानीयकृत इंजन पार्ट्स विनिर्माण

80% एंटी-सबमरीन वारफेयर कार्वेट और लैंडिंग क्राफ्ट उपयोगिता में 80% स्वदेशी सामग्री

नवप्रवर्तन और नई प्रौद्योगिकी अपनाना

स्वायत्त प्रणालियाँ और हरित/नवीकरणीय ऊर्जा दो तकनीकी क्षेत्र हैं जिनमें समुद्री क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की क्षमता है। जटिल प्लेटफ़ॉर्म के डिज़ाइन और निर्माण में अपने व्यापक अनुभव का लाभ उठाते हुए, जीआरएसई ने स्टार्टअप्स की अभिनव क्षमताओं के साथ मिलकर इन महत्वपूर्ण तकनीकों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है।

स्वायत्त प्लेटफार्म

जीआरएसई ने अपने उद्योग भागीदार मैसर्स एईपीएल के साथ मिलकर एक मानव-पोर्टेबल स्वायत्त अंडरवाटर व्हीकल (एयूवी) विकसित और जलावतरित किया है। इस मॉड्यूलर एयूवी को कई तरह की भूमिकाओं के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, जिसमें माइन डिटेक्शन, एंटी-सबमरीन वारफेयर (एएसडब्लू) प्रशिक्षण, अंडरवाटर निरीक्षण, खोज और बचाव मिशन और वैज्ञानिक अन्वेषण शामिल हैं।

5एम 'स्वाधीन'

मानवरहित सतही जहाज (यूएसवी) में जीआरएसई का उद्यम बाथिमेट्रिक सर्वेक्षण और माइन-हंटिंग ऑपरेशन के लिए 53 यूएसवी के डिजाइन और निर्माण द्वारा चिह्नित है। इसके अलावा, जीआरएसई एनएसटीएल को यूएसवी देने की कगार पर भी है। कंपनी पोत-आधारित मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) विकसित करने केउन्नत चरणों में भी है।

हरित ऊर्जा जलयान

जीआरएसई ग्रीन एनर्जी जलयान के विकास में देश के प्रयासों में अग्रणी है। कंपनी ने 150 यात्रियों वाली कैटामारन हॉल इलेक्ट्रिक फेरी को डिजाइन और निर्मित किया है, जो भारत में अपनी तरह की सबसे बड़ी शून्य-उत्सर्जन क्राफ्ट है। इसके अतिरिक्त, जीआरएसई भारत सरकार के ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (जीटीटीपी) के अनुरूप ग्रीन टग के डिजाइन और विकास पर काम कर रही है।

10 वर्ष
की मुख्य वित्तीय बातें

लाख रु. में

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वित्तीय स्थिति										
इक्विटी शेयर पूंजी	12384	12384	12384	11455	11455	11455	11455	11455	11455	11455
आरक्षित एवं अधिशेष	84391	101042	95767	90698	92376	92568	102257	114334	129927	155889
निवल मूल्य	96775	113426	108151	102154	103831	104023	113712	125789	141382	167344
नियोजित पूंजी	90810	110613	98112	102154	103831	104023	113712	125789	141382	167344
सकल ब्लॉक	56381	56640	60454	47233	39959	43081	49614	68703	72970	75421
शुद्ध अचल परिसम्पत्तियां	36574	34370	35834	38917	30225	30369	34020	50065	50761	49257
कार्यकारी पूंजी	54236	76243	62278	60249	68476	56100	54298	56904	72497	98943
प्रचालन परिणाम										
बिक्री	230805	30668	22162	23390	14677	21784	51573	21262	33234	112758
उत्पादन मूल्य	161266	166075	92784	134552	137877	142470	113276	174528	254784	358846
संयोजित मूल्य	62356	63970	47487	62659	61398	68734	66966	81088	95381	133521
कर पूर्व लाभ/(हानि)	7602	24915	2089	12775	17896	22387	20712	25724	30522	48092
कर हेतु प्रावधान	3257	8710	865	3535	6902	6039	5365	6771	7709	12365
कर पश्चात लाभ/(हानि)	4345	16205	1223	9240	10994	16348	15347	18953	22812	35727
विनियोजन										
सीएसआर आरक्षित	2	-	94	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित	435	1607	-	9554	-	-	-	-	-	-
इक्विटी पर प्रस्तावित लाभांश	2477	5322	5408	5080	7961	8179	5728	6644	7102	10722
प्रस्तावित लाभांश पर कर	504	1083	1101	1034	1636	1352	-	-	-	-
अनुपात										
पीबीटी लाभ/नियोजित पूंजी	0.08	0.23	0.02	0.13	0.17	0.22	0.18	0.20	0.22	0.29
पीबीटी / उत्पादन (वीओपी)	0.05	0.15	0.02	0.10	0.13	0.16	0.18	0.15	0.12	0.13
उत्पादन (वीओपी)/नियोजित पूंजी	1.78	1.50	0.95	1.32	1.33	1.37	1.00	1.39	1.80	2.14
संयोजित मूल्य/ उत्पादन (वीओपी)	0.39	0.39	0.51	0.47	0.45	0.48	0.59	0.46	0.37	0.37
कर्मचारियों की संख्या	2834	2592	2401	2214	2100	1973	1900	1790	1747	1649

कारोबार (वीओपी)

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष 24	**3,588**
वित्तीय वर्ष 23	2,548
वित्तीय वर्ष 22	1,745
वित्तीय वर्ष 21	1,133
वित्तीय वर्ष 20	1,425

कर पूर्व लाभ

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष 24	**481**
वित्तीय वर्ष 23	305
वित्तीय वर्ष 22	257
वित्तीय वर्ष 21	207
वित्तीय वर्ष 20	224

कर पश्चात लाभ

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष 24	**357**
वित्तीय वर्ष 23	228
वित्तीय वर्ष 22	190
वित्तीय वर्ष 21	153
वित्तीय वर्ष 20	163

लाभांश

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष 24	**107.22**
वित्तीय वर्ष 23	71.02
वित्तीय वर्ष 22	66.44
वित्तीय वर्ष 21	57.28
वित्तीय वर्ष 20	81.79

निवल मूल्य

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष 24	**1,673**
वित्तीय वर्ष 23	1,414
वित्तीय वर्ष 22	1,258
वित्तीय वर्ष 21	1,137
वित्तीय वर्ष 20	1,040

जनशक्ति (सं.)

वित्तीय वर्ष 24	**1649**
वित्तीय वर्ष 23	1747
वित्तीय वर्ष 22	1790
वित्तीय वर्ष 21	1900
वित्तीय वर्ष 20	1973

हमारे
रिश्ते की पूंजी

अनुभवी कार्यबल

जीआरएसई में उच्च योग्यता प्राप्त और अनुभवी कार्यबल है, जिसमें पोत निर्माण, डिजाइन, इंजीनियरिंग, आदेश प्रबंधन, संचालन, मानव संसाधन, वित्त और बिक्री पश्चात की सेवाओं में व्यापक अनुभव वाले तकनीकी रूप से कुशल पेशेवरों से बनी एक वरिष्ठ प्रबंधन टीम शामिल है

भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के साथ मजबूत और स्थायी संबंध:

जीआरएसई ने 1961 में भारतीय नौसेना के लिए पहला स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस अजय के निर्माण के बाद से भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाए रखे हैं। आज तक, कंपनी ने भारतीय नौसेना और तटरक्षक के साथ-साथ मित्र विदेशी देशों को 109 युद्धपोत सुपुर्द किए हैं और भारत की समुद्री जरूरतों को पूरा करने के लिए 790 से अधिक पोतों का निर्माण किया है। उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट से लेकर वाटरजेट फास्ट अटैक राफ्ट तक, कई तरह के युद्धपोतों के डिजाइन और निर्माण के लिए भारतीय नौसेना और तट रक्षक के विभिन्न निदेशालयों के साथ घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता होती है, जिससे स्थायी संबंध विकसित होते हैं।

व्यावसायिक विविधीकरण

पोत मरम्मत वर्टिकल और वाणिज्यिक युद्धपोत निर्माण प्रभाग को जोड़ने से जीआरएसई के प्राथमिक युद्धपोत निर्माण संचालन में वृद्धि हुई है। कंपनी ने अपने पोर्टेबल स्टील ब्रिज और डेक मशीनरी उत्पाद रेंज का विस्तार किया है और समुद्री डीजल इंजनों की असेंबली, ओवरहाल और परीक्षण में भी लगा हुआ है। राजस्व बढ़ाने के लिए अभिनव उत्पादों और लक्षित विपणन रणनीतियों को पेश करके इन नई व्यावसायिक लाइनों को विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा, डेक मशीनरी और डीजल इंजन में विविधता लाना मुख्य व्यवसाय के साथ एक ऊर्ध्वाधर एकीकरण का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे जीआरएसई को युद्धपोतों का निर्माण अधिक कुशलतापूर्वक और तेज़ी से करने की अनुमति मिलती है।

निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफ़ाइल

कमोडोर पी आर हरि, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कमोडोर पीआर हरि, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 08591411) जिनके पास 35 से अधिक वर्षों का अनुभव है, ने 10 जून 2022 से कंपनी का कार्यभार ग्रहण किए । उनके पास कंपनी के निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार भी है । उन्होंने भारतीय नौसेना में अट्ठाईस वर्षों (28) से अधिक की कमीशंड सेवा की है जिसमें ऑनबोर्ड युद्धपोतों, नेवल रिपेयर संगठनों एवं विभिन्न स्टाफ नियुक्तियों का विविध अनुभव शामिल हैं । उनके पास इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री और रक्षा एवं सामरिक अध्ययन में मास्टर डिग्री है। वे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन के एक पूर्व छात्र हैं और उन्होंने एडब्ल्यूसी एमएचओडब्ल्यू में 5 वें उच्च रक्षा उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम और नौसेना वॉर कॉलेज, गोवा में प्रतिष्ठित नौसेना उच्च कमान पाठ्यक्रम भी पूरा किए हैं ।

उनका नौसेना में शानदार करियर रहा है, जिसके दौरान उन्होंने रणनीति और संचालन, तकनीकी प्रशासन और सामरिक निर्णय लेने में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। उनके पेशेवर अनुभव में नौ जलपोत नियुक्तियाँ शामिल हैं। जिनमें से सात भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों पर थीं। उन्होंने पूर्वी नौसेना कमान में स्टाफ भूमिकाओं में और दक्षिणी नौसेना कमान के लिए कमांड इंजीनियर अधिकारी के रूप में भी काम किया है। उनके करियर का एक उल्लेखनीय आकर्षण भारत के पहले स्वदेश निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट, भा.नौ.पो. शिवालिक के कमीशनिंग इंजीनियर अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका थी। उन्हें ग्यारह साल और छह महीने की निरंतर अवधि के लिए जलपोत नियुक्तियों में सेवा करने का अनूठा गौरव प्राप्त है।

कमोडोर पी आर हरि, 2016 में एक मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कंपनी में शामिल हुए और शिपयार्ड में निर्मित सभी नए निर्माण पोतों के उत्पादन योजना के प्रभारी रहे हैं । उन्होंने 21 अक्टूबर 2019 को कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में पदभार ग्रहण किया था और जीआरएसई के मानव संसाधन, निगमित योजना और तकनीकी कार्यों का नेतृत्व किए थे ।

श्री राजीव प्रकाश, संयुक्त सचिव (एनएस)
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री राजीव प्रकाश (डीआईएन: 08590061), संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली), को कंपनी के अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) के रूप में 23 जून 2022 को नियुक्त किया गया । उन्होंने सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में बी.ए. ऑनर्स और इरास्मस विश्वविद्यालय से सामाजिक अध्ययन संस्थान विकास अध्ययन में एम.ए. किया हैं । इसके अलावा, वह 1995 बैच के भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्तीय सेवा अधिकारी (आईपी और टीएएफएस) भी रहें हैं । उन्हें वित्त के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है और उन्होंने भारत सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है ।

जून 2022 में रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली) के रूप में शामिल होने से पहले, वे उप महानिदेशक (वायरलेस योजना और वित्त), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के रूप में कार्यरत थे । इसके अलावा, वे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड और बीईएमएल लिमिटेड के बोर्ड में एक सरकार द्वारा नामित निदेशक भी थे । वे 14 सितंबर 2022 से ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड के बोर्ड में एक सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं।

श्री रमेश कुमार दाश
निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ.

सीएमए रमेश कुमार दाश (डीआईएन: 08511344) ने 01 जुलाई 2020 को जीआरएसई लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार संभाला । वह वाणिज्य में स्नातकोत्तर, विधि स्नातक और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के एसोसिएट सदस्य हैं। श्री दाश ने अपना करियर अप्रैल 1992 में मैसर्स पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड (पीपीएल), भारत सरकार में वित्त अधिकारी के रूप में शुरू किया। पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड में अपने कार्यकाल के दौरान उनकी पहली नियुक्ति भोपाल में मार्केटिंग फाइनेंस में थी और बाद में पारादीप (ओडिशा) स्थित प्लांट में स्थानांतरित हो गए। उन्होंने विभिन्न पदों पर आठ वर्षों तक कार्य की और 1999 में मैसर्स पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड छोड़ दिए और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बैंगलोर में प्रबंधक (वित्त) के रूप में शामिल हुए। एचएएल के विभिन्न प्रभागों (जिसमें प्रभागीय वित्त प्रमुखों सहित) में लगभग 20 वर्ष पूरा करने के पश्चात, श्री दाश को 2018 में निगमित कार्यालय में स्थानांतरित किया गया ताकि उनके विनिर्माण अनुभव का उपयोग निगमित परिस्थियों में किया जा सके। उन्हें वित्त, कराधान, लेखा, मूल्य निर्धारण, बजट, ट्रेजरी प्रबंधन, प्राप्य प्रबंधन, समझौता ज्ञापन, अनुबंध, वार्ता, लेखा परीक्षा कार्य और निगमित प्रशासन में व्यापक अनुभव है। श्री दाश को जीआरएसई के वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान से सर्वश्रेष्ठ सीएफओ पुरस्कार 2022 (सार्वजनिक-विनिर्माण-मध्यम-पुरुष) प्राप्त हुआ है। श्री दाश को विगत कई वर्षों से कंपनी में उनके योगदान के लिए डीएसआईजे 2024 सीएफओ अवार्ड (मध्य श्रेणी 2024 में सर्वश्रेष्ठ रिटर्न के साथ सर्वश्रेष्ठ सीएफओ) से सम्मानित किया गया है।

निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफ़ाइल

कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
निदेशक (पोत निर्माण)

कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 09631817), 23 वर्षों तक भारतीय नौसेना में सेवा करने के उपरांत वर्ष 2013 में कंपनी में शामिल हुए । उन्होंने 08 जून 2022 से कंपनी के निदेशक (पोत निर्माण) के रूप में कार्यभार संभाला । कमांडर बोस एक उच्च योग्यता प्राप्त और अनुभवी नौसेना वास्तुकार हैं, जो 2013 से कंपनी द्वारा शुरू की गई कई परियोजनाओं के प्रभारी भी रहें हैं । निदेशक (पोत निर्माण) के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वह महाप्रबंधक (एमडब्ल्यू एवं पी17ए) के रूप में काम कर रहे थे । उन्होंने कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से नौसेना वास्तुकला और पोत निर्माण में बी.टेक और आईआईटी, दिल्ली से डिप्लोमा पूरा किया । उन्होंने जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी किया है । इसके अलावा, उनके पास इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग (इंडिया) और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्चर की सदस्यता भी है ।

कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) के पास गहरी तकनीकी अंतर्दृष्टि और पोत निर्माण के सभी पहलुओं में काम करने का अनुभव है, व्यक्ति प्रबंधन करना और उन्हें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करना उनकी विशेषता रही है । जीआरएसई में, वह एकीकृत निर्माण (आईसी) पद्धति को अपनाने, डिजाइन के लिए वर्चुअल रियलिटी प्रयोगशाला (वीआरएल) के उपयोग और उत्पाद डेटा मॉडल (पीडीएम) और उत्पाद जीवन चक्र प्रबंधन (पीएलएम) में सबसे आगे रहे हैं। उनके वर्तमान फोकस क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं और स्वदेशीकरण पर अधिक जोर शामिल है। जीआरएसई की आरबीडी यूनिट के बुनियादी ढांचे के उन्नयन की योजना, निष्पादन और समुपयोजन उनकी देखरेख में किया गया है। अब चल रही परियोजनाओं के निर्माण के लिए इसका लाभकारी उपयोग किया जा रहा है।

डीआइजी सुब्रोतो घोष, भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त)
निदेशक (कार्मिक)

डीआइजी सुब्रोतो घोष भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त) 25 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय तटरक्षक (भारतीय तटरक्षक) में सेवा देने के बाद, 2016 में कंपनी में शामिल हुए। उन्होंने 20 जून 2023 को कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में कार्यभार संभाला। निदेशक (कार्मिक) के रूप में कार्यभार संभालने के पूर्व, वह मुख्य महाप्रबंधक (बीबी और डीईपी) के रूप में कार्यरत थे। डीआइजी सुब्रोतो घोष, भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त) दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा से बैचलर डिग्री के साथ एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग (मैकेनिकल मरीन) में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री भी हासिल की है। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी, पुणे से एडवांस मरीन इंजीनियरिंग कोर्स भी किया है।

भारतीय तटरक्षक में उनका शानदार करियर रहा है, जिसके दौरान उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित नियुक्तियां कीं, जिनमें मुख्य कर्मचारी अधिकारी (तकनीकी), प्रधान निदेशक (टीएस और आईटी) और परियोजना अधिकारी (पीसीवी) शामिल थे। उन्होंने भारतीय तटरक्षक बल में अपने करियर के दौरान छह अफलोट नियुक्तियां भी किया है।

जीआरएसई में महाप्रबंधक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक को तीन-तीन पोतों की सुपुर्दगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल के दौरान जीआरएसई का 100वां युद्धपोत राजाबागान डॉकयार्ड यूनिट से सुपुर्द किया गया था। उन्होंने बेली ब्रिज यूनिट के टर्नओवर को दोगुना करने का नेतृत्व किया और उसके बाद साल-दर-साल लगभग 20% राजस्व वृद्धि सुनिश्चित की।उनके पास परस्पर विरोधी प्राथमिकताओं और कड़ी समयसीमा के तहत कई हितधारकों के साथ काम करने और बताए गए उद्देश्यों के अनुरूप परिणाम देने का सिद्ध अनुभव और क्षमता है। उनके पास पोत निर्माण के साथ-साथ पोत की मरम्मत का भी व्यापक अनुभव है।

श्री संजय दत्तात्रेय पानसे

अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री संजय दत्तात्रेय पानसे (डीआईएन: 02725875), कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में 27 दिसंबर 2021 को नियुक्त किए गए हैं । वह फेलो चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं तथा एस पणसे एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, मुंबई के संस्थापक और वरिष्ठ भागीदार भी हैं । उनके पास 35 से अधिक वर्षों का अनुभव है और वित्तीय और पूंजी बाजार में व्यापक अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित पेशेवर हैं। उन्हें वित्तीय बाजार क्षेत्र के प्रतिभागियों के लेखांकन, लेखा परीक्षा और कामकाज की गहरी समझ है और उन्होंने लेखा परीक्षा, गुणवत्ता आश्वासन सेवाओं, उचित परिश्रम, आंतरिक लेखा परीक्षा, म्यूचुअल फंडों , पोर्टफोलियो प्रबंधकों, बैंक, बीमा कंपनियां और पूंजी बाजार में अन्य मध्यस्थ के लिए सलाहकार सेवाओं के क्षेत्र में एस पानसे एंड कंपनी एलएलपी के अभ्यास का नेतृत्व किया है। वह आर्थिक और वित्तीय मामलों पर लगातार वक्ता और लेखक हैं। उन्होंने विभिन्न कंपनियों के मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य किया है।

श्री संजीब मोहंती

अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री संजीब मोहंती, (डीआईएन 0955988) कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में 06 अप्रैल 2022 को नियुक्त किए गए हैं । उन्होंने वर्ष 1984 में उत्कल विश्वविद्यालय से बी.ए. और यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, भुवनेश्वर, ओडिशा से कानून में स्नातक किया हैं और वर्ष 1990 में ओडिशा स्टेट बार काउंसिल के सदस्य के रूप में नामांकित हैं । वह भारत के ओडिशा राज्य में 32 से अधिक वर्षों के अभ्यासरत अधिवक्ता हैं । उनके अभ्यास के व्यापक क्षेत्र आपराधिक और नागरिक कानून हैं । वह नियमित रूप से उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों / सत्र न्यायालयों और अन्य मंचों के समक्ष उपस्थित होते हैं ।

उन्होंने ओडिशा कोऑपरेटिव टसर एंड सिल्क फेडरेशन लिमिटेड (एसईआरआईएफ़ईडी), 2002-2008 से ओडिशा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए है । वह एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं ।

निगमित सूचना

निदेशक मंडल

कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ. (सेवानिवृत्त),
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री रमेश कुमार दाश
निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ

कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ
(सेवानिवृत्त) निदेशक (पोतनिर्माण)

डीआईजी सुब्रोतो घोष, भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त),
निदेशक (कार्मिक)
(20 जून 23 से)

श्री राजीव प्रकाश, आईपी एवं टीएएफएस
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री संजय दत्तात्रेय पानसे
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री संजीब मोहंती
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर

श्री पीडतला श्रीधर, आई आर एस (सेवानिवृत्त)
श्री बी बी सिंह, पूर्व अ.प्र.नि. एमएसटीसी लिमिटेड

सलाहकार

कमोडोर जयंत चौधुरी, भा.नौ (सेवानिवृत्त)

वरिष्ठ प्रबंधन

श्री वेंकटेश मूर्ति
मुख्य महाप्रबंधक (सीएसबी)

कमोडोर रजत मनचन्दा, भा.नौ.(सेवानिवृत्त)
मुख्य महाप्रबंधक (पीपी एवं सी)

कमांडर बी सेनगुप्ता, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
मुख्य महाप्रबंधक (सीपी,सीसी एवं बीडीएम)

कैप्टन पी सुनीलकुमार, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
मुख्य महाप्रबंधक (एफओजे)

कमांडर बी मिश्रा, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी)

कमोडोर राजीव श्रीधरण, भानौ (सेवानिवृत्त)
मुख्य महाप्रबंधक (पीएस-एनजीओपीवी, आई एवं एनटी)

कमोडोर इंद्रजीत दासगुप्ता
मुख्य महाप्रबंधक ((पोत मरम्मत एवं टीयू)

कमोडोर विकास कौशल, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
मुख्य महाप्रबंधक (पीएस - 17ए)

श्री गुलशन रतन
महाप्रबंधक (क्यूए,वीडी एवं स्वदेशीकरण)

श्री सुजय चक्रवर्ती
महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)

कमोडोर विनीत एराट, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक (डिजाइन)

श्रीमती लिपि दास
महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)

श्रीमती अपराजिता घोष
महाप्रबंधक (वित्त)

श्री एन प्रथीपन
महाप्रबंधक (बेली ब्रिज)

कमांडर एम के गुप्ता ,भा.नौ (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक (एससीसी,एचपी एवं आईपी)

श्री राजीव श्रीवास्तव
महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

श्री संजय कुमार
महाप्रबंधक प्रभारी (वित्त-बैंकिंग)

कमांडर सतीश चंद्र झा,भा.नौ (सेनानिवृत्त)
अपर महाप्रबंधक (प्रभारी-आरबीडी)

श्री एम के पांडे
अपर महाप्रबंधक (प्रभारी-एमडबल्यू)

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

श्री संदीप महापात्र

बैंकर

भरतीय स्टेट बैंक
पीएनबी
आईडीबीआई बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
एचडीएफसी बैंक
एक्सिस बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
यस बैंक
आरबीएल बैंक
फैडरल बैंक
इंडसइंड बैंक

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाऊण्टेंट्स

सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स मेहता एंड मेहता
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव

लागत लेखापरीक्षक

मैमर्स चटर्जी एंड कंपनी
कॉस्ट अकाऊण्टेंट्स

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट

मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

जीआरएसई भवन,
61, गार्डन रीच रोड,
कोलकाता – 700 024

सीआईएन सं. L35111WB1934GO1007891

वेबसाइट: www.grse.in

रणनीतिक पहल

जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) हमारी क्षमताओं को बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और पोत निर्माण और रक्षा समाधानों में वैश्विक लीडर के रूप में हमारी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन की गई रणनीतिक पहलों की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए तैयार है। हमारी दूरदर्शी रणनीतियों में कई प्रमुख क्षेत्र शामिल है।

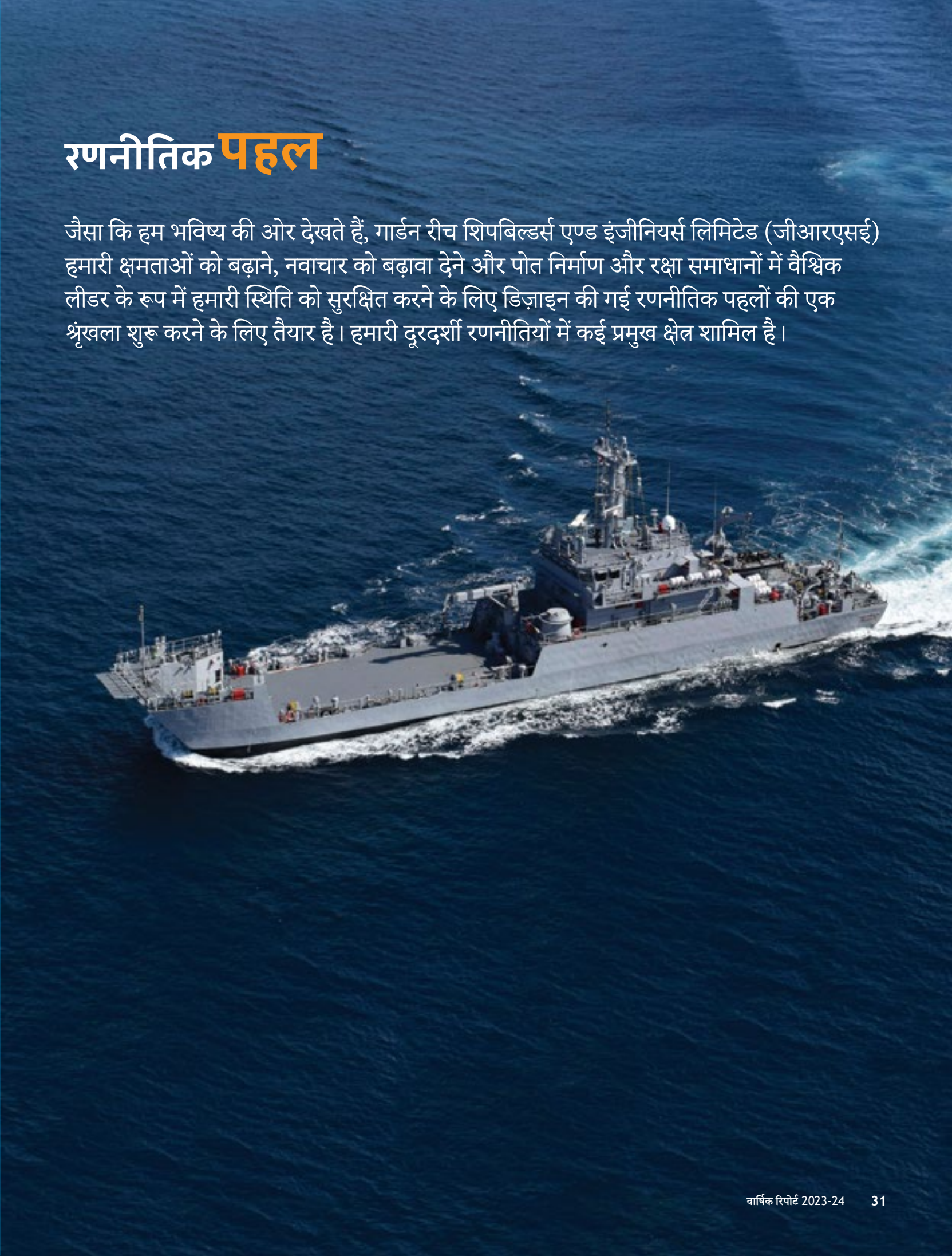

रणनीतिक पहल

विस्तार और क्षमता निर्माण

नई सुविधाएँ

अपनी पोत निर्माण क्षमता का विस्तार करने की अपनी प्रतिबद्धता में, जीआरएसई नई सुविधाओं की स्थापना और मौजूदा बुनियादी ढाँचे के उन्नयन में निवेश कर रहा है। इस महत्वाकांक्षी विस्तार में एक नए ड्राई डॉक का निर्माण और असेंबली कार्यशालाओं को जोड़ना शामिल है। इन संवर्द्धनों से हमारी उत्पादन क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे हम अपने उन्नत समुद्री उत्पादों की बढ़ती माँग को पूरा करने में सक्षम होंगे।

तकनीकी प्रगति

नवीनतम तकनीकी नवाचारों को अपनाना हमारी रणनीति का मूल है। हमारा लक्ष्य अत्याधुनिक डिजिटल पोत निर्माण तकनीकों, स्वचालित वेल्डिंग प्रक्रियाओं और रोबोट असेंबली को अपने संचालन में एकीकृत करना है। ये प्रगति न केवल हमारी उत्पादन दक्षता में सुधार करेगी बल्कि लीड टाइम को भी कम करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हम वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहें।

स्थायित्व पहल

हरित पोत निर्माण

जीआरएसई समुद्री उद्योग के अंदर संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। हम बैटरी से चलने वाली नौकाओं और हाइड्रोजन ईंधन सेल जलयानों सहित हरित पोतों के उत्पादन पर अपना ध्यान बढ़ा रहे हैं। ये पहल वैश्विक पर्यावरण मानकों के अनुरूप हैं और भारत के सतत समुद्री विकास के दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं।

ऊर्जा दक्षता

हमारे शिपयार्ड की ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना एक प्राथमिकता है। हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने और अपने संचालन में ऊर्जा-बचत उपायों को लागू करने की योजना बना रहे हैं। ये कदम हमारे कार्बन पदचिह्न को कम करेंगे और अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान देंगे।

बाजार विस्तार

अंतर्राष्ट्रीय बाजार:

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना जीआरएसई के लिए एक रणनीतिक प्राथमिकता है। हम दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित करते हुए युद्धपोतों और वाणिज्यिक पोतों के लिए निर्यात आदेशों का सक्रिय रूप से अनुसरण कर रहे हैं। इन बाजारों में प्रवेश करके, हमारा लक्ष्य अपने वैश्विक पदचिह्न को बढ़ाना और अपने राजस्व स्रोतों में विविधता लाना है।

रणनीतिक साझेदारी:

वैश्विक पोत निर्माणकर्ताओं और रक्षा ठेकेदारों के साथ रणनीतिक गठबंधन बनाना हमारी रणनीति का एक और महत्वपूर्ण घटक है। ये साझेदारी हमें संयुक्त विशेषज्ञता का लाभ उठाने, नए बाजारों तक पहुँचने और अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने की अनुमति देगी।

नवाचार और अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान और विकास:

अनुसंधान और विकास में निवेश करना हमारी दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। जीआरएसई अगली पीढ़ी के पोत डिजाइन और उन्नत समुद्री प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे अनुसंधान एवं विकास प्रयास स्टील्थ प्रौद्योगिकी, मानव रहित सतही पोतों और स्वायत्त नेविगेशन प्रणालियों पर केंद्रित होंगे।

नवाचार केंद्र:

नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, हम एक नवाचार केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं जो स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थानों और प्रौद्योगिकी फर्मों के साथ सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। यह केंद्र नए विचारों और प्रौद्योगिकियों के लिए एक ब्रीडिंग स्थल होगा जो पोत निर्माण और रक्षा समाधानों के भविष्य को आगे बढ़ाएगा।

कार्यबल विकास

कौशल संवर्धन:

हमारे कार्यबल का विकास हमारी रणनीति का आधार है। हम व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग के माध्यम से अपने कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाएँगे। ये पहल सुनिश्चित करेंगी कि हमारी टीम उद्योग की उन्नति में सबसे आगे रहे।

प्रतिभा अधिग्रहण:

देश भर से शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करना हमारे विकास के लिए आवश्यक है। हम अपने सभी प्रयासों में निरंतर नवाचार और उत्कृष्टता का समर्थन करने के लिए अपनी इंजीनियरिंग और प्रबंधन टीमों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

मंडल रिपोर्ट

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.
100
Builders of 100 Warships

निदेशक रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

आपके निदेशक मंडल को आपकी कंपनी के वार्षिक निष्पादन पर वार्षिक प्रतिवेदन और 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की रिपोर्ट के साथ इसके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करते हुए बेहद प्रसन्नता है।

वित्तीय निष्पादन

वित्तीय निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आपकी कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन अब तक का सबसे अच्छा रहा है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹2,561.15 करोड़ के मुकाबले ₹3,592.64 करोड़ रु. दर्ज करते हुए परिचालन से राजस्व में 40% का सुधार दर्ज किया है । इसके अलावा, ईबीआईडीटीए और पीएटी में मजबूत वृद्धि हुई, जो क्रमशः 52% और 57% की वृद्धि दर्ज की है जो हमारे मजबूत परिचालन प्रदर्शन और लाभप्रदता को रेखांकित करती

वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2022-23 के लिए मुख्य वित्तीय बातें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत की गई हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
उत्पादन मूल्य	3,588.46	2,547.84
प्रचालन से राजस्व	3,592.64	2,561.15
मूल्यह्रास, ब्याज और कर से पूर्व लाभ	533.74	350.86
वित्तीय लागत	11.49	6.48
मूल्यह्रास	41.33	39.17
कर पूर्व लाभ	480.92	305.22
कर के लिए प्रावधान	123.65	77.09
कर पश्चात लाभ	357.27	228.12
अन्य व्यापक आय (कुल कर)	1.10	0.54
कुल व्यापक आय	358.37	228.67

31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 के अनुसार आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति नीचे दिखाई गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 24 तक के अनुसार	31 मार्च 23 तक के अनुसार
नियोजित पूंजी	1,673.44	1,413.82
सकल खंड	754.21	729.70
शुद्ध खंड	492.57	507.61
कार्यशील पूंजी	989.43	724.97
निवल मूल्य	1,673.44	1,413.82
संवर्धित मूल्य	1,335.21	953.81
उत्पादन मूल्य	3,588.46	2,547.84
कर पूर्व लाभ	480.92	305.22

विवरण	31 मार्च 24 तक के अनुसार	31 मार्च 23 तक के अनुसार
अनुपात: (%)		
ब्याज और कर पूर्व लाभ: नियोजित पूंजी (%)	29.43	22.05
कर पश्चात लाभ: निवल मूल्य (%)	21.35	16.14
सकल लाभ: नियोजित पूंजी (%)	31.89	24.82
कर पूर्व लाभ: उत्पादन मूल्य (%)	13.40	11.98
उत्पादन मूल्य: नियोजित पूंजी (%)	214.44	180.21
वर्तमान अनुपात (समय में)	1.12	1.08
इक्विटी पर रिटर्न (%)	23.14	17.08
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में)	29.32	25.33
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय में)	3.73	4.78

उत्पादन मूल्य

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान ₹2,547.84 करोड़ की तुलना में ₹3,588.46 करोड़ का रिकॉर्ड उत्पादन मूल्य ('वीओपी') हासिल किया है। तीन प्रभागों के लिए तुलनात्मक वीओपी इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पोत प्रभाग	इंजीनियरिंग प्रभाग	इंजन प्रभाग	विविध	कुल
2023-24	3,373.22	167.17	47.90	0.17	3,588.46
2022-23	2,454.89	69.82	22.97	0.16	2,547.84

निवल मूल्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान , आपकी कंपनी ने 31 मार्च 2023 को रिपोर्ट की गई ₹ 1,413.82 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2024 को ₹1,673.44 करोड़ का निवल मूल्य दर्ज किया है।

मूल्य संवर्धन

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान मूल्य संवर्धन ₹1,335.21 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹953.81 करोड़ था। प्रति कर्मचारी मूल्य संवर्धन पिछले वर्ष के ₹54.60 लाख की तुलना में बढ़कर ₹80.97 लाख हो गया।

विनियोग

वर्ष 2023-24 में आपकी कंपनी के वित्तीय निष्पादन को ध्यान में रखते हुए, निदेशकों को प्रयोज्य अधिशेष से निम्नलिखित विनियोगों की सिफारिश करने में प्रसन्नता हो रही है:

(₹ करोड़ में)

कर पश्चात लाभ	357.27
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, निवल कर	1.10
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	358.37
घटाएँ :	
चुकता पूंजी पर वित्त वर्ष 2023-24 का अंतिम लाभांश	8.02
वित्त वर्ष 2023-24 का अंतरिम लाभांश	90.73
लाभ और हानि विवरण में बरकरार रखी शेष राशि	259.62

राजकोष में योगदान

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयकर और जीएसटी के माध्यम से राष्ट्रीय राजकोष में ₹53.41 करोड़ का योगदान दिया है।

लाभांश वितरण नीति

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम") के विनियम 43ए के अनुसरण में, सूचीबद्ध शीर्ष एक हजार संस्थाएं एक लाभांश वितरण नीति तैयार करेंगी। तदनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने सेबी लिस्टिंग विनियमों, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) और निवेश तथा सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है। पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/wp-content/uploads/2022/04/GRSE-Dividend-Distribution-Policy.pdf. पर उपलब्ध है ।

लाभांश

13 फरवरी 2024 को निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसरण में, आपकी कंपनी ने उन शेयरधारकों को ₹10/- अंकित मूल्य के प्रति शेयर हेतु ₹7.92/- का अंतरिम लाभांश दिया है, जो 23 फरवरी 2024, इस उद्देश्य के लिए तय की गई रिकॉर्ड तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं। इसके अलावा, बोर्ड ने 22 मई 2024 को हुई अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹10/- अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर हेतु ₹1.44/- के लाभांश की सिफारिश की है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल लाभांश, यदि शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो ₹9.36/- प्रति इक्विटी शेयर होगा।

एमओयू रेटिंग

आपकी कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा एमओयू मूल्यांकन के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 100 में से 90 अंक के साथ "उत्कृष्ट" रेटिंग हासिल की है। इसके अलावा, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित एमओयू में निर्धारित मापदंडों के मुकाबले वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर, आपकी कंपनी से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अपने प्रदर्शन के लिए एक बार फिर "उत्कृष्ट" रेटिंग बनाए रखने की उम्मीद है।

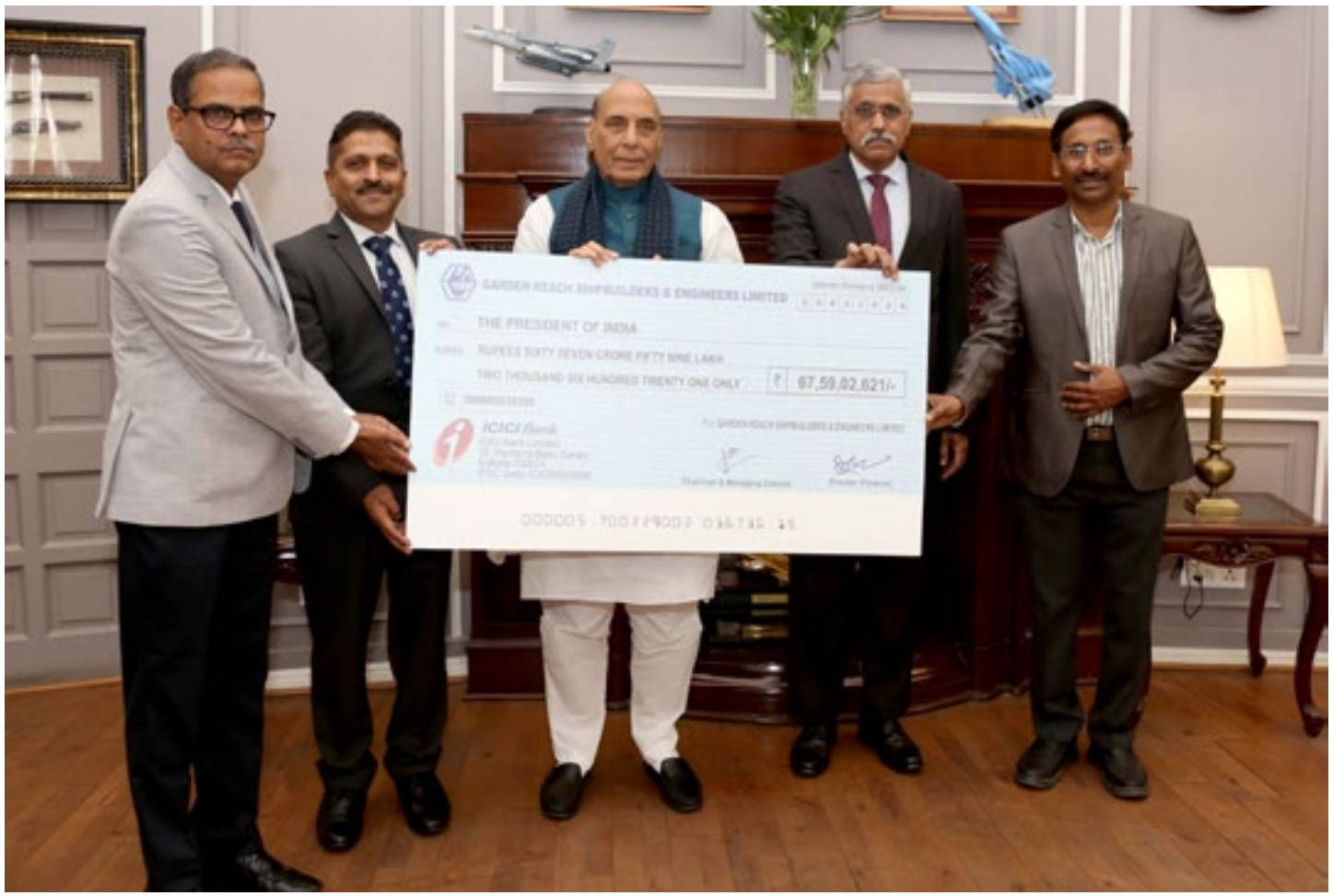

वर्ष के दौरान कंपनी का निष्पादन

क. पोत निर्माण

कंपनी ने 2023-24 के दौरान कुल पोत निर्माण आय ₹3,373.22 करोड़ हासिल की है, जबकि 2022-23 में ₹2,454.89 करोड़ थी । उल्लेखनीय है कि कंपनी ने 04 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना को एक सर्वेक्षण पोत (बड़ा) सुपुर्द किया गया, जिसे 03 फरवरी 2024 को विजाग में कमीशन किया गया।इसके अलावा, 31 मार्च 2024 तक आपकी कंपनी में निर्माणाधीन पोतों का विवरण निम्नानुसार है:

परियोजना / जलयान का प्रकार	जलयानों की संख्या
भारतीय नौसेना के लिए परियोजना पी-17ए	03
भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत (बड़ा)	03
भारतीय नौसेना के लिए एएसडबल्यू -एसडबल्यूसी	08
भारतीय नौसेना के लिए एनजी ओपीवी	04
कुल पोत	**18**
बांग्लादेश सरकार के लिए गश्ती नौकाएँ	6
पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एनजी फेरी	1

पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एनजी फेरी की तकनीकी स्वीकृति 22 मार्च 24 को सफलतापूर्वक पूरी की गई ।

शिपयार्ड ने वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के प्रमुख माइलस्टोन भी पूरे किए जो निम्नानुसार हैं :

कमिशनिंग

क्र.सं.	पोत	यार्ड	दिनांक
(क)	सर्वेक्षण पोत (बड़ा)	3025	03 फ़रवरी 2024

सुपुर्दगी

क्र.सं.	पोत	यार्ड	दिनांक
(क)	सर्वेक्षण पोत (बड़ा)	3025	04 दिसंबर 2023

जलावतरण

क्र.सं.	पोत	यार्ड	दिनांक
(क)	तीसरा परियोजना पी-17ए	3024	17 अगस्त 2023
(ख)	तीसरा एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी)	3030	13 जून 2023
(ग)	4 वां सर्वेक्षण पोत बड़ा (एसवीएल)	3028	13 जून 2023
(घ)	4 वां एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी)	3031	16 नवंबर 2023
(ङ)	5 वां एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी)	3033	13 मार्च 2024
(च)	6 वां एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी)	3036	13 मार्च 2024
(छ)	नेक्स्ट जेनरेशन इलेक्ट्रिक फ़ेरी	2120	11 जनवरी 2024

शिलान्यास

क्र. सं.	पोत	यार्ड	दिनांक
(क)	7 वां एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी)	3032	13 जून 2023

उत्पादन आरंभ

क्र. सं.	पोत	यार्ड	दिनांक
(क)	8 वां एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी)	3034	01 मई 2023
(ख)	प्रथम नेक्स्ट जेनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल (एनजीओपीवी)	3037	25 सितम्बर 2023
(ग)	द्वितीय नेक्स्ट जेनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल (एनजीओपीवी)	3038	25 सितम्बर 2023
(घ)	तृतीय नेक्स्ट जेनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल (एनजीओपीवी)	3039	24 फ़रवरी 2024
(ङ)	चतुर्थ नेक्स्ट जेनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल (एनजीओपीवी)	3040	24 फ़रवरी 2024

ख. पोत मरम्मत

आपकी कंपनी के पोत मरम्मत प्रभाग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह (एसपीएमके), कोलकाता से लिए गए सभी तीन ड्राई-डॉक का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एसपीएमके, कोलकाता और ओखा में 18 पोतों और क्राफ्ट की डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी की है। इसके अतिरिक्त, इसने 12 पोतों और क्राफ्ट के लिए सफलतापूर्वक रिफिट का संचालन किया, जिसकी कुल ऑर्डर कीमत ₹91.20 करोड़ थी।

पोत मरम्मत गतिविधियों से राजस्व वर्ष 2022-23 में ₹33.98 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹92.89 करोड़ हो गया, जो पर्याप्त वृद्धि और परिचालन दक्षता को दर्शाता है।

ग. इंजीनियरिंग प्रभाग

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान इंजीनियरिंग प्रभाग द्वारा प्राप्त उत्पादन मूल्य (वीओपी) वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹69.82 करोड़ की तुलना में ₹167.17 करोड़ था।

पोर्टेबल स्टील ब्रिज यूनिट

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बेली ब्रिज यूनिट ने कुल ₹140.24 करोड़ का उत्पादन मूल्य (वीओपी) हासिल किया है, जो पिछले वर्ष के ₹69.30 करोड़ से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। इसमें 90 ब्रिजों का कुल उत्पादन 6,750 मीट्रिक टन शामिल है, जबकि पिछले वर्ष 78 ब्रिजों का कुल उत्पादन 5,850 मीट्रिक टन था।

इसके अलावा, कंपनी ने डीएलओसी के तहत बांग्लादेश सेना को 80 फीट के सिंगल-लेन मॉड्यूलर पुलों के सात सेट निर्यात किए, जिनकी कीमत ₹8.92 करोड़ थी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भूटान में परियोजना दंतक (बीआरओ) को 120 फीट के डबल-लेन मॉड्यूलर पुल का एक सेट दिया गया ।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल और महत्वपूर्ण भू-संपर्क बहाल करने के लिए केवल दो महीने की छोटी सी अवधि में पीडबल्यूडी, हिमाचल प्रदेश को बेली ब्रिज के विभिन्न स्पैन के 12 सेट वितरित किए।

आपकी कंपनी ने डीजीबीआर (बीआरओ) के साथ समझौता ज्ञापन के तहत बीआरओ को डबल-लेन एमएसबी के 26 सेट लॉन्च करके एक सराहनीय उपलब्धि हासिल की है। उल्लेखनीय है कि जीआरएसई ने अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में विभिन्न परियोजनाओं में 25 डबल-लेन एमएसबी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने डीजीबीआर (बीआरओ) के साथ समझौता ज्ञापन के तहत परियोजना स्वास्तिक (बीआरओ) को बेली सस्पेंशन ब्रिज के तीन सेट और 200-फीट सिंगल-लेन मॉड्यूलर ब्रिज के दो सेट वितरित किए। इन रणनीतिक प्रतिष्ठानों ने उत्तरी सिक्किम में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में भू-संपर्क की बहाली में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

अपनी आरएंडडी पहल के तहत, आपकी कंपनी की बेली ब्रिज यूनिट ने सीएसआईआर-एसईआरसी, चेन्नई की देखरेख में बेलूर में 5.30 मीटर कैरिजवे 200-फीट सिंगल लेन मॉड्यूलर ब्रिज का लोड परीक्षण सफलतापूर्वक किया है । यह ब्रिज, भारत में अपनी तरह का पहला ब्रिज है, जो आईआरसी: 6 प्रावधानों की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।

डेक मशीनरी यूनिट

आपकी कंपनी की डेक मशीनरी यूनिट विशेषज्ञता रखती है विभिन्न डेक मशीनरी उपकरणों के विनिर्माण और आपूर्ति में, जैसे कि एंकर कैपस्टन, एंकर विंडलास, मूरिंग कैपस्टन, डॉक कैपस्टन, सामान्य प्रयोजन डेविट्स, गोला-बारूद डेविट, इलेक्ट्रिक बोट डेविट्स, इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक बोट डेविट्स, सर्वे मोटर बोट डेविट्स, हाइड्रोग्राफिक डेविट्स, ओशनोग्राफिक विंच, समुद्र तट संचालन के लिए एंकर सह सामान्य प्रयोजन विंच, हेलीकॉप्टर ट्रैवर्सिंग सिस्टम (दोनों रेल आधारित और रेल रहित प्रकार), आदि। इसके अलावा, यूनिट ग्राहकों द्वारा उपयोग के तहत सभी डेक मशीनरी उपकरणों के लिए उत्पाद समर्थन प्रदान कर रही है और भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक की आवश्यकताओं के आधार पर उपकरणों के नवीनीकरण के अलावा पुर्जों की आपूर्ति कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, डेक मशीनरी यूनिट ने ₹26.93 करोड़ का उत्पादन मूल्य (वीओपी) हासिल किया, जो पिछले वर्ष ₹0.52 करोड़ था। वर्ष के दौरान, भारतीय नौसेना के विभिन्न नए निर्माण यार्डों और परिचालन पोतों को कुल चौंतीस (34) विभिन्न प्रकार के डेक मशीनरी उपकरण की आपूर्ति की गई है। डिवीजन ने अपने नाम कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ दर्ज की हैं, जिन्हें आगे के पैराग्राफ में हाइलाइट किया गया है।

प्रमुख विकास

रेल रहित हेलीकॉप्टर ट्रैवर्सिंग सिस्टम (आरएलएचटीएस) को सफलतापूर्वक स्वदेशी बनाया गया है और ट्विन हैंगर प्लेटफॉर्म (पी15बी पोत भा.नौ. पो. इम्फाल) पर इसका परीक्षण किया गया है। यह अग्रणी उपलब्धि दुनिया भर में नौसेना प्लेटफॉर्म में अपनी तरह की पहली उपलब्धि है, जिसमें एएलएच एमके-I हेलीकॉप्टरों के लिए उपयुक्त रूप से निर्मित स्वदेशी ग्राउंड सपोर्ट उपकरण (जीएसई) है। यह सफलता उल्लेखनीय है क्योंकि समुद्री स्वीकृति परीक्षण (एसएटी) बिना किसी अवलोकन के पूरे किए गए और भारतीय नौसेना की एजेंसियों से प्रशंसा अर्जित की।

विशेष रूप से, टेलीस्कोपिक हेलीकॉप्टर हैंगर, जिसके दरवाजे मूल रूप से विदेशी फर्मों से आयात के लिए योजनाबद्ध थे, को फैक्ट्री स्वीकृति परीक्षणों (एफएटी) के माध्यम से इन-हाउस डिजाइन, विकसित, निर्मित और मान्य किया गया है, जिसके बाद भारतीय नौसेना की संतुष्टि के लिए बंदरगाह और समुद्र में सफल परीक्षण किए गए हैं।

जीआरएसई डीकेएमसी 15 टन क्षमता वाले सबसे बड़े शिपबोर्ड मूरिंग कैपस्टन के डिजाइन, विकास, विनिर्माण और उत्पाद सहायता प्रदान करने पर गर्व महसूस करता है। इस उपकरण को निर्बाध सहायता प्रदान करने के लिए तीन वर्ष का अनुबंध किया गया है।

सर्वे वेसल लार्ज (एस.वी.एल.) परियोजना के लिए 13 मीटर की अधिकतम पहुंच वाली दूरबीन क्षमताओं वाली 3 टन की डेक क्रेन का विकास सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इस क्रेन को पहले दो एस.वी.एल. जलयानों पर वेलीडेट किया गया है, जबकि शेष दो पोतों पर इंस्टालेशन का काम अभी चल रहा है।

घ. इंजन प्रभाग

रांची स्थित आपकी कंपनी के डीजल इंजन प्लांट (डीईपी) ने वर्ष के दौरान पी17ए परियोजना के लिए फैक्ट्री स्वीकृति परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और चौदह (14) 1 मेगावाट डीजल अल्टरनेटर (डीए) की डिलीवरी कर दी है।

डीईपी रांची ने डब्ल्यू6 रूटीन और सफल फैक्ट्री स्वीकृति परीक्षणों के पूरा होने के बाद भारतीय तटरक्षक को दो (02) एमटीयू 4000 श्रृंखला इंजन भी वितरित किए हैं।

इंजन प्रभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष ₹22.97 करोड़ की तुलना में ₹47.90 करोड़ का उल्लेखनीय उत्पादन मूल्य हासिल किया।

बेली ब्रिज घटकों का निर्माण रांची स्थित डीईपी इकाई में भी किया जा रहा है, जहां डीईपी यूनिट के बेली ब्रिज डिवीजन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग ₹ 22.56 करोड़ का वीओपी और 1573 मीट्रिक टन का उत्पादन हासिल किया है ।

डीईपी रांची 4000 सीरीज एमटीयू इंजनों के डब्ल्यू5 रूटीन के लिए एनएसआरवाई कारवार के साथ एक रनिंग रेट अनुबंध भी निष्पादित कर रहा है।

आदेश पुस्तिका स्थिति

31 मार्च 2024 तक तीन (3) प्रभागों के लिए आपकी कंपनी की कुल आदेश पुस्तिका स्थिति इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रभाग / विभाग	31 मार्च 2024 तक के अनुसार समापन आदेश मूल्य
क	**पोत प्रभाग**	
	पोत (बी एवं डी स्पेयर्स सहित)	22,511.12
	पोत मरम्मत एवं एएमसी	82.51
	कुल पोत प्रभाग	**22,593.63**
ख	**इंजीनियरिंग प्रभाग**	
	बेली ब्रिज	4.16
	डेक मशीनरी और पंप	25.89
	कुल इंजीनियरिंग प्रभाग	**30.05**
ग	**इंजन प्रभाग**	**29.00**
	कुल (क+ख+ग)	**22,652.68**

नई पहल

दीर्घकालिक व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके निम्नलिखित प्रमुख पहल की हैं:

(क) हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी के डिजाइन एवं विकास में सहयोग के लिए लॉयड्स रजिस्टर मरीन एंड ऑफशोर इंडिया एलएलपी, मुंबई, महाराष्ट्र।

(ख) मैसर्स श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को ग्रीन जलयान का डिजाइन और निर्माण करने के लिए अनुबंधित किया गया है, जो पोर्ट अथॉरिटी (एसएमपीके) की विशिष्ट परिचालन और पर्यावरणीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(ग) मैसर्स सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को टिम्बर डेकिंग और गैल्वेनाइज्ड फिनिश के साथ सुदृढ़ किए गए 400 फीट फैलाव वाले बेली सस्पेंशन ब्रिज (40 टी सिंगल व्हीकल) के 10 सेटों के विनिर्माण, आपूर्ति, परिवहन, लांच और निर्माण के लिए।

(घ) मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) से जीआरएसई के लिए विशेष ग्रेड डीएमआर स्टील जैसे कच्चे माल की समय पर उपलब्धता के लिए अनुरोध किया गया।

(ङ) मैसर्स कोंग्सबर्ग मैरीटाइम स्वीडन एबी को स्वदेशी सामग्री / वॉटर जेट्स की स्वदेशी असेंबली का समर्थन करने के लिए कोंग्सबर्ग वॉटर जेट्स के स्थानीयकरण के साथ लाइसेंस उत्पादन के हेतु।

(च) मैसर्स कैटरपिलर इंक, यूएसए को भारतीय नौसेना के लिए 6 मेगावाट के मध्यम गति वाले समुद्री डीजल इंजन के विकास के संबंध में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु।

(छ) मैसर्स रोल्स-रॉयस सॉल्यूशंस जीएमबीएच, 88040 फ्रेडरिकशफेन, जर्मनी के साथ व्यक्तिगत लाइसेंस समझौता, व्यापारिक संबंधों को परिभाषित करता है, जिसमें पार्टियों के उत्पाद, शर्तें, कर्तव्य और जिम्मेदारियां शामिल हैं।

(ज) मैसर्स क्रॉले एंड रे (एफ एंड ई) प्राइवेट लिमिटेड को जीआरएसई ब्रांड नाम के तहत प्रकार-परीक्षणित समुद्री वाल्वों के डिजाइन और विनिर्माण में सहयोग हेतु।

(झ) मैसर्स आर्टसन इंजीनियरिंग लिमिटेड, मुंबई और मेसर्स विश्वकर्मा साल्वेज प्राइवेट लिमिटेड, पोरबंदर, गुजरात को पोत मरम्मत सहयोगी के रूप में जीआरएसई / जीआरएसई-केपीडीडी / भारत में अन्यत्र पोत मरम्मत / रिफिट और संबद्ध गतिविधियों को करने के लिए नियुक्त किया गया है।

(ञ) मैसर्स श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, (एसएमपीके), कोलकाता को कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों पर आने वाले जलयानों को मरम्मत सेवाएं प्रदान करने के लिए पोर्टल की स्थापना हेतु।

(ट) अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी की मोडेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम डेम्पो होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, पणजी, गोवा, 'पश्चिमी तट पर पोत निर्माण में सहयोग' हेतु।

(ठ) नेवल ग्रुप एस.ए., फ्रांस के साथ युद्धपोत निर्माण के लिए डिजाइन में सहयोग हेतु ।

(ड़) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल), कोलकाता, पश्चिम बंगाल जीआरएसई द्वारा संसाधन उपयोग (इंजीनियरिंग, खरीद) और पोतों के निर्माण में सहयोग हेतु ।

(ढ) मैसर्स सीटेक सॉल्यूशंस इंटरनेशनल (एस) पीटीई लिमिटेड और शिफ्ट क्लीन सॉल्यूशंस लिमिटेड तथा अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग के बीच 50टी बीपी इलेक्ट्रिक टग - ई-वोल्ट 50 ("जलयान") के विकास और निर्माण पर सहयोग के लिए समझौता।

(ण) मैसर्स रुद्रम इन्फोटेक, अहमदाबाद, गुजरात, जीआरएसई उत्पादों के व्यवसाय विकास और विपणन के उद्देश्य से ।

(त) मैसर्स मैरीटाइम टैक्टिकल सिस्टम्स इंक., फ्लोरिडा, यूएसए को स्वामित्व सूचना के उपयोग, संचालन, संरक्षण और सुरक्षा के संबंध में पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करने के लिए, जिसका खुलासा एमएआरटीएसी द्वारा जीआरएसई को किया गया है।

(थ) जीआरएसई और आईआरएस की पूरक क्षमताओं का लाभ उठाते हुए स्वायत्त और हरित ऊर्जा जाल्याणों के विकास के लिए अनुबंधों को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने और निष्पादित करने के लिए सहयोग हेतु भारतीय शिपिंग रजिस्टर (आईआरएस) के साथ समझौता ज्ञापन।

(द) एयर कुशन वाहनों के विकास पर सहयोग के लिए यूरोटेक पिवोट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, कोयंबटूर के साथ समझौता ज्ञापन।

अनुसंधान एवं विकास

अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी: आपकी कंपनी ने अंतर्देशीय जल में यात्रियों के परिवहन के लिए पूर्ण इलेक्ट्रिक बैटरी चालित फेरी के लिए एक अवधारणा डिजाइन विकसित किया है। 24 मीटर लंबे एल्युमीनियम के इस जलयान की अधिकतम गति 8 समुद्री मील और 150 यात्रियों को ले जाने की क्षमता होगी। यह पारंपरिक अंतर्देशीय फेरियों की जगह देश में अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने का अग्रणी प्रयास होगा । यह हुगली नदी के ऊपर चलने वाले डीजल फेरियों को बदलने के लिए एक कदम है जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। कंपनी ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार को एक जलयान सफलतापूर्वक बनाया और सुपुर्द किया है।

मानव रहित सतह पोत (यूएसवी): आपकी कंपनी ने 'स्वाधीन' नामक 5 मीटर यूएसवी प्रोटोटाइप विकसित किया है। यूएसवी की संभावित भूमिकाएँ बाथिमेट्रिक सर्वेक्षण और माइन हंटिंग हैं। रिमोट-कंट्रोल क्षमताओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है, और परिभाषित संभावित भूमिकाओं के लिए आवश्यक पेलोड के साथ टकराव से बचने की क्षमताओं के साथ प्रोटोटाइप को और बढ़ाया जा रहा है। सितंबर, 2023 में, जीआरएसई को विभिन्न जलमग्न वाहनों के बीच संचार करने के लिए यूएसवी के डिजाइन और विकास के लिए एनएसटीएल, डीआरडीओ से एक आदेश मिला। हमारी कंपनी को नवंबर 23 में भारतीय नौसेना द्वारा मेक II परियोजना एएसवी एमसीएम के तहत स्वायत्त सतह पोत - माइन काउंटर मेजर (एएसवी एमसीएम) के डिजाइन और विकास के लिए एक परियोजना स्वीकृति आदेश भी जारी किया गया है। जो समुद्री बारूदी सुरंगों के खतरे का प्रभावी ढंग से मुकाबला करके समुद्री क्षेत्रों को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

ऑटोनॉमस अंडरवाटर वाहन (एयूवी): जीआरएसई ने माइन काउंटर मेजर ऑपरेशन, पुन: प्रयोज्य एएसडबल्यू प्रशिक्षण लक्ष्य और निष्क्रिय ध्वनिक निगरानी के लिए 2.15 मीटर लंबाई का एक स्वायत्त जल वाहन विकसित किया है। पेलोड का एकीकरण प्रगति पर है।

मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी): यूएवी (ड्रोन) के लिए तकनीक जिसे समुद्र में पोतों द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च और पुनर्प्राप्त किया जा सकता है, अभी भी प्रारंभिक चरण में है। मेसर्स तुंगा एयरोस्पेस के सहयोग से जीआरएसई देश में स्वदेशी पोत आधारित हवाई मानवरहित ड्रोन (यूएवी) विकसित करने की प्रक्रिया में है, जो नौसेना, तटरक्षक के साथ-साथ तटीय पुलिस के लिए बहुत उपयोगी होगा। इस यूएवी को एक पोत से चौबीसों घंटे निगरानी क्षमताओं की पेशकश करते हुए निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस यूएवी की प्रमुख विशेषताओं में से एक पोत के डेक पर स्वायत्त रूप से पुनर्प्राप्त करने की क्षमता है, जो इसकी परिचालन दक्षता को और बढ़ाती है। यूएवी वास्तविक समय की निगरानी वीडियो फीड को मदर शिप पर स्थित ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर प्रसारित करेगा ।

जहाज़ आधारित यूएवी

मेक इन इंडिया पहल

आपकी कंपनी ने "मेक इन इंडिया और स्वदेशीकरण" नीति को लागू किया है जिसके तहत स्वदेशी विक्रेताओं को सहयोग के साथ लाइसेंस प्राप्त उत्पादन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त उत्पादन, सह-उत्पादन, संयोजन, डिजाइन और टीओटी के साथ भारत में निर्माण के माध्यम से अधिकतम स्वदेशीकरण सामग्री के साथ उद्धरण देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आपकी कंपनी ने देश में सबसे आधुनिक युद्धपोतों को डिजाइन करने और बनाने के लिए इन-हाउस क्षमताओं का विकास किया है और भारतीय नौसेना के लिए हाल ही में पूरे हुए और चल रहे पोत निर्माण परियोजनाओं (लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी (एलसीयू) पोत, एंटी सबमरीन वारफेयर कोर्वेटी एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी), सर्वे वेसल लार्ज (एसवीएल) और पी-17ए स्टील्थ फ्रिगेट) के लिए 80% से अधिक स्वदेशीकरण हासिल किया है, जो अत्याधुनिक युद्धपोत डिजाइन और निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) के माध्यम से रक्षा मंत्रालय ने 04 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (पीआईएल) प्रकाशित की और सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) के माध्यम से क्रमशः 05 पीआईएल प्रकाशित कीं, जिनके लिए उनके सामने इंगित समयसीमा से परे आयात पर प्रतिबंध होगा। यह रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह भारतीय रक्षा उद्योग को सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं के डिजाइन और विकास क्षमताओं का उपयोग करके इन वस्तुओं का निर्माण करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। जीआरएसई ने स्वदेशीकरण के लिए कुल 62 वस्तुओं (डीडीपी-एमओडी सूची से 37 आइटम और डीएमए-एमओडी सूची से 25 आइटम) की पहचान की है। जीआरएसई ने पहले ही एमओडी-डीडीपी द्वारा प्रख्यापित 04 पीआईएल में निर्दिष्ट 37 वस्तुओं में से 27 वस्तुओं का स्वदेशीकरण कर दिया है और शेष 10 वस्तुओं का स्वदेशीकरण वर्ष 2027 तक पूरा किया जाना है।

जीआरएसई ने सार्वजनिक अवलोकन हेतु 58 आइटम अपलोड किए हैं (37 पीआईएल आइटम, 17 गैर-पीआईएल आइटम और डीडीपी-एमओडी की पीआईएल-5 के लिए प्रस्तावित 4 आइटम) श्रीजन रक्षा पोर्टल पर सार्वजनिक दृश्य के लिए उपलब्ध हैं, जो पहले आयातित थे या स्वदेशी विक्रेता उपलब्ध नहीं थे। जीआरएसई ने इस सूची की 35 वस्तुओं को सफलतापूर्वक स्वदेशी बनाया है (27 पीआईएल हैं और 08 गैर-पीआईएल हैं)। जीआरएसई ने 17 गैर-पीआईएल वस्तुओं की पहचान की है और उनमें से 08 गैर-पीआईएल वस्तुएं पहले से ही स्वदेशी हैं।

मेक-II फ्रेमवर्क (उद्योग वित्त पोषित प्रोटोटाइप विकास) को 09 जुलाई 22 को जीआरएसई में लागू किया गया था। आज की तारीख में, जीआरएसई ने मेक-II परियोजना के तहत 08 वस्तुओं की पहचान की है, जिनमें से 04 गैर-पीआईएल और 04 पीआईएल आइटम हैं। 02 गैर-पीआईएल और 01 पीआईएल वस्तुओं का पहले ही स्वदेशीकरण किया जा चुका है, जबकि शेष 05 वस्तुओं का स्वदेशीकरण / विकास दिसंबर 2027 तक पूरा किया जाना है।

रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडीईएक्स) के संबंध में, जीआरएसई ने 04 आईडीईएक्स परियोजनाओं की पहचान की है, अर्थात्, (क) सक्रिय रोल स्थिरीकरण प्रणाली (आईडीईएक्स डीआईएससी-05), (ख) एआई सक्षम वेल्डिंग हेलमेट (आईडीईएक्स डीआईएससी -06) (ग) वाई-फाई कनेक्टिविटी (आईडीईएक्स डीआईएससी -09), के बिना शिपयार्ड के लिए उद्योग 4.0 को लागू करना और (घ) मॉड्यूलर स्टील ब्रिज डेक के लिए हेवी ड्यूटी नॉन-स्लिप एपॉक्सी वेयरिंग सतह (आईडीईएक्स डिस्क-10)।

रक्षा मंत्रालय (एमओडी) / भारतीय नौसेना के लिए 248.50 करोड़ रुपये की लागत वाली 30 मिमी नौसेना सतह गन के विनिर्माण और आपूर्ति के लिए अनुबंध पर 24 मई 23 को हस्ताक्षर किए गए, जो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए हथियार प्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक कदम है ।

रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखने और सैन्य श्रेष्ठता हासिल करने के लिए प्रभावी रक्षा क्षमता का एक महत्वपूर्ण घटक है। इन पहलों के एक हिस्से के रूप में, रक्षा मंत्रालय द्वारा 2018 में "मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति" की स्थापना की गई थी। मंत्रालय का यह प्रोत्साहन जीआरएसई पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार के साथ-साथ सरलता को प्रोत्साहित करते हुए प्रमुख चालक बन गया है। जीआरएसई ने 143 आईपीआर (एमआरजीएस लॉन्चिंग के बाद 139 आईपीआर) दायर किए हैं, जिनमें से 95 आईपीआर आज की तारीख तक स्वीकृत/पंजीकृत (15 पेटेंट, 64 कॉपीराइट और 16 ट्रेडमार्क) हैं। जीआरएसई ने प्रौद्योगिकी और नवाचार संचालित कार्य संस्कृति को आत्मसात करने के उद्देश्य से लगभग 1385 कर्मियों (स्वयं के कर्मचारियों के साथ-साथ विक्रेता कर्मियों) को प्रशिक्षित किया।

जीआरएसई त्वरित नवाचार पोषण योजना - 2023 (जीएआईएनएस 2023): भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्ट-अप इंडिया' पहलों के अनुसरण में, आपकी कंपनी ने देश में बनाए गए विशाल स्टार्ट-अप इकोसिस्टम का लाभ उठाकर, शिपयार्ड के प्रौद्योगिकी विकास प्रयासों के हिस्से के रूप में, अभिनव समाधानों के विकास की पहचान करने और उन्हें प्रोत्साहित करने की पहल की है। जीआरएसई त्वरित नवाचार पोषण योजना (जीएआईएनएस) की परिकल्पना पोत डिजाइन और निर्माण उद्योग में वर्तमान और उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए इस इकोसिस्टम का लाभ उठाने के साधन के रूप में की गई है, साथ ही 'आत्मनिर्भरता' के उद्देश्यों को भी प्राप्त किया जा रहा है । 22 मई 23 को माननीय कौशल विकास, उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा ओपन इनोवेशन चैलेंज जीएआईएनएस 2023 का शुभारंभ किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल/ग्रीन एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी और एफिशिएंसी एन्हांसमेंट, जो जीआरएसई के लिए मुख्य फोकस क्षेत्र हैं, इस चैलेंज के लिए विषयगत क्षेत्र थे। इस ओपन चैलेंज को पूरे देश के इनोवेटर्स से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें से स्टेज II में विस्तृत मूल्यांकन के लिए छह आशाजनक प्रस्तावों का चयन किया गया और उन्हें 04 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन दिया गया । एक कठोर चयन प्रक्रिया के बाद, मैसर्स स्मार्ट मशीन्स एंड स्ट्रक्चर्स (एमएसएमई) और मेसर्स बोडकिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (स्टार्ट-अप) से प्राप्त प्रस्तावों को 29 सितंबर 23 को जीएआईएनएस 2023 का विजेता घोषित किया गया और उन्हें जीआरएसई द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। जीएआईएनएस 2023 विजेताओं को विकास आदेश 26 मार्च 24 को " जीएआईएनएस 2023 फंडिंग अवार्ड समारोह" के दौरान प्रदत्त किए गए।

निर्यात पहल

आपकी कंपनी 2014 में मॉरीशस को एक युद्धपोत, ऑफशोर पेट्रोल वेसल निर्यात करने वाली पहली भारतीय शिपयार्ड है। जीआरएसई ने सेशेल्स की सरकार को एक फास्ट पेट्रोल वेसल 'एससीजी पीएस जोरोस्टर' का भी निर्यात किया और 31 मार्च 2022 को इसकी गारंटी रिफिट एंड ड्राई डॉकिंग (जीआरडीडी) को पूरा किया। आपकी कंपनी ने 12.73 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य पर गुयाना गणराज्य को 01 ओशन गोइंग वेसल (ओजीवी) भी निर्यात किया।

आपकी कंपनी ने मित्र देशों को नेवल पोतों को निर्यात करने की पहल की है और फोकस क्षेत्रों के रूप में सार्क, आसियान, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों जैसे बांग्लादेश, गुयाना, फिलीपींस, सेशेल्स, मलेशिया, मॉरीशस, यूएई, वियतनाम आदि देश की पहचान की है।

जीआरएसई नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों को पोर्टेबल स्टील बेली ब्रिज और इसके घटकों की आपूर्ति करता है । बेली ब्रिज और उनके घटकों के निर्यात को अन्य मित्रवत विदेशी देशों में भी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने निर्यात ऑर्डरों से ₹46.90 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है, जिसमें शिपबिल्डिंग से ₹33.60 करोड़ और बेली ब्रिजेज से ₹13.30 करोड़ शामिल हैं।

आपकी कंपनी वर्तमान में निम्नलिखित निर्यात आदेश निष्पादित कर रही है:

(क) बांग्लादेश सरकार हेतु 1.82 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के लिए 06 पेट्रोल / निगरानी नौकाओं की आपूर्ति।

(ख) फास्ट पैट्रोल वेसल (एफपीवी) 'एससीजी पीएस जोरोस्टर' का संक्षिप्त रिफिट सेशेल्स सरकार का प्रस्ताव (मूल रीफिट लागत ₹23 करोड़ 22 मार्च 2024 को प्राप्त हुई) को 6 महीने में पूरा किया जाना है।

(ग) नेपाल के ₹1.82 करोड़ मूल्य के 02 प्री-फैब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील ब्रिज और भूटान के ₹0.09 करोड़ मूल्य के 01 प्री-फैब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील ब्रिज।

आधारभूत संरचना और तकनीकी आधुनिकीकरण

कार्यात्मक और उत्पादन आवश्यकताओं के अनुरूप बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन पर जोर देते हुए, कंपनी ने वर्ष 2023-24 के दौरान सीएपीईएक्स निवेश के एक हिस्से के रूप में ₹50 करोड़ खर्च किए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निर्मित/आधुनिकीकृत की गई और वर्तमान में प्रगति पर चल रही कुछ प्रमुख सुविधाएँ इस प्रकार हैं::

(क) **मेन यूनिट का उन्नयन**

(i) **पोत निर्माण शॉप में रोबोटिक वेल्डिंग एम/सी की स्थापना:** उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए फ्लैट पैनल की निरंतर स्वचालित वेल्डिंग के लिए बे-4 में रोबोटिक वेल्डिंग एम/सी की स्थापना की गई।

(ii) **बिल्डिंग बर्थ-1 के ग्राउंडवे का नवीनीकरण:** पोत के जलावतरण के लिए पुराने मौजूदा ग्राउंडवेज का काम पूरा होने वाला है।

(iii) **बिल्डिंग बर्थ-1 का डीए मैनिफोल्ड और पाइपिंग नेटवर्क:** उत्पादन को प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने के लिए डीए मैनिफोल्ड और पाइपिंग नेटवर्क का पूर्ण पुनरुद्धार पूरा हो गया है।

(iv) **टॉवर क्रेन:** पोतों के आउटफिटिंग कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्य और आरबीडी यूनिट में जेटी पर टॉवर क्रेन की स्थापना का कार्य चल रहा है।

(ख) **डीईपी यूनिट का उन्नयन:** 3000 इंजन स्पीड पर 4500 किलोवाट तक के एमटीयू इंजन के परीक्षण के लिए टेस्ट बेड नंबर 1 को उन्नत किया जा रहा है। इस उन्नयन के तहत, हाइड्रोलिक प्रेशर कंट्रोल्ड डायनेमोमीटर खरीदा गया है और इंजनों के परीक्षण के लिए आवश्यक अन्य सहायक उपकरणों की स्थापना के साथ-साथ इसकी स्थापना की जा रही है। उन्नयन की कुल अनुमानित लागत ₹6.00 करोड़ है।

(ग) **रूफटॉप सोलर प्लांट:** वायुमंडलीय जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए हरित ऊर्जा पहल के एक भाग के रूप में, इस वर्ष आरबीडी यूनिट में 300 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट चालू किया गया है। इसके साथ ही कंपनी के रूफटॉप सोलर प्लांट की कुल क्षमता अब 2250 किलोवाट यानी 2.25 मेगावाट हो गई है, जो कुल अनुबंध भार का 50% से अधिक है।

(घ) **आरबीडी यूनिट में नया स्टील स्टॉकयार्ड:** आरबीडी में एक पोर्टल क्रेन के स्थानांतरण के साथ एक नए स्टील स्टॉकयार्ड का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ङ) **आरबीडी यूनिट में कंक्रीट हार्डस्टैंड:** आरबीडी यूनिट में उत्पादन सहायता, पोत सामग्री और पतवार ब्लॉकों के भंडारण के लिए कंक्रीट हार्डस्टैंड के साथ लगभग 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्र विकसित किया गया है।

(च) **मेन और 61-पार्क में पुरानी इमारतों की रेट्रोफिटिंग:** मेन (सुरक्षा भवन, ईएस बिल्डिंग और टाइम ऑफिस) और 61-पार्क (ब्लॉक-डी और ब्लॉक-ए आंशिक रूप से) की पुरानी इमारतों की रेट्रोफिटिंग और संरचनात्मक नवीनीकरण / मरम्मत का काम पूरा हो गया है।

(छ) **शॉप और स्टोरों का नवीनीकरण** - आरबीडी, 61-पार्क और तारातला यूनिट में प्रमुख शॉप और स्टोरों का नवीनीकरण, पुरानी एस्बेस्टस शीट को धातु शीट से बदलने, संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण और संबद्ध कार्यों के साथ पूरा हो रहा है।

भावी दृष्टिकोण

इस समय भारतीय नौसेना के लिए एक साथ 18 युद्धपोतों के समवर्ती डिजाइन एवं निर्माण हेतु एक मजबूत आदेश पुस्तिका जीआरएसई के बेहतर भविष्य का वादा करती है। हाल के दिनों में भारत सरकार द्वारा ' आत्मनिर्भरता ' को प्रोत्साहित करने और समर्थन देने के लिए की गई सभी नीतिगत पहलों के साथ, आने वाले वर्षों में युद्धपोत निर्माण का समग्र परिदृश्य काफी सकारात्मक दिख रहा है। भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल की महत्वाकांक्षी अधिग्रहण योजना के कारण रक्षा पोत निर्माण खंड आशाजनक दिख रहा है, जो भारतीय पोत निर्माणकर्ताओं और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काफी उत्साहजनक है। पिछले एक वर्ष के दौरान रक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न पोत निर्माण परियोजनाओं के लिए प्रस्तावों के लिए कई अनुरोध (आरएफपीएस) जारी किए गए हैं और निकट भविष्य में कुछ और प्रस्ताव आने की उम्मीद है। इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय की 2024-25 के अंत तक रक्षा उत्पादों के निर्यात को 3.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने की योजना हम सभी के लिए शुभ संकेत है। जीआरएसई ने पोतों की घरेलू और वैश्विक मांगों को पूरा करने के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वाणिज्यिक पोत निर्माण क्षेत्र में प्रवेश करने की भी योजना बनाई है। इस प्रकार, आपकी कंपनी ने मिलवत विदेशी देशों (एफएफसीएस) के निर्यात बाजार में बढ़ावा देने के लिए लक्षित गैर-रक्षा उत्पादों के रूप में महासागर जाने वाली फेरी (कार्गो + पैसेंजर), टग्स, ड्रेजर, बार्जेस, ई-फेरी की पहचान की है।

पोत निर्माण में वैश्विक खिलाड़ी बनने के हमारे दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए कंपनी के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने का यह एक अच्छा अवसर है। संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकों और आधुनिक उपकरणों को अपनाने की हमारी इच्छा कंपनी की दक्षता, गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस प्रकार, कंपनी ने 'डिजाइन', 'योजना', 'उत्पादन' और 'आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन' जैसे कामकाज के अपने मुख्य क्षेत्रों में उद्योग 4.0 प्रथाओं को अनुकूलित करने के लिए एक मिशन शुरू किया है।

जीआरएसई ने 04 अप्रैल 2024 को आरबीडी यूनिट में सौर ऊर्जा की एक और 300 kWp क्षमता के उद्घाटन के साथ अपने हरित ऊर्जा पदचिह्न को मजबूत किया है। जीआरएसई में रूफटॉप सौर संयंत्रों की कुल क्षमता अब 2250 kWp है जो 4MW के समझौते के भार का 56% है। जीआरएसई ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 61 पार्क यूनिट में 300 kWp क्षमता और तारातला यूनिट में 200 kWp क्षमता के नए रूफ-टॉप सोलर प्लांट लगाने की योजना बनाई है। जीआरएसई ने अपनी हरित पहल के हिस्से के रूप में सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता को और बढ़ाने की योजना बनाई है।

पश्चिम बंगाल सरकार के लिए जीआरएसई द्वारा निर्मित भारत की सबसे बड़ी "पूरी तरह से इलेक्ट्रिक 150 यात्री कैटामारन फेरी" की तकनीकी स्वीकृति पर 22 मार्च 24 को हस्ताक्षर किए गए। यह शून्य-उत्सर्जन नौका हुगली नदी के साथ-साथ राष्ट्रीय जलमार्ग - 1 और देश के अन्य मेट्रो जलमार्गों पर यात्री परिवहन में क्रांति लाने के लिए तैयार है। जीआरएसई को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) गोवा के लिए एक महासागर अनुसंधान जलयान के निर्माण और सुपुर्दगी के लिए 09 नवंबर 2023 को एक आशय पत्र भी प्राप्त हुआ। अनुबंध मूल्य है ₹839.55 करोड़ है। जीआरएसई में नवगठित "नवाचार और नई प्रौद्योगिकी" विभाग भी कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिसमें मानव रहित सतह पोत, ऑटोनॉमस अंडरवाटर वेसल, पोत आधारित ड्रोन, ग्रीन प्लेटफॉर्म आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है।

जीआरएसई का अतीत गौरवशाली है और भारतीय युद्धपोत निर्माण क्षेत्र में कंपनी की साख और उपलब्धियां बेजोड़ हैं। जीआरएसई के पास वर्तमान में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा है और पोत निर्माण में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम प्रतिभा है।

वर्तमान में, कंपनी अभूतपूर्व विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिए परिवर्तन के शिखर पर है। इसमें कुशल परियोजना प्रबंधन, रणनीतिक साझेदारी, नई प्रौद्योगिकी अनुकूलन और सबसे महत्वपूर्ण रूप से संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के साथ-साथ मानसिकता में बदलाव शामिल है। जीआरएसई ने 2030 तक "नवरत्न" कंपनी के रूप में उन्नयन और विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ भारतीय शिपयार्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने की अपनी आकांक्षाएं निर्धारित की हैं।

स्थायी व्यापार वृद्धि और स्थिरता के लिए आपकी कंपनी की प्रमुख भावी योजनाएं इस प्रकार हैं:

(क) लागत, डिलीवरी समय, गुणवत्ता और विश्वसनीयता के दृष्टिकोण से संपूर्ण संचालन को देखते हुए निर्यात में अपनी उपस्थिति को बढ़ाकर एक वैश्विक खिलाड़ी बनने का लक्ष्य है। इस संबंध में, जीआरएसई मित्र देशों को निर्यात के लिए भू-रणनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए विपणन प्रतिनिधियों को शामिल करने की सभी संभावनाओं का सक्रिय रूप से अनुसरण कर रहा है।

(ख) आपकी कंपनी का मानना है कि उत्पादन प्रक्रियाओं में नवाचार के साथ-साथ बढ़ी हुई दक्षता और संसाधनों का इष्टतम उपयोग उत्पादन लागत को कम करने की कुंजी है। कंपनी अपनी खरीद और उत्पादन प्रक्रियाओं में सुधार के लिए अपनी डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमताओं का लाभ उठाने का इरादा रखती है।

(ग) भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक, भारतीय सेना, बीआरओ, गृह मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, कोच्चि जल मेट्रो, पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य राज्य सरकारों से अगले पाँच वर्षों के दौरान अनंतिम और संभावित अवसरों के मूल्यांकन की दिशा में निरंतर प्रयास ।

(घ) आपकी कंपनी जीआरएसई निर्मित जलयानों और अन्य कंपनियों के जलयान के एएमसी और रिफिट के लिए भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, गृह मंत्रालय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु सरकारों से ऑर्डर प्राप्त करने का लक्ष्य बना रही है, और रिफिट और मरम्मत व्यवसाय को और मजबूत बनाने और विस्तारित करने की योजना बना रही है।

(ङ) विविधीकरण की दिशा में, इंजीनियरिंग और इंजन व्यवसाय क्षेत्रों के विकास को भी आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।

विक्रेता विकास

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन के साथ विक्रेता विकास

हमारे विक्रेता आधार ने जीआरएसई के सतत विकास को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आपकी कंपनी सीआईआई, बीसीसीआई, एमएसएमई, आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मंचों द्वारा आयोजित विभिन्न विक्रेता बैठकों, सेमिनारों, वेबिनार आदि के माध्यम से व्यापार विकास के विभिन्न पहलुओं में एमएसएमई के पदचिह्नों को मजबूत करने के निरंतर प्रयास में है। महामारी के बाद के अध्याय में भी, जीआरएसई हेतु सक्षम उद्यमियों की पहचान करने के लिए वेबिनार का लाभ उठाया जा रहा है।

कोविड-19 के बाद के परिदृश्य में, जब समय के साथ पुनरुत्थान दुनिया भर में एक वास्तविक चुनौती थी, जीआरएसई ने बहुत ही कम अंतराल के भीतर युद्धपोतों की डिलीवरी के साथ अपने उत्पादन उत्कृष्टता को जारी रखा । यह तभी संभव था जब संगठन विश्व स्तरीय वाणिज्यिक और सर्वोत्तम औद्योगिक प्रथाओं और एक मजबूत विक्रेता आधार से सुसज्जित हो। प्रमुख विक्रेता के निष्पादन की करीबी निगरानी, विक्रेता शिकायत निवारण प्रणाली की शुरूआत, विक्रेताओं के लिए ऑनलाइन निष्पादन रेटिंग प्रणाली ऐसे निष्पादन के अन्य प्रमुख कार्यक्षेत्र हैं। इसके अलावा, पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने और पंजीकरण चक्र के समय को कम करने के लिए नए विक्रेता के लिए ऑनलाइन विक्रेता पंजीकरण का विकास शुरू किया गया है।

विक्रेता आधार विकसित करने के लिए, आपकी कंपनी विभिन्न महत्वपूर्ण मंचों जैसे कि बीसीसी (भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स), एमएसएमई-डीएफओ (एमएसएमई-विकास और सुविधा कार्यालय), एनएसआईसी-एनएसएचओ (राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम-राष्ट्रीय एससी एसटी हब कार्यालय), ईईपीसी (इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया), एमसीसीआई (व्यापारी) चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री), सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) द्वारा आयोजित विभिन्न विक्रेता बैठकों, सेमिनारों, वेबिनार आदि में भाग लेने और उनके आयोजन के माध्यम से एमएसएमई सहित सक्षम विक्रेताओं की निरंतर खोज में रहती है।

एक विशेष पहल के रूप में, आपकी कंपनी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, "विक्रेता मिलन 2023" - हितधारकों के साथ विस्तृत बातचीत के लिए व्यापार भागीदारों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र कार्यक्रम में कई व्यापारिक साझेदारों ने भाग लिया और इसे बेहद सफल बनाया।

आपकी कंपनी ने आउटसोर्स नौकरियों पर अनुबंध प्रबंधन के प्रभावी निष्पादन, अच्छे सक्षम सेवा और आपूर्ति विक्रेता की नियुक्ति, उचित विक्रेता संबंध बनाए रखने और विक्रेता के प्रदर्शन की निगरानी के साथ उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार किया है।

आपकी कंपनी सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद बढ़ाने पर अधिक जोर दे रही है और एमएसएमईडी अधिनियम के अनुरूप जहां भी लागू हो, एमएसएमई विक्रेताओं से प्रतिबंध/वरीयता का सख्ती से पालन किया है, और इसका मजबूती से अनुसरण किया जा रहा है और बारीकी से निगरानी की जा रही है।

आपकी कंपनी सीआईआई और एमएसएमई मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से नियमित रूप से एमएसई विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित करके जहां भी आवश्यक हो, इन उद्योगों को तकनीकी मार्गदर्शन और अपेक्षित सहायता प्रदान करती है । उत्पाद के अपेक्षित गुणवत्ता मानक को पूरा करने के लिए, हमारे गुणवत्ता नियंत्रण कर्मी इन उद्योगों की सहायता के लिए उनका दौरा कर रहे हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने एमएसई से 987.50 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं की खरीद की , जो कुल वार्षिक खरीद मूल्य का लगभग 73.76% है (एमएसई के लिए लागू बहिष्करणों पर विचार करते हुए)। एमएसई से खरीद के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची आपकी कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/policies-for-msme/ पर उपलब्ध है ।

आपकी कंपनी एमएसएमई सार्वजनिक खरीद नीति के निर्देशों का पालन करने वाली कंपनी की नीति और प्रक्रिया के अनुसार उचित मूल्यांकन के बाद स्थायी विक्रेता आधार में लगातार वृद्धि कर रही है।

एक डीपीएसयू होने के नाते, आपकी कंपनी सरकारी दिशानिर्देशों/निर्देशों का अनुपालन करते हुए टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म और एमएसएमई संबंध और एमएसएमई समाधान पोर्टल पर शामिल हो गई है।

सरकारी ई-बाज़ार (जेम)

सरकारी ई-मार्केट (जेम) की स्थापना (2017 से) के बाद से, आपकी कंपनी ने लगातार सभी शिपयार्डों के बीच जेम पर उच्चतम खरीद माल्रा हासिल की है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹572.00 करोड़ की जेम खरीद माल्रा दर्ज की है।

सूचान प्रौद्योगिकी

आपकी कंपनी ने अपने संचालन में एसएपी कार्यान्वयन और सूचान प्रौद्योगिकी पहलों को व्यापक रूप से प्राथमिकता दी है। इसमें कोलकाता में अत्याधुनिक ऑन-प्रिमाइसेस डेटा सेंटर और मुंबई में डिजास्टर रिकवरी सेंटर के साथ एक मजबूत सूचान प्रौद्योगिकी अवसंरचना स्थापित करना शामिल है । 2010 से, आपूर्ति श्रृंखला, वित्त, मानव संसाधन, पेरोल, विक्रेता प्रबंधन और संयंत्र रखरखाव जैसी प्रमुख व्यावसायिक प्रक्रियाओं को एसएपी ईआरपी में सहजता से एकीकृत किया गया है। इसके अलावा, कंपनी डिज़ाइन संचालन को बढ़ाने के लिए एवीईवीए सीएडी, वीआर एलएबी और पीडीएम-पीएलएम जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करती है।

साइबर सुरक्षा मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) की देखरेख में एक अच्छी तरह से परिभाषित संगठनात्मक संरचना के साथ एक शीर्ष प्राथमिकता बनी हुई है। कंपनी ने सभी यूनिटों में एआईआर-जीएपी और आईएलएल-आधारित इंटरनेट एलएएन को लागू किया है, व्यापक साइबर सुरक्षा संवर्धित जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित किया है, और सूचान प्रौद्योगिकी अवसंरचना दक्षता को अनुकूलित करने के लिए एसएपी- ईआरपी प्रबंधन को केंद्रीकृत किया है। उत्पाद डेटा प्रबंधन (पीडीएम) और उत्पाद जीवनचक्र प्रबंधन (पीएलएम) सॉफ़्टवेयर में नवाचार संचालन में विशेष रूप से पी17ए पोतों के लिए मॉड्यूलर निर्माण में क्रांति लाने के लिए तैयार हैं । इसके अतिरिक्त, कंपनी सुरक्षित वीपीएन पहुँच और उच्च-स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधानों के माध्यम से दूरस्थ कार्य की सुविधा प्रदान करती है। कंपनी के पास कंपनी-व्यापी व्यापक सीसीटीवी निगरानी प्रणाली भी है जो प्रभावी निगरानी, नियंत्रण और संरक्षा और सुरक्षा उपाय को बढ़ाने को सुनिश्चित करती है।

मानव संसाधन और प्रशासन

जनशक्ति

31 मार्च 2024 को कंपनी के स्थायी रोल के तहत कुल जनशक्ति की संख्या 1,649 थी, जिसमें नियमित रोल पर 473 मंडल स्तर और मंडल स्तर से नीचे के अधिकारी और निश्चित अवधि के अनुबंध पर 11 अधिकारी और 60 पर्यवेक्षक शामिल थे।

31 दिसंबर 2023 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं आदि के प्रतिनिधित्व के साथ-साथ जनवरी से दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान की गई कुल भर्ती को दर्शाने वाले विवरण इस रिपोर्ट के परिशिष्ट "ए और बी" में दिए गए हैं ।

इसके अलावा, निगमित मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके नियमों के प्रावधानों से छूट दी गई है ।

औद्योगिक संबंध

समीक्षाधीन अवधि के दौरान डीईपी, रांची सहित कंपनी की सभी यूनिटों में औद्योगिक संबंध कमोबेश शांतिपूर्ण रहे।

प्रबंधन और जीआरडब्ल्यू मजदूर एवं स्टाफ यूनियन ने मंडल की मंजूरी मिलने पर 16 मई 23 को कर्मचारियों की सक्रिय श्रेणी के लिए पदोन्नति नीति पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, इसी मामले में समझौता ज्ञापन पर 29 मई 23 को हस्ताक्षर किए गए।

डीईपी, रांची के यूनिनाईज्ड कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रबंधन और 03 यूनियनों ने 03 जून 23 को कर्मचारियों की सक्रिय श्रेणी के लिए पदोन्नति नीति पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

मानव संसाधन विकास

आपकी कंपनी प्रतिभाशाली व्यक्तियों के संतुलित कार्यबल को पोषित और उनका विकास कर रही है जो संगठन के विकास पथ को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। कंपनी ने ऐसे माहौल, जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता और एकजुट टीम वर्क को प्रोत्साहित करने के लिए बढ़ावा देता है, में कार्यबल की दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की है । वित्तीय वर्ष 2023-24 में, आपकी कंपनी ने सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए तकनीकी, नेतृत्व, प्रबंधकीय प्रभावशीलता, कार्यात्मक, क्रॉस-फ़ंक्शनल और व्यवहारिक दक्षता विकास विषयों को कवर करते हुए एक अच्छी तरह से परिभाषित वार्षिक प्रशिक्षण योजना तैयार और कार्यान्वित की है। वर्ष के दौरान, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 3860 प्रशिक्षण मानव दिवस प्राप्त किए गए। भारत में बाहरी एजेंसियों/प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा आयोजित विभिन्न ऑनलाइन कार्यशालाओं/सम्मेलनों/वेबिनार में प्रतिभागियों को नामांकित करके प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किए गए। ख्याति प्राप्त संस्थानों/एजेंसियों के संकाय सदस्यों/प्रशिक्षकों को आमंत्रित करके इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

कर्मचारी सहभागिता पहल

(क) जीआरएसई दिवस समारोह:

65 वां जीआरएसई दिवस 22 अप्रैल 2024 को मनाया गया। कर्मचारियों को 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 'जीआरएसई श्री' और 'सीएमडी प्रशस्ति' प्रदान किए गए। जीआरएसई मेरिट पुरस्कार उन कर्मचारियों के बच्चों को दिए गए जिन्होंने 2022-23 में अपने शैक्षणिक प्रदर्शन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस अवसर पर वार्षिक इन-हाउस जर्नल 'जीआरएसई वार्ता 2024; का विमोचन किया गया। 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच सेवानिवृत्त हुए और 40 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। तारातला यूनिट को सबसे स्वच्छ यूनिट घोषित किया गया और स्वच्छ यूनिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान वार्षिक खेलों जैसे क्रिकेट और वॉलीबॉल के समूह आयोजनों के लिए उपविजेता और विजेता टीमों को पुरस्कार दिए गए। कर्मचारियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंचन किया, जिसे सभी ने सराहा।

जीआरएसई श्री पुरस्कार विजेता का अभिनंदन

जीआरएसई श्री पुरस्कार विजेता का अभिनंदन

(ख) जीआरएसई परिवार दिवस "अहोबन' का आयोजन

अहोबान पूरे जीआरएसई परिवार के मनोरंजन के लिए खुशी और उल्लास से भरा दिन है। परिवार के सदस्य इस वार्षिक आयोजन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस वर्ष अहोबान 14 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया जिसमें जीआरएसई के प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए सुविचारित कार्यक्रम आयोजित किए गए। कर्मचारियों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 1000 कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी इन-हाउस प्रतिभाओं द्वारा किया गया।

बच्चों के लिए 'तुम्हें जो पसंद वैसा बनो' प्रतियोगिता

'पीक दी राइस' प्रतियोगिता

(ग) अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 'वनिता-2024' का आयोजन

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को रचनात्मक और विचारशील तरीके से मनाने के लिए, 06 मार्च 2024 को कंपनी की सभी महिला कर्मचारियों के लिए मौज-मस्ती से भरा एक डे-आउट कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियाँ और कर्मचारियों द्वारा शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ शामिल थीं।

(घ) मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा और संशोधन

संगठनात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्रतिभा अधिग्रहण, प्रतिभा प्रबंधन, कल्याण और कर्मचारियों की कैरियर प्रगति के लिए मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा की जाती है। कंपनी ने अनुबंध के आधार पर परियोजना-आधारित जनशक्ति की नियुक्ति, वरिष्ठ अधिकारियों को महाप्रबंधक प्रभारी के रूप में पुनः नामित करने, स्थायी रोल में निश्चित अवधि के पर्यवेक्षकों के अवशोषण और बाल गोद लेने की छुट्टी के लिए नीतियां तैयार की हैं। इसके अलावा, कई मौजूदा नीतियों जैसे कि मुआवजा पैकेज योजना, विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भर्ती और पदोन्नति नियम, गैर-कार्यकारियों के लिए विदेशी टीए/डीए नियम, नए जॉइन करने वालों के लिए छुट्टी की पात्रता की समीक्षा की गई और संगठनात्मक आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया गया।

(ङ) गैर-कार्यकारी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कैरियर उन्नति योजना

'गैर-कार्यकारी श्रेणी के कर्मचारियों के कैरियर उन्नति के लिए 'अभ्युदय योजना' 2023 के तहत कंपनी के स्थायी रोल में काम करने वाले गैर-कार्यकारी श्रेणी से जीआरएसई के योग्य कर्मचारियों के कैरियर उन्नयन के लिए आंतरिक प्रेरण आयोजित किया गया था। योजना के अनुसार, चयन प्रक्रिया में ज्ञान परीक्षण, कौशल परीक्षण और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल हैं।

(च) नेतृत्व विकास कार्यक्रम

सीपीएसई के कार्यात्मक निदेशकों की क्षमता निर्माण के लिए वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट प्रशासन, वित्त, जोखिम प्रबंधन, रणनीतिक प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में कार्यात्मक निदेशकों के कौशल को बढ़ाना था।

(छ) मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम

पदोन्नति के क्षेत्र में आने वाले प्रबंधकों और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए "21वीं सदी में नेतृत्व और प्रबंधन" पर मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य मध्य-स्तर के प्रबंधकों के प्रबंधकीय और नेतृत्व कौशल को विकसित और तेज करना था।

(ज) प्रबंधन विकास कार्यक्रम:

नव नियुक्त सहायक प्रबंधकों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों को व्यक्तित्व विकास, प्रबंधकीय कौशल, सॉफ्ट स्किल्स, टीम निर्माण आदि के क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया।

नव नियुक्त सहायक प्रबंधकों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम

(झ) संरक्षा प्रशिक्षण:

जीएसटी-के के माध्यम से समझौता ज्ञापन के निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों के लिए संरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 350 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

(ञ) कौशल उन्नयन एवं प्रमाणन प्रशिक्षण कार्यक्रम:

कार्यकर्ताओं की दक्षता में सुधार लाने के लिए विभिन्न तकनीकी ट्रेडों में कौशल उन्नयन और प्रमाणन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 130 कर्मचारियों को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया।

(ट) प्रशिक्षु प्रशिक्षण:

कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 210 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है। प्रशिक्षुओं को ट्रेड अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस और तकनीशियन अप्रेंटिस श्रेणियों के तहत नियुक्त किया गया था और उनकी कुल संख्या कुल जनशक्ति का लगभग 13% थी। कंपनी के पास तारातला यूनिट में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र नामक एक समर्पित प्रशिक्षु प्रशिक्षण विभाग है। तकनीकी प्रशिक्षण के अलावा, प्रशिक्षुओं के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। यार्ड में ऑन-जॉब-ट्रेनिंग के लिए रखे जाने से पहले सभी प्रशिक्षुओं के लिए संरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी)

कंपनी ने संवैधानिक/सरकारी निर्देशों के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों को सभी आवश्यक छूट/रियायत प्रदान की।

महिला सशक्तिकरण

वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में कंपनी में कुल कर्मचारियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5.2% है। 2023 के दौरान, कुल 51 कर्मचारियों की भर्ती में से 05 महिला कर्मचारी थीं, जो 9.8% है।

बाह्य एजेंसी (मैसर्स मॉलकॉम इंडिया लिमिटेड) के विशेषज्ञ द्वारा संरक्षा जागरूकता कार्यक्रम

कार्य के दौरान संरक्षा

शिपयार्ड ने कंपनी में सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कार्यस्थल पर संरक्षा मानदंडों और प्रक्रियाओं की बारीकी से निगरानी और कार्यान्वयन के माध्यम से संरक्षा प्रबंधन के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया गया है। आपकी कंपनी ने वर्ष 2023-24 के दौरान 1.24 (स्थायी श्रमिकों के लिए) और 0.66 (ठेकेदार श्रमिकों के लिए) की संरक्षा आवृत्ति दर हासिल की है।

उच्च संरक्षा मानक बनाए रखने के लिए, आपकी कंपनी ने समूह संरक्षा प्रशिक्षण कियोस्क (जीएसटीके) के माध्यम से ठेकेदार कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को सिस्टम-आधारित संरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया है, जहां सामग्री हैंडलिंग, गर्म काम, विद्युत संरक्षा, पेंटिंग गतिविधि, ऊंचाई कार्य गतिविधि, सीमित स्थान पर कार्य आदि जैसे विभिन्न विषयों पर संरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के 167 से अधिक बैच आयोजित किए गए हैं।

प्रचार उपाय के रूप में, मोबाइल संरक्षा प्रदर्शन वैन की व्यवस्था करके ड्राइंग प्रतियोगिता, चित्र रचना प्रतियोगिता और संरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जैसी विभिन्न संरक्षा प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

सभी श्रमिकों के लिए जीआरएसई की विभिन्न यूनिटों में ऑन स्पॉट सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई

औद्योगिक सुरक्षा

जीआरएसई एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। शिपयार्ड को पश्चिम बंगाल सरकार के राजपत्र अधिसूचना बो. 2145/ (आई)(7)-पी, दिनांक 30 मार्च 2004 के तहत प्रकाशित भारतीय सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 धारा-2 खंड 8 उप खंड (ए) के तहत "निषिद्ध स्थान" घोषित किया गया है। आईबी, गृह मंत्रालय द्वारा भी इसे सुरक्षा की दृष्टि से श्रेणी 'ए' अर्थात "अत्यधिक संवेदनशील" में रखा गया है।

आपकी कंपनी की पोत निर्माण यूनिटों की प्रत्यक्ष सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ़) को सौंपी गई है । सशस्त्र कर्मियों के साथ चौबीस घंटे वाटर-फ्रंट गश्त और सभी संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों को कवर करने वाली एक मजबूत सीसीटीवी प्रणाली लागू है। सभी कर्मचारियों का प्रवेश/निकास फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के माध्यम से किया जा रहा है। गेट पास जारी करने से पहले सभी ठेकेदार मजदूरों का पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाता है।

राजभाषा

आपकी कंपनी भारत सरकार की राजभाषा (रा.भा.) नीति का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है । वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2023-24 में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त किया है। राजभाषा के कार्यान्वयन की दिशा में किए गए प्रयासों में शामिल हैं:

(क) **हिंदी माह आयोजन :** कंपनी की सभी यूनिटों और कार्यालयों में सितंबर-अक्टूबर माह के दौरान हिंदी माह और हिंदी दिवस मनाया गया। माह के दौरान कंपनी के कर्मचारियों ने विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

(ख) **राजभाषा कार्यान्वयन समिति :** विभिन्न विभागों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में त्रैमासिक आधार पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की बैठकें आयोजित की गईं।

(ग) **प्रोत्साहन :** सभी कर्मचारियों के बीच प्रोत्साहन योजनाओं का प्रचार किया जाता है और इन योजनाओं में भाग लेने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

(घ) **हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के आस पास स्थित स्थानीय स्कूलों में हिंदी की प्रतियोगिताएं :** राजभाषा का प्रयोग जीआरएसई की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यालयों में हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित करके कंपनी के बाहर भी इसका प्रचार किया जाता है। 17 अक्टूबर 2023 को ब्रह्मा हिंदी प्राथमिक विद्यालय में हिंदी निबंध प्रतियोगिता तथा 11 दिसंबर 2023 को फतेहपुर हिंदी नगरी में हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई । प्रचारक विद्यालय द्वारा तीन सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किये गये।

(ङ) **नराकास के तत्वावधान में हिन्दी प्रतियोगिता:** गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा 20 दिसंबर 2023 को नराकास (उपक्रम), कोलकाता के तत्वाधान में हिन्दी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । इस प्रतियोगिता में कोलकाता स्थित जीआरएसई सहित कुल 30 से अधिक सार्वजनिक उपक्रमों से नामित प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया ।

(च) **राजभाषा पुरस्कार :**

1. **नराकास राजभाषा शील्ड:** नगर राजभाषा कार्यान्व्यन समिति द्वारा कंपनी में राजभाषा के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2022-23 हेतु जीआरएसई को राजभाषा शील्ड प्रदान की गई है । 25 अगस्त, 2023 को कोलकाता में आयोजित एक भव्य समारोह में जीआरएसई के निदेशक (कार्मिक) ने नराकास के माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत पुरस्कार प्राप्त किया।

2. **एमएचए-ओएल द्वारा प्रशंसा प्रमाण पत्र:** जीआरएसई को श्रीमती अंशुली आर्य, आईएएस द्वारा प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय-ओएल द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री निशीथ प्रमाणिक की उपस्थिति में यह सम्मान दिया गया। कंपनी को यह सम्मान गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 08 मार्च, 2024 को सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) में आयोजित पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के सफल आयोजन में विशेष योगदान के लिए दिया गया।

3. **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा वर्ष** 2023-24 के लिए जीआरएसई को सक्रिय भागीदारी पुरस्कार प्रदान किया गया। 31 जनवरी 2024 को कोलकाता में आयोजित एक समारोह में जीआरएसई के निदेशक (कार्मिक) ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत यह पुरस्कार ग्रहण किया ।

4. **विभिन्न अंतर-पीएसयू हिंदी प्रतियोगिताओं में पुरस्कार:** हमारे जीआरएसई कर्मचारियों ने वर्ष 2023 के दौरान नराकास (पीएसयू), कोलकाता के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में 0 4 विभिन्न पुरस्कार जीतकर हमें गौरवान्वित किया है। ।

5. प्रबन्धक (राजभाषा) को नराकास द्वारा कंपनी में राजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए 25 अगस्त 2023 को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया ।

पुरस्कार और सम्मान

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को विभिन्न पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुई हैं। कंपनी को प्रदान किए गए कुछ महत्वपूर्ण सम्मान इस प्रकार हैं:

(क) 22 मार्च 24 को "संचार आउटरीच", "राष्ट्र निर्माण" और "कर्मचारियों के पुनर्कौशल (प्रशिक्षण और विकास)" के लिए गवर्नेंस नाउ का 10वां पीएसयू अवार्ड्स ।

(ख) 31 जनवरी 24 को वर्ष 2023-24 के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति से "सक्रिय सहभागिता सम्मान"।

(ग) 27 मई 23 को "पूरी तरह से निर्मित 250 टी गोलियथ क्रेन के अनूठे स्थानांतरण और लोडिंग" के लिए 91वां स्कॉच पुरस्कार।

(घ) 18 अक्टूबर 23 को दुर्गा भारत परम सम्मान।

(ङ) "कॉफी टेबल बुक", "सीएसआर को लागू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पीएसयू", "चाइल्डकेयर प्रोजेक्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ पीएसयू", "आत्मनिर्भर भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ संगठनात्मक प्रयास" और रक्षा क्षेत्र" में "नए आरएंडडी प्रयासों" के लिए 25 नवंबर 23 को पीआरएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार 2023

(च) "कंपनी ऑफ द ईयर", "पीएसई में महिलाओं और/या दिव्यांगों का योगदान", "सीएसआर और स्थिरता", "ऑपरेशनल परफॉरमेंस एक्सीलेंस" और "कॉर्पोरेट" के लिए 13वां आईसीसी पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड 2023

(छ) 10 फरवरी 24 को "भारत का सर्वश्रेष्ठ रणनीतिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम - रक्षा (नौसेना और पोत निर्माण)" में 6वें आईपीएसई पुरस्कार 2024।

(ज) 12 फरवरी 24 को "सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला उद्यम 2024" श्रेणी में डब्ल्यूआईपीएस पुरस्कार 2024।

(झ) कमोडोर पीआर हरि, भा.नौ. (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जीआरएसई को 22वें ग्लोबल एडिशन - बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2024 में 'सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड और 26 फरवरी 24 को वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस 2024 में 'सीईओ विद एचआर ओरिएंटेशन अवार्ड' से सम्मानित किया गया।

(ञ) 26 फरवरी 24 को "एआई सक्षम एनडीटी" परियोजना में सीआईआई एआई पुरस्कार।

निदेशक रिपोर्ट

निगमित प्रशासन

आपकी कंपनी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में निगमित प्रशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए आपकी कंपनी प्रतिबद्ध है और पारदर्शिता, जवाबदेही और अखंडता पर जोर देना जारी रखी है। आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत लागू नियमों और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन पर दिशानिर्देश का अनुपालन करती है सिवाए निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में, अर्थात एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और उसके परिणामस्वरूप सांविधिक समितियों से संबंधित अनुपालन के। जीआरएसई चूंकि एक सरकारी कंपनी है, अतः निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत सरकार के पास निहित है और कंपनी ने एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों के पद को भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को आवश्यक सूचनाएं प्रदान की हैं। कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का पालन करने का भी प्रयास करती है।

इसके अलावा, सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग, दिशानिर्देश के अंतर्गत सीपीएसई को दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। डीपीई ने वर्ष 2023-24 के लिए जीआरएसई को "उत्कृष्ट" के रूप में वर्गीकृत किया है।

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 34 और डीपीई दिशानिर्देश के संदर्भ में, मैसर्स माहेश्वरी आर एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण पत्र के साथ निगमित प्रशासन पर एक प्रतिवेदन इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

आपकी कंपनी के मंडल में कुल दस (10) निदेशक शामिल हैं जिसमें चार (4) पूर्णकालिक निदेशक, पांच (5) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक शामिल हैं, जिनमें एक (1) महिला निदेशक और एक (1) सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं ।

वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
(क)	डीआइजी सुब्रोतो घोष, भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त)	निदेशक (कार्मिक)	20 जून 2023	-

रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 206 और 207 के अनुसार, श्री राजीव प्रकाश, सरकार द्वारा निर्मित निदेशक, जिन्होंने निदेशक मंडल में और सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों में से सबसे लंबे समय तक सेवा की है, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और पात्र होने के नाते, खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश करते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा और मानदंडों की पूर्ति

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी को कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों से इस बात की पुष्टि मिली है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग और सेबी लिस्टिंग विनियम द्वारा जारी दिशानिर्देश के निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं । इसके अलावा, मंडल की राय में, स्वतंत्र निदेशक सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और कंपनी के प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं। कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों ने पुष्टि की है कि उन्होंने खुद को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) के साथ पंजीकृत किया है, और अपना नाम वैधानिक समय सीमा के भीतर स्वतंत्र निदेशकों के डेटा बैंक में शामिल कर लिया है और जहां भी लागू हो, वे निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन दक्षता परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

वर्ष 2023-24 के दौरान 20 जनवरी 2024 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे।

मंडल की बैठकें

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की नौ (09) बैठकें आयोजित की गईं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया ' निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट ' देखें ।

मंडल के निष्पादन का मूल्यांकन एवं पारिश्रमिक नीति

आपकी कंपनी रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार की कंपनी है। वर्तमान में, कंपनी के निदेशक प्रेसीडेंशियल नियुक्तियां हैं और उनका पारिश्रमिक इस संबंध में डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार तय किया गया है । तदनुसार, आपकी कंपनी के आर्टिक्लस ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 194 और 216 में उल्लेख किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण करेंगे । चूँकि, मंडल स्तर की नियुक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, ऐसे नियुक्तिकर्ताओं के निष्पादन का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है ।

लेखा परीक्षा समिति

वर्ष के दौरान कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 और सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार से ऑडिट समिति की उचित संरचना थी।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ' निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट ' का संदर्भ लें ।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का वक्तव्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(c) और 134(5) के तहत आवश्यकता के अनुसार, आपके निदेशक एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि: -

(क) 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक खाता की तैयारी में, अनुसूची III के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था और उसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया नहीं गया;

(ख) निदेशकों ने ऐसे लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू भी किया था और उनके आधार पर सारे निर्णय लिए और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च 2024 तक के अनुसार आपकी कंपनी की स्थिति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के लाभ का एक सही और निष्पक्ष दृश्य प्राप्त हो सके;

(ग) निदेशकों ने आपकी कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी;

(घ) निदेशकों ने 'गोइंग कंसर्न' के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए थे;

(ङ) निदेशकों ने आपकी कंपनी द्वारा अपनाए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित किया था और इस तरह के अपनाई जाने वाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; तथा

(च) निदेशकों ने आपकी कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं; तथा

(छ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं तथा यह सुनिश्चित किया था कि ये प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी एक सीपीएसई होने के नाते, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अधीन मैसर्स गुहा, नंदी एंड कंपनी,सनदी लेखाकार, कोलकाता को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत सीएजी की टिप्पणियां इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं ।

लागत लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षण) नियम, 2014 के अनुसार, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स चट्टर्जी एंड कं., लागत लेखापाल, कोलकाता को आपकी कंपनी द्वारा रखे जाने वाले लागत रिकॉर्ड का लेखा परीक्षण करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आपकी कंपनी का लागत लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुसार, आपकी कंपनी के मंडल ने मैसर्स मेहता एवं मेहता, कंपनी सचिव को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। मैसर्स मेहता एवं मेहता, कंपनी सचिवों की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट - "सी"** के साथ रखा गया है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। हालांकि, सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा अपनी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई अन्य टिप्पणियां और स्पष्टीकरण स्वतः स्पष्ट हैं।

सेबी परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 8 फरवरी, 2019 के अनुसरण में, कंपनी ने मैसर्स मेहता एंड मेहता, कंपनी सचिवों से वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त की है, जो सेबी विनियमों/परिपत्रों/इसके तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि करती है और कंपनी पर लागू होती है और उक्त रिपोर्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड के साथ दायर की गई थी। उक्त रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

आंतरिक लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी के मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए मैसर्स गुहा, नंदी एंड कंपनी,सनदी लेखाकार को नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी का विवरण

शून्य

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध और व्यवस्था

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुपालन में संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन और सेबी लिस्टिंग विनियमों के नियम एवं विनयम 23 के तहत किसी अनुबंध/व्यवस्था/सौदे में प्रवेश नहीं किया है । आपके निदेशक भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधित पक्ष को निर्धारित करने वाले वित्तीय विवरणों के लिए नोट 32 पर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हैं । संबंधित पक्ष के लेनदेन के विवरण फार्म एओसी-2 इस रिपोर्ट को **परिशिष्ट - " डी "** में संलग्न किया गया है -जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (h) के तहत आवश्यक है। कंपनी की संबंधित पक्ष लेनदेन पर एक नीति है, जिसे निम्नलिखित लिंक पर एक्सेस किया जा सकता है - https://grse.in/policies/GRSE_Policy_for_Related_Party_Transactions.pdf

ऋण, गारंटी या निवेश के ब्यौरे

रिपोर्ट किए गए वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने निम्नलिखित नहीं किया है:

क. किसी व्यक्ति या अन्य निगमित निकाय को कोई ऋण दिया गया है;

ख. किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति को ऋण के संबंध में कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की गई;

ग. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्धारित सदस्यता, खरीद या अन्यथा, किसी अन्य निकाय निगमित की प्रतिभूतियों द्वारा अधिग्रहित ।

सतर्कता तंत्र

अपने सतर्कता तंत्र के एक हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी ने आपकी कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक व्हिसल ब्लोवर नीति अपनाई है ताकि वे प्रबंधन को अनैतिक आचरण, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आपकी कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना दे सकें। व्हिसल ब्लोवर नीति के अनुसार, एक व्हिसल आपकी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (या कोई व्यक्ति जिसे उन्होंने अपना अधिकार सौंपा है) को लिखित संचार भेज सकता है। वैकल्पिक रूप से, वह सीधे लेखा परीक्षण समिति के अध्यक्ष को भी इस तरह का संरक्षित प्रकटीकरण भेज सकता है। संरक्षित प्रकटीकरण प्राप्त होने पर, मामले की छानबीन के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाएगा जिसमें आपकी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा मनोनीत एक कार्यात्मक निदेशक और लेखा परीक्षण समिति के अध्यक्ष शामिल होंगे । इसके अतिरिक्त, सभी कर्मचारियों को लेखा परीक्षण समिति के अध्यक्ष तक पहुँच प्रदान किया गया है । व्हिसल नीति को निम्नलिखित के माध्यम से आपकी कंपनी के वेबसाइट: https://grse.in/wp-content/uploads/2022/04/Whistle-Blower-Policy-1.pdf पर देखा जा सकता है ।

वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, निर्धारित प्रपत्र (फॉर्म एमजीटी-7) में वार्षिक रिटर्न आपकी कंपनी के वेबसाईट https://grse.in/annual-returns/ पर उपलब्ध होगा ।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट, सेबी लिस्टिंग रेगुलेशनों एवं सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के अधीन यथा-वांछित, इस वार्षिक प्रतिवेदन के भाग का निर्माण करती है ।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

निगमित सामाजिक जिम्मेदारी जीआरएसई की निगमित रणनीति का एक अभिन्न अंग है। सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों की पूर्ति को व्यवसाय संचालन के समान ही महत्व दिया जाता है।

जीआरएसई लगातार अपने सीएसआर पहलों को राष्ट्रीय मिशन और सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। सीएसआर पहलों को मुख्य रूप से उत्पादन इकाइयों के आस-पास के क्षेत्रों में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और हाशिए पर पड़े वर्ग के लिए समावेशी विकास लाना था।

सीएसआर परियोजनाओं का चयन सावधानीपूर्वक किया जाता है ताकि आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों की चिंताओं का समाधान किया जा सके तथा यह स्थानीय समुदाय के सामाजिक ताने-बाने के अनुरूप हो।

जीआरएसई की सीएसआर पहलों ने दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा में लाने, वंचित और कमजोर बच्चों के समग्र विकास, रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके युवाओं को सशक्त बनाने, वंचित वर्ग के लिए स्वास्थ्य शिविर आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन पहलों ने वंचित वर्ग के बड़े हिस्से के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान की गई सीएसआर पहलों पर वार्षिक रिपोर्ट की विस्तृत रूपरेखा **"परिशिष्ट-ई"** में संलग्न की गई है।

जोखिम प्रबंधन

सेबी (एलओडीआर) रेगुलेशन्स, 2015 के रेगुलेशन 21 के अनुसरण में कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। समिति का विवरण एवं इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंश, जोखिम प्रबंधन नीति आदि निगमित शासन रिपोर्ट में दर्शायी गई है तथा जोखिम प्रबंधन पर एक विस्तृत नोट प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का अंश है ।

व्यापार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

प्रतिभूति और विनिमय मंडल (सेबी) ने बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में व्यापार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है । सेबी लिस्टिंग विनियमों का विनियम 34(2)(y) यह निर्धारित करता है कि वार्षिक रिपोर्ट में सेबी द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में एक व्यापार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट शामिल होगी। तदनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए व्यापार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट में संलग्न की गई है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है । आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में प्रस्तुत की गयी है, जो इस रिपोर्ट का अंश है ।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और बहिर्गमन

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते रक्षा उपकरणों के उत्पादन में लगी हुई है, ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और कंपनियों (लेखा) नियमों, 2014, के धारा 134(3)(m) के नियम 8(3) के साथ पठित प्रावधानों के तहत विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में जानकारी की प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अधिसूचना जीएसआर नंबर 680 (e) दिनांक 04 सितंबर 2015 के तहत रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छूट दी है ।

आरटीआई अधिनियम का क्रियान्वयन

आरटीआई मामलों का निष्पादन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों एवं उसमें बनाये गये नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 के दौरान, 'सूचना' प्रदान करने के लिए ऑनलाइन/ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से कुल 144 आरटीआई अनुरोध प्राप्त हुए, जबकि पिछले वर्ष से प्रारंभिक शेष संख्या 12 के रूप में आगे लाई गई थी। वर्ष के दौरान कुल 128 आरटीआई आवेदनों का उत्तर दिया गया और 1 आरटीआई आवेदन अन्य संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया और शेष 27 आरटीआई आवेदनों को वर्ष 2024-25 के लिए 'आगे बढ़ाए' के रूप में लिया गया।

वर्ष 2023-24 के दौरान ऑनलाइन/ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से 13 आरटीआई प्रथम अपीलें प्राप्त हुईं और 02 प्रथम अपीलों को पिछले वर्ष से "प्रारंभिक शेष" के रूप में आगे बढ़ाया गया। कुल 14 आरटीआई प्रथम अपीलों पर निर्णय लिया गया और उनका उत्तर दिया गया तथा शेष 01 आरटीआई प्रथम अपील को वर्ष 2024-25 तक 'आगे बढ़ाया गया' माना गया।

इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के पास कोई आरटीआई द्वितीय अपील दायर नहीं की गई, जबकि पिछले वर्ष से प्रारंभिक शेष राशि 01 के रूप में आगे लाई गई थी। उक्त द्वितीय अपील पर 24 अप्रैल 2024 को सुनवाई और निर्णय हुआ।

तिमाही रिटर्न सीआईसी की वेबसाइट के साथ-साथ डीओपीटी की वेबसाइट पर भी अपलोड किए जा रहे हैं। सीआईसी के निर्देशानुसार आरटीआई लिंक के तहत जीआरएसई की वेबसाइट पर सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण को अपडेट किया गया। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 26 के प्रावधान के अनुपालन में, वर्ष 2023-24 के दौरान आरटीआई अधिनियम पर एक आंतरिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुसरण में, 31 अगस्त 2023 को आंतरिक समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल स्थित यूनिटों के लिए 10 सदस्य शामिल थे । डीईपी यूनिट, रांची के लिए एक अलग आंतरिक समिति अस्तित्व में है। डीईपी की आंतरिक समिति का पुनर्गठन 29 मार्च 23 को किया गया, जिसमें 5 सदस्य शामिल थे।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 21 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं:

(i)	वर्ष के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	शून्य
(ii)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	शून्य
(iii)	नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य
(iv)	यौन उत्पीड़न के खिलाफ आयोजित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	03
(v)	नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति	लागू नहीं

लोक शिकायतें

शिकायत का पारदर्शी एवं समय-बद्ध तरीके से निवारण के सुविधार्थ प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, कार्मिक मंत्रालय, जन अभियोग एवं पेंशन, भारत सरकार ने एक वेब आधारित मॉनीटरिंग सिस्टम www.pqportal.gov.in (पीजी पोर्टल) पर प्रारंभ किया है ।

वर्ष 2023-24 के दौरान, ऑनलाइन/ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से कुल 19 लोक शिकायत याचिकाएँ प्राप्त हुईं और पिछले वर्ष से कोई भी शिकायत 'प्रारंभिक शेष' के रूप में सामने नहीं लाई गई। कुल 13 लोक शिकायतों का निपटारा किया गया और शेष 06 लोक शिकायत याचिकाएँ कार्रवाई के विभिन्न चरणों में हैं और वर्ष 2024-25 तक आगे बढ़ाई गई हैं।

सतर्कता गतिविधियां

आपकी कंपनी में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के नेतृत्व में एक सुस्थापित सतर्कता विभाग है। सतर्कता विभाग का मुख्य जोर कंपनी की गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और ईमानदारी सुनिश्चित करना है। इस दिशा में, विभाग का ध्यान निगरानी और जांच के साथ-साथ दंडात्मक और निवारक सतर्कता पर था। निवारक सतर्कता कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, विभाग ने प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर जोर दिया है। वर्ष के दौरान, गतिविधियों के कई क्षेत्रों को लिया गया और विभिन्न प्रक्रियाओं का सावधानीपूर्वक अवलोकन, विश्लेषण और जांच की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जांच और संतुलन की प्रणालियाँ आवश्यक मापदंडों के अनुसार काम कर रही हैं। कुछ मामलों में, प्रबंधन को प्रणालीगत सुधार के लिए सलाह दी गई थी। उपरोक्त के अलावा, वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा निम्नलिखित गतिविधियाँ भी की गईं:

(क) सीटीई प्रकार की गहन परीक्षाएं वित्त वर्ष 2023-24 में आयोजित की गईं

(ख) जनवरी 2024 में वार्षिक संपत्ति रिटर्न दाखिल करने के संबंध में सभी अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के लिए जागरूकता सह संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(ग) निम्नानुसार कई निवारक सतर्कता उपाय किए गए:

(i) फाइलों को बेतरतीब ढंग से उठाया गया और उनकी जांच की गई;;

(ii) जीआरएसई की अपनी ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली के अलावा सीवीसी की ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली जीआरएसई वेब साइट के साथ लिंक की गई है;

(iii) जीआरएसई की सभी यूनिटों में शिकायत पेटियां स्थापित की गई हैं;

(iv) सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) 2023 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की गईं:;

- सभी कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ ली गई।;
- गोसाबा गांव में ग्राम सभा आयोजित की गई ।;
- सीबीआई कोलकाता ने निवारक सतर्कता पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया।
- जीआरएसई कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को शामिल करते हुए विभिन्न जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की गईं।
- विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें विक्रेताओं ने भाग लिया।

(घ) जीआरएसई के विभिन्न स्थानों पर सीवीओ और सतर्कता अधिकारियों द्वारा समय – समय पर / आश्चर्यजनक दौर आयोजित किए गए ।

(ङ) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों पर जांच की गई और उचित कार्रवाई की गई।

(च) वर्ष 2023 के लिए 20% वार्षिक संपत्ति रिटर्न (एपीआर) की जांच पूरी हो चुकी है।

(छ) लगभग 1515 मामलों में मंडल स्तर से नीचे के अधिकारियों की सतर्कता स्थिति/ मंजूरी पर इनपुट दिए गए। मंत्रालय की इच्छानुसार मंडल स्तर के अधिकारियों की सतर्कता प्रोफाइल पर इनपुट भी दिए गए।

(ज) संगठन के हित के लिए कई सिस्टम सुधारों का सुझाव दिया गया।

(झ) प्रत्येक तिमाही में सीवीओ और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के बीच संरचित बैठकें आयोजित की गईं ।

(ञ) संवेदनशील पोस्ट की समीक्षा और पहचान की गई ।

(ट) निम्नलिखित सतर्कता गतिविधियाँ ऑनलाइन कर दी गई हैं और/या जारी हैं:

(i) वार्षिक संपत्ति रिटर्न जमा करना

(ii) कर्मचारियों की सतर्कता मंजूरी की प्रक्रिया

अखंडता समझौता

खरीद गतिविधि में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की पहलों में से एक बड़े मूल्य के अनुबंधों में सत्यनिष्ठा संधि की शुरूआत का उद्देश्य है। रक्षा मंत्रालय और सीवीसी के निर्देशों के अनुरूप, आपकी कंपनी ने सभी विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/सेवा प्रदाताओं के साथ ₹ 2 करोड़ और उससे अधिक मूल्य के सभी आदेशों/अनुबंधों के लिए सत्यनिष्ठा समझौता अपनाया है और केवल उन विक्रेताओं/ बोलीदाताओं के साथ, जो प्रतिबद्ध हैं । कंपनी के साथ आईपी करने वाले स्वयं को बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम माना जाएगा।

सत्यनिष्ठा अनुबंध संभावित विक्रेताओं/बोलीदाताओं और मालिक (जीआरएसई) के बीच एक करार पर अनिवार्य रूप से विचार करता है, जो दोनों ओर के व्यक्तियों/अधिकारियों को वचनबद्ध करता है- ठेके के किसी भी स्तर/पहलू में कोई भी भ्रष्टाचार जनित कार्य न करने के लिए। सिर्फ उसी विक्रेता /बोलीदाता को, जो इसप्रकार के अनुबंध के लिए मालिक के साथ बचनबद्ध हैं, बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम माना जाएगा। किसी खास ठेके के सम्बन्ध में सत्यनिष्ठा अनुबंध बोली आमंत्रण के स्तर से लेकर ठेके के अंतिम रूप से पूरा होने तक लागू रहेगा । उसका किसी प्रकार से उल्लंघन बोलीदाता को अयोग्य ठहरायेगा और भविष्य में बिजनेश डीलिंग से उसे निकाल दिया जायेगा ।

सीवीसी की अनुशंसा के अनुसार, कंपनी ने श्री बम बहादुर सिंह और श्री पिदतला श्रीधर, आईआरएस (सेवानिवृत्त) को कंपनी में इंटीग्रिटी पैक्ट के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 26 दिसंबर 2021 से तीन साल की अवधि के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के रूप में नियुक्त किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आईईएम ने 162 संविदाओं की निगरानी की और वाणिज्यिक विभाग के साथ त्रैमासिक बैठकें और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ अर्धवार्षिक संरचित बैठकें की ।

सामान्य

आपके निदेशकों का कहना है कि निम्नलिखित मदों के संबंध में किसी प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई लेन-देन नहीं किया गया था:

(क) प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में मंडल की रिपोर्ट या वित्तीय विवरण के किसी स्वैच्छिक संशोधन का विस्तृत कारण जिस वित्तीय वर्ष में संशोधन किया गया है ।

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के अंतर्गत शामिल जमाराशियों से संबंधित विवरण।

(ग) लाभांश, मतदान या अन्यथा के रूप में विभेदक अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर जारी करना।

(घ) नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया जो आपकी कंपनी की वर्तमान चिंता स्थिति और भावी संचालनों को प्रभावित करता हो ।

आभार

आपके निदेशकगण रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग तथा अन्य विभागों के प्रति उनके निरंतर समर्थन, सहायता तथा मार्गदर्शन के लिए अपनी गहरी प्रशंसा तथा आभार व्यक्त करते हैं। निदेशकगण भारत सरकार तथा पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा अन्य राज्यों की सरकारों के प्रति भी उनके निरंतर सहयोग तथा बहुमूल्य समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशकगण विशेष रूप से भारतीय नौसेना, भारतीय सेना तथा भारतीय तटरक्षक मुख्यालय, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), गृह मंत्रालय, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, विभिन्न राज्य सरकारों के लोक निर्माण विभाग, पश्चिम बंगाल तथा कोलकाता के पुलिस विभाग तथा अन्य मूल्यवान ग्राहकों तथा व्यावसायिक सहयोगियों के प्रति आपके कंपनी में उनके द्वारा व्यक्त विश्वास के लिए आभारी हैं। यदि हम युद्धपोत उत्पादन अधीक्षक, तटरक्षक रिफिट उत्पादन अधीक्षक तथा उनकी समर्पित टीमों के सहयोग तथा सकारात्मक दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते हैं, जिनकी देखरेख में हमारे पोतों का निर्माण/रिफिट किया जा रहा है, तो हम अपने कर्तव्य में विफल हो जाएंगे। साथ ही, हम सभी वर्गीकरण समितियों, विशेष रूप से आईआरएस तथा एबीएस को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने गुणवत्ता तथा आवश्यक मानकों का पालन सुनिश्चित किया है।

निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षण के प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षण मंडल , बेंगलुरु के पूर्व अधिकारियों, प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना), मुंबई, रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना), कोलकाता, कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी क़ानून मंडल और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय प्रतिभूति विनिमय मंडल , नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड द्वारा प्रदान प्राप्त सहयोग और बहुमूल्य सलाह के लिए धन्यवाद के साथ उनका आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक, अपने सांविधिक, लागत एवं आतंरिक लेखा परीक्षकों, कंपनी बैंकरों, ट्रेड यूनियनों और संगठन के विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कठिन परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं। कर्मचारियों के उत्साह और अनियंत्रित प्रयासों के कारण आपकी कंपनी कई मौजूदा और नए खिलाड़ियों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद उद्योग में सबसे आगे बने रहने में सक्षम हुई है ।

कृते निदेशक मंडल

हस्ता/-
कमोडोर पी आर हरि, भा.नौ.(सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन :08591411

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 08 अगस्त, 2024

परिशिष्ट – ए

31 दिसंबर 2023 को स्थायी एवं संविदा पर काम करने वाले अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / भूतपूर्व सैनिक / दिव्यांग एवं महिला कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का विवरण

समूह / वर्ग	कुल शक्ति	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	महिला कार्मिक
समूह – ए	464	79	31	128	66	13	31
समूह – बी	28	3	1	10	4	-	4
समूह – सी	1181	292	49	181	49	36	51
समूह-डी (सफाईवाला को छोड़कर)	6	2	-	-	1	-	1
समूह- डी (सफाईवाला)	3	3	-	-	-	-	-
कुल	**1682**	**379**	**81**	**319**	**120**	**49**	**87**

परिशिष्ट – बी

स्थायी वर्ग एवं संविदा वर्ग (नियत अवधि/जर्नीमेन) के अंतर्गत 2023 के दौरान की गई भर्ती का विवरण

समूह / वर्ग	कुल भर्ती	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	महिला कार्मिक
समूह – ए	26	3	4	9	10	2	-
समूह – बी	2	-	-	2	2	-	-
समूह – सी	23	5	-	8	1	1	5
समूह- डी (सफाईवाला को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-
समूह- डी (सफाईवाला)	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**51**	**8**	**4**	**19**	**13**	**3**	**5**

परिशिष्ट - सी

फॉर्म एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) एवं कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम,2014 के नियम 9 के अनुसरण में]

सेवा में ,
सदस्यगण,
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
जीआरएसई भवन 61, गार्डन रीच रोड,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700024

हमने **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड** (इसके बाद "कंपनी" उल्लेखित) द्वारा लागू सांवाधिक प्रावधानों और अच्छी निगमित प्रथाओं के अनुपालन का सचिवीय लेखापरीक्षा किया है । सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से आयोजित किया गया था, जिससे हमें निगमित आचरण/सांवाधिक अनुपालन और अपनी मत व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार मिला ।

कंपनी के किताबें, कागज, कार्यवृत किताबें, फॉर्म और दायर रिटर्न और कंपनी द्वारा मेंटेन किए गए अन्य रिकॉर्ड में कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दी गई जानकारी सचिवीय लेखापरीक्षा के सत्यापन के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी मत में, कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी है कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र है जो उस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के तहत है:

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त किताबें, कागज, कार्यवृत किताबें, फॉर्म और रिटर्न दायर और कंपनी द्वारा मेंटेन किए गए अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के तहत की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और विनियमों और उसके तहत बनाए गए उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम,1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश :

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2018; **(समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 **(समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 **(समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं) ;**

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एक इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 ;

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 **(समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 **(समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक;

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियम)

(iii) कंपनी पर विशेष रूप से लागू अन्य कानून अर्थात्:

(क) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986;

(ख) खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट) नियम, 2016 ;

(ग) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और उसके तहत प्रतिपादित नियम;

(घ) वायु (प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम) अधिनियम, 1981;

(ङ) भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 (बाद में भारतीय विद्युत अधिनियम, 2005 के रूप में संशोधित) और अंतर्गत नियम बनाया गया

(च) लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देश, 2010;

(छ) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सामाजिक दायित्व और स्थिरता पर दिशानिर्देश ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

ऑडिट अवधि के दौरान, कंपनी ने नीचे उल्लिखित सीमा को छोड़कर ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

1. कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना

अधिनियम की धारा 149(4), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 और 3.1.4 में अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या कंपनी के बोर्ड में नहीं थी। समीक्षाधीन अवधि

के दौरान सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17(1) द्वारा। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 149 और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17(1) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के पास 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च , 2024 तक अपने बोर्ड में एक महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थी, जिसके लिए यह आवश्यक था । प्रबंधन द्वारा समय-समय पर रक्षा मंत्रालय को पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

2. सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत प्रदान की गई कुछ निगमित शासन आवश्यकताएं

लिस्टिंग विनियमों के तहत प्रदान किए गए कुछ अन्य निगमित शासन प्रावधानों के संबंध में,कंपनी एक सीपीएसई होने के नाते, सरकारी कंपनियों पर लागू नियामक फ्रेमवर्क को यथासंभव अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस तरह नियामक फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए, सूचीकरण विनियमों अर्थात उप-विनियम (4) और (10) विनियम 17, विनियम 18(3) में प्रदान की गई कुछ कॉर्पोरेट शासन आवश्यकताओं को अनुसूची II के भाग सी पैरा ए के साथ, विनियम 19(4) अनुसूची II के भाग डी पैरा ए और विनियम 25(4) आदि के साथ पठित कंपनी द्वारा अनुपालन नहीं किया जा सका क्योंकि एक सरकारी कंपनी होने के कारण, उक्त आवश्यकताओं का अनुपालन कंपनी के नियंत्रण से बाहर है ।

हम रिपोर्ट करते हैं कि :लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में पूर्वोक्त को छोड़कर सभी परिवर्तन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के उचित अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को मंडल की बैठकों और समिति की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिए गए थे,एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे,और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बहुमत के निर्णय को आगे बढ़ाया जाता है जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को लिया जाता है और मिनटों के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन,कंपनी ने सीपीएसई हेतु निगमित शासन पर अधिनियम में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों और डीपीई दिशानिर्देशों और अन्य विशिष्ट क़ानूनों का पालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते है कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन और अनुवीक्षण सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रिया है ।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान **:**

(क) कंपनी ने 22 सितंबर, 2023 को आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक में वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए 7% यानी 10 रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 0.70 रुपये का अंतिम लाभांश घोषित किया।

(ख) कंपनी के निदेशक मंडल ने 13 फरवरी, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 79.20% यानी 10 रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 7.92 रुपये का अंतरिम लाभांश घोषित किया।

कृते **मेहता एंड मेहता,**
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनिक कोड P1996MH007500)

हस्ता /-
रवीना दुगर अग्रवाल
साझेदार
एफसीएस सं.: 51836
सीपी सं.: 26055
पीआर सं. 3686/2023
यूडीआईएन: A051836F000926138

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 08 अगस्त 2024

नोट: इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो 'अनुलग्नक क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक क

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

सेवा में ,
सदस्यगण,
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
जीआरएसई भवन 61, गार्डन रीच रोड,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700024

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1) सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी सचिवीय रिकॉर्ड के लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी मत व्यक्त करना है।

2) हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की सटिकटता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सही तथ्य सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित होते हैं। हम मानते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी मत को एक उचित आधार प्रदान करते है ;

3) हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4) जहां कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानून, नियम और विनियमन के अनुपालन और आयोजनों आदि के बारे में प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लिया है ।

5) निगमित और अन्य लागू कानूनों,नियमों,विनियमों,मानकों के प्रावधानों का अनुपानल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक ही सीमित थी ।

6) फॉर्म एमआर-3 में हमारी सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट में उल्लिखित प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा दाखिल की गई पुस्तकों, कागजात, फॉर्म, रिपोर्ट और रिटर्न के संबंध में, उक्त नियमों की आवश्यकताओं का पालन और अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच विभिन्न प्रपत्रों, रिपोर्टों, रिटर्न और दस्तावेजों को दाखिल करने के निष्पादन और समयबद्धता की जांच करने तक सीमित थी, जिन्हें कंपनी द्वारा उक्त नियमों के तहत विभिन्न अधिकारियों के साथ दाखिल करने की आवश्यकता है। हमने ऐसे फॉर्म, रिपोर्ट, रिटर्न और दस्तावेजों की सामग्री की शुद्धता और कवरेज को सत्यापित नहीं किया है।

7) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए एक आश्वासन है,जिसके लिए प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है ।

कृते **मेहता एंड मेहता,**
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनिक कोड P1996MH007500)

हस्ता /-
रवीना दुगर अग्रवाल
साझेदार
एफसीएस सं.: 51836
सीपी सं.: 26055
पीआर सं. 3686/2023
यूडीआईएन: A051836F000926138

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 08 अगस्त 2024

परिशिष्ट - "डी"

फॉर्म संख्या एओसी-2

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, के 2014 के नियम 8 (2) के अनुवर्ती)

कंपनी / अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप - धारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा अनुबंध / समझौतों के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र , जिसमें तीसरे अनंतिम उपबंध के तहत कुछ आर्म्स लेंथ ट्रैंज़ैक्शन शामिल हैं:

1. आर्म्स लेंथ ट्रैंज़ैक्शन के आधार पर नहीं हुए अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण

संबंधित पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की प्रकृति	लागू नहीं
अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
संविदा की मुख्य शर्तें या व्यवस्था या मूल्य सहित लेनदेन, यदि कोई हो	लागू नहीं
ऐसे अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	लागू नहीं
मंडल द्वारा अनुमोदन की तिथि	लागू नहीं
अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	लागू नहीं
धारा 188 के पहले प्रावधान के तहत आवश्यक वह तिथि, जिस पर विशेष प्रस्ताव को सामान्य बैठक में पारित किया गया था	लागू नहीं

2. सामग्री अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण जो आर्म्स लेंथ ट्रैंज़ैक्शन के आधार पर था

संबंधित पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की प्रकृति	लागू नहीं
अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
संविदा की मुख्य शर्तें या व्यवस्था या मूल्य सहित लेनदेन, यदि कोई हो	लागू नहीं
मंडल द्वारा अनुमोदन की तिथि	लागू नहीं
अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	कोई नहीं

कृते निदेशक मंडल

हस्ता/-
कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08591411

परिशिष्ट-'ई'

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

I. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

समावेशी विकास और सामाजिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी का समर्पण अब तक पूरी की गई विभिन्न प्रभावशाली परियोजनाओं से स्पष्ट है और सीएसआर जीआरएसई के निगमित प्रशासन में गहराई से समाहित है। कमजोर बच्चों, दिव्यांग, बेरोजगार युवाओं और स्वदेशी समुदाय जैसे हाशिए के समूहों को लक्षित करके, कंपनी सभी के लिए सम्मान, समानता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के साथ संरेखित होती है।

सामाजिक रूप से जिम्मेदार निगमित संस्था के रूप में, जीआरएसई अपने सीएसआर का उपयोग उन समुदायों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए करता है, जिनमें यह ओपरेट्स करता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर पहल स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास, दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा में लाना, स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय अभियान आदि पर केंद्रित थी।

कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम की धारा 135 और समय-समय पर उसके तहत नियमों के अनुपालन में सीएसआर गतिविधियों को लागू करने की रूपरेखा को परिभाषित करती है। सभी सीएसआर पहल कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के साथ-साथ विभिन्न सरकारी प्रावधानों एवं दिशानिर्देश के अनुसार की जाती हैं। ऐसी गतिविधियों का विवरण जीआरएसई वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

मंडल स्तरीय सीएसआर एवं स्थिरता समिति का नेतृत्व एक स्वतंत्र निदेशक करते हैं। इस समिति ने सभी संभावित परियोजनाओं के साथ-साथ कार्यान्वयन के तौर-तरीकों की सावधानीपूर्वक जांच की और उसके बाद निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए वार्षिक सीएसआर कार्य योजना की सिफारिश की। सभी परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक सीएसआर कार्य योजना के अनुसार कार्यान्वित किया गया। वांछित उपलब्धि सुनिश्चित करने के साथ-साथ मध्य-पाठ्यक्रम संशोधन, यदि कोई हो, के लिए कार्यान्वयन के दौरान मंडल स्तरीय सीएसआर एवं स्थिरता समिति और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों द्वारा समय-समय पर परियोजनाओं की समीक्षा भी की गई।

II. वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीआरएसई द्वारा आरंभ किए गए सीएसआर परियोजनाएं

(ए) **वार्षिक थीम पर आधारित परियोजनाएं - स्वास्थ्य और पोषण**

(क) **परियोजना "आरोग्य" - मासिक स्वास्थ्य जांच शिविर**

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, खास तौर पर ग्रामीणों के साथ-साथ शहर की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के पास गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुँच और सामर्थ्य की कमी है। इन स्वास्थ्य शिविरों ने हाशिए पर पड़े तबके के लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक आसान पहुँच बनाई है। कोलकाता के गार्डन रीच क्षेत्र के इलाकों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के नौरा और सुंदरबन के अगरहाटी क्षेत्र जैसे दूरदराज के गाँवों से आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित आबादी के लिए बुनियादी निदान, चिकित्सा जाँच और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मासिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। प्रत्येक शिविर में औसतन 220 रोगियों को एक महीने के लिए मुफ़्त दवाएँ दी गईं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 34 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए और 7413 रोगियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुई।

(ख) **रक्तदान शिविर**

जीआरएसई ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 02 रक्तदान शिविर आयोजित किए। एक शिविर विश्व रक्तदाता दिवस यानी 14 जून 2023 को सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर (ठाकुरपुकुर कैंसर सेंटर) के सहयोग से आयोजित किया गया था, जहाँ 46 स्वयंसेवकों ने कैंसर रोगियों के लिए रक्तदान किया। थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से 26 फरवरी 2024 को एक और शिविर आयोजित किया गया, जहाँ 94 स्वयंसेवकों ने थैलेसीमिया प्रभावित रोगियों के लिए रक्तदान किया। कर्मचारियों और अन्य हितधारकों ने इस नेक काम के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और रक्तदान शिविरों में पूरे दिल से भाग लिया।

(ग) **टीबी निक्षय मित्रा**

क्षय रोग एक संक्रामक रोग है, जो फेफड़ों और शरीर के अन्य भागों को प्रभावित करता है। खराब पोषण की स्थिति व्यक्ति को रोग से संक्रमित होने के लिए प्रेरित करती है, जिससे पोषक तत्वों का भंडार कम हो जाता है और रोगियों के कुपोषण की स्थिति और खराब हो जाती है। टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता से वजन बढ़ता है, मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है आदि। भारत से क्षय रोग को खत्म करने के लिए सरकार की टीबी निक्षय मित्र पहल के एक हिस्से के रूप में, जीआरएसई ने 107 बहु-दवा प्रतिरोधी टीबी रोगियों को उनके स्वास्थ्य, वजन बढ़ाने, मांसपेशियों को मजबूत बनाने आदि में सुधार के लिए मासिक आधार पर पोषण संबंधी सहायता प्रदान की।

(घ) **हाशिए पर पड़े वर्ग के लिए मोतियाबिंद सर्जरी**

दृष्टि दोष की व्यापकता बहुत अधिक है और इसका एक मूल कारण मोतियाबिंद है। कुष्ठ रोगियों के मामले में यह समस्या और भी गंभीर है। हाशिए पर रहने वाले लोग अपनी आर्थिक तंगी के कारण मोतियाबिंद की सर्जरी नहीं करवा सकते। मोतियाबिंद का अगर सही समय पर इलाज हो जाए तो यह दृष्टि वापस ला सकता है और व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने और सम्मान के साथ अपना जीवन जीने में सक्षम हो सकता है। जीआरएसई ने लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया (टीएलएमटीआई) के साथ मिलकर कोलकाता के प्रेमानंद मेमोरियल लेप्रोसी अस्पताल में मोतियाबिंद की सर्जरी की व्यवस्था की। यह परियोजना एक संपूर्ण पैकेज थी जिसमें मोतियाबिंद की जांच, सर्जरी से पहले नैदानिक जांच, सर्जरी, सर्जरी के बाद की जांच, दवाइयां, चश्मा, भोजन, परिवहन आदि शामिल थे। इस परियोजना ने समाज के निचले तबके से आने वाले 314 रोगियों की दृष्टि में सुधार किया, जिनमें कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगी भी शामिल थे।

(ङ) **आदिवासी गांवों के वंचित बच्चों का समग्र विकास**

जीआरएसई ने झारखंड के कुटुरलोबा, गेतलसूद, बद्री (रांची में) और खूंटी (आकांक्षी जिले) में माल्यादा और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में घोलपारा, अजगरा और नौरा जैसे दूरदराज के ग्रामीण और आदिवासी गांवों के लगभग 530 वंचित बच्चों के समग्र विकास के लिए रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ के साथ भागीदारी की। इस पहल ने ज्यादातर आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जो अत्यधिक गरीबी के समस्या में फंसे हुए हैं। इस परियोजना ने इन बच्चों के तीन गुना विकास यानी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए उनके जीवन की गुणवत्ता

में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया। इस परियोजना के तहत समय-समय पर स्वास्थ्य जांच की गई। इसके अलावा, बच्चों के समग्र विकास के लिए दैनिक पोषण पूरक, अध्ययन सामग्री, स्कूल बैग, वर्दी, जूते, व्यक्तिगत स्वच्छता की वस्तुएं, खेल सामग्री आदि प्रदान किए गए

(च) **रामकृष्ण शारदा मिशन को चिकित्सा उपकरण प्रदान किए**

श्री मोहन लेन, कोलकाता में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल यानी ‹ मातृ भवन› चलाता है । यह अस्पताल वंचित वर्ग की महिलाओं और बच्चों को समर्पित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। सामाजिक जिम्मेदारी के हिस्से के रूप में जीआरएसई ने मातृ भवन अस्पताल को 01 सेट लेप्रोस्कोपिक मशीन, 01 सेट यूनिवर्सल वेंटिलेटर मशीन, 01 नंबर सीलिंग माउंटेड ओटी लाइट और 20 नंबर बेड साइड लॉकर प्रदान किए ताकि अस्पताल समाज के वंचित वर्ग से आने वाले रोगियों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सके।

(छ) **इस्लामिया अस्पताल को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए**

इस्लामिया अस्पताल 73, चित्तरंजन एवेन्यू, पोद्दार कोर्ट, तिरेट्टी , कोलकाता में स्थित है, यह 200 बिस्तरों वाला अस्पताल है जो वंचित वर्ग से आने वाले रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करता है, जिनमें से अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। अस्पताल में ओपीडी सुविधा और विभिन्न विभाग हैं। जीआरएसई ने 01 सेट हार्ट लंग मशीन और 01 सेट हेमोथर्म मशीन प्रदान की, जिससे अस्पताल को ज़रूरतमंद रोगियों को बेहतर सेवा प्रदान करने में मदद मिली।

(ज) **चिकित्सा तकनीशियनों को कौशल विकास प्रशिक्षण**

कोविड के बाद, प्रशिक्षित चिकित्सा तकनीशियनों, विशेष रूप से फ्लेबोटोमिस्ट और प्रशिक्षित चिकित्सा सेवा प्रदाता की कमी स्वास्थ्य क्षेत्र में चिंता का एक प्रमुख कारण बन गई है। जीआरएसई ने रामकृष्ण मठ, बागबाजार के सहयोग से युवाओं को व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया, ताकि चिकित्सा क्षेत्र में मौजूदा कौशल अंतराल को पाटा जा सके और युवाओं को चिकित्सा सेवाओं के लिए तैयार किया जा सके। कोलकाता के चितपुर में मा शारदा स्वनिर्वर केंद्र में 60 युवाओं को फ्लेबोटोमी प्रशिक्षण और 30 युवाओं को जनरल ड्यूटी असिस्टेंस (नर्सिंग) प्रशिक्षण दिया गया । इन प्रशिक्षुओं को पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद एनएसडीसी से प्रमाण पत्र मिला। अधिकांश प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूरा होने के तुरंत बाद नौकरी मिल गई।

(झ) **जीआरएसई परियोजना आकांक्षा - खिददरपुर, कोलकाता में कमजोर बच्चों के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाना:** कोलकाता के खिदिरपुर और वाटगंज इलाकों में एक खास समुदाय के सैकड़ों बच्चे थे जो कम आत्मसम्मान, असुरक्षा की भावना से पीड़ित थे और प्रतिकूलताओं और परिस्थितियों से पीछे रह गए थे। इस कमजोर समुदाय में पले-बढ़े ये बच्चे अपने माता-पिता के लिए स्थिर आजीविका विकल्पों की कमी के कारण सबसे कठिन जीवन जीने के आदी थे। उपरोक्त परिस्थितियों के कारण, इन बच्चों को अपने सपनों और इच्छाओं को प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। हालाँकि उनके पास कौशल और क्षमताएँ थीं, लेकिन उन्हें उन्हें व्यक्त करने के लिए एक मंच और अवसर नहीं मिला।

आकांक्षा परियोजना को ‹चाइल्ड राइट्स एंड यू› (सीआरवाई) के सहयोग से कार्यान्वित किया गया था, जिसका उद्देश्य इन कमजोर बच्चों को अध्ययन करने, पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने, सीखने और बढ़ने आदि के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना था। इस पहल के माध्यम से लगभग 300 बच्चों को सहायता प्रदान की गई। इन बच्चों को नियमित आधार पर सोयाबीन, मूंगफली, दालें, सूजी , सत्तू और फलियाँ युक्त पोषण पैकेज दिए गए। बच्चों के लिए नियमित स्वास्थ्य जाँच भी परियोजना का एक प्रमुख हिस्सा थी। स्कूल छोड़ने वालों को रोकने के लिए शिक्षकों के साथ कोचिंग कक्षाओं के माध्यम से उनकी पढ़ाई का समर्थन करने पर विशेष ध्यान दिया गया। कला और शिल्प, जीवन-कौशल पाठ और कराटे कोचिंग आदि के लिए अलग-अलग कक्षाएँ भी थीं। परियोजना टीम ने बच्चों के लिए शिक्षा की आवश्यकता, सतर्क माता-पिता और महत्वपूर्ण जीवन-कौशल के बारे में परिवारों तक पहुँच बनाई।

एक साल से ज़्यादा समय में, परियोजना आकांक्षा ने अपने नाम के अनुरूप काम किया है। इसने बच्चों (उनके माता-पिता सहित) में पढ़ने, सीखने और बेहतर जीवन जीने की इच्छा पैदा की है। इसने उन्हें विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का आत्मविश्वास भी दिया है - सशक्तीकरण की भावना जो उन्हें आगे की यात्रा में अच्छी तरह से आगे ले जाने वाली है। जैसा कि कक्षा पांच के छात्र राहुल (बदला हुआ नाम) ने कहा: « केंद्र में सत्रों ने मेरे विचारों को बदल दिया है। कराटे कक्षाओं ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया है। अब मैं डरपोक नहीं हूँ।»

(ञ) **शौचालयों की दैनिक सफाई**

राष्ट्रीय मिशन ‹स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय› और स्कूली बच्चों, खासकर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जीआरएसई ने सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन के साथ मिलकर स्कूल के शौचालयों की रोजाना सफाई और रखरखाव की व्यवस्था अपनाई है । 20 स्थानीय सरकारी स्कूलों में कुल 235 शौचालय, 148 मूत्रालय, 100 वॉश बेसिन, 07 पीने के पानी के नल, 02 बाथरूम, इनसिन्रेटर, ग्राउंड आदि बनाए गए, जिसमें लड़कियों के स्कूलों पर खास ध्यान दिया गया। इस परियोजना से करीब 25,000 छात्र लाभान्वित हुए।

(ट) **दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाना**

सेरेब्रल पाल्सी एक विकार है जो मूवमेंट और मुद्रा को प्रभावित करता है, जिससे शारीरिक और मानसिक गतिविधियों में गंभीर सीमाएं पैदा होती हैं। यह परियोजना इन अलग-अलग तरह से दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान के साथ अपना जीवन जीने में सक्षम बनाने के इरादे से लागू की गई है।

जीआरएसई ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, कोलकाता की तीन कक्षाओं अर्थात शिक्षा विकास इकाई-IV, शिक्षा विकास इकाई-V और जीवन कौशल प्रशिक्षण इकाई को व्यापक शैक्षिक और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की है। इन 03 कक्षाओं में सेरेब्रल पाल्सी सहित गंभीर बहु दिव्यांगता वाले 43 विशेष बच्चों को शामिल किया गया और उनमें लगभग 80% दिव्यांगता थी। उन्हें न्यूनतम स्तर की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए बुनियादी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों और जीवन-उन्मुख भाषा और संख्यात्मक कौशल में प्रशिक्षित किया गया। जीवन कौशल प्रशिक्षण इकाई के बच्चों को व्यवसाय-पूर्व कौशल में प्रशिक्षित किया गया।

बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी उनके चलने-फिरने की क्षमता में बाधा डालती है और जैसे-जैसे वे बड़े होते जाते हैं, उनके शरीर के कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। जीआरएसई ने आईआईसीपी को उनके प्रारंभिक हस्तक्षेप क्लिनिक चलाने में सहायता की। इस क्लिनिक ने नवजात अवस्था से लेकर 10 वर्ष तक अनुकूलित व्यक्तिगत चिकित्सा प्रदान की। प्रारंभिक हस्तक्षेप चिकित्सा का उद्देश्य सही आधार तैयार करना है ताकि यह बच्चे को संचार कौशल, मोटर कौशल विकसित करने में मदद करे और उन्हें दूसरों पर न्यूनतम निर्भरता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम बनाए।

भारत 09 दिसंबर 1975 को महासभा संकल्प 3447 (XXX) द्वारा अपनाए गए "दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा, 1975" का एक हस्ताक्षरकर्ता है और इस परियोजना ने लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान दिया।

सीएसआर गैलरी

परियोजना "आरोग्य" - मासिक स्वास्थ्य जांच शिविर

परियोजना "आरोग्य" - मासिक स्वास्थ्य जांच शिविर

रक्तदान शिविर

रक्तदान शिविर

टीबी निक्षय मित्र

टीबी निक्षय मित्र

सीएसआर गैलरी

हाशिए पर पड़े वर्ग के लिए मोतियाबिंद सर्जरी समग्र

हाशिये पर पड़े वर्ग के लिए मोतियाबिंद सर्जरी

जनजातीय गांवों के वंचित बच्चों का समग्र विकास

जनजातीय गांवों के वंचित बच्चों का समग्र विकास

रामकृष्ण सारदा मिशन को चिकित्सा उपकरण प्रदान किए गए

रामकृष्ण सारदा मिशन को चिकित्सा उपकरण प्रदान किए गए

सीएसआर गैलरी

इस्लामिया अस्पताल को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए गए

इस्लामिया अस्पताल को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए गए

चिकित्सा तकनीशियनों को कौशल विकास प्रशिक्षण

चिकित्सा तकनीशियनों को कौशल विकास प्रशिक्षण

जीआरएसई परियोजना आकांक्षा – खिद्दिरपुर, कोलकाता में वंचित तबके के बच्चों के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाना

जीआरएसई परियोजना आकांक्षा – खिद्दिरपुर, कोलकाता में वंचित तबके के बच्चों के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाना

सीएसआर गैलरी

दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाना

दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाना

कोलकाता यातायात पुलिस को उपकरण

'सीएसआर के कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ पीएसयू' हेतु पीआरएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार 2023

स्वच्छता पखवाड़ा

13वां आईसीसी पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2023

(ख) **अन्य परियोजनाएं**

(क) **आईटीआई को उपकरण उपलब्ध कराना**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) देश में तकनीकी शिक्षा की रीढ़ है और कुशल कार्यबल की मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करता है। जीआरएसई ने महिलाओं और शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए युवाओं के कौशल विकास के लिए 03 आईटीआई का समर्थन किया है। जीआरएसई ने महिला आईटीआई, शारीरिक रूप से दिव्यांग लड़कों और लड़कियों के लिए आईटीआई और कोलकाता में आईटीआई गरियाहाट को उपकरण प्रदान किए हैं । इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि छात्रों को उद्योग मानक के अनुसार प्रशिक्षण मिले जिससे छात्रों की रोजगार दर में वृद्धि हुई है।

(ख) **आईटीआई को कौशल विकास प्रशिक्षण**

जीआरएसई ने कोलकाता में महिला आईटीआई और शारीरिक रूप से दिव्यांग लड़के और लड़कियों के लिए आईटीआई के छात्रों के लिए कौशल विकास गतिविधियों का समर्थन किया। इस पहल के तहत बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, सीओपीए, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, सोलर टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल) और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में अतिथि व्याख्यान और उन्नत प्रशिक्षण दिया गया। कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग (सीएईडी), डेस्क टॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर (डीटीपीओ), ड्रेस मेकिंग (डीएम) और फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी (एफडीटी) ट्रेड में अतिथि व्याख्यान और उन्नत प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया।

(ग) **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम**

जीआरएसई ने प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित 42 प्रशिक्षुओं (2.5%) की वैधानिक आवश्यकता के अतिरिक्त लगभग 165 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया। विभिन्न विषयों के प्रशिक्षुओं को कंपनी के विभिन्न कार्यशालाओं/विभागों में कार्यस्थल पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(घ) **युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण**

रोजगार को बढ़ावा देना, व्यावसायिक कौशल बढ़ाना और आजीविका संवर्धन परियोजना फोकस क्षेत्रों में से एक था। सरकार के कुशल भारत - कौशल भारत मिशन के अनुपालन में, जीआरएसई ने रामकृष्ण मठ, बागबाजार के सहयोग से एनएसडीसी द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया है । कोलकाता के चितपुर में मा शारदा स्वनिर्वर केंद्र में 30 प्रशिक्षुओं को एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन प्रशिक्षुओं को पाठ्यक्रम के सफल समापन पर एनएसडीसी से प्रमाण पत्र मिला और उनमें से अधिकांश को प्रशिक्षण पूरा होने के तुरंत बाद नौकरी मिल गई।

(ङ) **कोलकाता यातायात पुलिस को उपकरण**

जीआरएसई ने सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत कोलकाता ट्रैफिक पुलिस को सड़क सुरक्षा उपकरण प्रदान किए। कोलकाता के गार्डन रीच क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेटियाब्रुज ट्रैफिक गार्ड को नॉर्मल गार्ड रेलिंग और प्रिज्मेटिक गार्ड रेलिंग प्रदान की गई।

(च) **रामकृष्ण मिशन को कंप्यूटर**

नरेंद्रपुर को उनके विभिन्न आउटरीच केंद्रों के लिए 41 उपयोग किए गए कंप्यूटर प्रदान किए। इस परियोजना का उद्देश्य डिजिटल विभाजन को समाप्त करना और वंचित वर्ग के बच्चों तक प्रौद्योगिकी की पहुँच को सक्षम बनाना है।

(छ) **स्वच्छता पखवाड़ा**

स्वच्छ भारत अभियान के एक भाग के रूप में, जीआरएसई ने 01 से 31 अक्टूबर 2023 तक स्वच्छता विशेष अभियान और 01 से 15 दिसंबर 2023 तक पखवाड़ा मनाया । जीआरएसई के अंदर और बाहर कई कार्यक्रम और गतिविधियाँ आयोजित की गईं जैसे ‹सिंगल यूज़ प्लास्टिक› चुनना, स्वच्छता चित्रकला प्रतियोगिता, दैनिक जीवन में स्वच्छता के महत्व पर पौधा वितरण संगोष्ठी, स्वच्छता के महत्व पर हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता आदि।

(ज) **स्वच्छ गंगा कोष**

जीआरएसई ने स्वच्छ गंगा कोष में 2 लाख रुपये का योगदान दिया ताकि एनएमसीजी को गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाने में सक्षम हो ।

III. सीएसआर पुरस्कार

जीआरएसई को 25 नवंबर 2023 को ‹सीएसआर कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ पीएसयू› हेतु पीआरएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 और 20 दिसंबर 2023 को ‹सीएसआर और स्थिरता› के लिए 13 वां आईसीसी पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ।

IV. सीएसआर समिति का गठन

क्रं. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/ निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया
(क)	श्री संजीब मोहंती अंशकालिक गैर - सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	अध्यक्ष	3	3
(ख)	श्री आर के दाश [1] निदेशक (वित्त)	सदस्य	3	0
(ग)	कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त) निदेशक (पोत निर्माण)	सदस्य	3	2
(घ)	डीआईजी सुब्रोतो घोष, भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त) [2] निदेशक (कार्मिक)	सदस्य	3	3

[1] 28 जून 2023 से समिति के सदस्य के रूप में सेवासमाप्त और उनके कार्यकाल के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

[2] 28 जून 2023 से समिति के सदस्य के रूप में भर्ती हुए और उनके कार्यकाल के दौरान तीन बैठकें आयोजित की गईं।

V. वेब-लिंक जहां बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं की संरचना कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की जाती है - https://grse.in/board-of-directors-and-committees/ and https://grse.in/csr-projects-and-policy/

VI. कंपनी के नियम 8 के उप नियम (3) (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं, का प्रभाव मूल्यांकन के विवरण यदि लागू हो (संलग्न रिपोर्ट) - **कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार लागू नहीं है ।**

VII. कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित राशि के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो

क्रं. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो (रुपये में)
शून्य			

VIII. धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ ।

(क) धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत -

₹ 510.88 लाख

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों व गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष ।

लागू नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष हेतु सेट ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो

लागू नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग)

₹ 511 लाख

IX. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष हेतु व्यय की गई कुल राशि	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		
	राशि	हस्तांतरण की तिथि	फंड का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि
₹511 लाख	शून्य				

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए **चल रही परियोजनाओं** के विरुद्ध व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्रं. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से मद ।	स्थानीय क्षेत्र (हां /नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से - कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
वित्तीय वर्ष 203-24 में कोई चालू परियोजना नहीं												

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए **चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य** पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्रं. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से मद ।	स्थानीय क्षेत्र (हां /नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (लाख रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से - कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	झारखंड और पश्चिम बंगाल के आदिवासी गांवों के 530 वंचित बच्चों का समग्र विकास	मद संख्या (i) – कुपोषण उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हाँ	झारखण्ड पश्चिम बंगाल	रांची और खूंटी उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना	66.15	नहीं	रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ	CSR00006101
2	मातृ भवन अस्पताल को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना	मद संख्या (i) – निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	54.33	नहीं	रामकृष्ण सारदा मिशन	CSR00005055
3	इस्लामिया अस्पताल, कोलकाता को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना	मद संख्या (i) – निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	70.00	नहीं	इस्लामिया अस्पताल	CSR00009943
4	राजाबागान डॉकयार्ड (कोलकाता), नाओरा (दक्षिण 24 परगना) और अग्रहाटी (सुंदरबन) में मासिक स्वास्थ्य जांच शिविर	मद संख्या (i) – निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना	25.93	हाँ	जीआरएसई लि.	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्रं. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से मद ।	स्थानीय क्षेत्र (हां /नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (लाख रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से - कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
5	टीबी निक्षय मित्रा	मद संख्या (i) – निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	12.32	हाँ	जीआरएसई लि.	-
6	रक्तदान शिविर	मद संख्या (i) – निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	01.25	हाँ	जीआरएसई लि.	-
7	मोतियाबिंद सर्जरी	मद संख्या (i) – निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, और हुगली	13.03	नहीं	लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया	CSR00001796
8	चिकित्सा तकनीशियनों को कौशल प्रशिक्षण – फ़्लेबोटोमी और जनरल ड्यूटी सहायक (नर्सिंग))	मद संख्या (i) – निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	28.77	नहीं	रामकृष्ण मठ, बागबाजार , रामकृष्ण मठ, बेलूर मठ की एक शाखा	CSR00002806
9	हेस्टिंग्स, कोलकाता में कमजोर समुदायों के बच्चों का समग्र विकास	मद संख्या (i) – कुपोषण उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	25.52	नहीं	बाल अधिकार और आप	
10	20 विद्यालयों/संस्थाओं में शौचालयों की दैनिक सफाई एवं रखरखाव	मद संख्या (i) - निवारक स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता सहित स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना	49.38	नहीं	सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन, पश्चिम बंगाल शाखा और जीआरएसई	CSR00000185
11	आईआईसीपी की 03 कक्षाओं को अपनाना और प्रारंभिक हस्तक्षेप परियोजना	मद संख्या (i) – कुपोषण उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	49.97	नहीं	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, कोलकाता	CSR00001730

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्रं. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से मद ।	स्थानीय क्षेत्र (हां /नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (लाख रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से - कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
12	प्रशिक्षण सुविधा का विकास, आईटीआई का बुनियादी ढांचा और कौशल विकास	मद संख्या (ii) विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, दिव्यांग बच्चों में व्यवसाय कौशल बढ़ाना	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	37.84	नहीं	महिला आईटीआई कोलकाता आईटीआई गरियाहाट , कोलकाता आईटीआई पीसीबीजी	CSR00023668 CSR00024173 CSR00057421
13	वैधानिक आवश्यकता से अधिक प्रशिक्षुओं को दिया जाने वाला वजीफा	मद संख्या (ii) - रोजगार को बढ़ावा देना तथा व्यावसायिक कौशल में वृद्धि करना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	62.71	हाँ	जीआरएसई लि.	-
14	युवाओं को व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण – एसी और अन्य घरेलू उपकरण तकनीशियन	मद संख्या (ii) - रोजगार को बढ़ावा देना तथा व्यावसायिक कौशल में वृद्धि करना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	01.23	नहीं	रामकृष्ण मठ, बागबाजार , रामकृष्ण मठ, बेलूर मठ की एक शाखा	CSR00002806
15	कोलकाता यातायात पुलिस को यातायात उपकरण प्रदान किया गया	मद संख्या (ii) – शिक्षा को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	06.85	हाँ	जीआरएसई लि.	-
16	नरेन्द्रपुर को पुराना कंप्यूटर प्रदान किया गया	मद संख्या (i) – रोजगार को बढ़ावा देना तथा व्यावसायिक कौशल में वृद्धि करना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 परगना	0.00006	हाँ	जीआरएसई लि.	रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ - CSR00006101
17	विशेष अभियान, स्वच्छता पखवाड़ा	मद संख्या (i) – स्वच्छता को बढ़ावा देना।	हाँ	झारखण्ड पश्चिम बंगाल	रांची और खूंटी कोलकाता, उत्तर 24 परगना, और दक्षिण 24 परगना	03.72	हाँ	जीआरएसई लि.	-
18	विशेष अभियान, स्वच्छता पखवाड़ा	मद संख्या (i) – स्वच्छता को बढ़ावा देना।	नहीं	-	अखिल भारतीय	02.00	भारत सरकार	भारत सरकार	-
कुल						**511 .00**			

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में व्यय की गई राशि - **शून्य**

(ङ) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो - **लागू नहीं**

(च) कुल राशि वित्तीय के लिए खर्च वर्ष (8ख + 8ग + 8घ + 8ङ) - ₹**511 लाख**

(छ) सेट ऑफ हेतु अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्रं. सं.	विवरण	राशि (लाख रू)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	**510.88**
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	**511.00**
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	**00**
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष , यदि कोई हो	**00**
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	**00**

X.(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्रं. सं.	गत वित्तीय वर्ष	राशि हस्तांतरित करने के लिए अव्ययित धारा 135 (6) के तहत सीएसआर खाता (रू में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड की हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो ।			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रू में)
				फंड का नाम	राशि (रू में)	हस्तांतरण की तिथि	
1.			00				

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष के चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्रं. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू हुई	परियोजना अवधि	परियोजना हेतु आवंटित कुल राशि (रू में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि (रू में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में परियोजना पर व्यय की गई समेकित राशि (रू में)	पूरा हुआ /चल रही है परियोजना की स्थिति -
					00			
	कुल							

XI. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई गई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण (संपत्ति-वार विवरण) प्रस्तुत करें ।

(क) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के अधिग्रहण या निर्माण की तिथि

(ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि

(ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि -

(घ) सृजित या अर्जित (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें ।

क्रं. सं.	पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के अधिग्रहण या निर्माण की तिथि	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि ।	निर्माण या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण	पूंजीगत संपत्ति की सम्पूर्ण पता तथा स्थान
1	18 नवंबर 2023	54.33	मातृ भवन अस्पताल (रामकृष्ण शारदा मिशन की शाखा)	01 सेट लैप्रोस्कोपिक मशीन, 01 सेट यूनिवर्सल वेंटिलेटर मशीन, 01 नग सीलिंग माउंटेड ओटी लाइट और 20 नग बेड साइड लॉकर।	मातृ भवन अस्पताल, 7ए, श्री मोहन लेन, कोलकाता - 700 026।
2	02 जनवरी 2024	70.00	इस्लामिया अस्पताल, कोलकाता	01 सेट हार्ट लंग मशीन और 01 सेट हेमोथर्म मशीन	इस्लामिया अस्पताल, 73, चित्तरंजन एवेन्यू, पोद्दार कोर्ट, टायरेटी, कोलकाता - 700 012।
3	06 फ़रवरी 2024	07.71	महिला आईटीआई कोलकाता	05 लैब टेबल, 01 वर्किंग टेबल, 32 हाई स्टूल, 02 स्पेशल टेबल, 03 कुर्सियां, 01 रिवॉल्विंग चेयर, 86 वर्ग फीट स्टोरेज एमडीएफ बोर्ड	महिला आईटीआई, 2/1, अनिल मोइत्रा रोड, कोलकाता- 700019।
4	18 मार्च 2024	12.05	सरकारी आईटीआई गरियाहाट, कोलकाता	01 सेट यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, 02 सेट बेंच ड्रिल मशीन, 01 सेट एसएस और एससी सेंटर लेथ	आईटीआई गरियाहाट, 10 और 10/1 गरियाहाट रोड, बालीगंज, कोलकाता - 700019।
5	18 मार्च 2024	16.03	शारीरिक रूप से विकलांग लड़के और लड़कियों के लिए आईटीआई, कोलकाता	10 सेट डेस्कटॉप कंप्यूटर, 01 सेट सीआईएस शीट फेड और फ्लैट बेड स्कैनर, 01 सेट कलर जेट प्रिंटर, 02 सेट सिलाई और रजाई बनाने की मशीनें, 01 सेट पीए सिस्टम, 01 सेट मल्टीफंक्शनल कलर प्रिंटर, 02 लैपटॉप, 01 सेट सिलाई मशीन आर्टिस्टिक डिजिटाइज़र के साथ	आईटीआई पीसीबीजी, 110, एसएन बनर्जी रोड, कोलकाता – 700 013.
6	27 मार्च 2024	06.85	मेटियाब्रुज ट्रैफिक गार्ड, कोलकाता ट्रैफिक पुलिस	58 सामान्य रेलिंग और 50 प्रिज्मीय रेलिंग	मेटियाब्रुज़ ट्रैफिक गार्ड, जेड-3/103, डॉ. ए.के. रोड, कोलकाता – 700 044..
7	06 अक्टूबर 2023	0.00006	रामकृष्ण मिशन आश्रम, नरेंद्रपुर (रामकृष्ण मिशन की शाखा, बेलूर मठ)	41 पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर	रामकृष्ण मिशन आश्रम, नरेंद्रपुर, कोलकाता - 700 103।

XII. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है तो उसका कारण का उल्लेख करे – **लागू नहीं**

हस्ता/-
श्री संजीब मोहंती
अध्यक्ष, सीएसआर एवं एसडी समिति
डीआईएन: 09559883

हस्ता/-
कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ.(सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं.: 08591411

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1. उद्योग परिदृश्य

1.1 वैश्विक परिदृश्य

पोतनिर्माण :

वैश्विक पोत निर्माण बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है, अनुमान है कि 2023 में इसका मूल्य लगभग $149.76 बिलियन होगा, जो 2023 तक बढ़कर $191.67 बिलियन हो जाएगा, जो लगभग 3.6% की सीएजीआर को दर्शाता है। नौसेना पोत निर्माण बाजार ने भी लगातार वृद्धि दिखाई है और अगले पांच वर्षों में इसके जारी रहने की उम्मीद है। नवीनतम शोध डेटा दर्शाता है कि 2022 में बाजार का आकार लगभग $96.85 बिलियन था और 2028 तक यह 2.16% की सीएजीआर से बढ़कर लगभग $110.11 बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और घटनाक्रमों से प्रेरित इस स्थिर वृद्धि के परिणामस्वरूप नौसेना आधुनिकीकरण कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया गया है और इस क्षेत्र के देशों के साथ-साथ नेटो और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पनडुब्बी सूची के प्रसार में पुनरुत्थान हुआ है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नौसैनिक बेड़े में पुराने पोतों को बदलने की आवश्यकता और लड़ाकू प्रौद्योगिकी में परिष्कार के स्तर में वृद्धि के कारण भी बाजार में वृद्धि की उम्मीद है। हरित ऊर्जा की ओर अपरिहार्य संक्रमण और उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित संभावित विघटनकारी परिवर्तनों ने उद्योग के लिए खुद को अवसरों के रूप में प्रस्तुत किया है। शिपयार्ड रक्षा और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए हरित और अत्याधुनिक डिजिटल पोतों को विकसित करने के लिए इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।

पोत मरम्मत

रक्षा और वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए पोत मरम्मत बाजार, जो अगले 6 वर्षों में वैश्विक स्तर पर ₹ 15,000 से ₹16,000 करोड़ का अवसर प्रस्तुत करता है । कुशल कार्यबल और नवीनतम तकनीक की उपलब्धता के कारण वैश्विक पोत मरम्मत बाजार में वर्तमान में चीन, सिंगापुर और मध्य पूर्व के शिपयार्डों का वर्चस्व है। हालाँकि वैश्विक पोत मरम्मत में भारत की हिस्सेदारी 1% से कम है, लेकिन देश की स्थिति अनुकूल है और वैश्विक व्यापार का 7% से 9% समुद्र तट के 300 एनएम के भीतर गुजरता है।

पोत मरम्मत उद्योग श्रम प्रधान होने के कारण, आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक मजबूत कार्यबल होने का लाभ भारत को है। हालाँकि, भारतीय पोत मरम्मत बाजार में अप्रयुक्त क्षमता का श्रेय प्रमुख व्यापार मार्गों पर प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय पोत मरम्मत यार्डों की उपस्थिति और कुछ प्रकार के जलयानों की मरम्मत में भारतीय यार्डों की क्षमता के अंतर को दिया जा सकता है।

1.2 भारतीय परिदृश्य

पोतनिर्माण:

भारतीय रक्षा पोत निर्माण अगले 12-15 वर्षों में ₹ 1.5 - ₹ 2 लाख करोड़ से अधिक का बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है । इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक पोत निर्माण भी ₹ 12000 - ₹ 15000 करोड़ प्रति वर्ष का अवसर प्रस्तुत करता है, जिसमें तटीय शिपिंग, ड्रेजर, फेरी और क्रूज़ और गैस वाहक सबसे बड़े खंड के रूप में उभर रहे हैं। इसके अलावा, मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 (एमआईवी 2030') कार्गो और यात्रियों की आवाजाही बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों और तटीय मार्गों के उपयोग में बड़ी वृद्धि का लक्ष्य रखता है। 2030 तक परिचालन जलमार्गों की संख्या 16 से बढ़ाकर 23 करने के लक्ष्य के साथ, इन जलमार्गों पर वार्षिक कार्गो आवाजाही 73 मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़कर 200 मीट्रिक टन प्रति वर्ष से अधिक होने की उम्मीद है। नौका संचालन द्वारा वार्षिक यात्री आवाजाही भी 2030 तक 14 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ होने का अनुमान है। भारत सरकार के सागरमाला कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह अनुमान लगाया गया है की भारत के मौजूदा तटीय और उद्देशीय जलमार्ग बेढ़े को अगले दशक में तीन गुना बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसमे लगभग 12.75 मिलियन सिगीति जाहाज़ निर्माण डीन बनाने की क्षमता है। ये अवसर, ग्रीन शिपिंग में परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय जोर के साथ-साथ देश में पोत निर्माताओं के लिए एक नया अवसर भी प्रस्तुत करते हैं। भारत में रक्षा पोत निर्माण सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के शिपयार्डों के फोकस का क्षेत्र बना हुआ है। जबकि आपकी कंपनी सहित पांच सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड रक्षा पोत निर्माण क्षेत्र में अग्रणी हैं, निजी शिपयार्ड भी भारतीय सशस्त्र बलों की जरूरतों के अनुरूप क्षमता बढ़ाने और अपने मौजूदा पोत निर्माण बुनियादी ढांचे को संशोधित करने के लिए विशिष्ट उपाय कर रहे हैं। निजी शिपयार्डों में, एल एंड टी शिपबिल्डिंग और शॉफ्ट शिपयार्ड, जिन्होंने वाणिज्यिक पोत निर्माता के रूप में पोत निर्माण बाजार में प्रवेश किया था, खुद को सक्षम युद्धपोत निर्माता के रूप में स्थापित कर रहे हैं। भारतीय पोत निर्माण उद्योग की ऑर्डर बुक को भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल की महत्वाकांक्षी पोत अधिग्रहण योजनाओं के कारण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है क्योंकि इन बलों की प्रत्येक 200 पोतो का बेड़ा रखने की योजना है। अगले 14-15 वर्षों तक चलने वाले उनके संयुक्त पोत निर्माण कार्यक्रम से संकेत मिलता है कि वे आने वाले वर्षों में 150 से अधिक युद्धपोतों के लिए ऑर्डर देंगे।

भारत सरकार द्वारा पोत निर्माण उद्योग (गैर- रक्षा पोतो के लिए) को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई पोत निर्माण नीति का उद्देश्य भारतीय पोत निर्माणकर्ताओं को वैश्विक स्तर पर अधिक लागत प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करना है। हमारी सरकार ने नदियों के परिवहन नेटवर्क को और विकसित करने की आवश्यकता को पहचाना है और नई 'राष्ट्रीय रसद नीति' के तहत विभिन्न पहलों से अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) को बढ़ावा मिलने और भारत में निर्मित पोतो की मांग पैदा होने की उम्मीद है।

पोतमरम्मत

भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक युद्धपोतों के रखरखाव, मरम्मत, रिफिट और उन्नयन के क्षेत्र में प्रत्याशित बाजार अवसरों का लाभ उठाने के लिए, जीआरएसई भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक जलयानों की मरम्मत और रिफिटिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है।

भारतीय वाणिज्यिक पोत मरम्मत बाजार में अप्रयुक्त क्षमता का श्रेय प्रमुख व्यापार मार्गों पर प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय पोत मरम्मत यार्डों की उपस्थिति और कुछ प्रकार के पोतो की मरम्मत में भारतीय यार्डों की क्षमता के अंतर को दिया जा सकता है। लागत में कमी के अन्य कारणों में वित्तपोषण की उच्च लागत, भारत में पोत के पुर्जों की आपूर्ति में कमी और पोत की मरम्मत निष्पादन चक्र के समय में वृद्धि करने वाले प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दे शामिल हैं। हालाँकि, वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य भारतीय पोत मरम्मतकर्ताओं के लिए अवसर की एक खिड़की प्रदान करता है।

'एमआईवी 2030' के तहत, सरकार आत्मनिर्भर नीति का लाभ उठाते हुए घरेलू मांग को व्यवस्थित करने, वित्तीय साधनों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और सुधारने, व्यापार करने में आसानी और मुक्त व्यापार डिपो, क्लस्टर आदि समुद्री निर्माण करके दक्षता में सुधार करने जैसी पहलों पर जोर दे रही है।

2. उत्पाद और सेवाएं

रक्षा उपक्रम, होने के कारण जीआरएसई मुख्य रूप से भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के पोत निर्माण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करती है । विगत 64 वर्षों में जीआरएसई ने लगभग 790 प्लेटफार्मों का निर्माण किया है जिसमें भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, मॉरीशस सरकार और सेशेल्स, सरकार के 109 युद्धपोत शामिल हैं जो देश में किसी भी शिपयार्ड द्वारा निर्मित और वितरित किए गए युद्धपोतों

की सबसे अधिक संख्या है । 05 टन की बोट्स के निर्माण से लेकर 24600 टन के फ्लीट टैंकर तक, जीआरएसई ने राष्ट्र के अग्रणी युद्धपोत निर्माता के रूप में अपनी क्षमता साबित की है । वर्ष दर वर्ष, जीआरएसई ने इन-हाउस पोत डिजाइन और पोत निर्माण के लिए अच्छी तरह से सिद्ध क्षमताएं स्थापित की हैं और फ्रिगेट्स, एंटी-सबमरीन वारफेयर ,कार्वेट, मिसाइल कार्वेट, फ्लीट टैंकर, लैंडिंग शिप टैंक (लार्ज), लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी (एलसीयू), ऑफशोर पेट्रोल वेसल, फास्ट पेट्रोल वेसल्स, इनशोर पेट्रोल वेसल, वॉटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट इत्यादि जैसे कई जटिल युद्धपोतों को सफलतापूर्वक डिजाइन और निर्माण करके स्वदेशी युद्धपोत निर्माण की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । कार्वेट, मिसाइल कार्वेट, फ्लीट टैंकर, लैंडिंग शिप टैंक (बड़ा), लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी (एलसीयू), ऑफशोर पैट्रोल वेसल, फास्ट पैट्रोल वेसल्स, इनशोर पैट्रोल वेसल, वॉटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट्स आदि। शिपयार्ड ने भी एक मिशन शुरू किया है शून्य उत्सर्जन जलयानों का डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता विकसित करने के लिए और ऐसा एक जलयान वर्तमान में निर्माणाधीन है और इसकी डिलीवरी 2023-24 की तीसरी तिमाही तक निर्धारित है। मानव रहित सतही पोत, ऑटोनोमस अंडरवाटर व्हिक्ल्स और पोत आधारित ड्रोन शिपयार्ड के कुछ अन्य फोकस क्षेत्र हैं।

रक्षा दोनों क्षेत्रों में पोत मरम्मत व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना पोत मरम्मत प्रभाग बनाया है । बड़े पैमाने पर पोत की मरम्मत और रिफिट के लिए बुनियादी ढांचे में वृद्धि की दिशा में, जीआरएसई ने खिद्दरपुर ड्राई डॉक (केपीडीडी) के तीन मौजूदा ड्राई डॉक के विकास और उपयोग के लिए 07 अक्टूबर 2021 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता (एसएमपीके) के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। खिद्दरपुर , कोलकाता में स्थित एसएमपीके का परिसर ।

पोत निर्माण और पोत मरम्मत के अलावा, जीआरएसई ने इंजीनियरिंग व्यवसाय में विविधता लाई है। इंजीनियरिंग उत्पाद प्रोफाइल में विभिन्न श्रेणियों और प्रकारों के प्री-फैब्रिकेटेड स्टील ब्रिज, विभिन्न डेक मशीनरी आइटम जैसे एंकर कैपस्टैन, बोट डेविट, पंप आदि शामिल हैं । कंपनी का इंजन डिवीजन एमटीयू डीजल इंजनों की असेंबली / परीक्षण / ओवरहालिंग में शामिल है ।

जीआरएसई ने हथियारों में भी विविधता लाई है। 30 एमएम नेवल गन के लिए एक आदेश एक स्थापित विदेशी संस्था से तकनीकी सहायता के साथ स्थानीय फर्म के सहयोग से निष्पादित किया जा रहा है।

3. एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

गतिशील परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जीआरएसई ने एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण किया है और निम्नलिखित की पहचान की है:--

ताकत:

(क) चार बड़े पोतों की जलावरण के बाद की फिटिंग के लिए समर्पित फिटिंग आउट जेटी।

(ख) आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 45001:2018, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 50001:2018 प्रमाणन।

(ग) 5 टन की नावों से लेकर 24600 टन के बेड़े के टैंकरों तक के पोतों के व्यापक स्पेक्ट्रम का उत्पादन करने की सिद्ध क्षमता।

(घ) डिजाइन सॉफ्टवेयर सहित एक सहज आईटी नेटवर्क के साथ अच्छे बुनियादी ढांचे के संदर्भ में पोत डिजाइन के लिए सिद्ध इन-हाउस क्षमता।

(ङ) विस्तृत डिजाइन और मूल्यांकन के लिए समर्पित वर्चुअल रियलिटी (वीआर) लैब।

(च) ई-प्रोक्योरमेंट और ई-नीलामी प्रणाली।

(छ) जीआरएसई एक लाभ कमाने वाली, लाभांश देने वाली और शून्य ऋण वाली कंपनी है।

(ज) एक अच्छी ऑर्डर बुक दृश्यता वाली वित्तीय रूप से मजबूत कंपनी।

(झ) भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल जैसे मुख्य ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध।

(ञ) नवीनतम परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर का लाभ उठाने वाला अच्छी तरह से स्थापित पीपी एंड सी विभाग।

(ट) रक्षा और वाणिज्यिक पोतों और इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में कई गुना वृद्धि के लिए समर्पित निर्यात सेल।

(ठ) जीआरएसई त्वरित नवाचार पोषण योजना (जीएआईएनएस) के माध्यम से पोत निर्माण में अभिनव समाधानों के विकास के लिए देश में स्टार्टअप इको सिस्टम की अपार क्षमता का लाभ उठाना।

(ड) अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के साथ समझौता ज्ञापन।

(ढ) हाई-स्पीड डीजल इंजन और वाटरजेट प्रणोदन प्रणाली के स्वदेशी विकास के लिए वैश्विक फर्मों के साथ समझौता ज्ञापन।

(ण) विभिन्न परिचालन गतिविधियों को करने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा होना।

कमजोरियां:

(क) नदी शिपयार्ड होने के नाते नदी में सिल्टिंग के प्रभाव के साथ नौगम्य चैनल की गहराई और चौड़ाई सीमित होने के कारण कठिनाइयाँ ।

(ख) संकीर्ण सड़कों वाले घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों में कंपनी का स्थित होना।

(ग) भारत के पूर्वी हिस्से में कमजोर पोत निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र।

अवसर

(क) भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल की अधिग्रहण योजना का उद्देश्य फ्लीट साइज़ का महत्वपूर्ण विस्तार करना है।

(ख) गृह मंत्रालय और आईडब्ल्यूएआई की अधिग्रहण योजना तथा सागरमाला और जल मार्ग विकास जैसी भारत सरकार की पहलों पर जोर।

(ग) ऋण सुविधा (एलओसी) के विस्तार सहित निर्यात पर जोर देने संबंधी सरकारी नीति।

(घ) विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीकी देशों और लैटिन अमेरिका में छोटे और मध्यम आकार के युद्धपोतों और गश्ती जलयानों के लिए निर्यात क्षमता।

(ङ) निर्यात के लिए युद्धपोतों और उभयचर पोतों में मुख्य योग्यता।

(च) भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए पोतों की मरम्मत और रिफिट में महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षमता।

(छ) निजी शिपयार्ड के साथ सहयोग के माध्यम से क्षमता और सामर्थ्य वृद्धि।

(ज) आक्रामक विपणन, क्षमता वृद्धि और उत्पाद विविधीकरण के माध्यम से ब्रिजों, इंजीनियरिंग उत्पादों और इंजनों में व्यापार की माला बढ़ाने की गुंजाइश।

(झ) विभिन्न प्रकार के जलयानों के बुनियादी डिजाइन विकसित करने की क्षमता जिसका उपयोग अन्य शिपयार्ड को डिजाइन और संबंधित सेवाएं प्रदान करने में किया जा सकता है, जिससे डिजाइन कार्यालय एक अलग लागत केंद्र बन सकता है।

(ञ) ऑटोनोमस जलयानों और हरित पोतों के लिए बढ़ता बाजार।

(ट) अन्य शिपयार्ड के साथ रणनीतिक सहयोग का लाभ उठाना, जैसे कि क्षमता का विस्तार करने के लिए मोडेस्ट शिपयार्ड के साथ समझौता ज्ञापन।

आशंकाएं

(क) निजी और सार्वजनिक शिपयार्ड से प्रतिस्पर्धा।

(ख) पोत निर्माण के हर चरण में ग्राहकों पर बड़ी निर्भरता।

(ग) प्रमुख पोत निर्माण गतिविधियों का समर्थन करने के लिए स्थानीय स्तर पर सहायक उद्योग की अपेक्षाकृत कम उपलब्धता।

(घ) समयसीमा पर संभावित प्रभाव के साथ, ग्राहक द्वारा विशिष्ट फर्मों के नामांकन के कारण उपकरण वितरण में देरी ।

(ङ) ग्राहक के स्वीकृत निर्माण विनिर्देश के संबंध में अनुरूपता का अभाव।.

(च) छोटे खिलाड़ियों से इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धा।

(छ) भारतीय पोत निर्माण उद्योग में उभरती निजी क्षेत्र की फर्में और भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के लिए पोत निर्माण/ पोत मरम्मत पर उनका प्रभाव।

उपरोक्त एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण से यह पता चलता है कि कंपनी को उपलब्ध अवसरों को अधिकतम करने के लिए प्रतिस्पर्धी लाभ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनी ताकत का लाभ उठाने की जरूरत है, साथ ही एक अच्छी तरह से विविध, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और विकास की दिशा में आंतरिक दक्षता और आधुनिक मानव संसाधन प्रथाओं में लगातार सुधार करना होगा। केंद्रित शिपयार्ड। कंपनी के पास रक्षा, वाणिज्यिक, तटीय सुरक्षा और अंतर्देशीय जल पोतो के निर्माण और पोत मरम्मत के क्षेत्र में भी अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। रक्षा के साथ-साथ वाणिज्यिक पोत निर्माण के लिए निर्यात बाजार में नए अवसर उभर रहे हैं जिनका प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण के माध्यम से लाभ उठाने की आवश्यकता है। तदनुसार, कंपनी की ताकत के आधार पर ऐसे अवसरों का दोहन करने और इसकी कमजोरियों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने पर कंपनी के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आधारभूत सुविधाओं तथा उत्पादन सुविधाओं की ताकत भरोसेमंद वेंडर विकास को सुदृढ़ करती है जो पोतनिर्माण में सहयोग दे सकें ताकि आने वाले अवसरों को काम में लगायी जा सके और प्रत्याशित आशंकाओं के प्रभाव को कम किया जा सके ।

4. हमारी रणनीतियां

हम अपनी प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियों का दोहन करने और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत रणनीतियों को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं:

(क) लागत में कमी और उत्पादकता और आंतरिक दक्षता में सुधार की दिशा में जोर ।

(ख) संचालन में नए युग की प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं ।

(ग) शिपयार्ड के व्यावसायिक संचालन में उद्योग 4.0 को उपयुक्त रूप से अपनाएं।

(घ) "समय पर" डिलीवरी और गुणवत्ता अपेक्षाओं से अधिक के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने पर ध्यान दें।

(ङ) युद्धपोत निर्माण में स्वदेशी सामग्री को अधिकतम उपयोग ।

(च) निर्माण अवधि को कम करने के लिए स्थानों और एकीकृत निर्माण सुविधा का इष्टतम उपयोग ।

(छ) निर्यात पर ध्यान केंद्रित करते हुए ठोस विपणन प्रयास के माध्यम से व्यवसाय विकास।

(ज) केंद्रित दृष्टिकोण के साथ संबद्ध इंजीनियरिंग व्यवसायों का विकास करना।

(झ) योग्यता अंतराल की पहचान और एक केंद्र बिन्दु पर समग्र व्यापार रणनीति रखते हुए कर्मचारियों को उपयुक्त समय पर उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के माध्यम से मानव संसाधन विकास को बढ़ाना ।

(ञ) पूर्वी क्षेत्र में पोत निर्माण गतिविधियों के लिए वाइवरेंट इकों सिस्टम के विकास की सुविधा बनाना।

(ट) हरित ऊर्जा प्लेटफार्मों और ऑटोनोमस व्हिक्ल्स सहित नई प्रौद्योगिकी उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पाद विविधीकरण ।

5. सेगमेंट-वाइज/ प्रोडक्ट-वाइज पर्फोर्मेंस

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपनी 23 फरवरी 2018 को जारी की गई अधिसूचना में रक्षा उत्पादन में लगे कंपनियों को खंड रिपोर्टिंग पर प्रासंगिक लेखा मानक के आवेदन की सीमा तक छूट दी । इसलिए, इस रिपोर्ट में सेगमेंट-वाइज/ प्रोडक्ट-वाइज पर्फोर्मेंस संलग्न नहीं हैं ।

6. आउटलूक

रक्षा पोत निर्माण खंड भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल की पोत अधिग्रहण योजनाओं के कारण आशाजनक दिख रहा है।

आपकी कंपनी मुख्य रूप से रक्षा पोत निर्माण क्षेत्र में है और बड़े, मध्यम और छोटे आकार के भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए आवश्यक पोतों में पर्याप्त विशेषज्ञता प्राप्त की है । सामान्यता: इसके द्वारा निर्मित पोतों के लिए इसे उत्कृष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त है । आपकी कंपनी ने 04 दिसंबर 2023 को अपना 109वां युद्धपोत (भारतीय तटरक्षक बल को एक फास्ट पेट्रोल वेसल) डिलीवर किया और इससे यह देश में एकमात्र शिपयार्ड बन गया है जिसने प्रतिष्ठित 100 का आकंड़ा पार करने की ऐसी उपलब्धि हासिल की है ।

जीआरएसई अपने सभी उत्पाद खंडों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में काम कर रहा है । रक्षा क्षेत्रों के उन ऑर्डरों के लिए निजी पोत निर्माण प्लेयर्स से सख्त प्रतिस्पर्धी हैं जहां से कंपनी को प्रमुख व्यवसाय मिलता है । सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय शिपयार्ड से प्रतिस्पर्धा के बावजूद, आपकी कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोत निर्माण के ऑर्डरों को सुरक्षित रखने के प्रयास जारी रखती है और विकास की गति को बनाए रख रही है ।

पोत मरम्मत गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए, रणनीतिक रूप से स्थित एसएमपी के 03 मौजूदा ड्राई डॉक को विकसित करने और उपयोग करने के लिए जीआरएसई और एसएमपी (केओपीटी) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) और उसके बाद एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस सुविधा की निकटता जीआरएसई के पोत मरम्मत प्रयासों को बढ़ावा देती है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान इस नई अधिग्रहीत सुविधा में कई वाणिज्यिक और साथ ही भारतीय तटरक्षक पोतो की डॉकिंग और मरम्मत/रीफिट सफलतापूर्वक की गई। उक्त समझौते के तहत, जीआरएसई और एसएमपीके, कोलकाता दोनों रक्षा और वाणिज्यिक क्षेत्रों में पोत की मरम्मत और रिफिट में नए व्यापार के अवसरों की खोज में एक गतिशील साझेदारी विकसित करने के लिए तत्पर हैं, जिससे राजस्व सृजन होगा और कौशल विकास, बुनियादी ढांचे के उन्नयन और रोजगार में योगदान मिलेगा। कोलकाता में पीढ़ी. यह सहयोग पोतो की मरम्मत और मरम्मत सहित अतिरिक्त पोत निर्माण गतिविधियों को शुरू करने के लिए जीआरएसई की भविष्य की रणनीति में भी योगदान देगा । कंपनी टीमों को मजबूत करके अपनी पोत मरम्मत गतिविधियों पर अतिरिक्त जोर दे रही है।

7. चुनौतियों का सामना करने के उपाय

निरंतर प्रदर्शन और विकास सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहलें की जाती हैं:

क) कारगर सामग्री प्रबंधन/आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

ख) विक्रेता विकास और दीर्घकालिक साझेदारी निर्माण

ग) समर्पित परियोजना प्रबंधन टीमों के निर्माण के माध्यम से पोत निर्माण परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन प्रणाली में सुधार।

घ) नई प्रौद्योगिकी अपनाने के माध्यम से पोत निर्माण प्रौद्योगिकी / प्रक्रियाओं को उन्नत करना

ङ) ब्रिज यूनिट, डेक मशीनरी यूनिट और डीजल इंजन प्लांट के उत्पादों को उन्नत करना

च) निर्यात के लिए ठोस विपणन प्रयास के माध्यम से विशेष रूप से लक्षित देशों में एमआर नियुक्त करके व्यवसाय विकास ।

छ) उत्पाद विविधीकरण

ज) निर्यात/विशेष परियोजनाओं के लिए रणनीतिक साझेदारी बनाना

झ) पोत मरम्मत (एसआर) व्यवसाय से वीओपी बढ़ाने के उपाय

ञ) पोर्टेबल पुलों, डेक मशीनरी, समुद्री पंप और डीजल इंजन व्यवसायों के वीओपी बढ़ाने के उपाय

ट) पीएलएम सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए 100% अनुपालन

ठ) राजस्व व्यय में कमी

ड) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) में सुधार

ढ) कुशल जोखिम विश्लेषण और शमन योजनाएं

ण) संचालन के बेहतर प्रबंधन के लिए नए युग की प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाएं

त) शिपयार्ड क्षमता में वृद्धि

थ) "नवाचार एवं नई प्रौद्योगिकी" विभाग का निर्माण

द) वाणिज्यिक पोत निर्माण विभाग का निर्माण।

8. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी परिचालन की प्रभावशीलता और दक्षता, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन को प्राप्त करने की दिशा में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण लागू करती है जो व्यवसाय की प्रकृति और आकार के लिए उपयुक्त है। आंतरिक नियंत्रण ढांचे को विश्वसनीय वित्तीय और परिचालन जानकारी रिकॉर्ड करने और प्रदान करने, लागू कानूनों का अनुपालन करने, परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने, उचित प्राधिकरण के साथ लेनदेन निष्पादित करने और कॉर्पोरेट नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंपनी ने अपने प्रत्येक कार्य के संचालन को निर्देशित करने, अपने व्यवसाय के संचालन में ईमानदारी सुनिश्चित करने, नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने, लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखने में सटीकता और पूर्णता, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम तथा पता लगाने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ और नीतियाँ निर्धारित की हैं। गतिशील और विकसित होते कारोबारी माहौल के लिए विभिन्न नीतियों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जाता है। इन नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रक्रिया स्वामी की हैं। निरंतर आंतरिक निगरानी तंत्र जोखिमों और मुद्दों की समय पर पहचान सुनिश्चित करते हैं।

कंपनी के पास एक आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है, जो कंपनी की प्रक्रियाओं और नीतियों के अनुपालन की निगरानी करता है। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति वार्षिक आंतरिक लेखा परीक्षा योजना की समीक्षा करती है, जिसमें मुख्य व्यवसाय संचालन, कॉर्पोरेट विभाग और सहायक कार्य शामिल होते हैं और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियों की रिपोर्ट निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को दी जाती है। महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियों और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट लेखा परीक्षा समिति को दी जाती है। कंपनी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन भी है। लेखा परीक्षा समिति आपकी कंपनी के आंतरिक नियंत्रण वातावरण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा करती है और लेखा परीक्षा सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

9. जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने मंडल द्वारा अनुमोदित एक मजबूत जोखिम प्रबंधन नीति और चार्टर लागू किया है।कंपनी के पास जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, उपचार और रिपोर्टिंग के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति और व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचा है। कंपनी की उद्यम जोखिम प्रबंधन ('ईआरएम') प्रक्रिया आईएसओ 31000 मानकों पर आधारित है । बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति ('आरएमसी') निरीक्षण प्रदान करती है और पूरे संगठन में ईआरएम ढांचे को लागू करने के लिए टोन सेट करती है । यह प्रमुख जोखिमों की स्थिति, सभी स्थानों पर ईआरएम कार्यान्वयन की प्रगति के साथ-साथ जोखिम प्रशासन की समीक्षा करता है । कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख जोखिमों का विश्लेषण जोखिम प्रबंधन संचालन समिति (आरएमएससी) द्वारा किया जाता है, जो जोखिम प्रबंधन ढांचे को अपनाने और लागू करने तथा कंपनी में जोखिम प्रबंधन पहल का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है । मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) आरएमसी एवं आरएमएससी के संयोजक हैं। यूनिट स्तर पर जोखिम प्रबंधन समितियाँ अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े जोखिमों का विश्लेषण करती हैं, शमन योजनाएँ तैयार करती हैं, कार्यान्वयन सुनिश्चित करती हैं और शीर्ष प्रबंधन को भी सूचित करती हैं । समिति समय-समय पर जोखिम प्रबंधन और शमन पर मंडल को अद्यतन करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यकारी प्रबंधन उचित रूप से डिजाइन किए गए ढांचे के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करता है ।

10. परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा और विश्लेषण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी के निष्पादन मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रू में)

विवरण	31 मार्च 24 तक के अनुसार	31 मार्च 23 तक के अनुसार
कुल आय	3,892.26	2,762.98
परिचालन से राजस्व	3,592.64	2,561.15
उत्पादन का मूल्य	3,588.46	2,547.84
कुल लाभ	533.74	350.87
कर पूर्व लाभ	480.92	305.22
कर व्यय	123.65	77.09
कर पश्चात लाभ	357.27	228.12
निवल मूल्य	1,673.44	1,413.82
प्रति शेयर बुक वैल्यू (रू में)	146.09	123.42
प्रति शेयर आय (रू में)	31.19	19.91
प्रति शेयर लाभांश (रू में)	9.36	6.20

अनुपात विश्लेषण:

अनुपात	31 मार्च 24 तक के अनुसार	31 मार्च 23 तक के अनुसार	भिन्नता का %
देनदार आवर्त	29.32	25.33	16
वस्तुसूची आवर्त	0.99	1.20	-18
ब्याज व्याप्ति आवर्त	42.86	48.10	-11
चालू अनुपात	1.12	1.08	4
ऋण इक्विटी अनुपात	0.005	0.007	-24
कुल लाभ मार्जिन(%)	13.71	12.70	8
शुद्ध लाभ मार्जिन (%)	9.94	8.26	12
निवल मूल्य पर लाभ (%)	23.14	17.08	36

(करोड़ रू में)

आयात और निर्यात	31 मार्च 24 तक के अनुसार	31 मार्च 23 तक के अनुसार
वर्ष के दौरान आयात	332.88	461.24
वर्ष के दौरान निर्यात	46.90	59.78

- **सकल राजस्व में** 40.87% की बढ़ोतरी दर्ज की गई जो 2022-23 में 2,762.98 करोड़ रू से बढ़कर 2023-24 में 3,892.26 करोड़ रू हुई।
- **उत्पादन का मूल्य** 40.84% की बढ़ोतरी दर्ज की गई जो 2022-23 में 2,547.84 करोड़ रू से बढ़कर 2023-24 में 3,588.46 करोड़ रू हुई।
- **निवल लाभ (कर पूर्व लाभ)** 57.57% की बढ़ोतरी दर्ज की गई जो 2022-23 में 305.22 करोड़ रू से बढ़कर 2023-24 में 480.92 करोड़ रू हुई।
- **नेट वर्थ पर रिटर्न:** कर के बाद लाभ (पीएटी) 2022-23 में ₹ 228.12 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 357.27 करोड़ हो गया, जिसके परिणामस्वरूप नेट वर्थ पर रिटर्न में वृद्धि हुई।
- **प्रति कर्मचारी मूल्य वृद्धि** 2022-23 के 54.60 लाख रू से बढ़कर 2023-24 में 80.97 लाख रू हुई ।
- **प्रति शेयर बुक वैल्यू** 2022-23 के 123.42 रू से बढ़कर 2023-24 में 146.09 रू हुई ।

11. मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंध

मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंधों के बारे में विवरण विशेष रूप से निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल हैं ।

12. मानवशक्ति

31 मार्च 2024 तक के अनुसार आपकी कंपनी की कर्मचारी शक्ति 1649 व्यक्तियों की थी ।

31 मार्च 2024 तक के अनुसार कुल कर्मचारी	अधिकारीयों	पर्यवेक्षकों	कार्यालय सहायक	वर्कमेन		
				प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल
1649	484	171	56	758	180	938

13. पर्यावरण संरक्षण

आपकी कंपनी स्वच्छ और हरित वातावरण के लिए सभी पहलुओं में योगदान देती है, जो कि क्लीनर प्रौद्योगिकियों में लाने और पुनरावृत्ति, पुन: उपयोग और दृष्टिकोण को कम करने के माध्यम से पर्यावरण को हरा-भरा करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को व्यवस्थित रूप से एकीकृत करती है। प्रवाह और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन किया जा रहा है। विभिन्न पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों जैसे कि जल संरक्षण, वृक्षारोपण, अपशिष्ट कचरे का निपटान और धातु स्क्रैप, ई-कचरा प्रबंधन और सौर ऊर्जा का उपयोग किया गया है।

14. संरक्षण ऊर्जा का प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

इस संबंध में प्रासंगिक जानकारी ' निदेशकों की रिपोर्ट ' में दी गई है ।

15. निगमित सामाजिक दायित्व और स्थिरता (सीएसआर)

इस संबंध में प्रासंगिक जानकारी सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट के खंड में दी गई है,जो 'परिशिष्ट - "ई" के रूप में निदेशकों की रिपोर्ट में दी गई है ।

सावधानी कथन - *कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, दृष्टिकोण, अपेक्षाओं, अनुमानों और अन्य से संबंधित प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिए गए कुछ कथन लागू कानूनों और विनियमों के अंतर्गत 'दूरदर्शी बयान' हो सकते है । वास्तविक परिणाम इस तरह की अपेक्षाओं, भविष्य की योजनाएं और अन्य से जो व्यक्त या निहित हो, से अलग हो सकते हैं । कई कारक कंपनी के परिचालन में महत्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं। इनमें जलवायु परिस्थितियों और मांग और आपूर्ति को प्रभावित करने वाली आर्थिक स्थितियां, सरकारी नियम और कराधान, प्राकृतिक आपदाएं आदि शामिल हैं, जिस पर कंपनी का कोई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है ।*

निगमित शासन पर रिपोर्ट

(वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए)

अंगीकृत निगमित शासन दर्शन

1. निगमित शासन हमारे शेयरधारकों के लिए दीर्घकालिक स्थायी मूल्य का निर्माण और वृद्धि है, जिसमें नैतिक रूप से संचालित व्यावसायिक प्रथाओं के माध्यम से नियामक, कर्मचारी, ग्राहक, विक्रेता, निवेशक और बड़े पैमाने पर समाज शामिल है। प्रभावी निगमित शासन प्रथाएं उस मजबूत नींव का निर्माण करती हैं जिस पर सफल वाणिज्यिक उद्यम टिके रहते हैं। मजबूत नेतृत्व और प्रभावी निगमित शासन प्रथाएं कंपनी का शासन दर्शन रहा है। हमारी निगमित संरचना, व्यवसाय और प्रकटीकरण प्रथाओं को हमारे निगमित शासन दर्शन के साथ जोड़ा गया है।

2. कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के तहत निगमित शासन और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश, 2010 (डीपीई दिशानिर्देश) के संबंध में यथा लागू आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है ।

निदेशक मंडल

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, आपकी कंपनी एक 'सरकारी कंपनी' है क्योंकि कुल चुकता पूंजी का 74.50% भारत के राष्ट्रपति के पास है। आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सभी निदेशकों की नियुक्ति/कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

4. कंपनी के निदेशक मंडल, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में, सर्वोच्च निकाय है जो आपकी कंपनी के समग्र कामकाज की देखरेख करता है। आपकी कंपनी का मंडल रणनीतिक निर्देश देता है और उनकी पूर्ति की जवाबदेही चाहता है। मंडल ने अपने "विजन" कथन को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना के संदर्भ में लक्ष्य निर्धारित किए हैं। यह शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने के लिए एक ट्रस्टी के रूप में आपकी कंपनी के प्रबंधन और प्रदर्शन की अंतिम जिम्मेदारी के साथ निहित है। मंडल के निर्णय आपकी कंपनी के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए उनके साथ जुड़े हुए है । मंडल ने निर्णय लेने की प्रक्रिया के सुचारू और कुशल प्रवाह की सुविधा के लिए उप-समितियों का गठन किया है।

मंडल का आकार और संरचना

5. कंपनी के मंडल में कार्यकारी (पूर्णकालिक) निदेशक, गैर-कार्यकारी (अंशकालिक सरकारी) सरकार द्वारा नामित निदेशक और गैर-कार्यकारी (अंशकालिक गैर-सरकारी) स्वतंत्र निदेशकों का संयोजन हैं । 31 मार्च 2024 तक, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन शामिल नहीं है। उक्त तिथि के अनुसार, मंडल में 07 निदेशक शामिल हैं जिनमें 04 पूर्णकालिक निदेशक, 01 सरकार द्वारा नामित निदेशक और 02 अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक शामिल हैं।

6. 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान आपकी कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशकों का नाम	नियुक्ति की तिथि	अन्य सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक पद की संख्या #		अन्य कंपनियों में धारित समिति की स्थिति की संख्या ##		अन्य सूचीबद्ध संस्था और श्रेणी में निदेशक पद
		अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य	
पूर्णकालिक / कार्यात्मक निदेशक (कार्यकारी)						
कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	10 जून 2022	-	-	-	-	-
श्री रमेश कुमार दाश निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	01 जुलाई 2020	-	-	-	-	-
कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त), निदेशक, (पोत निर्माण)	08 जून 2022	-	-	-	-	-
-डीआईजी सुब्रतो घोष, भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त), निदेशक (कार्मिक)[1]	20 जून 2023					
सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी)						
श्री राजीव प्रकाश, सरकार द्वारा नामित निदेशक संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली) [2]	23 जून 2022	-	02	-	-	बीईएमएल लिमिटेड (सरकार द्वारा नामित निदेशक, गैर-कार्यकारी)
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र निदेशक) (गैर-कार्यकारी)						
श्री संजय दत्तात्रेय पानसे	27 दिसंबर 2021	-	03	1	04	-
श्री संजीब मोहंती	06 अप्रैल 2022	-	-	-	-	-

निजी लिमिटेड कंपनियां, विदेशी कंपनियां, धारा 8 कंपनियां और वैकल्पिक निदेशक पद को छोड़कर ।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 26 के अनुसार, केवल लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की सदस्यता/अध्यक्षता पर विचार किया जाता है।

[1] 20 जून 2023 से कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त किया गया

[2] 29 अप्रैल 2024 से बीईएमएल लिमिटेड के सरकारी नामित निदेशक के पद से मुक्त हो गए

7. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में एक (1) कार्यकारी (पूर्णकालिक निदेशक) को शामिल किया गया है। नवनियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त बायोडाटा नीचे दिया गया है:

डीआइजी सुब्रोतो घोष, भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त)

डीआइजी सुब्रोतो घोष भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त) 25 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय तटरक्षक (भारतीय तटरक्षक) में सेवा देने के बाद, 2016 में कंपनी में शामिल हुए। उन्होंने 20 जून 2023 को कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में कार्यभार संभाला। निदेशक (कार्मिक) के रूप में कार्यभार संभालने के पूर्व, वह मुख्य महाप्रबंधक (बीबी और डीईपी) के रूप में कार्यरत थे।

डीआइजी सुब्रोतो घोष, भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त) दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा से बैचलर डिग्री के साथ एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग (मैकेनिकल मरीन) में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री भी हासिल की है। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी, पुणे से एडवांस मरीन इंजीनियरिंग कोर्स भी किया है।

भारतीय तटरक्षक में उनका शानदार करियर रहा है, जिसके दौरान उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित नियुक्तियां कीं, जिनमें मुख्य कर्मचारी अधिकारी (तकनीकी), प्रधान निदेशक (टीएस और आईटी) और परियोजना अधिकारी (पीसीवी) शामिल थे। उन्होंने भारतीय तटरक्षक बल में अपने करियर के दौरान छह अफलोट नियुक्तियां भी किया है।

जीआरएसई में महाप्रबंधक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक को तीन-तीन पोतों की सुपुर्दगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल के दौरान जीआरएसई का 100वां युद्धपोत राजाबागान डॉकयार्ड यूनिट से सुपुर्द किया गया था। उन्होंने बेली ब्रिज यूनिट के टर्नओवर को दोगुना करने का नेतृत्व किया और उसके बाद साल-दर-साल लगभग 20% राजस्व वृद्धि सुनिश्चित की।

डीआइजी सुब्रोतो घोष भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त) परस्पर विरोधी प्राथमिकताओं और कड़ी समयसीमा के तहत कई हितधारकों के साथ काम करने और बताए गए उद्देश्यों के अनुरूप परिणाम देने का सिद्ध अनुभव और क्षमता है। उनके पास पोत निर्माण के साथ-साथ पोत की मरम्मत का भी व्यापक अनुभव है।

उनका कंपनी के अन्य निदेशकों के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है। इसके अलावा, उनके पास कंपनी के 200 इक्विटी शेयर हैं।

अन्य निदेशक पद: शून्य

अन्य कंपनियों की समिति सदस्यता: शून्य

मुख्य मंडल विशेषज्ञता और कौशल

8. आपकी कंपनी में निदेशक भारत सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । वे भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देशानुसार कार्य करते हैं । आपकी कंपनी के मंडल में निदेशकों का चयन भारत सरकार द्वारा अपनाई गई एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है ।

9. आपकी कंपनी के मंडल में योग्य सदस्य शामिल हैं । उन्हें आवश्यक कौशल, क्षमता और विशेषज्ञता प्राप्त हैं जिसकी वजह से वे मंडल और उसकी समितियों में प्रभावी योगदान देने के लिए सक्षम हैं । निदेशक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि मंडल द्वारा निगमित प्रशासन के उच्चतम मानकों का अनुपालन किया जाता है । नीचे दी गई तालिका में मुख्य मंडल कौशल, विशेषज्ञता और विशेषज्ञताओं का सार है, जो मंडल की राय में, कंपनी के व्यवसाय के संदर्भ में आवश्यक हैं:

कौशल और गुण	विवरण
संगठनात्मक उद्देश्य	कंपनी के उद्योग इसके संचालन, देश की समुद्री जरूरतों, सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक, घरेलू और वैश्विक दोनों ही विनियामक और प्रतिस्पर्धा वातावरण को समझने की क्षमता, जिस के माध्यम से कंपनी अपने व्यवसायों के लिए अवसरों और खतरों की पहचान करने में सक्षम होती है । कंपनी के लिए एक प्रेरक विजन बनाने की दिशा में योगदान करने की क्षमता ।
वित्तीय और प्रबंधकीय कौशल	लेखांकन और वित्त, व्यापार निर्णय, सामान्य प्रबंधन प्रथाओं और प्रक्रियाओं, संकट प्रतिक्रिया और प्रबंधन, उद्योग ज्ञान, मैक्रो-आर्थिक दृष्टिकोण, मानव संसाधन, श्रम कानून और जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण में ज्ञान एवं कौशल ।
नीति मूल्यांकन	कानूनी पारिस्थितिकी तंत्र, सरकार के निर्देशों और कंपनी के व्यवसायों के लिए प्रयोज्यता के संदर्भ में नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने और समय-समय पर उसकी समीक्षा करने की क्षमता ।
निगमित शासन	विनियामक अनुपालन, मंडल और प्रबंधन की जवाबदेही के मामलों पर ज्ञान, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना, उपर्युक्त शासन प्रथाओं का पालन करना और इसके शोधन के लिए योगदान करना ।
प्रौद्योगिकी की समझ	प्रौद्योगिकी और नवाचार में उभरते रुझानों को समझना जो व्यवसाय पर प्रभाव डाल सकते हैं और आवश्यक हस्तक्षेपों को निर्देशित करने की क्षमता रखते हैं जिनका उपयोग व्यापार को अधिक प्रतिस्पर्धा और टिकाऊ बनाने में किया जा सकता है ।
संस्कृति निर्माण	एक नैतिक संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने, हितों के टकराव को खत्म करने और नैतिकता, अखंडता और संगठनात्मक आचरण के उच्चतम मानकों को स्थापित करने और बनाए रखने की दिशा में मंडल की भूमिका में योगदान देने की क्षमता ।

10. व्यक्तिगत निदेशकों के मुख्य कौशल, विशेषज्ञता और दक्षताओं की सूची नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	कौशल / विशेषज्ञता / दक्षता					
	संगठनात्मक उद्देश्य	वित्तीय और प्रबंधकीय कौशल	नीति मूल्यांकन	शासन प्रणाली	तकनीकी समझ	संस्कृति निर्माण
कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त)	√	√	√	√	√	√
श्री रमेश कुमार दाश	√	√	√	√	√	√
कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त)	√	√	√	√	√	√
डीआइजी सुब्रोतो घोष भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त)	√	√	√	√	√	√
श्री राजीव प्रकाश	√	√	√	√	-	√
श्री संजय दत्तात्रेय पानसे	√	√	√	√	-	√
श्री संजीब मोहंती	√	√	√	√	-	√

मंडल प्रक्रिया

11. मंडल बैठक समान्यतः प्रति तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती है और यदि आवश्यक समझा जाए तो इससे अधिक बैठकें की जाती है जो व्यापार करने में आसानी हेतु नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने, व्यापार विकास के लिए रणनीतियाँ बनाने, योजना नियंत्रण करने, शक्तियों का प्रत्यायोजन, आपकी कंपनी के कार्य निष्पादन का पुनर्विलोकन करने, उच्च मूल्य की मदों, छमाही/आवधिक परिणाम, वार्षिक लेखा, वार्षिक प्रचालन योजना, तथा बजट का अनुमोदन करने के साथ मंडल के समक्ष प्रस्तुत सांविधिक अपेक्षित मामलों पर विचार करने के लिए की जाती है।

12. आपकी कंपनी का विश्वास है कि सावधानी पूर्वक नियोजित कार्यसूची टिप्पणियाँ, प्रभावी मंडल बैठकों के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यसूची टिप्पणियों के साथ विस्तृत सूचना की पृष्ठभूमि दी जाती है ताकि मंडल निर्णय ले सके। कार्यसूची टिप्पणियों को समान्यतः मंडल के सदस्यों को समय रहते परिचालित कर दिया जाता है। मंडल के सदस्य अध्यक्ष से परामर्श करके किसी भी महत्वपूर्ण मामलों को मंडल को विचार करने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं । आवश्यकतानुसार कंपनी के वरिष्ठ कार्यपालकों को भी मंडल बैठक में उपस्थित होने तथा स्पष्टीकरण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है । अंशकालिक निदेशक मंडल बैठक के विचार विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा कंपनी को तकनीकी, वित्त, विपणन, लोक नीति तथा प्रचालन के क्षेत्र में अपना व्यापक अनुभव प्रदान करते हैं ।

बैठकें और उपस्थिति

13. वर्ष 2023-24 के दौरान मंडल की नौ (09) बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं:

क्रम संख्या	दिनांक	मंडल की संख्या शक्ति	वर्तमान निदेशकों की संख्या
1.	24 मई 23	06	4
2.	21 जुलाई 23	07	07
3.	11 अगस्त 23	07	06
4.	10 नवंबर 23	07	06
5.	20 दिसंबर 23	07	06
6.	29 दिसंबर 23	07	07
7.	22 जनवरी 24	07	07
8.	13 फरवरी 24	07	07
9.	26 मार्च 24	07	07

14. वर्ष के दौरान आयोजित किन्हीं दो मंडल बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल (90) दिन का था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित मंडल की बैठकों और वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	संबन्धित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति									उपस्थिति का%	22 सितंबर 23 को आयोजित अंतिम एजीएम में उपस्थिति
	24 मई 23	21 जुलाई 23	11 अगस्त 23	10 नवंबर 23	20 दिसंबर 23	29 दिसंबर 23	22 जनवरी 24	13 फरवरी 24	26 मार्च 24		
कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	✓
श्री रमेश कुमार दाश	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	✓
कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त	×	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	77.7	✓
डीआइजी सुब्रोतो घोष भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त) [1]	ला. न.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	✓
श्री राजीव प्रकाश	×	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	66.66	✓
श्री संजय दत्तात्रेय पानसे	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	✓
श्री संजीब मोहंती	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	✓

✓ - *उपस्थित* × - *अनुपस्थित* *ला.न. - लागू नहीं*

[1] 20 जून 2023 को कंपनी के निदेशक कार्मिक के रूप में नियुक्त किया गया

मंडल की समितियां

15. वर्तमान में, मंडल ने आपकी कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन में सहायता करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया के सुचारू और कुशल प्रवाह की सुविधा के लिए सात (7) उप-समितियों का गठन किया है। मंडल उप-समितियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) लेखा परीक्षा समिति;

(ख) मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति;

(ग) निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनिबिलिटी समिति;

(घ) शेयरधारक संबंध समिति;

(ङ) जोखिम प्रबंधन समिति

(च) प्रोक्योरमेंट समिति

(छ) विधि समिति

16. निदेशक मण्डल की उपरोक्त वर्णित उप समितियों के बारे में विवरण नीचे दिया गया है ।

मंडल की अनिवार्य समितियां

लेखा परीक्षा समिति

17. 31 मार्च 2024 तक निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति की संरचना निम्नानुसार है:

(क)	श्री संजय दत्तात्रेय पानसे *स्वतंत्र निदेशक*	अध्यक्ष
(ख)	श्री संजीब मोहंती *स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य
(ग)	कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त) *निदेशक (पोत निर्माण)*	सदस्य

18. निदेशक (वित्त) लेखापरीक्षा समिति के स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति का सचिव होते है। कंपनी के महाप्रबंधक (वित्त), अपर महाप्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा),सांविधिक लेखापरीक्षक (जब तिमाही और वार्षिक खातों पर चर्चा की जाती है) और आंतरिक लेखापरीक्षक (जब आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है) भी नियमित रूप से लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेते हैं।

19. लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में उल्लेखित तथा सेबी सूचीबद्ध विनियमन के अंतर्गत बनाए गए नियम व लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार है । समिति का प्रमुख कार्य है वित्तीय रिपोर्टों, आपकी कंपनी के वित्त, लेखा और विधि अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों की समीक्षा जिसे प्रबंधन और मण्डल ने नियत किया है और आपकी कंपनी की लेखा परीक्षा, लेखांकन और सामान्यता: वित्तीय रिपोर्टिंग की समीक्षा करके निदेशक मंडल की सहायता करना ।

20. लेखा परीक्षा समिति आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की समीक्षा करती है, सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ बैठक करती है और उनके निष्कर्षों, सुझावों और अन्य संबंधित मामलों पर चर्चा करती है और आपकी कंपनी द्वारा अनुसरण की जा रही प्रमुख लेखा नीतियों की समीक्षा करती है। लेखा परीक्षा समिति मंडल को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करती है । समिति व्हिसल ब्लोअर नीति के कामकाज और कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग कोड के प्रभावी कार्यान्वयन की भी समीक्षा करती है ।

21. लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष मंडल बैठकों के दौरान लेखा परीक्षा समिति की प्रेक्षण से मंडल को अवगत कराता है। लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त सूचना के लिए मंडल को इसकी अनुवर्ती बैठक में प्रस्तुत किया जाता हैं । वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई ।

22. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की सात (7) बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान बैठकें आयोजित की गईं और उनमें भाग लिया गया							उपस्थिति का %
	23-मई 23	21-जुलाई -23	11-अगस्त -23	06-अक्तूबर -23	10-नवंबर -23	29-दिसंबर -23	13-फरवरी -24	
श्री संजय दत्तात्रेय पानसे *स्वतंत्र निदेशक*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
श्री संजीब मोहंती *स्वतंत्र निदेशक*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त) [1] *निदेशक (पोत निर्माण)*	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	85.7

- उपस्थित ✓ × *- अनुपस्थित - ला.न. - लागू नहीं*

मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति

23. मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में तीन (3) गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। 31 मार्च 2024 तक निदेशक मंडल की मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना इस प्रकार थी ।

(क)	श्री संजीब मोहंती *स्वतंत्र निदेशक*	अध्यक्ष
(ख)	श्री संजय दत्तात्रेय पानसे *स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य
(ग)	श्री राजीव प्रकाश *सरकार द्वारा नामित निदेशक*	सदस्य

24. निदेशक (कार्मिक) समिति के स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

25. मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं: -

(क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित सीमा के भीतर वार्षिक बोनस / परिवर्तनीय वेतन पूल प्रदर्शन संबंधित वेतन (पीआरपी) और अधिकारियों (मंडल स्तर के अधिकारियों सहित) और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के बीच इसके वितरण के लिए नीति तय करना;

(ख) मानव संसाधन मुद्दे से संबंधित सभी प्रस्तावों की जांच करना और अपनी सिफारिशें देना;

(ग) मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों को अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है।

26. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सात (07) बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान बैठकें आयोजित की गईं और उनमें भाग लिया गया							उपस्थिति का %
	23-मई -23	21-जुलाई -23	27-सितंबर -23	10- नवंबर -23	29-दिसंबर-23	12- फ़रवरी -24	26- मार्च -24	
श्री संजीब मोहंती *स्वतंत्र निदेशक*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
श्री संजय दत्तात्रेय पानसे *स्वतंत्र निदेशक*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
श्री राजीव प्रकाश *सरकार द्वारा नामित निदेशक*	×	✓	✓	✓	✓	×	✓	71.43

- उपस्थित ✓ × *- अनुपस्थित - लागू नहीं*

27. वर्ष के दौरान मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशें मंडल द्वारा स्वीकार कर ली गईं है ।

28. निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन – निगमित मामलों के मंत्रालय ने मण्डल, इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2) और अनुसूची IV के पैरा VIII के प्रावधानों का अनुपालन करने से सरकारी कंपनियों को छूट दी है। आपकी कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों, सरकार द्वारा नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन रक्षा मंत्रालय (प्रशासनिक मंत्रालय) द्वारा लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और सस्टेनिबिलिटी समिति ("सीएसआर और एसडी समिति")

29. कंपनी अधिनियम 2013 तथा उसके तहत प्रतिपादित नियमों तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनेबिलिटी ("सीएसआर एवं एसडी") मार्गनिर्देशों के अनुरूप तैयार की गई निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनेबिलिटी नीति को आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने अनुमोदित कर दिया है। उक्त नीति के शर्तों के तहत एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन आपकी कंपनी के सीएसआर एवं एसडी क्रियाकलापों की योजना, कार्यान्वयन एवं निगरानी करने के लिए किया गया है।

30. सीएसआर और एसडी समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं: -

(क) कंपनी अधिनियम 2013 के शिड्यूल-VII में यथानिर्धारित एक निगमित सामाजिक दायित्व एवं सास्टेनेबिलिटी नीति तैयार करना और मण्डल को सिफ़ारिश करना,जिसमें आपकी कंपनी द्वारा ली जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख होगा।

(ख) सीएसआर गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश ;

(ग) अपनी कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और सस्टेनेबिलिटी नीति और समय-समय पर इसके प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी ।

31. 31 मार्च 2024 के अनुसार निदेशक मण्डल की सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन निम्नानुसार है:

(क)	श्री संजीब मोहंती *स्वतंत्र निदेशक*	अध्यक्ष
(ख)	कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त), *निदेशक, (पोत निर्माण)*	सदस्य
(ग)	डीआइजी सुब्रोतो घोष भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त) [1] *निदेशक (कार्मिक)*	सदस्य

[1] *28 जून 2023 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल*

32. *कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।*

33. *वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर एवं एसडी कमेटी की तीन (3) बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर और एसडी समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:*

निदेशक का नाम	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान बैठकें आयोजित की गईं और उनमें भाग लिया गया			उपस्थिति का %
	20-जुलाई-2023	9-नवंबर-2023	12-फरवरी-2024	
श्री संजीब मोहंती [1] स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	✓	___ 100
कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त), निदेशक, (पोत निर्माण)	✓	X	✓	___ 66.66
डीआइजी सुब्रोतो घोष भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त) [2] निदेशक (कार्मिक)	✓	✓	✓	___ 100

- उपस्थित ✓ × *- अनुपस्थित - ला.न. - लागू नहीं*

[1] 28 जून 2023 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल

शेयरधारक संबंध समिति

34. शेयरधारक संबंध समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियम 20 के अनुरूप किया गया था।

35. सेबी लिस्टिंग नियमों के अनुरूप, शेयरधारकों के संबंध समिति के संदर्भ की शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) शेयरों के हस्तांतरण/प्रसारण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए/डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने, सामान्य बैठक आदि से संबंधित शिकायतों सहित सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान करना;

(ii) शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा;

(iii) रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में आपकी कंपनी द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा;

(iv) आपकी कंपनी द्वारा दावा नहीं किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और लाभांश वारंट / वार्षिक रिपोर्ट / सांविधिक नोटिस के समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा करना ।

36. 31 मार्च 2024 तक के अनुसार निदेशक मंडल की शेयरधारक संबंध समिति की संरचना इस प्रकार है:

(क)	श्री संजीब मोहंती *स्वतंत्र निदेशक*	अध्यक्ष
(ख)	श्री रमेश कुमार दाश *निदेशक (वित्त)*	सदस्य
(ग)	डीआइजी सुब्रोतो घोष भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त) [1] *निदेशक (कार्मिक)*	सदस्य

[1] 28 जून 2023 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल

37. कंपनी सचिव शेयरधारक संबंध समिति के सचिव के रूप में कार्य करते है, और वह अनुपालन अधिकारी भी है।

38. वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल की हितधारकों की संबंध समिति की एक (1) बैठक आयोजित की गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान शेयरधारक संबंध समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति	उपस्थिति का%
	12 फरवरी 2024	
श्री संजीव मोहंती *स्वतंत्र निदेशक*	✓	___ 100
श्री रमेश कुमार दाश *निदेशक (वित्त)*	✓	___ 100
डीआइजी सुब्रोतो घोष भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त)[1] *निदेशक (कार्मिक)*	✓	___ 100

✓ *- उपस्थित* × *- अनुपस्थित - ला.न.-लागू नहीं*

[1] *28 जून 2023 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल*

39. अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम - सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार, मंडल ने कंपनी सचिव श्री संदीप महापात्रा को अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है।

40. 31 मार्च 2024 तक निवेशक शिकायतों की स्थिति और सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 13 (3) के तहत रिपोर्ट की गई स्थिति निम्नानुसार है:

01 अप्रैल 2023 तक शिकायतें	0
वर्ष के दौरान प्राप्त	4
वर्ष के दौरान हल किया गया	4
शेयरधारकों की संतुष्टि के लिए हल नहीं	0
31 मार्च 2024 तक लंबित	0

जोखिम प्रबंधन समिति

41. जोखिम प्रबंधन समिति का गठन सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 21 के अनुरूप किया गया ।

42. जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य जोखिम सहित कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए एक ढांचा।

(ख) पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय ;

(ग) कारोबार निरंतरता योजना।

(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं;

(iii) जोखिम प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करना; सुनिश्चित करें कि कंपनी चल रही और नई व्यावसायिक गतिविधियों दोनों में जोखिमों और पुरस्कारों के बीच विवेकपूर्ण संतुलन प्राप्त करने के लिए उचित उपाय कर रही है।

(iv) दो साल में कम से कम एक बार, समय-समय पर जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा करने जिसमें, बदलते उद्योग की गतिशीलता और विकसित जटिलता पर विचार करना भी शामिल है ;

(v) कंपनी के भीतर जोखिम प्रबंधन कार्य की प्रकृति भूमिका उत्तरदायित्व और प्राधिकार की समीक्षा और मूल्यांकन करना और जोखिम प्रबंधन कार्य के दायरे की रूपरेखा तैयार करना।

(vi) निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और सामग्री के बारे में सूचित करना; जोखिम रणनीतियों, नीतियों, ढांचे, मॉडल और प्रक्रियाओं को स्थापित करने में मंडल की सहायता करना।

(vii) जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति और हटाने की सिफारिश/समीक्षा करना ।

(viii) जोखिम प्रबंधन समिति के पास, यदि वह आवश्यक समझे किसी भी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करने, बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करने और प्रासंगिक विशेषज्ञता के साथ बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का अधिकार होगा ।

43. 31 मार्च 2024 को निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना इस प्रकार है:

(क)	श्री रमेश कुमार दाश निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष
(ख)	कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त) निदेशक, (पोत निर्माण)	सदस्य
(ग)	डीआइजी सुब्रोतो घोष भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त) [1] निदेशक (कार्मिक)	सदस्य
(घ)	श्री संजय दत्तात्रेय पानसे स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
(ङ)	श्री सुनील कुमार पनागदन [2] मुख्य जोखिम अधिकारी	सदस्य
(च)	श्रीमती मधुमिता खसनोबिस [3] जोखिम समन्वयक	सदस्य सचिव

[1] 28 जून 2023 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल

[2] 23 जून 2023 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल

[3] 17 अप्रैल 2023 से समिति के सदस्य और सचिव के रूप में शामिल

44. जोखिम समन्वयक सदस्य और समिति के सचिव भी हैं।

45. वर्ष 2023-24 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की दो (2) बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति		उपस्थिति का%
	11 अगस्त 23	05 फरवरी 24	
श्री रमेश कुमार दाश निदेशक (वित्त)	✓	✓	___ 100
कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त) [1] निदेशक, (पोत निर्माण)	✓	✓	___ 100
डीआइजी सुब्रोतो घोष भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त) [1] निदेशक (कार्मिक)	✓	X	___ 50
श्री संजय दत्तात्रेय पानसे स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	___ 100
श्री सुनील कुमार पनागदन [2] मुख्य जोखिम अधिकारी	✓	✓	___ 100
श्रीमती मधुमिता खसनोबिस [3] जोखिम समन्वयक	✓	✓	___ 100

✓ - उपस्थित × - अनुपस्थित - ला.न. - लागू नहीं

[1] 28 जून 2023 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल

[2] 23 जून 2023 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल

[3] 17 अप्रैल 2023 से समिति के सदस्य और सचिव के रूप में शामिल

मंडल की अन्य समितियां

प्रोक्योरमेंट समिति

46. प्रोक्योरमेंट समिति को निम्नलिखित के संबंध में मंडल की पूर्ण शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं:

(क) स्वीकृत परियोजनाओं के लिए सामग्री, उपकरण, टूल्स, स्टोर और पुर्जों की खरीद, रूसी स्रोतों सहित आयात, कार्यों की स्वीकृति, उप-अनुबंध और सुविधा किराया आदि के लिए आदेश देने के लिए ₹30 करोड़ से अधिक और 100 करोड़ के मूल्य तक के प्रस्तावों का अनुमोदन।

(ख) मंडल/सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजीगत बजट में प्रदान की गई मदों के संबंध में ₹5 करोड़ से अधिक के पूंजीगत व्यय के प्रस्तावों का अनुमोदन ।

(ग) प्रोक्योरमेंट समिति आपकी कंपनी के प्रोक्योरमेंट नियमावली, सीवीसी दिशानिर्देशों, सरकारी विनियमों आदि के अनुपालन में सभी प्रोक्योरमेंट प्रस्तावों की जांच करती है और ऐसे प्रस्तावों के लिए अपनी स्वीकृति देती है। प्रक्रियाओं से किसी भी विचलन की स्थिति में, समिति की सिफारिशों के साथ प्रस्ताव अनुमोदन के लिए मंडल के समक्ष रखा जाता है। तथापि, यदि समिति को लगता है कि किसी विशेष प्रस्ताव पर मंडल द्वारा विचार करने की आवश्यकता है, तो उसे समिति की सिफारिशों के साथ मंडल को प्रस्तुत किया जाता है।

(घ) प्रोक्योरमेंट समिति द्वारा अनुमोदित समस्त प्रोक्योरमेंट प्रस्तावों को मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

47. 31 मार्च 2024 तक के अनुसार निदेशक मंडल की प्रोक्योरमेंट समिति की संरचना इस प्रकार है:

(क)	कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त) *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*	अध्यक्ष
(ख)	श्री संजय दत्तात्रेय पानसे *स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य
(ग)	श्री रमेश कुमार दाश *निदेशक (वित्त)*	सदस्य
(घ)	कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त) *निदेशक, (पोत निर्माण)*	सदस्य

48. कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

49. प्रोक्योरमेंट समिति के अध्यक्ष मंडल की बैठक के दौरान प्रोक्योरमेंट समिति की टिप्पणियों के बारे में मंडल को अवगत कराते हैं।

50. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रोक्योरमेंट समिति की छः (6) बैठकें हुई। वित्तीय 2023-24 के दौरान प्रोक्योरमेंट समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति						उपस्थिति का%
	04 मई 2023	24 मई 2023	11 अगस्त 2023	12 सितंबर 2023	06 अक्तूबर 2023	13 फरवरी 2024	
कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	✓	✓	✓	X	✓	✓	83.33
श्री संजय दत्तात्रेय पानसे स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
श्री रमेश कुमार दाश निदेशक (वित्त)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त),[1] निदेशक, (पोत निर्माण)	✓	X	✓	✓	✓	✓	83.33

✓ - *उपस्थित* × - *अनुपस्थित ला.न.* - *लागू नहीं*

विधि समिति

51. निदेशक मंडल की विधि समिति का गठन कंपनी के कराधान मामलों के अलावा विधि मामलों की समीक्षा, निगरानी और उचित कार्रवाई हेतु सुझाव देने के लिए की गई ।

52. 31 मार्च 2024 तक निदेशक मंडल की विधि समिति की संरचना इस प्रकार है:

(क)	श्री संजीब मोहंती स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
(ख)	श्री संजय दत्तात्रेय पानसे स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
(ग)	डीआइजी सुब्रोतो घोष भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त)[1] निदेशक (कार्मिक)	सदस्य

[1] *28 जून 2023 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल*

53. कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

54. वर्ष 2023-24 के दौरान विधिक समिति की तीन (3) बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष 2023-24 के दौरान विधिक समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति			उपस्थिति का%
	21-जुलाई-2023	27-सितंबर-2023	12-फरवरी-2024	
श्री संजीब मोहंती स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	✓	100
श्री संजय दत्तात्रेय पानसे स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	✓	100
डीआइजी सुब्रोतो घोष भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त)[1] निदेशक (कार्मिक)	✓	✓	✓	100

✓ - *उपस्थित* × - *अनुपस्थित ला.न.* - *लागू नहीं*

[1] *28 जून 2023 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल*

वरिष्ठ प्रबंधन

55. सेबी लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची V के खंड 5बी के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	नाम	पद का नाम	वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन
सीएफओ और सीएस			
1.	श्री रमेश कुमार दाश	निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	-
2.	श्री संदीप महापात्र	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी	-
वरिष्ठ प्रबंधन			
3.	श्री वेंकटेश मूर्ति	मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी)	-
4.	कमोडोर रजत मनचंदा, भा.नौ (सेवानिवृत्त)	मुख्य महाप्रबंधक (योजना – एसवीएल और एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी)	-
5.	कमांडर भास्कर सेनगुप्ता, भा.नौ (सेवानिवृत्त)	मुख्य महाप्रबंधक (सीपी एवं सीसी)	-
6.	कैप्टन पी सुनीलकुमार भा.नौ (सेवानिवृत्त)	मुख्य महाप्रबंधक (बीडीएम एवं सीएसबी)	-
7.	श्री श्रीनिवास सामवेदम	मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)	01 जुलाई 2023 को पदोन्नत किए गए 31 जुलाई 2023 को सेवानिवृत्त हुए
8.	कमांडर बी मिश्रा, भा.नौ (सेवानिवृत्त)	मुख्य महाप्रबंधक (मेन वर्क्स)	01 अगस्त 2023 को पदोन्नत किए गए
9.	कमोडोर राजीव श्रीधरन, भा.नौ (सेवानिवृत्त)	मुख्य महाप्रबंधक (पीएस-एनजीओपीवी, आई एंड एनटी)	-
10.	कमोडोर. इंद्रजीत दासगुप्ता, भा.नौ (सेवानिवृत्त)	मुख्य महाप्रबंधक (एसआर एवं टीयू)	-
11.	कमोडोर विकास कौशल, भा.नौ (सेवानिवृत्त)	मुख्य महाप्रबंधक (पीएस-पी17ए)	03 अक्टूबर 2023 को नियुक्त
12.	कमांडेंट ए.के. बिस्वास, भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त)	महाप्रबंधक (आरबीडी)	31 अक्टूबर 2023 को सेवानिवृत्त हुए
13.	श्री गुलशन रतन	महाप्रबंधक (क्यूए, वीडी और	स्वदेशीकरण)
14.	श्री सुजॉय चक्रवर्ती	महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)	-
15.	कमोडोर. विनीत एराट, भा.नौ (सेवानिवृत्त)	महाप्रबंधक (डिजाइन)	-
16.	श्रीमती सुचिता नंदी	महाप्रबंधक (संविदा)	31 अक्टूबर 2023 को सेवानिवृत्त हुए
17.	श्रीमती लिपि दास	महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)	-
18.	श्रीमती अपराजिता घोष	महाप्रबंधक (वित्त)	-
19.	श्री एन. प्रथीपन	महाप्रबंधक (बेली ब्रिज)	01 जुलाई 2023 को पदोन्नत किए गए
20.	कमांडर गौरव पांडे, भा.नौ (सेवानिवृत्त)	महाप्रबंधक (पीएमटी-पी-17ए)	01 जुलाई 2023 को पदोन्नत किए गए
21.	कमांडर मनोज कुमार गुप्ता, भा.नौ (सेवानिवृत्त)	महाप्रबंधक (एमटीएल.एससीसी.एचपी एवं आईपी)	01 अगस्त 2023 को पदोन्नत किए गए
22.	श्री राजीव श्रीवास्तव	महाप्रबंधक (मानव संसाधन)	03 अक्टूबर 2023 को नियुक्त किए गए
23.	श्री संजय कुमार	महाप्रबंधक (प्रभारी) – (वित्त - बैंकिंग)	20 अक्टूबर 2023 को पदोन्नत किए गए
24.	कमांडर सतीश चंद्र झा, भा.नौ (सेवानिवृत्त)	अपर महाप्रबंधक प्रभारी (आरबीडी यूनिट)	01 नवंबर 2023 को कार्यभार ग्रहण किए

पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक

56. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) होने के नाते, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, जिसमें कार्यकाल, पारिश्रमिक पैकेज और नियुक्ति के अन्य नियम और शर्तों को दर्शाया जाता है। कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति आमतौर पर पद के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से या उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 5 साल की अवधि के लिए की जाती है। अनुबंध की अवधि से पहले सेवा छोड़ने की स्थिति में नोटिस अवधि 3 महीने है या नोटिस अवधि के अभाव में 3 महीने का वेतन माफ किया जा सकता है।

57. आपकी कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों को ऐसे पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा में समय-समय पर निर्धारित किए जाते है । मंडल स्तर के अधिकारियों के वेतन और भत्तों का भुगतान उपरोक्त विषय पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों की नियुक्ति की शर्तों और जीआरएसई के नियमों के अनुसार अन्य लाभों और अनुलाभों के अनुसार किया जाता है। मंडल स्तर से नीचे के अधिकारियों गैर यूनियनकृत पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार और प्रशासनिक मंत्रालय यानी रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है। कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए लागू नीति के अनुसार कंपनी के कर्मचारियों के रूप में पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों को प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन यानी प्रदर्शन संबंधित वेतन (पीआरपी) देय हैं।

58. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

निदेशक का नाम	वेतन*	अनुलाभ	पीएफ/ग्रेच्युटी/पेंशन में कंपनी का योगदान	प्रदर्शन से संबंधित भुगतान	कुल
कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	58.50	0.82	7.53	9.63	**76.48**
श्री रमेश कुमार दाश निदेशक (वित्त) और सीएफओ	34.23	3.22	5.65	6.31	**49.41**
कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त),निदेशक, (पोत निर्माण)	67.98	0.32	8.44	6.28	**83.02**
डीआइजी सुब्रोतो घोष भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त) [1] निदेशक (कार्मिक)	38.89	0.27	5.41	4.84	**49.41**

** वेतन में बकाया शामिल है*

[1] 20 जून 2023 से कंपनी के निदेशक (कार्मिक) (पूर्णकालिक निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया।

59. वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया गया था।

अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक

60. सरकार द्वारा नामित निदेशक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह सरकार के अगले आदेश तक इस पद पर बने रहते हैं। वे किसी भी पारिश्रमिक या सिटिंग शुल्क के हकदार नहीं हैं।

61. निदेशक मंडल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त या पुनर्नियुक्त, आमतौर पर तीन (03) वर्षों की अवधि के लिए की जाती हैं । उन्हें मंडल और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए सिटिंग शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है। कंपनी निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 20,000/- और निदेशक मंडल की उप-समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 15,000/- का भुगतान करती है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों की सिटिंग शुल्क बढ़ाकर 25,000 रुपये और निदेशक मंडल की उप-समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 20,000 रुपये कर दी है। इसके अलावा, कंपनी मंडल और अन्य समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा/आवास व्यय की प्रतिपूर्ति भी करती है।

62. कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने के मानदंड कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/wp-content/uploads/2022/04/Terms-and-Conditions-of-Appt-of-Non-Executive-Directors.pdf पर प्रकट किए गए हैं।

63. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई सिटिंग शुल्क इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

स्वतंत्र निदेशक का नाम	मंडल बैठक	समिति की बैठकें	कुल पारिश्रमिक
श्री संजय दत्तात्रेय पानसे	1.95	3.90	**5.85**
श्री संजीब मोहंती	1.95	3.45	**5.40**

64. इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अंशकालिक निदेशकों का कंपनी के साथ कोई अन्य आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं रहा है।

65. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों के पास कंपनी में कोई शेयर नहीं है।

मूल्यांकन पैमाना

66. चूंकि मंडल स्तर पर नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं , इसलिए ऐसे नियुक्तियों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

67. वर्ष 2023-24 के दौरान 20 जनवरी 2024 को स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक की गई।

स्वतंत्र निदेशकों की स्वतंत्रता की पुष्टि

68. कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के तहत कंपनी के प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) में निर्धारित अपनी स्वतंत्रता के मानदंडों के अनुसार अनुसरण करते हैं।

69. मंडल की राय में, स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्ध करने की `बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं ।

वार्षिक आम बैठक

70. आपकी कंपनी की विगत तीन (3) वार्षिक आम बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	तिथि और समय	स्थान	विशेष संकल्प पारित
2020-21	10 सितंबर 21 10.30 बजे	पंजीकृत कार्यालय जीआरएसई भवन, 61 गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / ऑडियो विजुअल मोड के माध्यम से)	बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं हुआ
2021-22	26 सितंबर 22 10.30 बजे	पंजीकृत कार्यालय जीआरएसई भवन, 61 गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / ऑडियो विजुअल मोड के माध्यम से)	बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं हुआ
2022-23	22 सितंबर 23 10.30 बजे	पंजीकृत कार्यालय जीआरएसई भवन, 61 गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / ऑडियो विजुअल मोड के माध्यम से)	बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं हुआ

पोस्टल बैलेट

71. वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कोई पोस्टल बैलेट आयोजित नहीं किया गया था ।

72. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान , कंपनी ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से शेयरधारकों की मंजूरी मांगी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(i) पोस्टल बैलेट दिनांक 12 मई 2022

क्र.सं.	संकल्प का प्रकार	संकल्प का विवरण
1	विशेष संकल्प	कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री संजय दत्तात्रेय पानसे (डीआईएन: 02725875) की नियुक्ति
2	विशेष संकल्प	कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री संजीब मोहंती (डीआईएन: 09559883) की नियुक्ति

कपनी के निदेशक मंडल ने मेसर्स ए.के. लाभ एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज के प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एफसीएस: 4848 / सीपी नं.: 3238) श्री ए.के. लाभ को पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है ।

ई-वोटिंग की अवधि गुरुवार, 26 मई, 2022 (सुबह 9 बजे) से शुरू होकर शुक्रवार, 24 जून, 2022 (शाम 5 बजे) तक चलेगी। उपर्युक्त प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट के परिणाम पर समेकित रिपोर्ट शनिवार, 25 जून, 2022 को जांचकर्ता द्वारा प्रदान की गई। उपर्युक्त प्रस्तावों को अपेक्षित बहुमत से पारित किया गया और ई-वोटिंग के परिणाम 25 जून 2022 को घोषित किए गए।

उपर्युक्त संकल्प(ओं) पर ई-वोटिंग का विवरण नीचे दिया गया है::

प्रस्तावों	पक्ष में			ख़िलाफ़		
	मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या	डाले गये वैध मतों की संख्या	%	मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या	डाले गये वैध मतों की संख्या	%
कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री संजय दत्तात्रेय पानसे (डीआईएन: 02725875) की नियुक्ति	370	9,65,65,370	99.98	22	17,100	0.02
कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री संजीब मोहंती (डीआईएन: 09559883) की नियुक्ति	351	9,47,33,870	98.10	41	18,31,600	1.90

(ii) पोस्टल बैलेट दिनांक 26 जुलाई 2022

क्र.सं.	संकल्प का प्रकार	संकल्प का विवरण
1	साधारण संकल्प	कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 09631817) को पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति की पुष्टि । कंपनी के निदेशक (पोत निर्माण) के रूप में नामित किया गया है।
2	साधारण संकल्प	कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कमोडोर हरि पीआर, भा.नौ (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 08591411) की नियुक्ति की पुष्टि
3	साधारण संकल्प	कंपनी के सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री राजीव प्रकाश (डीआईएन: 08590061) की नियुक्ति की पुष्टि
4	विशेष संकल्प	कंपनी की उधार लेने की शक्तियाँ
5	विशेष संकल्प	उधार लेने के संबंध में कंपनी की संपत्ति पर सुरक्षा/प्रभार का निर्माण

कंपनी के निदेशक मंडल ने मेसर्स ए.के. लाभ एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज के प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एफसीएस: 4848 / सीपी नं.: 3238) श्री ए.के. लाभ को पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है ।

ई - वोटिंग की अवधि रविवार, 31 जुलाई, 2022 (सुबह 9.00 बजे) से शुरू होकर सोमवार, 29 अगस्त 22 (शाम 5.00 बजे) को समाप्त होगी। उपरोक्त प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र के परिणाम पर समेकित रिपोर्ट मंगलवार, 30 अगस्त 22 को जांचकर्ता द्वारा प्रदान की गई थी। उपरोक्त प्रस्तावों को अपेक्षित बहुमत से पारित किया गया और ई-वोटिंग के परिणाम मंगलवार, 30 अगस्त 22 को घोषित किए गए।

उपर्युक्त संकल्पों पर ई-वोटिंग का विवरण यहां दिया गया है:

प्रस्तावों	पक्ष में			ख़िलाफ़		
	मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या	डाले गये वैध मतों की संख्या	%	मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या	डाले गये वैध मतों की संख्या	%
कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 09631817) को पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति की पुष्टि । कंपनी के निदेशक (पोत निर्माण) के रूप में नामित किया गया है।	481	1,05,05,593	97.64	38	2,54,334	2.36
कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कमोडोर हरि पीआर, भा.नौ (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 08591411) की नियुक्ति की पुष्टि	483	1,07,18,389	99.62	34	40,968	0.38
कंपनी के सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री राजीव प्रकाश (डीआईएन: 08590061) की नियुक्ति की पुष्टि	472	86,74,235	80.62	44	20,85,022	19.38
कंपनी की उधार लेने की शक्तियाँ	482	107,56,808	99.97	34	3,438	0.03
उधार लेने के संबंध में कंपनी की संपत्ति पर सुरक्षा/प्रभार का निर्माण	481	107,56,727	99.97	35	3,519	0.03

73. आगामी एजीएम में लेन-देन के लिए प्रस्तावित किसी भी व्यवसाय को पोस्टल बैलेट के माध्यम से विशेष संकल्प पारित करने की आवश्यकता नहीं है ।

पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया

74. पोस्टल बैलेट धारा 108, 110 में निहित प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 के साथ पठित, के अनुसार संचालित किया जाता है । शेयरधारकों को भौतिक बैलेट या ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान किया जाता है । पोस्टल बैलेट सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारकों को ईमेल पते पर भेजा जाता है, जहां ईमेल पते उपलब्ध हो या जहां ईमेल पते उपलब्ध नहीं हैं भौतिक रूप में अनुमत माध्यम से भेजा जाता है । कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी सूचीकरण विनियमो के तहत कंपनी आवश्यकताओं के अनुसार समाचार पत्रों में एक सूचना भी प्रकाशित करती है ।

75. कट-ऑफ तारीख तक इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरहोल्डर्स इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मतदान अवधि के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से या पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने वोट डाल सकते हैं । मतों की जांच पूरी होने के बाद, संवीक्षाकर्ता अपनी रिपोर्ट सभापति को सौंपता है और मतदान अवधि के समापन के 48 घंटे के भीतर पोस्टल बैलट द्वारा मतदान के परिणाम की घोषणा की जाती है। परिणाम कंपनी के वैबसाइट (www.grse.in) पर प्रदर्शित होते हैं , और स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों को सूचित किए जाते हैं । यदि अपेक्षित बहुमत से पारित किए गए संकल्पों को विधिवत रूप से पूर्ण डाक मतपत्रों की प्राप्ति या ई-वोटिंग के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि पर पारित किया गया है ।

निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम और प्रशिक्षण

76. निदेशकों के लिए परिचित कार्यक्रम आमतौर पर मंडल प्रक्रिया का हिस्सा होता है । सभी नए निदेशकों को मंडल के लिए उनके पदभारग्रहण करने के समय कंपनी के संचालन का अवलोकन प्रदान किया जाता है। वे उन्मुखीकरण सत्र के माध्यम से आपकी कंपनी की संस्कृति, मूल्यों और प्रतिबद्धताओं से परिचित हुए हैं । निगमित प्रशासन के विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उन्हें नियमित रूप से प्रोत्साहित और सहायता प्रदान की जाती है । इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों मंडल / समिति की बैठकों में समय-समय पर निम्नलिखित आधार पर अद्धतन किया जाता है :

- उद्योग की प्रकृति जिसमें कंपनी संचालित होती है;
- कंपनी के विभिन्न व्यावसायिक प्रभागों का व्यावसायिक वातावरण और परिचालन मॉडल जिसमें महत्वपूर्ण घटनाक्रम शामिल हैं;
- कंपनी पर प्रभाव रखने वाले विनियामक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन ।

77. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम का विवरण https://grse.in/board-of-directors-and-committees/Familiarisation_Programme_2023-24.pdf पर देखा जा सकता है ।

मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचार संहिता और नैतिकता

78. लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने बेहतर निगमित शासन तथा स्पष्ट/पारदर्शी प्रथाओं हेतु मण्डल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन हेतु व्यवसाय आचरण एवं नीति शास्त्रीय कोड' निर्मित किया

है। उसकी प्रतिलिपि सभी संबंधितों को परिचालित कर दी गई है तथा कंपनी की वैबसाइट में दर्शाया गया है। मण्डल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक जिन पर उक्त कोड लागू होता है, ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु इसकी अनुपालन करने की प्रतिज्ञा की । आपकी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षर की गई इस आशय की घोषणा इस रिपोर्ट के अंत में संलग्न है।

इनसाइडर ट्रेडिंग कोड

79. सेबी के (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी के संबंध में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के इनसाइडर ट्रेडिंग और उचित प्रकटीकरण की रोकथाम के लिए कंपनी की आचार संहिता को मंजूरी दे दी है, अन्य बातों के साथ, नामित व्यक्तियों द्वारा कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने, रिपोर्ट करने और प्रतिबंधित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करता है । कोड में दिशानिर्देश निर्धारित किए गए है जो उन्हें कंपनी के शेयरों से डिल करते समय प्रक्रियाओं और प्रकटिकरण के बारे में सलाह देते हैं और उन्हें उल्लंघन के परिणामों में सावधान करते हुए कहा गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग और अप्रकाशित मूल्य का उचित प्रकटीकरण की रोकथाम के लिए आचार संहिता संवेदनशील सूचना कंपनी की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है और इसे https://grse.in/wp-content/uploads/2022/08/InsiderTrading-Code-GRSE.pdf पर देखा जा सकता है।

शेयरधारक जानकारी

80. सेबी लिस्टिंग सूची विनियमों की अनुसूची V के अनुसरण में आवश्यक विभिन्न शेयरधारक जानकारी 'शेयरधारक सूचना' शीर्षक से इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक I** में प्रस्तुत किया गया है ।

प्रकटीकरण

81. (क) **हितों का टकराव:** वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने निदेशकों के साथ ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया है जिससे आपकी कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। निदेशकों का पारिश्रमिक (जहां भी लागू हो) प्राप्त करने के अलावा, मंडल के सदस्यों का आपकी कंपनी के साथ कोई भौतिक आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं है, जो मंडल के निर्णय में, निदेशकों के निर्णय की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।

(ख) **संबंधित पार्टी लेनदेन:** वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी के पास कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं है, जो बड़े पैमाने पर इसके हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है। इसके अलावा, जैसा कि सेबी लिस्टिंग विनियम के तहत आवश्यक है, संबंधित पार्टी लेनदेन का एक समेकित आधार पर निर्धारित प्रारूप में खुलासा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर किया गया था और कंपनी की वेबसाइट पर भी होस्ट किया गया है। कंपनी के संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति https://grse.in/policies/GRSE_Policy_for_Related_Party_Transactions.pdf पर पर देखा जा सकता है।

(ग) **महत्वपूर्ण सहायक कंपनियाँ:** आपकी कंपनी की कोई सहायक या सहयोगी कंपनी नहीं है। हालाँकि, महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण पर कंपनी की नीति सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 16 के अनुसार बनाई गई है जो कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/wp-content/uploads/2022/04/Policy-for-Determining-Material-Subsidiaries-GRSE.pdf पर उपलब्ध है ।

(घ) **कंपनी के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच परस्पर संबंध: कोई नहीं**

(ङ) **कंपनी में निदेशकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या : कंपनी के 200 इक्विटी शेयर निदेशक (कार्मिक) द्वारा धारित हैं।**

(च) **सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति**

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 22 और सीपीएसई, 2010 के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है। यह नीति कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए कानूनी या विनियामक आवश्यकताओं के किसी भी उल्लंघन की चिंताओं को उठाने, कंपनी से संबंधित किसी भी व्यक्ति के संदिग्ध कदाचार को आगे आने और सजा/उत्पीड़न या अनुचित व्यवहार के डर के बिना अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक तंत्र प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है ।

वर्ष के दौरान, किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों या उसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति इस वार्षिक रिपोर्ट के निर्माण भाग के 'निदेशक'रिपोर्ट" में भी उपलब्ध है ।

(छ) **लेखा पुस्तकों में डेबिट किए गए व्यय के मद, जो व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए नहीं हैं: शून्य**

(ज) **किए गए व्यय, जो प्रकृति में व्यक्तिगत हैं और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हैं: शून्य**

(झ) **वित्तीय खर्चों की तुलना में कुल खर्चों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय के खर्चों का विवरण:**

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	विवरण	2023-24	2022-23
(क)	कुल व्यय (सामग्री के अलावा)	562.71	476.73
(ख)	प्रशासनिक और कार्यालय व्यय	12.79	9.39
(ग)	(क) पर (ख) का प्रतिशत	2.27	1.97
(घ)	कुल व्यय के % के रूप में वित्त व्यय	0.34	0.26

(ञ) अनिवार्य अनुपालन: पिछले तीन (3) वर्षों के दौरान, पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर आपकी कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन का कोई उदाहरण या मामला सामने नहीं आया है और निम्नलिखित को छोड़कर पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंजों / सेबी या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई दंड / प्रतिबंध नहीं लगाया गया है:

एनएसई द्वारा लगाया गया जुर्माना:

वित्तीय वर्ष	नोटिस तिथि	गैर-अनुपालन की अवधि	सेबी (एलओडीआर) के गैर-अनुपालन की प्रकृति	लगाए गए जुर्माने की राशि (जीएसटी शामिल)
2020-21	15 फरवरी 21	31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही	रजि. 17(1)	₹ 4,30,700
	17 मई 21	31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही	रजि. 17(1)	₹ 5,31,000
2021-22	20 अगस्त 21	30 जून 2021 को समाप्त तिमाही	रजि. 17(1), 18(1), 19(1)/19(2)	₹ 6,40,740
	22 नवंबर 21	30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही	रजि 17(1), 18(1), 19(1)/19(2)	₹ 9,77,040
	21 फरवरी 22	31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही	रजि. 17 (1), 17 (2ए), 18(1), 19(1)/19(2), 20 और 21	₹ 12,34,280
	20 मई 22	31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही	रजि. 17(1), 18(1), 19(1)/19(2), 20 एवं 21	₹ 11,49,320
2022-23	22 अगस्त 22	30 जून 2022 को समाप्त तिमाही	रजि. 17(1), 18(1) एवं 19(1)/19(2)	₹ 6,50,180
	21 नवंबर 22	30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही	रजि. 17(1)	₹ 5,42,800
	21 फरवरी 23	31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही	रजि. 17(1)	₹ 5,42,800
	22 मई 23	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही	रजि. 17(1)	₹ 5,31,000
2023-24	21 अगस्त 23	30 जून 2023 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹ 5,36,900
	21 नवंबर 23	30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹ 5,42,800
	22 फ़रवरी 24	31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹ 5,42,800
	22 मई 24	31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹ 5,36,900
कुल				**₹ 93,89,260/-**

बीएसई द्वारा लगाया गया जुर्माना:

वित्तीय वर्ष	नोटिस तिथि	गैर-अनुपालन की अवधि	सेबी (एलओडीआर) के गैर-अनुपालन की प्रकृति	लगाए गए जुर्माने की राशि (जीएसटी शामिल)
2021-22	20 अगस्त 21	30 जून 2021 को समाप्त तिमाही	रजि. 17(1), 18(1), 19(1)/19(2)	₹ 6,40,740
	22 नवंबर 21	30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही	रजि. 17(1), 18(1), 19(1)/19(2)	₹ 9,77,040
	21 फरवरी 22	31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही	रजि. 17 (1), 17 (2ए), 18(1), 19(1)/19(2), 20 (2)/ (2ए) और 21(2)	₹ 12,34,280
	20 मई 22	31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही	रजि. 17(1), 18(1), 19(1)/19(2), 20(2)/(2ए) एवं 21(2)	₹ 11,49,320
2022-23	22 अगस्त 22	30 जून 2022 को समाप्त तिमाही	रजि. 17(1), 18(1) एवं 19(1)/19(2)	₹ 6,50,180
	21 नवंबर 22	30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही	रजि. 17(1)	₹ 5,42,800
	21 फरवरी 23	31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही	रजि. 17(1)	₹ 5,42,800
	22 मई 23	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही	रजि. 17(1)	₹ 5,31,000
2023-24	21 अगस्त 23	30 जून 2023 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹ 5,36,900
	21 नवंबर 23	30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹ 5,42,800
	22 फ़रवरी 24	31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹ 5,42,800
	22 मई 24	31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹ 5,36,900
कुल				**₹ 84,27,560/-**

उपरोक्त जुर्माना अलग-अलग अवधि के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों और महिला स्वतंत्र निदेशक सहित निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं होने के कारण स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लगाया गया है।

उपरोक्त नोटिसों के जवाब में, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को स्पष्ट करते हुए लिखा कि स्वतंत्र निदेशकों की संख्या में कमी कंपनी द्वारा किसी लापरवाही/चूक के कारण नहीं थी क्योंकि निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा, सीपीएसई के मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की कार्रवाई कंपनी के हाथ में नहीं है और कंपनी के नियंत्रण से बाहर भी है। इसके मद्देनजर, कंपनी ने एनएसई से उन जुर्माने को माफ करने का अनुरोध किया है जो बकाया हैं, और स्टॉक एक्सचेंज की नीति के तहत लगाए गए जुर्माने की छूट के प्रावधानों के अनुसार छूट मांगी गई है। इसके अलावा, उक्त नीति के संदर्भ में, स्टॉक एक्सचेंज केवल कंपनी द्वारा गैर-अनुपालनों का अनुपालन करने के बाद ही छूट प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं।

मेसर्स माहेश्वरी आर एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए, जैसा कि दोनों के तहत आवश्यक है, सेबी सूचीकरण विनियम और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देश से संबंधित एक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रदान किया गया जो इस रिपोर्ट में अनुलग्नक II के रूप में प्रस्तुत है ।

इसके अलावा, कंपनी ने सेबी लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची V के भाग 'सी' में उल्लिखित पैरा (2) से (10) की निगमित शासन रिपोर्ट की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। इसके अलावा, आपकी कंपनी संरचना के संबंध में सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 46 के उप-विनियम (2) के विनियम 17 से 27 और खंड (b) से (i) और (t) में निर्दिष्ट निगमित शासन आवश्यकताओं के अनुपालन की पुष्टि करती है । निदेशक मंडल की और आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता जिसमें महिला स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं, के निदेशक मंडल में लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, शेयरधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति का गठन नहीं करना अपेक्षित संख्या में कोरम की अनुपलब्धता। जैसा कि ऊपर बताया गया है, कंपनी ने इस रिपोर्ट में संबंधित स्थानों में आवश्यक जानकारी का खुलासा किया।

(ट) **सेबी लिस्टिंग विनियम के तहत गैर-अनिवार्य अनुपालन :** सेबी लिस्टिंग विनियम के तहत विवेकाधीन आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति नीचे दी गई है:

(i) **मंडल:** सेबी लिस्टिंग विनियम के अनुसूची II के भाग ई के पैरा ए के अनुसार, मंडल का एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर एक अध्यक्ष कार्यालय को बनाए रखने का हकदार हो सकता है और अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में हुए खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति देता है। कंपनी का अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक है और इसलिए यह प्रावधान हमारे लिए लागू नहीं है।

(ii) **शेयरधारक अधिकार:** आपकी कंपनी तिमाही और छमाही वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/financial-results/ पर प्रदर्शित करती है। और व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों में वित्तीय परिणाम भी प्रकाशित करता है। हमने सभी शेयरधारकों को पत्र भेजने के अलावा शेयरधारकों को ई-मेल द्वारा लाभांश के भुगतान के बारे में सूचित कर दिया है, जहाँ भी आवश्यक हो ।

(iii) **लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय:** आपकी कंपनी लगातार भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप पारदर्शी, सही और निष्पक्ष तरीके से खाते को बनाए रखने पर्यास करती है । पिछले सत्रह वर्षों (2003-2004 से 2022-23) के दौरान कोई लेखा परीक्षा अयोग्यता नहीं रही हैं। आपकी कंपनी को इन वर्षों के दौरान कैग से "शून्य" टिप्पणियां भी मिली हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए , सांविधिक लेखा परीक्षकों ने कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों पर एक असंशोधित राय जारी की है।

(iv) **आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग:** कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के प्रमुख प्रशासनिक रूप से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। उन्हें लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों को भी तिमाही आधार पर अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

(ठ) **निगमित शासन पर त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट:** कंपनी ने निर्धारित समय अवधि के भीतर स्टॉक एक्सचेंज (ओं) को निर्धारित प्रारूप में निगमित शासन पर त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसे कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/corpore- governance-report/ पर भी प्रस्तुत किया गया है ।

(ड) **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम:** कंपनी एक कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कर्मचारी को गरिमा, सम्मान और समान उपचार के साथ व्यवहार किया जाए । कृपया अधिक विवरण के लिए निदेशक रिपोर्ट के अनुभाग'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम,निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण' देखें ।

(ढ) **मंडल की योग्यता के संबंध में पेशेवर कंपनी सचिव से प्रमाण-पत्र:** मैसर्स माहेश्वरी आर एंड एसोसिएट्स,कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र के माध्यम से यह पुष्टि की गई है कि कंपनी के किसी भी निदेशक को सेबी/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या जारी रखे जाने से डिबार या आयोग्य घोषित नहीं किया गया है । यह प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट में अनुलग्नक III के रूप में प्रस्तुत है ।

(ण) **निदेशक मंडल की समितियों की सिफारिशें:** वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, ऐसा कोई उदाहरण नहीं था, जहां मंडल ने किसी भी समिति की सिफारिशों को अनिवार्य रूप से स्वीकार नहीं किया हो।

(त) **सांविधिक लेखा परीक्षकों को शुल्क:** वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा मैसर्स मुखर्जी बिश्वास एंड पाठक,को दी गई कुल फीस कुल 17,30,000/- रू. है । वित्तीय विवरण' के नोट 27 के तहत विवरण उपलब्ध है ।

(फ) **सीईओ और सीएफओ प्रमाणन:** कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) सूची के विनियमन 17(8) के संदर्भ में मंडल को वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण पर वार्षिक प्रमाणन देते हैं । विनियम, जिसकी प्रति अनुलग्नक- IV के रूप में इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई है । सीएमडी और सीएफओ सूचीकरण नियमों के विनियमन 33 (2) के संदर्भ में मंडल के समक्ष वित्तीय परिणाम देते समय वित्तीय परिणामों पर त्रैमासिक प्रमाण पत्र भी देते हैं ।

घोषणा

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश ,14 मई, 2010 के अनुसार और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015 के विनियमन 26 का अनुसरण करते हुए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के मंडल के सदस्यों और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता और आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है ।

कृते गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

हस्ता./-
कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08591411

कोलकाता
08 अगस्त, 2024

अनुलग्नक – I

शेयरधारक जानकारी

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक आम बैठक

तारीख	**शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024**
स्थान	**वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के माध्यम से एजीएम ।** **[मीटिंग के लिए डीम्ड वेन्यू: पंजीकृत और निगमित कार्यालय: जीआरएसई भवन,61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता-700024]**
समय	**10 : 30 बजे**

लाभांश भुगतान

1. 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंतिम लाभांश, एजीएम में अनुमोदित होने पर, 20 सितंबर 2024 को या उसके बाद भुगतान किया जाएगा । आपकी कंपनी अपने शेयरधारकों को लगातार लाभांश का भुगतान करती रही है। पिछले पांच (5) वित्तीय वर्षों में घोषित लाभांश नीचे दिए गए हैं:

वित्तीय वर्ष	प्रति शेयर लाभांश (रू में)	कुल लाभांश का भुगतान (करोड़ रू में)
2023-24*	9.36	107.22
2022-23	6.20	71.02
2021-22	5.80	66.44
2020-21	5.00	57.28
2019-20	7.14	81.79

*10/- रू प्रति शेयर के लिए रू 7.92 प्रति इक्विटी शेयर अंतरिम लाभांश शामिल है ।

स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों की लिस्टिंग

2. 10 अक्तूबर 2018 से प्रभावी आपकी कंपनी के इक्विटी शेयरों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") और बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") में सूचीबद्ध किए गए । आपकी कंपनी ने एनएसई और बीएसई दोनों को वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान समय पर किया है । स्टॉक कोड के साथ एनएसई और बीएसई का विवरण नीचे दिया गया है:

स्टॉक एक्सचेंज	स्टॉक कोड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नंबर सी / 1, जी ब्लॉक बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.) मुंबई 400 051 वेबसाइट: www.nseindia.com	जीआरएसई
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) फिरोज जीजीभोय टावर्स, दलाल स्ट्रीट मुंबई 400 001 वेबसाइट: www.bseindia.com	542011

संचार के माध्यम

3. निगमित वित्तीय प्रदर्शन पर सुसंगत, तुलनीय, प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी का समय पर प्रकटीकरण सुशासन के मूल में है। आपकी कंपनी का एक वेबसाइट (www.grse.in) है जिस पर जीआरएसई के नेतृत्व, प्रबंधन, उत्पाद स्पेक्ट्रम,सीएसआर पहल, वार्षिक रिपोर्ट,नीतियाँ, वित्तीय सूचनाएँ आदि से संबन्धित जानकारी प्रदान की जाती है ।

4. सभी मूल्य-संवेदनशील जानकारी, सांविधिक नोटिस और डेटा जो शेयरधारक से संबंधित सामाग्री होती है, उसे स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बीएसई को बताया जाता है । त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों, आदि के नोटिस फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी में), प्रभात खबर (हिंदी में), बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी में) और ई समय (बंगाली में) और वर्तमान (बंगाली में) प्रकाशित किए जाते हैं । 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के परिणाम फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी में) और ई समय (बंगाली में) में प्रकाशित हुए थे । प्रकाशित वित्तीय परिणाम इस प्रकार थे:

30 जून 2023 को समाप्त तिमाही के लिए	अगस्त 2023 के महीने में
30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही	नवंबर 2023 के महीने में
31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही	फरवरी 2024 के महीने में
31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष	मई 2024 के महीने में

5. आपकी कंपनी की वेबसाइट पर *'इन्वेस्टर्स कॉर्नर'* टैब के अंतर्गत वित्तीय परिणामों, विश्लेषकों को किए गए प्रस्तुतिकरण और स्टॉक एक्सचेंजो को प्रस्तुत की गई अन्य जानकारी जैसे सूचना और निगमित घोषणाएँ, शेयरधारण पैटर्न, निगमित शासन रिपोर्ट, लाभांश आदि शामिल हैं । वेबसाइट पर ' न्यूज रूम ' सेक्शन में कंपनी की सभी प्रमुख प्रेस विज्ञप्तियां और संबंधित मीडिया रिपोर्ट शामिल हैं।

वित्तीय कैलेंडर

6. कंपनी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल के दिन से आरंभ होता है और अगले वर्ष मार्च 31 के दिन समाप्त होता है । वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए परिणामों की घोषणा हेतु हमारा अस्थायी कैलेंडर नीचे दिया गया हैं:

समाप्त तिमाही	जारी परिणाम
30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए	अगस्त 2024 का दूसरा सप्ताह
30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए	नवंबर 2024 का दूसरा सप्ताह
तिमाही और 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाली नौ महीने के लिए	फरवरी 2024 का दूसरा सप्ताह
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	मई 2025 का दूसरा/तीसरा सप्ताह

शेयर और द्रव्यता का अभौतिकरण

7. कंपनी के इक्विटी शेयर भारत में डिपॉजिटरी सिस्टम एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों के तहत डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं । डिपॉज़िटरी सिस्टम के तहत कंपनी के शेयरों को आवंटित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) आईएनई INE382Z01011 है ।

8. 31 मार्च 2024 को कंपनी के जारी किए गए 100 % (लगभग) इक्विटी शेयर 11,45,52,000 हैं । कंपनी के सब्सक्राइब्ड और पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल अभौतिक रूप में रखे गए हैं । भौतिक और डीमैट फॉर्म में शेयरों का विवरण नीचे दिया गया है:

फॉर्म	इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
एनएसडीएल के साथ डीमैट फॉर्म	10,62,00,502	92.71
सीडीएसएल के साथ डीमैट फॉर्म	83,51,493	7.29
भौतिक फॉर्म	5	0.00

9. कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल में भारत के राष्ट्रपति द्वारा होल्डिंग 74.50% है, जिनका सक्रिय रूप से कारोबार नहीं किया जाता हैं । कंपनी के शेष 25.50% शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर तरल और सक्रिय रूप से कारोबार किए गए शेयर हैं । 31 मार्च, 2024 तक कंपनी का बाजार पूंजीकरण 31 मार्च, 2023 के रू 5,217.27 करोड़ के मुकाबले रू 8,764.37 करोड़ रहा है ।

31 मार्च 2024 तक शेयरधारिता का वितरण

इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारक		शेयरधारिता	
	संख्या.	%	संख्या	%
1-500	1,21,677	96.85	66,88,954	5.84
501-1000	2,211	1.76	17,02,839	1.49
1001-2000	930	0.74	13,85,790	1.21
2001-3000	283	0.23	7,14,878	0.62
3001-4000	115	0.09	4,10,288	0.36
4001-5000	91	0.07	4,22,621	0.37
5001-10000	172	0.14	12,70,537	1.11
>10000	152	0.12	10,19,56,093	89.00
कुल	**1,25,631**	**100.00**	**11,45,52,000**	**100.00**

31 मार्च 2024 तक शेयरधारण का पैटर्न

क्रं. सं.	शेयरधारक का नाम और श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	धारित शेयरों की कुल संख्या	एससीआरआर 1957 के अनुसार शेयरधारिता% की गणना
प्रमोटर शेयरधारक				
	केन्द्रीय सरकार	1	8,53,41,240	74.50
(1)	**प्रमोटर कि कुल शेयरधारिता**	**1**	**8,53,41,240**	**74.50**
संस्थागत				
	संस्थागत			
क	म्यूचुअल फंड्स	8	61,18,224	5.34
ख	वैकल्पिक निवेश फंड्स	3	8,99,960	0.79
ग	वित्तीय संस्थान / बैंक	-	-	-
घ	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	73	37,36,049	3.26
ङ	बीमा कंपनियां	2	16,067	0.01
(क)	कुल संस्थागत शेयरधारिता	86	1,07,70,300	9.4
	गैर-संस्थागत			
क	निकाय कॉर्पोरेट	498	23,03,004	2.01
ख	सार्वजनिक और अन्य	1,25,046	16,137,456	14.09
(ख)	कुल गैर संस्थागत शेयरधारिता	1,25,544	1,84,40,460	16.10
(2)	**कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (क) + (ख)**	**1,25,630**	**2,92,10,760**	**25.5**
कुल	**शेयरधारिता (1) + (2)**	**1,25,631**	**11,45,52,000**	**100.00**

शेयर व्यापार का मूल्य और मात्रा

10. वर्ष 2023-24 के दौरान प्रत्येक माह के लिए बीएसई लिमिटेड और एनएसई पर कंपनी के शेयर की कीमत इस प्रकार थी:

वर्ष एवं माह	एनएसई		बीएसई	
	उच्च (₹)	न्यून (₹)	उच्च (₹)	न्यून (₹)
अप्रैल, 2023	482	442.55	481.3	442.95
मई, 2023	529.8	446	529.9	448.05
जून, 2023	619	454.8	619.1	451.15
जुलाई, 2023	636.8	559	636.75	558.6
अगस्त, 2023	843.9	577.05	844.45	575
सितंबर, 2023	974.8	776.1	973.95	777
अक्तूबर, 2023	844.95	648.3	847.25	648.05
नवंबर, 2023	849.9	730.1	849.35	730.55
दिसंबर, 2023	904.5	790	904.45	790.1
जनवरी, 2024	951	851.1	950.3	851.3
फरवरी, 2024	947.35	750	946.6	750.5
मार्च, 2024	849.45	673.45	849	674.25

ब्रोड आधारित सूचकांक की तुलना में निष्पादन

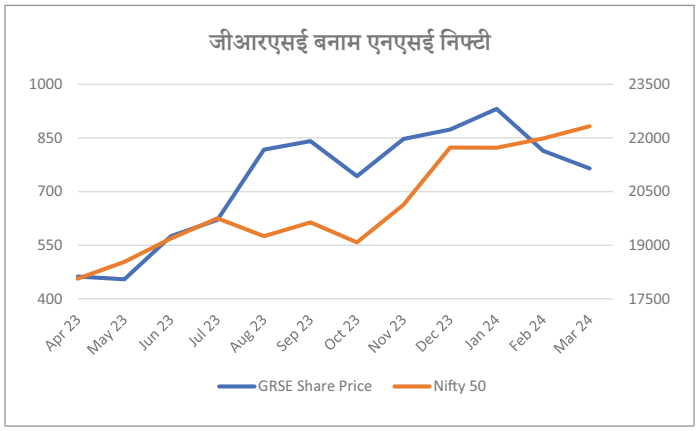

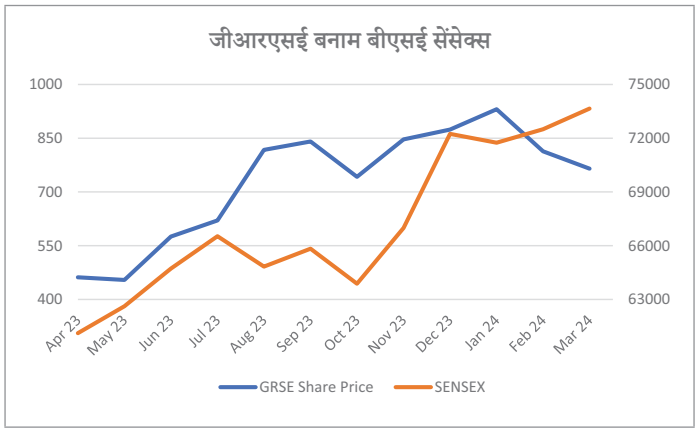

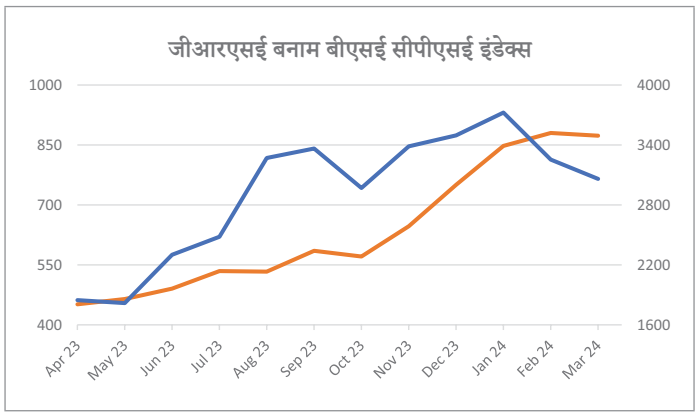

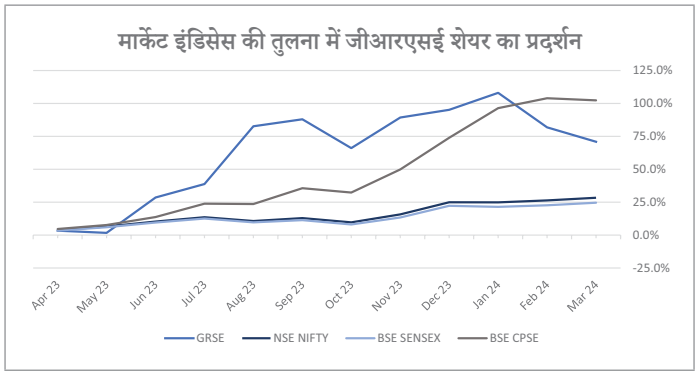

शेयर पूंजी लेखा परीक्षा का समाधान

11. राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ कुल शेयर पूंजी का समाधान करने के लिए तिमाही आधार पर प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा कुल जारी / प्रदत्त पूंजी लेखा परीक्षा का समाधान किया गया था । लेखा परीक्षा रिपोर्ट पुष्टि करती है कि कुल जारी / प्रदत्त पूंजी भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या और एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास रखे गए डीमैटरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है ।

वस्तु मूल्य जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और बचाव गतिविधियाँ

12. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आपकी कंपनी को वस्तु और वस्तु जोखिम का सामना नहीं करना पड़ा है । इसलिए, आपकी कंपनी को बचाव की गतिविधियां करने की आवश्यकता नहीं है ।

13. कंपनी को सामग्री और सेवाओं की खरीद से संबंधित विदेशी मुद्रा जोखिमों का सामना करना पड़ता है । ये खरीद ज़्यादातर विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नता की प्रतिपूर्ति के लिए विनिमय दर भिन्नता खंड के तहत कवर की जाती हैं । इसलिए, इस संबंध में आपकी कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

क्रेडिट रेटिंग

14. वर्ष के दौरान, मैसर्स केयर रेटिंग्स लिमिटेड ने आपकी कंपनी को दीर्घावधि सुविधाओं के लिए केयर एएए/स्टेबल और अल्पावधि बैंक सुविधाओं के लिए केयर A1+ की क्रेडिट रेटिंग प्रदान की है।

शेयर अंतरण प्रणाली

15. कंपनी के शेयरों का कारोबार डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में किया जाता है। कंपनी के शेयरों का हस्तांतरण सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 40 के अनुसार डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में किया जाएगा।

16. कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी की प्रतिभूतियों के हस्तांतरण, पारेषण और स्थानान्तरण का अधिकार कंपनी के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी को सौंप हैं । वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी के शेयरधारकों से प्रतिभूतियों के हस्तांतरण, पारेषण और स्थानांतरण के लिए ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी नियमित रूप से कंपनी की प्रतिभूतियों के हस्तांतरण, पारेषण और स्थानान्तरण पर रिपोर्ट कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष उसकी जानकारी के लिए रखते थे।

17. इसके अलावा, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिवों से प्राप्त शेयर हस्तांतरण औपचारिकताओं के अनुपालन पर वार्षिक प्रमाणपत्र सेबी लिस्टिंग नियमों के विनियमन 40 (9) एवं 40 (10) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को भी जमा किए गए थे ।

दावा रहित लाभांश

18. कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ('आईईपीएफ़') प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 ('नियम'), के साथ पढ़ें जाने वाले सभी भुगतान नहीं किए गए या दावा नहीं किए गए लाभांश को कंपनी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'आईईपीएफ़' में सात वर्षों के पूरा होने के बाद हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है । इसके अलावा, नियमों के अनुसार, उन शेयरों के संबंध में, जिनका लाभांश शेयरधारकों द्वारा लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय से भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उन्हें आईईपीएफ़ प्राधिकरण द्वारा बनाए गए डीमैट खाते में भी स्थानांतरित किया जाएगा । 31 मार्च 2024 तक पिछले वर्षों से संबंधित दावा नहीं किए गए लाभांश को आईईपीएफ़ में हस्तांतरित किया जाना बाकी नहीं है ।

19. कंपनी ने आईईपीएफ के प्रावधानों के तहत एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जिसका विवरण कंपनी की वबसाइट https://grse.in/iepf/ पर उपलब्ध है । 31 मार्च 2024 तक के अनुसार कंपनी के पास पड़े अनपेड़ तथा दावा रहित लाभांश राशि कंपनी की वैबसाइट https://grse.in/iepf/ और निगमित मामलों के मंत्रालय के वैबसाइट at www.iepf.gov.in. पर अपलोड किए गए है ।

डिमैट सस्पेंस अकाउंट / अनक्लैमड सस्पेंस अकाउंट

20. कंपनी के पास डीमैट सस्पेंस अकाउंट या अनक्लैमड सस्पेंस अकाउंट में कोई शेयर नहीं है ।

निवेशक सेवाएं

21. इक्विटी शेयरों के संबंध में आपकी कंपनी के लिए मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट है।

पत्राचार के लिए पता:
205-208 अनारकली कॉम्प्लेक्स,
झंडेवालन एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110 055
ईमेल: info@alankit.com

22. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी को निवेशकों द्वारा चार (04) भी शिकायतें प्राप्त हुई है , जिसका समय रहते निपटारा कर दिया गया ।

23. कंपनी द्वारा निवेशक शिकायतें प्राप्त करने के लिए निर्धारित ई-मेल आईडी Invest.grievance@grse.in है ।

अनुपालन अधिकारी का विवरण / निवेशक के पत्राचार के लिए पता

नाम	:	**श्री संदीप महापात्र**
पदनाम	:	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
पता	:	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड जीआरएसई भवन,61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता – 700 024 दूरभाष: +91 (033) 2469 8101 फैक्स: +91 (033) 2469 8150 ईमेल: co.sec@grse.co.in वेबसाइट: www.grse.in

संयंत्र स्थान

पोत निर्माण की गतिविधियाँ	इंजीनियरिंग गतिविधियाँ	इंजन गतिविधियाँ
मेन वर्क्स यूनिट 43/46, गार्डन रीच रोड कोलकाता – 700 024	**61 पार्क यूनिट** 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024	**डीईपी रांची यूनिट** प्लांट प्लाजा रोड, धुर्वा , रांची - 834 004
राजाबगान डॉकयार्ड यूनिट 44, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 044	**तारातला यूनिट** पी -2 / 2, तारातला रोड, कोलकाता – 700 088	
फिटिंग आउट जेट्टी यूनिट पी -70, कार्ल मार्क्स सरणी, कोलकाता – 700 043		

विवरण का अद्यतन

डीमैट फॉर्म में धारित शेयरों के लिए

24. कंपनी उन शेयरधारकों को नोटिस, रिपोर्ट और लेखा और अन्य संचार इलेक्ट्रोनिक मोड में भेजती है, जिन्होंने कंपनी या डिपॉजिटरी के पास अन्य शेयरधारकों को भौतिक मोड में अपने ई-मेल पते पंजीकृत किए हैं । शेयरधारक जो कंपनी के पास अपने ई-मेल पते को पंजीकृत या अपडेट करना चाहते हैं, वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को एक अनुरोध भेजकर इसे अपडेट कर सकते हैं ।

25. इसके अलावा, जो शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपने संबंधित डीपी को आईएफ़एससी (इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड) और एमआईसीआर (मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन) सहित अपना बैंक खाता विवरण प्रदान / अपडेट कर सकते हैं ।

प्रमाणपत्र के रूप में धारित शेयरों के लिए

26. प्रमाणपत्र के रूप में धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे बेहतर सेवाओं की सुविधा के लिए अपने पते/ शासनादेश/ बैंक विवरण आदि में किसी भी बदलाव की सूचना कंपनी के आरटीए या कंपनी को तुरंत दें ।

अनुलग्नक - II

निगमित शासन पर प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्य ,
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड ,
जीआरएसई भवन, 61, गार्डन रीच रोड
कोलकाता-700024

मैंने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा निगमित प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि विनियम 17 से 27 और विनियमन 46(2) के खंड (बी) से (आई) और (टी) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 2015 ("सेबी एलओडीआर") की अनुसूची V के पैरा सी, डी और ई और सार्वजनिक उद्यम विभाग ("डीपीई दिशानिर्देश") द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित प्रशासन पर दिशानिर्देश, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है।

निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरे द्वारा परीक्षण उक्त विनियम में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी। यह कंपनी की के वित्तीय विवरणों के न ही लेखा परीक्षा है और न ही मत व्यक्त करता है ।

मुझे प्रस्तुत दस्तावेजों, दिए गए स्पष्टीकरण और सूचना के आधार पर किए गए अभिलेखों की जांच से मेरे निष्कर्षों के आधार पर, और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई छूट पर विचार करते हुए कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण वारंट किया गया, मेरी राय में, कंपनी ने सेबी एलओडीआर और डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय:

(क) कंपनी के निदेशक मंडल का आधा हिस्सा स्वतंत्र नहीं था, जैसा कि सेबी एलओडीआर के विनियमन 17(1) और निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत आवश्यक है।

(ख) कंपनी के मंडल में स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थी, जैसा कि सेबी एलओडीआर के विनियमन 17(1)(a) के तहत आवश्यक है।

(ग) सेबी एलओडीआर अर्थात उप-विनियम 17(4), विनियम 18(3) में प्रदान की गई कुछ निगमित शासन आवश्यकताएं, अनुसूची II के भाग सी पैरा ए और विनियम 19(4) के साथ पठित अनुसूची II के भाग D पैरा A के साथ पठित कंपनी द्वारा अनुपालन नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक सरकारी कंपनी होने के कारण, उक्त आवश्यकताओं का अनुपालन कंपनी के नियंत्रण से बाहर है ।

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (p) के प्रावधान के अनुपालन में निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 जून, 2015 को जारी अधिसूचना द्वारा सरकारी कंपनियों को प्रदान की गई छूट के मद्देनजर, कंपनी ने सेबी एलओडीआर के विनियमन 17 (10) का अनुपालन नहीं किया है। जिसके लिए सेबी एलओडीआर विनियम 25 (4) और संपूर्ण निदेशक मंडल द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए स्वतंत्र निदेशकों द्वारा गैर-स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष और निदेशक मंडल के प्रदर्शन की समीक्षा की आवश्यकता होती है।

मैं यह भी कहती हूं कि कंपनी रक्षा मंत्रालय ("एमओडी") के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) को नियुक्त करने की शक्ति और ऐसी नियुक्ति के नियम और शर्तें भारत सरकार के पास हैं। कंपनी द्वारा यह सूचित किया गया है कि आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के मामले को समय-समय पर रक्षा मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

मैं आगे कहती हूं कि इस तरह के अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए आश्वासन के रूप में हैं और न ही दक्षता या प्रभावशीलता जिसके माध्यम से प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है ।

कृते माहेश्वरी आर एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता./-
रश्मि महेश्वरी
आईसीएसआई का सी.पी.नं.: 3309
एफसीएस: 5126
यूडीआईएन:F005126F000906444

दिनांक: 06 अगस्त 2024
स्थान: कोलकाता

अनुलग्नक - III

निदेशकों की गैर – आयोग्यता का प्रमाणपत्र

(सेबी के विनियमन 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10) (i) (सूचिकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार)

सेवा में,
सदस्यगण ,
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
जीआरएसई भवन,61, गार्डन रीच रोड,
कोलकाता-700024

मैंने, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, सीआईएन: L35111WB1934GOI00 7891 और निगमित कार्यालय जीआरएसई भवन, 61, गार्डन रीच, कोलकाता-700024, भारत में पंजीकृत कार्यालय (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित), के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, अभिलेख, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटन की जांच की है । कंपनी द्वारा विनियमन 34 (3) के अनुसार भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की अनुसूची V पैरा-C उप खंड 10 (i) के साथ पठित (सूचिकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार ऊपर उल्लिखित दस्तावेज़ हमारे समक्ष इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था ।

हमारी राय में और हमें प्राप्त उपयुक्त जानकारी (www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) तथा सत्यापन के अनुसार, जैसा कि कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें आवश्यक और स्पष्टीकरण के रूप में बताया गया, हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, निगम मामलों के मंत्रालय, या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है ।

क्रम.सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1.	कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त)	08591411	10 जून, 2022
2.	श्री रमेश कुमार दाश	08511344	1 जुलाई, 2020
3.	कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)	09631817	08 जून, 2022
4.	डीआईजी सुब्रोतो घोष, भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त)	10205285	20 जून, 2023
5.	श्री राजीव प्रकाश	08590061	23 जून, 2022
6.	श्री संजय दत्तात्रेय पानसे	02725875	27 दिसंबर 2021
7.	श्री संजीब मोहंती	09559883	06 अप्रैल,, 2022

सरकारी कंपनी होने के नाते, इसके मंडल में सभी निदेशक अर्थात कार्यात्मक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का चयन सरकार द्वारा प्रत्येक श्रेणी के निदेशक के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है । मेरी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर एक राय व्यक्त करें । यह प्रमाण पत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के साथ, जिससे प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है ।

कृते माहेश्वरी आर एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता./-
रश्मि महेश्वरी
आईसीएसआई का सी.पी.नं.: 3309
एफसीएस: 5126
यूडीआईएन:F005126F000906301

दिनांक: 06 अगस्त 2024
स्थान: कोलकाता

अनुलग्नक IV

मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी का अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा में,
निदेशक मंडल,
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड,
कोलकाता

मंडल के प्रिय सदस्यों,

हम, कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री रमेश कुमार दाश, निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रमाणित करते हैं कि:

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिय हमने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (कंपनी) के नकदी प्रवाह विवरण सहित वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और यह हम अपने सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के साथ कहते हैं कि:

   (i) इन विवरणों में कोई तात्विक रूप से असत्य विवरण नहीं है या किसी भी तात्विक तथ्य को छोड़ा गया या ऐसे विवरण शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

   (ii) ये विवरण कंपनी के मामलों के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानक, लागू विधि और विनियमों के अनुपालन में हैं ।

2. हम सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ कहते हैं कि कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है जिससे धोखाधड़ी, गैर-कानूनी या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन होता हैं ।

3. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना और रखरखाव की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं । हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमारी जानकारी के अनुसार इस तरह के आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में यदि कोई कमी पाई गई हो, तो उसे लेखा परीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है और इन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

4. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को सूचित किया है कि :

   (i) संदर्भित वर्ष के दौरान तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है;

   (ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया हैं, और उक्त में परिवर्तन होने पर का खुलासा वित्तीय विवरण के नोट्स में किया गया है; तथा

   (iii) हमारी जानकारी के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग के दौरान कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्राणाली में किसी प्रकार का वित्तीय धोखाधड़ी नहीं हुई हैं, जिसमें प्रबंधन या कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

	हस्ता/-	हस्ता/-
कोलकाता	**रमेश कुमार दाश**	**कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त)**
22 मई, 2024	निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 08511344	डीआईएन : 08591411

व्यावसायिक ज़िम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट

अनुभाग ए: सामान्य खुलासे

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण

1.	सूचीबद्ध इकाई की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)।	:	L35111WB1934GOI007891
2.	सूचीबद्ध इकाई का नाम	:	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
3.	निगमन का वर्ष	:	26 फरवरी 1934
4.	पंजीकृत कार्यालय पता	:	जीआरएसई भवन , 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 024
5.	निगमित पता	:	जीआरएसई भवन , 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 024
6.	ईमेल	:	co.sec@grse.co.in
7.	दूरभाष	:	033-2469 8101
8.	वेबसाइट	:	www.grse.in
9.	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की गई है	:	2023-24
10.	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	:	1. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) 2. बीएसई लिमिटेड (बीएसई)
11.	प्रदत्त पूंजी	:	₹1,14,55,20,000
12.	बीआरएसआर रिपोर्ट के संबंध में कोई जिज्ञासा होने पर उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफ़ोन, ईमेल पता) जिससे संपर्क किया जा सके	:	श्री संदीप महापात्र (कंपनी सचिव), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, जीआरएसई भवन , 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता 700024, टेलीफोन: 033-2469 8545 ई-मेल: co.sec@grse.co.in
13.	रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के तहत खुलासे स्टैंडअलोन आधार पर किए गए हैं (यानी केवल इकाई के लिए) या समेकित आधार पर (यानी इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया है)।	:	स्टैंडअलोन आधार
14.	आश्वासन प्रदाता के नाम	:	लागू नहीं
15.	प्राप्त आश्वासन के प्रकार	:	लागू नहीं

II. उत्पाद और सेवाएं

16. व्यवसाय गतिविधियाँ का विवरण (टर्नओवर का 90%):

क्रम संख्या	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यवसाय गतिविधि का विवरण	इकाई के कारोबार का %
01.	उत्पादन	(i) पोत निर्माण	91.42%
		(ii) इंजीनियरिंग	4.66%
		(iii) डीजल इंजन	1.33%
02.	सेवा	(iv) पोत की मरम्मत	2.59%

17. इकाई द्वारा बेची गईं उत्पाद/सेवाएं (इकाई के टर्नओवर का 90%):

क्रम संख्या	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कारोबार का % योगदान
01.	पोत निर्माण	301	91.42%
02.	इंजीनियरिंग	281	4.66%
03.	पोत की मरम्मत	331	2.59%
04.	डीजल इंजन	711	1.33%

III. **प्रचालन**

18. **स्थानों की संख्या जहां संयंत्र और/या प्रचालन /कार्यालय का इकाई स्थित हैं:**

स्थान	संयंत्र की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	6 (छः)	5 (पाँच)	11 (ग्यारह)
अंतरराष्ट्रीय	शून्य	शून्य	शून्य

19. **इकाई द्वारा सेवित बाज़ार :**

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	हमारे उत्पाद की पहुँच रक्षा बलों के माध्यम से पूरे भारतीय क्षेत्र तक है ।
अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	लगभग 11 देश

ख. इकाई के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का क्या योगदान है ?

1.31%

ग. ग्राहक के प्रकार का संक्षिप्त

जीआरएसई रक्षा के साथ-साथ नागरिक प्रचालन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ग्राहकों को आपूर्ति करता है । हालाँकि, कंपनी की अधिकांश आपूर्ति भारतीय रक्षा सेवाओं, अर्थात् भारतीय नौसेना (आईएन), भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) ,भारतीय सेना (आईए) और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के लिए हैं।

IV. **कार्मिक**

20. **वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विवरण :**

क. कार्मिक और कर्मी (दिव्यांग सहित):

क्रं. सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी / ए)
कर्मचारी						
1.	स्थायी (डी)	580	529	91.21	51	8.79
2.	स्थायी के अतिरिक्त (इ)	71	64	90.14	7	9.86
3.	**कुल कार्मिक (डी + इ)**	**651**	**593**	**91.09**	**58**	**8.91**
कर्मी						
4.	स्थायी (एफ)	993	965	97.18	28	2.82
5.	स्थायी के अतिरिक्त (जी)	1	1	100	0	0
6.	**कुल कर्मी (एफ + जी)**	**994**	**966**	**97.18**	**28**	**2.82**

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कर्मी:

क्रं. सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी / ए)
दिव्यांग कार्मिक						
1.	स्थायी (डी)	14	13	92.86	1	7.14
2.	स्थायी के अतिरिक्त (इ)	0	0	0	0	0
3.	**कुल दिव्यांग कार्मिक (डी + इ)**	**14**	**13**	**92.86**	**1**	**7.14**
दिव्यांग कर्मी						
4.	स्थायी (एफ)	35	33	94.29	2	5.71
5.	स्थायी के अतिरिक्त (जी)	1	1	100	0	0
6.	**कुल दिव्यांग कर्मी (एफ + जी)**	**36**	**34**	**94.44**	**2**	**5.56**

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

	कुल (ए)	महिलाओं की संख्या एवं प्रतिशत	
		संख्या (बी)	% (बी / ए)
निदेशक मण्डल	7	0	0
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	1	0	0

22. स्थायी कार्मिकों और कर्मियों के लिए टर्नओवर दर

(गत 03वर्षों के ट्रेंड्स का खुलासा करें)

	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कार्मिक	3.20 %	3.92%	3.30 %	2.60 %	0	2.60 %	1.86 %	0	1.86 %
स्थायी कर्मी	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V. धारित, सहायक और संबद्ध कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

23. (क) धारित/सहायक/संबद्ध कंपनियां/संयुक्त उद्यमों का नाम

क्रं सं.	धारित/सहायक/संबद्ध कंपनियां/संयुक्त उद्यमों का नाम	क्या धारित/ सहायक/संबद्ध कंपनियां/संयुक्त उद्यम है, इंगित करें	सूचीबद्ध इकाई द्वारा रखे गए शेयरों का %	क्या कॉलम ए में इंगित इकाई , सूचीबद्ध इकाई के व्यवसाय उत्तरदायित्व में भाग लेता है ? (हां/नहीं)
01	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

VI. सीएसआर विवरण

24. (i) क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है: **हाँ**

क. कारोबार - ₹3,59,264.23 लाख में

ख. निवल मूल्य - ₹1,67,343.89 लाख में

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

25. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/फरियाद:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा और सेबी स्कोर प्लेटफॉर्म, एनएसई, बीएसई और रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के माध्यम से प्राप्त निवेशक शिकायतों/शिकायतों का निर्धारित समय के भीतर समाधान किया गया है।

हितधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र कार्यरत है (हाँ/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
समुदाय	हाँ (www.pgportal.gov.in)	19	6	इन शिकायतों को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तहत केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया जाता है।	18	0	इन शिकायतों को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तहत केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया जाता है।
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	नहीं	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं

हितधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र कार्यरत है (हाँ/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
शेयरधारकों	हाँ*	4	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
कर्मचारी और श्रमिक	हाँ (शिकायतें ईमेल या पत्रों के माध्यम से प्राप्त होती हैं। इसलिए, कोई वेब लिंक उपलब्ध नहीं है)	1	1	सेवा संबंधी मामले	2	2	सेवा संबंधी मामले
ग्राहकों	हाँ**	0	0	ग्राहकों के साथ संरचित बैठक में मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया है और इसमें भाग लिया गया है।	0	0	ग्राहकों के साथ संरचित बैठक में मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया है और इसमें भाग लिया गया है।
मूल्य श्रृंखला भागीदार	हाँ (कोई वेब लिंक उपलब्ध नहीं)	-	-	लागू नहीं	-	-	लागू नहीं
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-

* शेयरधारकों के प्रश्नों/शिकायतों को कंपनी द्वारा सीधे और आरटीए के सहयोग से संभाला जा रहा है। इसके अलावा, कंपनी के पास सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप कमेटी है। इसलिए, कोई वेब लिंक नहीं है ।

** जीआरएसई रक्षा ग्राहकों से संबंधित है और इसलिए सभी संचार ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार गोपनीय मोड के माध्यम से होता है, अतः कोई वेब लिंक नहीं है।.

26. इकाई के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के मुद्दों का अवलोकन

कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, इसकी पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ इसके वित्तीय निहितार्थ, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार बताएं।

क्रम संख्या.	पहचान गए भौतिक मुद्दे	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान के लिए तर्क	जोखिम के मामले में अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
1.	पर्यावरणीय पदचिह्न - जल प्रबंधन	जोखिम	रीसाइक्लिंग से संबंधित मौजूदा और उभरते नियमों का अनजाने में अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप आर्थिक दंड और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है	अपशिष्ट उत्पादन में कमी, पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग को अधिकतम करना।	नकारात्मक
2.	विनियामक अनुपालन	जोखिम	विनियामक अनुपालन का उल्लंघन करने पर अक्सर जुर्माना और जुर्माने सहित कानूनी सजा दी जाती है	1. पारदर्शिता और अनुपालन पर ध्यान देने के साथ एक मजबूत नैतिक संगठनात्मक संस्कृति का निर्माण 2. अनुपालन-संबंधी जोखिमों के संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए नियमित रूप से जोखिम मूल्यांकन करना	नकारात्मक

क्रम संख्या.	पहचान गए भौतिक मुद्दे	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान के लिए तर्क	जोखिम के मामले में अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
3.	निगमित प्रशासन - बोर्ड संरचना	जोखिम	जीआरएसई एक सीपीएसई है, निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और कंपनी का अधिनियम/नियम/विनियम के तहत निर्दिष्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर रिक्ति को भरने पर कोई नियंत्रण नहीं है, ताकि इसका अनुपालन किया जा सके।	कंपनी समय पर निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय यानी रक्षा मंत्रालय के साथ अग्रिम कार्रवाई कर रही है।	नकारात्मक
4.	सतत आपूर्ति श्रृंखला और सोर्सिंग	अवसर	हरित, स्थानीय और सामाजिक रूप से सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना स्थानीय रोजगार पैदा करने के साथ-साथ स्थिरता और विविधता में योगदान कर सकता है	लागू नहीं	सकारात्मक
5.	मानव पूंजी विकास	अवसर	प्रतिभा विकास एवं प्रतिधारण की दिशा में अवसर, जिससे उत्पादकता एवं बौद्धिक संपदा में सुधार होगा।	लागू नहीं	सकारात्मक
6.	सकारात्मक श्रम प्रथाएँ	अवसर	औद्योगिक संबंधों में सुधार के अवसर से उत्पादकता में सुधार होगा	लागू नहीं	सकारात्मक
7.	स्वास्थ्य और संरक्षा	जोखिम	स्वास्थ्य और संरक्षा किसी भी व्यवसाय के प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है। जोखिम मूल्यांकन उन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उपाय करने के लिए आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खतरे और जोखिम कर्मचारियों और श्रमिकों को नुकसान न पहुँचाएँ।	वरिष्ठ स्तर पर प्रशिक्षण / जागरूकता / तकनीकी उन्नयन / समीक्षा	नकारात्मक
8.	अपशिष्ट प्रबंधन	अवसर	अपशिष्ट उत्पादन में कमी लाने, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने और संसाधन उपयोग में सुधार लाने की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर।	लागू नहीं	सकारात्मक

अनुभाग बी: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस अनुभाग का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने के लिए बनाई गई संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

प्रकटीकरण प्रश्न		पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ										
1.	क. क्या आपकी इकाई की नीति/नीतियाँ एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती है। (हां नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ग. यदि उपलब्ध हो तो नीतियों का वेब लिंक	नीतियां कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/policies/ और कंपनी के इंट्रानेट पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं।								
2.	क्या इकाई ने नीति को प्रक्रियाओं में अनुवादित किया है। (हां नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? (हां नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

प्रकटीकरण प्रश्न		पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
4.	आपकी इकाई द्वारा अपनाए गए और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणीकरण/लेबल/मानकों (जैसे फ़ॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टिया) मानकों (जैसे एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) का नाम	सेबी विनियम और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधान	आईएसओ :9001 2015, आईएसओ :14001 2015, आईएसओ :45001 2018	आईएसओ :45001 2018 और डीपीई दिशानिर्देश	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, डीपीई दिशानिर्देश और एसडीजी	डीपीई दिशानिर्देश और एसडीजी	आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 50001:2018	डीपीई दिशानिर्देश और एसडीजी	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और डीपीई दिशानिर्देश	आईएसओ :9001 2015 और एसडीजी
5.	परिभाषित समयसीमा के साथ इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और लक्ष्य, यदि कोई हो।	वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय, गैर-वित्तीय लक्ष्यों और अनुपालन मापदंडों के लिए 100 अंकों के वेटेज के साथ जीआरएसई और रक्षा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।								
6.	विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और लक्ष्यों के विरुद्ध इकाई का प्रदर्शन और उन्हें पूरा न होने की स्थिति में कारण भी बताएं।	वर्ष 2023-24 के लिए एमओयू का मूल्यांकन किया जा रहा है। मूल्यांकन पूरा होने पर, इसे आगे के मूल्यांकन और रेटिंग देने के लिए एमओडी/डीपीई को प्रस्तुत किया जाएगा।								

7. **शासन, नेतृत्व और निरीक्षण**

व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक का बयान, ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण के स्थान के संबंध में लचीलापन है)

जीआरएसई में, हमारे पास अपने संचालन में स्थिरता को शामिल करने का एक लंबा इतिहास है। पिछले कुछ वर्षों में, हमने अक्षय ऊर्जा को अपनाने, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने, ठोस और तरल अपशिष्ट का जिम्मेदारी से उपचार और निपटान करने तथा पानी के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए निवेश किया है।

हमने प्रक्रिया में सुधार भी किया है और अपशिष्ट उपचार संयंत्र, धुंआ निष्कर्षक, चिलर्स/एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स की स्थापना की दिशा में भी काम किया है।

सामाजिक मोर्चे पर, हमारे पास मानव अधिकार, मानव पूंजी विकास तथा हमारे कर्मचारियों, ठेकेदारों और ग्राहकों के स्वास्थ्य और संरक्षा जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए कार्यप्रणालियाँ हैं।

शासन के पक्ष में, एक सीपीएसई होने के नाते, हम स्थानीय और राष्ट्रीय नियामक निकायों द्वारा निर्धारित विभिन्न नियमों, विनियमों और सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन करते हैं और शासन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए हमारे पास मजबूत शासन तंत्र हैं।

8. व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति (नीति) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।

डीआईएन नंबर	10205285
नाम	डीआइजी सुब्रोतो घोष, भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त)
पद का नाम	निदेशक (कार्मिक)
टेलीफ़ोन नंबर।	033-24691040
ईमेल आईडी	dp@grse.co.in

9.	क्या इकाई के पास स्थिरता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हां नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।	हाँ। प्रबंधन समिति ।

10. **कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:**

	समीक्षा का विषय	बताएं कि क्या निदेशक/बोर्ड की समिति/किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)								
		पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
	उपरोक्त नीतियों के विरूद्ध निष्पादन एवं अनुवर्ती कार्रवाई	निदेशक									नीतियों की समय-समय पर या आवश्यकता के आधार पर समीक्षा की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, आवश्यक अद्यतन किए जाते हैं।								
	सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और, किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार*	निदेशक									जब भी आवश्यकता हो ।								

* स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण सेबी (एलओडीआर) विनियमों के तहत निदेशक मंडल की संरचना और इसकी समिति के गठन के अलावा अनुपालन किया गया। चूँकि, कंपनी एक सीपीएसई है, निदेशकों की नियुक्ति हमारे संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय यानी रक्षा मंत्रालय द्वारा की जानी है। इसलिए, पद को भरने के लिए मामला रक्षा मंत्रालय को भेजा गया है और यह मामला रक्षा मंत्रालय/डीपीई के पास लंबित है।

	प्रकटीकरण प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
11.	क्या इकाई ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन/ मूल्यांकन कराया है? (हां नहीं)। यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं.	कोई बाहरी मूल्यांकन नहीं किया गया, हालांकि, नीतियां, प्रक्रियाएं और अनुपालन आंतरिक और बाहरी लेखा परीक्षकों, नियामकों, संसदीय समितियों, प्रशासनिक मंत्रालय आदि द्वारा जांच/समीक्षा के अधीन हैं। नीतियों का समय-समय पर विभिन्न विभाग प्रमुखों, व्यवसाय प्रमुखों द्वारा मूल्यांकन और अद्यतन किया जाता है। प्रबंधन और/या बोर्ड द्वारा अनुमोदित।								
12.	यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर «नहीं» है अर्थात सभी सिद्धांत किसी पॉलिसी में शामिल नहीं हैं, तो कारण बताया जाना चाहिए:									
	संस्था सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती (हाँ/नहीं)	चूंकि कंपनी ने सभी नौ सिद्धांतों के आधार पर नीतियां बनाई हैं, इसलिए लागू नहीं है।								
	इकाई उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में है (हां/नहीं)									
	इकाई के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)									
	इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हाँ/नहीं)									
	कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)									

खंड सी: सिद्धांतवार प्रदर्शन प्रकटीकरण

इस अनुभाग का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि इस रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए अनिवार्य प्रत्येक इकाई द्वारा आवश्यक संकेतकों का खुलासा किए जाने की उम्मीद है , नेतृत्व संकेतकों का खुलासा स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर तक प्रगति करने की इच्छा रखते हैं।

सिद्धांत 1:

व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से आचरण और शासन करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:**

खंड	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
निदेशक मंडल	1	निगमित प्रशासन, वित्त, जोखिम प्रबंधन, रणनीतिक प्रबंधन, आदि।	25
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	2	ईएसजी और शासन नीति	100
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	31	कर्मचारियों के कल्याण, सीडीए, संरक्षा, पर्यावरण और स्थिरता आदि से संबंधित प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम।	75.51
कर्मी	15	प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम कर्मचारियों को उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ज्ञान/कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे।	19.11

2. **वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही (इकाई द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माना/दंड/दंड/पुरस्कार/कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में है (नोट: इकाई सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियमन 30 में निर्दिष्ट और इकाई की वेबसाइट पर बताए अनुसार भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी:**

मुद्रा					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (रू में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील दायर की गई है (हां/नहीं)
दंड/जुर्माना	1	एनएसई*	21,59,400	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)	Yes
		बीएसई*	21,59,400		
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंपाउंडिंग शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

गैर -मौद्रिक				
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील दायर की गई है (हां/नहीं)
कैद होना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सज़ा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

3. **उपरोक्त प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में पसंदीदा अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।**

मामले का विवरण	नियामक/ प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों का नाम
कंपनी के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लगाया गया जुर्माना। सरकारी कंपनी होने के कारण, भारत के राष्ट्रपति कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति करते हैं। उल्लिखित एक जुर्माना/जुर्माने के मामले के विवरण के अलावा, कंपनी ने अपने पत्र दिनांक 23 अगस्त 2023, 22 नवंबर 2023, 23 फरवरी, 2024 और 23 मई, 2024 के माध्यम से तिमाहीवार प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है और जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है। हालाँकि, सेबी के एसओपी के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज गैर-अनुपालन के कारण जुर्माना माफ करने के मामले पर विचार नहीं कर सके।	एनएसई और बीएसई

4. **क्या इकाई के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का एक वेब-लिंक प्रदान करें।**

हाँ, नीति कंपनी को कवर करती है। पारदर्शिता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, जीआरएसई ने 200 लाख रुपये और उससे अधिक मूल्य के सभी ऑर्डर/अनुबंधों के लिए सभी विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/सेवा प्रदाताओं के साथ अखंडता संधि को अपनाया है। अखंडता संधि बोलीदाताओं को समय-समय पर जारी उच्च मूल्य निविदाओं के संबंध में स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के साथ कोई भी मुद्दा उठाने में सक्षम बनाती है। आईईएम को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा उक्त अखंडता संधि के कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया जाता है। संधि में अनिवार्य रूप से संभावित विक्रेताओं/बोलीदाताओं और प्रिंसिपल (जीआरएसई) के बीच एक समझौते की परिकल्पना की गई है, जो दोनों पक्षों के व्यक्तियों/अधिकारियों को अनुबंध के किसी भी पहलू/चरण में किसी भी भ्रष्ट आचरण का सहारा नहीं लेने के लिए प्रतिबद्ध करता है। केवल वे विक्रेता/ बोलीदाता, जो प्रिंसिपल के साथ इस तरह के समझौते के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं, बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम माने जाएंगे । इसका कोई भी उल्लंघन बोलीदाताओं को अयोग्य घोषित कर देगा और भविष्य के व्यापारिक सौदों से बाहर कर देगा। इसके अलावा, नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित सभी नीतियां "समावेशी" हैं और कंपनी के साथ-साथ उसके कर्मचारियों और अन्य सभी बाहरी हितधारकों को भी कवर करती हैं।

5. **ऐसे निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:**

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
निदेशक	शून्य	शून्य
के.एम.पी	शून्य	शून्य
कर्मचारी	शून्य	शून्य
कर्मी	शून्य	शून्य

6. **हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:**

	वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2022-23	
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

7. **भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा जुर्माना/दंड/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

वित्तीय वर्ष के दौरान जीआरएसई पर भ्रष्टाचार और हितों के टकराव से संबंधित मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों या न्यायिक संस्थाओं द्वारा कोई जुर्माना/दंड/कार्रवाई नहीं की गई।

8. **देय खातों के दिनों की संख्या ((देय खाते *365) / खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत) निम्नलिखित प्रारूप में:**

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
देय खातों के दिनों की संख्या	90	113

9. **व्यापार का खुलापन:**

व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री के संकेन्द्रण का विवरण, साथ ही संबंधित पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम तथा निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर		मैट्रिक्स	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
खरीदारी का संकेन्द्रण	1.	कुल खरीद के % के रूप में व्यापारिक घरानों से खरीद	शून्य*	शून्य*
	2.	व्यापारिक घरानों की संख्या जहां से खरीदारी की जाती है	लागू नहीं	लागू नहीं
	3.	व्यापारिक घरानों से कुल खरीद के % के रूप में शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से की गई खरीद	लागू नहीं	लागू नहीं
बिक्री का संकेन्द्रण	1.	कुल बिक्री के % के रूप में डीलरों/वितरकों को बिक्री	शून्य	शून्य
	2.	डीलरों/वितरक की संख्या जिनको बिक्री की जाती है	लागू नहीं	लागू नहीं
	3.	डीलरों/वितरकों को कुल बिक्री के % के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरकों को बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं
आरपीटी का हिस्सा	1.	खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद / कुल खरीद)	शून्य	शून्य
	2.	बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री / कुल बिक्री)	शून्य	शून्य
	3.	ऋण एवं अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम / कुल ऋण एवं अग्रिम)	शून्य	शून्य
	4.	निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश / कुल किया गया निवेश)	शून्य	शून्य

*जीआरएसई सामग्री की खरीद योग्य आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से की जाती है, अर्थात, सीधे ओईएम या उनके अधिकृत वितरक/स्टॉकिस्ट के माध्यम से।

<u>नेतृत्व संकेतक</u>

1. **वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम:**

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के तहत कवर किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों की आयु का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के आधार पर)।
शून्य	लागू नहीं	शून्य

2. **क्या इकाई के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हाँ/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें।**

हाँ, कंपनी को वार्षिक आधार पर और शामिल होने पर अपने बोर्ड सदस्यों से उनके निदेशक पद/समिति/शेयरधारिता के संबंध में खुलासे/घोषणाएं प्राप्त होती हैं। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि ऐसी संस्थाओं/व्यक्तियों के साथ लेनदेन करने से पहले विभिन्न क़ानूनों के तहत सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हों। इच्छुक निदेशक बोर्ड/समिति की बैठकों में उन एजेंडा आइटमों में भाग नहीं लेते हैं जिनमें उनकी रुचि मानी जाती है।

सिद्धांत 2:

व्यवसाय को ऐसे तरीके से सामान और सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हों

<u>आवश्यक संकेतक</u>

1. **इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय में उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत।**

	वित्त वर्ष 24-2023	वित्त वर्ष 23-2022	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
अनुसंधान एवं विकास	शून्य	शून्य	लागू नहीं
कैपेक्स	4.68%	8.60%	हरित ऊर्जा में सुधार

2. **(ए) क्या इकाई के पास स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं?**

हां। भारत सरकार की «मेक इन इंडिया» नीति के तहत, आपूर्तिकर्ता से न्यूनतम 20% सामग्री स्थानीय सामग्री होना अनिवार्य है । इसके अतिरिक्त, यदि बोलीदाताओं में कोई एमएसएमई है, तो खरीद वरीयता मार्जिन शर्तों के अधीन , उन्हें निविदा मात्रा की 25% खरीद के लिए विचार किया जाएगा। 25% लक्ष्य में से 3 % महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद के लिए निर्धारित किया गया है।

सभी बोलीदाताओं को आचार संहिता का पालन करने की सलाह दी जाती है (रिश्वत के प्रयोग को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करना तथा नैतिक आचरण) तथा ₹ 2 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद मूल्य के लिए सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं ।

(बी) **यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गये थे?**

हालांकि हमारे विक्रेताओं द्वारा सतत सोर्सिंग की ऐसी शर्त का अनुपालन नहीं मांगा जाता है, लेकिन कई विक्रेताओं ने पहले ही इसे व्यवहार में अपना लिया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान खरीद मूल्य के 73% तक की खरीद ऐसे आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों से की जाती है जिन्होंने पहले से ही ऐसी शर्तों को अपना लिया है।

3. **(ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-कचरा (सी) खतरनाक अपशिष्ट और (डी) अन्य अपशिष्ट के लिए अपने उत्पादों को पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और जीवन के अंत में निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

जीआरएसई उत्पाद पूंजीगत सामान श्रेणी में आते हैं जिनका जीवन अधिकांश मामलों में 25 वर्ष से अधिक हो जाता है। कंपनी के मुख्य उत्पाद युद्धपोत, जलयान, बेली ब्रिज, पोत इंजन और रणनीतिक/राष्ट्रीय संरक्षा अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए अन्य सहायक उपकरण हैं। एक बार उत्पाद बिकने के बाद वे कंपनी के पास वापस नहीं आएंगे। पूंजीगत वस्तुओं का उपयोगी जीवन समाप्त होने के बाद, वे पुन: उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं और इसलिए पूंजीगत अच्छे उत्पादों के मालिकों द्वारा उन्हें स्क्रैप के रूप में निपटाया जाता है।

4. **क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसे संबोधित करने के लिए उठाए गए कदम प्रदान करें।**

ईपीआर जीआरएसई की गतिविधियों पर लागू नहीं है।

<u>नेतृत्व संकेतक</u>

1. **क्या इकाई ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हां, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?**

एनआईसी कोड	उत्पाद का नाम /सेवा	% का कुल कारोबार योगदान	सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य / मूल्यांकन संचालित किया गया	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया (हां नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में परिणाम का उल्लेख किया गया (हां नहीं) यदि हां, तो वेब -लिंक प्रदान करें ।
लागू नहीं क्योंकि कंपनी का मुख्य उत्पाद पोत है और एक बार उत्पाद बिक जाने के बाद , वे कंपनी के पास वापस नहीं आएंगे।					

2. **यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो कार्रवाई के साथ उसका संक्षेप में वर्णन करें। उसी को कम करने के लिए लिया गया।**

उत्पाद / सेवा का नाम	जोखिम/चिंता का विवरण	कार्रवाई की
शून्य		

3. **उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुन: उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।**

इनपुट सामग्री इंगित करें	कुल सामग्री के लिए पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री	
	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
शून्य		

कंपनी की विनिर्माण प्रक्रियाओं में काफी मात्रा में धातु स्क्रैप उत्पन्न होता है, हालांकि अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए इंजीनियरिंग उपाय किए जाते हैं । कुछ धातु स्क्रैप का पुनः उपयोग किया जाता है और शेष को उचित प्रक्रिया के बाद बेचा जाता है।

4. **उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त किए गए उत्पादों और पैकेजिंग में से, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पुन: उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटान की गई मात्रा (मीट्रिक टन में):**

	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	पुन: उपयोग किए	पुनर्नवीनीकरण	सुरक्षित रूप से उतारू	पुन: उपयोग किए	पुनर्नवीनीकरण	सुरक्षित रूप से उतारू
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई-कचरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
खतरनाक अपशिष्ट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य अपशिष्ट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

जीआरएसई का व्यवसाय बी2बी प्रकृति का है और हमारे द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले उत्पाद/प्रणालियां लंबे जीवन चक्र (25 वर्ष और उससे अधिक) के साथ पूंजीगत वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं। सभी संबद्ध पैकेजिंग सामग्री जिसमें हम अपने उत्पादों की आपूर्ति करते हैं, देश और विदेश में फैले हमारे ग्राहकों की संपत्ति बन जाती है। इस स्थिति में, ग्राहक से उत्पाद (जीवन के अंत) या पैकेजिंग सामग्री को पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है।

5. **प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।**

उत्पाद श्रेणी बताएं	पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों का %
	लागू नहीं

पोत निर्माण, पोत मरम्मत और कंपनी के अन्य उत्पादों के मामले में उत्पाद पैकेजिंग को पुनः प्राप्त करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

सिद्धांत 3

व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला में शामिल सभी कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **(ए) कर्मचारियों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:**

वर्ग	कुल (ए)	द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों का %									
		स्वास्थ्य बीमा(*)		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी/ ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	संख्या (ई)	% (ई/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	529	-	-	-	-	-	-	12	2.27	-	-
महिला	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**580**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12**	**2.07**	**-**	**-**
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य											
पुरुष	64	-	-	-	-	-	-			-	-
महिला	07	-	-	-	-	-	-			-	-
कुल	**71**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(बी) श्रमिकों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:

वर्ग	कुल (ए)	द्वारा कवर किए गए श्रमिकों का %									
		स्वास्थ्य बीमा (*)		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी/ ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	संख्या (ई)	% (ई/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)
स्थायी श्रमिक											
पुरुष	965	-	-	-	-	-	-	10	1.04	-	-
महिला	28	-	-	-	-	1	3.57	-	-	-	-
कुल	**993**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**0.10**	**10**	**1.01**	**-**	**-**
स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य											
पुरुष	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(*) कंपनी के मेडिकल अटेंडेंस नियमों के तहत कंपनी द्वारा अपने संसाधनों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा का प्रबंधन किया जाता है।

(सी) निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और गैर-स्थायी सहित) के कल्याण हेतु उपायों पर व्यय:

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याणकारी उपायों पर व्यय	0.93%	0.74%

2. **वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण**

फ़ायदे	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त 2022-23		
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	% के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या कुल श्रमिक	कटौती की गई और प्राधिकारी के पास जमा की गई (हाँ/नहीं/एनए)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकारी के पास जमा की गई (हाँ/नहीं/एनए)
पीएफ	100	100	हाँ	100	100	हाँ
ग्रेच्युटी	100	100	लागू नहीं	100	100	लागू नहीं
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य - (जीआरएसई पेंशन योजना)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणी:

(i) कंपनी की इकाइयों में स्थापित कंपनी औद्योगिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा स्थायी कर्मचारियों/श्रमिकों की चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है। विशेष उपचार के मामले में, कर्मचारियों/कर्मचारियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में भेजा जाता है। चूंकि कंपनी द्वारा स्थायी कर्मचारियों/श्रमिकों की चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है, इसलिए कोई अलग से स्वास्थ्य बीमा नहीं लिया जाता है।

(ii) पीएफ और ग्रेच्युटी के अलावा सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में, सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को जीआरएसई पेंशन योजना के तहत भी कवर किया जाता है।

(iii) ईएसआई लागू नहीं है क्योंकि जीआरएसई सभी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा योजना का विस्तार करता है।

3. **कार्यस्थलों की पहुंच**

क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार इकाई के परिसर/कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या इकाई द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाया जा रहा है?

हाँ, हमारे सभी कार्यालय परिसर/इकाइयाँ दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं। जीआरएसई लगातार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बुनियादी ढांचे की पहुंच में सुधार लाने की दिशा में काम कर रहा है और इसे दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया गया है।

4. **क्या इकाई के पास दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हां, तो पॉलिसी के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।**

हाँ, पॉलिसी का वेब लिंक https://www.grse.in/equal-opportunity-policy/ है।

5. **पैरेंटल अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दरें।**

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी श्रमिक	
	कार्य दर पर लौटें	अवधारण दर	कार्य दर पर लौटें	अवधारण दर
पुरुष	100%	100%	100%	100%
महिला	100%	100%	100%	100%
कुल	100%	100%	100%	100%

6. **क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।**

	हां/नहीं (यदि हां, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें)
स्थायी कर्मचारी	हाँ
स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य	हाँ
कर्मचारी	हाँ
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य	हाँ

जीआरएसई के पास शिकायत निवारण प्रणाली सहित कई ऑनलाइन शिकायत पोर्टल हैं जो अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को कंपनी के साथ व्यवस्थित रूप से जुड़ने की अनुमति देता है और उन्हें अपने व्यक्तिगत विचार और राय व्यक्त करने में सक्षम बनाता है।

7. **सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता:**

वर्ग	वित्त वर्ष 24-2023			वित्त वर्ष 23-2022		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारियों /श्रमिकों (ए)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा हैं (बी)	% (बी/ए)	कुल कर्मचारी / संबंधित श्रेणी के श्रमिक (सी)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा हैं (डी)	% (डी/ सी)
कुल स्थायी कर्मचारी	**580**	**438**	**75.52**	**590**	**460**	**77.97**
▪ पुरुष	529	402	75.99	539	421	78.11
▪ महिला	51	36	70.59	51	39	76.47
कुल स्थायी श्रमिक	**993**	**993**	**100.00**	**1075**	**1075**	**100.00**
▪ पुरुष	965	965	100.00	1046	1046	100.00
▪ महिला	28	28	100.00	29	29	100.00

8. **कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिये गये प्रशिक्षण का विवरण:**

वर्ग	वित्त वर्ष 2023-24					वित्त वर्ष 2022-23				
	कुल (ए)	स्वास्थ्य और संरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (डी)	स्वास्थ्य और संरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		सं. (बी)	% (बी / ए)	सं. (सी)	% (सी/ए)		सं. (इ)	% (ई/डी)	सं. (एफ)	% (एफ/ डी)
कर्मचारी										
पुरुष	593	91	15.35	441	74.37	607	77	12.69	417	68.70
महिला	58	11	18.97	49	84.48	61	15	24.59	35	57.38
कुल	**651**	**102**	**15.67**	**490**	**75.27**	**668**	**92**	**13.77**	**452**	**67.66**
श्रमिक										
पुरुष	966	309	31.99	187	19.36	1046	382	36.52	26	2.49
महिला	28	8	28.57	3	10.71	30	5	16.67	2	6.67
कुल	**994**	**317**	**31.89**	**190**	**19.11**	**1076**	**387**	**35.97**	**28**	**2.60**

9. **कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रदर्शन और कैरियर विकास की समीक्षा का विवरण:**

वर्ग	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	कुल (ए)	सं. (बी)	%(बी / ए)	कुल (सी)	सं. (डी)	%(डी/सी)
कर्मचारी						
पुरुष	593	593	100.00	607	607	100.00
महिला	58	58	100.00	61	61	100.00
कुल	**651**	**651**	**100.00**	**668**	**668**	**100.00**
श्रमिक						
पुरुष	966	966	100	1046	284	27.15
महिला	28	28	100	30	6	20.00
कुल	**994**	**994**	**100**	**1076**	**290**	**26.95**

10. स्वास्थ्य एवं संरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

ए. क्या इकाई द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ/नहीं) ।यदि हां, ऐसी प्रणाली की कवरेज?

जी हाँ, जीआरएसई ने व्यावसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस) लागू की है। जीआरएसई का लक्ष्य स्वास्थ्य और संरक्षा के लिए किसी भी नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने और उससे आगे निकलने के लिए आवश्यक उच्चतम मानक स्थापित करना है। सभी जीआरएसई इकाइयों के पास आईएसओ प्रमाणन है और कवरेज सिस्टम की आवश्यकता के अनुसार है। वैधानिक आवश्यकताओं/विनियमों/दिशानिर्देशों/नीतियों के अनुरूप, जीआरएसई कार्यस्थल से संबंधित सभी बीमारियों और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करता है। तद्नुसार, स्वास्थ्य और संरक्षा इसके सभी कार्यों के महत्वपूर्ण घटक हैं। यह जोखिम मूल्यांकन में सहायता करता है और संचालन और गतिविधियों में स्वास्थ्य और संरक्षा मुद्दों के खिलाफ संरक्षा उपाय प्रदान करता है। आंतरिक और निगरानी ऑडिट और मूल्यांकन नियमित आधार पर किए जाते हैं, जिससे संरक्षा मानकों और प्रदर्शन में निरंतर सुधार होता है

बी. कंपनी द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन सी प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है?

कंपनी द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर काम से संबंधित खतरों की पहचान करने और जोखिमों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है:

(i) खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन

(ii) पहलू और प्रभाव रजिस्टर

(iii) सूची जांचें

(iv) संरक्षा निरीक्षण/टिप्पणियाँ

(v) ड्राइव एवं अभियान

(vi) संरक्षा ऑडिट

सी. क्या कंपनी के पास श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और खुद को ऐसे जोखिमों से दूर करने की प्रक्रिया है? (हां/ नहीं)

हाँ

डी. क्या कंपनी के कर्मचारियों/कर्मचारियों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं? (हां / नहीं)

हाँ

11. संरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:

संरक्षा घटना I संख्या	वर्ग	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
खोए हुए समय की चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख-व्यक्ति काम किए गए घंटे)	कर्मचारी	1.24	2.43
	श्रमिक (ठेकेदार)	0.66	शून्य
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी	03	08
	श्रमिक(ठेकेदार)	06	शून्य
मरने वालों की संख्या	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	श्रमिक (ठेकेदार)	01	02
उच्च परिणाम कार्य-संबंधी चोट या खराब स्वास्थ्य (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	श्रमिक (ठेकेदार)	शून्य	शून्य

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं

(i) कार्यस्थल पर पर्याप्त वेंटिलेशन, प्रकाश व्यवस्था, मशीन गार्ड और निकास प्रणाली का प्रावधान;

(ii) पेयजल, विश्राम कक्ष और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना का प्रावधान;

(iii) व्यक्तिगत संरक्षा उपकरण के प्रावधान;

(iv) अग्नि, संरक्षा, स्वास्थ्य और प्राथमिक चिकित्सा पर साइनेज, एहतियाती बोर्ड और प्रशिक्षण के प्रदर्शन के माध्यम से जागरूकता पैदा की गई।

(v) हाइट वर्क, हॉट वर्क जैसी वर्क परमिट प्रणालियों का कार्यान्वयन;

(vi) कर्मचारियों की समय-समय पर स्वास्थ्य जांच;

(vii) संरक्षा बैनर प्रदर्शित करके, संरक्षा बैज का वितरण, संरक्षा शपथ लेकर और संरक्षा जागरूकता पोस्टर आदि प्रदर्शित करके संरक्षा दिवस मनाया गया।

13. **कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:**

	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	वर्ष के दौरान दाखिल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दाखिल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी
काम करने की स्थिति	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
स्वास्थ्य और संरक्षा	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं

14. **वर्ष के लिए मूल्यांकन:**

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन (संस्था या वैधानिक प्राधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा) किया गया
स्वास्थ्य और संरक्षा प्रथाएँ	100
काम करने की स्थिति	100

वर्ष 2023-24 के दौरान, मेन यूनिट में तीसरे पक्ष मैसर्स टेक्नो कंसल्टेंट, कोलकाता द्वारा संरक्षा ऑडिट किया गया।

15. **संरक्षा -संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य एवं संरक्षा प्रथाओं और कामकाजी परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

(i) सभी संरक्षा संबंधी घटनाओं की जांच की जाती है और जांच से मिली सीख को ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाइयों की तैनाती के लिए पूरे संगठन में साझा किया जाता है। संरक्षा ऑडिट के दौरान सुधारात्मक कार्रवाइयों की तैनाती की प्रभावशीलता की जाँच की जाती है।

(ii) संबंधित क्षेत्र या समारोह जहां घटना हुई है, वहां संरक्षा नियमावली और एसओपी की समीक्षा/पुनरीक्षण किया जाता है।

(iii) स्वास्थ्य और संरक्षा प्रथाओं के मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को निम्नलिखित जोखिम नियंत्रण पदानुक्रम के माध्यम से संबोधित किया जाता है अर्थात उन्मूलन, प्रतिस्थापन, इंजीनियरिंग नियंत्रण (प्रौद्योगिकी/डिजिटलीकरण आदि का उपयोग), प्रशासनिक नियंत्रण (संरक्षा क्षमता निर्माण, निगरानी और पर्यवेक्षण, दृश्य प्रदर्शन आदि)) और पीपीई का उपयोग।

<u>नेतृत्व संकेतक</u>

1. **क्या संस्था (ए) कर्मचारियों (हाँ /नहीं) (बी) श्रमिकों (हाँ /नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई मुआवजा पैकेज प्रदान करती है।**

क.	कर्मचारी	हाँ
ख.	श्रमिक	हाँ

2. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक बकाया राशि की कटौती और जमा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपायों को उपलब्ध कराएं ।**

मूल्य श्रृंखला भागीदारों के बिलों का निपटान, बिलों के साथ प्रस्तुत जमा/प्रेषण चालानों का सत्यापन करके संबंधित प्राधिकारियों को लागू वैधानिक बकाया राशि का प्रेषण सुनिश्चित करने के बाद किया जाता है।

3. **ऐसे कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या बताएं, जिन्हें गंभीर परिणाम वाली कार्य-संबंधित चोट/बीमारी/मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है) का सामना करना पड़ा है, जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:**

	प्रभावित कर्मचारियों/श्रमिकों की कुल संख्या		उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिन्हें पुनर्वासित किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है	
	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कर्मचारी	0	0	0	0
श्रमिक	1	2	1	2

नोट: सभी मामलों में परिवार के सदस्यों को संविदा के तहत उपयुक्त रोजगार पर रखा गया है ।

4. **क्या संस्था निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप करियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए ट्रांजिशन सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हाँ / नहीं)**

नहीं ।

5. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:**

जीआरएसई के सभी मूल्य श्रृंखला भागीदार प्रासंगिक श्रम कानूनों और अधिनियमों के अंतर्गत आते हैं, जिसके कारण केंद्रीय और राज्य श्रम विभाग मूल्य श्रृंखला भागीदारों के परिसर में स्वास्थ्य और संरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों से संबंधित आवधिक निरीक्षण करते हैं। पहचाने गए किसी भी अंतर को भागीदारों द्वारा उचित रूप से संबोधित किया जाता है ।

	मूल्य शृंखला साझेदारों का % (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य और संरक्षा प्रथाएँ	शून्य
काम करने की स्थिति	शून्य

6. **मूल्य श्रृंखला साझेदारों के स्वास्थ्य और संरक्षा प्रथाओं और कामकाजी परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

यह लागू नहीं है क्योंकि कंपनी वर्तमान में अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए कोई मूल्यांकन नहीं करती है।

सिद्धांत 4

व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

कंपनी के पास प्रमुख हितधारकों की पहचान के लिए प्रणाली है। जीआरएसई में हितधारकों की सहभागिता एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कंपनी अपने हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर उनकी अपेक्षाओं को समझने और संबोधित करने के लिए बातचीत करती है और साझा मूल्य बनाने के लिए उनके साथ सहयोग करती है। कंपनी ने अपने सभी हितधारकों के साथ आपसी विश्वास, पारदर्शिता, नैतिकता और जवाबदेही पर आधारित रचनात्मक संबंध बनाए हैं। कंपनी के संचालन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों के साथ निरंतर बातचीत की प्रक्रिया और उनकी प्रतिक्रिया ने हमें हितधारकों के साथ स्थायी संबंध स्थापित करने में सक्षम बनाया है। ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों, शेयरधारकों, सरकार, नियामक और वैधानिक निकायों, लेखा परीक्षकों, बैंकरों के अलावा, कंपनी के डिवीजनों/ यूनिटों के आसपास के सभी समुदाय के सदस्यों को कंपनी के प्रमुख हितधारक के रूप में माना जाता है।

2. **आपकी संस्था के लिए महत्वपूर्ण हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ कार्यव्यस्तता की आवृत्ति बताएं।**

हितधारक समूह	क्या इसकी पहचान कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूह के रूप में की गई है (हां/ नहीं)	संचार (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), के चैनल अन्य	कार्यव्यस्तता की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/अन्य-कृपया निर्दिष्ट करें)	कार्यव्यस्तता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित सहभागिता का उद्देश्य और दायरा
ग्राहकों	नहीं	ईमेल, पत्र, बैठकें, वेबसाइट आदि।	नियमित रूप से	ग्राहकों की आवश्यकताओं, उनकी आवश्यकता, शिकायतों का समाधान, व्यावसायिक पूछताछ आदि का मूल्यांकन ।
निवेशक/ शेयरधारक	नहीं	वेबसाइट, ईमेल, पत्र, बैठकें, प्रेस विज्ञप्तियां, स्टॉक एक्सचेंज प्रकटीकरण, वार्षिक रिपोर्ट, निवेशक बैठकें, निवेशक कॉल आदि।	नियुक्ति त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक आधार पर और जब भी कार्यक्रम होता है तब की जाती है।	सभी आयोजनों के लिए शेयरधारकों की मंजूरी, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक शिकायतों और प्रकटीकरणों का समाधान आवश्यक है।
कर्मचारी	नहीं	ईमेल, नोटिस बोर्ड, ई-न्यूज़लैटर, पत्रिका, घटनाओं पर सी एंड एमडी का संदेश, शॉप काउंसिल, प्लांट काउंसिल, पोर्टल (आस्क अन्वेषा), पुरस्कार और मान्यता, पारिवारिक गतिविधि कार्यक्रम ‹ अहोबन ‹ के माध्यम से जुड़ाव, आदि।	साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक और कभी-कभी	कंपनी की गतिविधियों, मजबूत कर्मचारी जुड़ाव, मान्यता और पुरस्कार, मजबूत संगठन संस्कृति का निर्माण, नेतृत्व विकास, यूनियन जुड़ाव पर जानकारी।

हितधारक समूह	क्या इसकी पहचान कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूह के रूप में की गई है (हां/ नहीं)	संचार (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), के चैनल अन्य	कार्यव्यस्तता की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/अन्य-कृपया निर्दिष्ट करें)	कार्यव्यस्तता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित सहभागिता का उद्देश्य और दायरा
विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं	नहीं	वेबसाइट, ईमेल, जीआरएसई वेबसाइट, विक्रेता बैठक आदि।	नियमित रूप से	विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं को इसके बारे में जागरूक करना: • सार्वजनिक खरीद नीति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) • आयात प्रतिस्थापन • जेम पोर्टल पर जारी निविदाओं में भाग लेना • जीआरएसई के शिकायत निवारण पोर्टल पर शिकायतें दर्ज करना और उन पर नज़र रखना। • जीआरएसई गुणवत्ता उद्देश्य
उद्योग निकाय, नियामक	नहीं	ईमेल, पत्र, बैठकें	जब भी आवश्यकता हो.	लागू कानूनों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें
विशेषज्ञ / शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान	नहीं	पारस्परिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं पर सहयोगात्मक आवश्यकता-आधारित कार्यकलाप, केस आधारित बैठकें।	आवश्यकता आधार	ग्राहक की आवश्यकता और विनियामक आवश्यकताओं के साथ तकनीकी, प्रबंधकीय और नेतृत्व संरेखण सुनिश्चित करना
सरकार; गैर सरकारी संगठन; स्थानीय समुदाय; मीडिया. उद्योग विश्लेषक, समाज	नहीं	आवश्यकतानुसार: शासन आरएफआई/ आरएफपी; प्रस्तुतियाँ, परियोजना बैठकें, समीक्षाएँ, उचित परिश्रम, कॉल और बैठकें, सम्मेलन और सेमिनार, सर्वेक्षण, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस सम्मेलन; मीडिया साक्षात्कार और उद्धरण, प्रायोजित कार्यक्रम, विश्लेषक बैठक	मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और जब भी आवश्यकता हो।	• जीआरएसई प्रदर्शन और रणनीति के बारे में बताएं; • सार्वजनिक और व्यावसायिक चिंताओं के बारे में जानकारी साझा करें और योगदान करें; • जिम्मेदार व्यावसायिक मुद्दों पर जीआरएसई की प्रतिक्रिया पर चर्चा करें।

नेतृत्व संकेतक

1. **आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श सौंपा गया है, तो ऐसे परामर्शों से बोर्ड को फीडबैक कैसे प्रदान किया जाता है।**

जीआरएसई अपने हितधारकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने में दृढ़ता से विश्वास करता है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारा नेतृत्व विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हितधारकों से आर्थिक, पर्यावरणीय या सामाजिक विषयों पर फीडबैक शामिल किया जाए ।

इस सहभागिता को सुविधाजनक बनाने के लिए, हमने चिंता के प्रमुख क्षेत्रों के लिए समर्पित कई समितियाँ स्थापित की हैं। संरक्षा , स्वास्थ्य और स्थिरता (एसएचएस) समिति संरक्षा , स्वास्थ्य और स्थिरता मुद्दों में हमारे प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है और कंपनी की प्रासंगिक नीतियों के कार्यान्वयन की देखरेख करती है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति बोर्ड को सीएसआर नीतियों को तैयार करने और उनकी सिफारिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त, यह सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए सीएसआर बजट आवंटन, गतिविधियों और व्यय की सावधानीपूर्वक निगरानी करती है।

इसके अलावा, हमारी हितधारक संबंध समिति को लाभांश भुगतान, सुरक्षा धारकों और रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के प्रदर्शन से संबंधित वैधानिक अनुपालन और सेवाओं का मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया है , जिससे हमारी बातचीत में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ेगी।

शेयरधारकों की भागीदारी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप, हम शेयरधारकों को वार्षिक आम बैठक के दौरान सभी बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह मंच हमें अपने हितधारकों की बदलती जरूरतों और चिंताओं के प्रति सजग रहने का अवसर देता है, जिससे उनके हितों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी बने रहने की हमारी प्रतिज्ञा मजबूत होती है।

2. **क्या हितधारक परामर्श का उपयोग पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए किया जाता है (हां / नहीं)। यदि हां, तो उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को संस्था की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया।**

हाँ। निगमित पर्यावरण और सामाजिक प्रयासों में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए हितधारक परामर्श महत्वपूर्ण है। हितधारकों ने जीआरएसई के विभिन्न पर्यावरणीय और सामाजिक प्रयासों जैसे आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशीकरण, आयात प्रतिस्थापन उपकरणों का विकास, सौर ऊर्जा का उपयोग, महिला कर्मचारियों का सशक्तिकरण आदि के लिए अपना समर्थन प्रदान किया है। सीएसआर गतिविधियों को शुरू करते समय या जीआरएसई की सीमा के बाहर पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं के लिए, हितधारकों (समुदाय, नियामक निकाय, आदि) से व्यापक लाभ के लिए संसाधनों के बेहतर और प्रभावी उपयोग के लिए परामर्श और प्रतिक्रिया ली जाती है।

3. **कमजोर/हाशिये पर पड़े हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए उनके साथ जुड़ाव के उदाहरणों और की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें।**

कमजोर/हाशिए पर पड़े हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए कंपनी की कार्रवाई में निम्नलिखित कुछ कार्यक्रम शामिल हैं:

क) समाज के सामाजिक रूप से वंचित वर्गों अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और शारीरिक रूप से दिव्यांगो के लिए नियुक्ति में आरक्षण।

ख) सीएस आर गतिविधियों के माध्यम से कंपनी ने निम्नलिखित गतिविधियाँ शुरू की हैं:

i) बेरोजगार युवाओं को कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण

ii) पिछड़े क्षेत्र के आईटीआई को अपनाना।

iii) भारतीय मस्तिष्क पक्षाघात संस्थान (आईआईसीपी), कोलकाता की कक्षाओं का समर्थन करके दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाना।

iv) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले छात्रों के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम

v) क्राई के सहयोग से कमजोर बच्चों को अध्ययन, सीखने और बढ़ने के लिए स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करके उनके जीवन में स्थायी परिवर्तन लाना।

ग) एमएसएमई को परियोजना निविदा में प्राथमिकता दी गई है, तथा महिला स्वामित्व वाली और एससी/एसटी स्वामित्व वाली एमएसएमई को खरीद का एक निर्धारित हिस्सा दिया गया है।

सिद्धांत 5

व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **जिन कर्मचारियों और श्रमिकों को निम्नलिखित प्रारूप में मानवाधिकार मुद्दों और संस्था की नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:**

वर्ग	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	कुल (ए)	कवर किए गए कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या (बी)	% (बी ० ए)	कुल (सी)	कवर किए गए कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या (डी)	% (डी/ सी)
कर्मचारी						
स्थायी	580	152	26.21	590	153	25.93
स्थायी के अलावा अन्य	71	20	28.17	78	11	14.10
कुल कर्मचारी	**651**	**172**	**26.42**	**668**	**164**	**24.55**
श्रमिक						
स्थायी	993	4	0.40	1075	0	0
स्थायी के अलावा अन्य	1	0	0.00	1	0	0
कुल श्रमिक	**994**	**4**	**0.40**	**1076**	**0**	**0**

2. कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में है:

वर्ग	वित्त वर्ष 2023-24					2022-23				
	कुल (ए)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (डी)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		सं. (बी)	% (बी / ए)	सं. (सी)	% (सीए)		सं. (ई)	% (ईडी)	सं. (एफ)	% (एफ/डी)
कर्मचारी										
स्थायी	**580**	-		**580**	**100**	**590**	-		**590**	**100**
▪ पुरुष	529	-		529	100	539	-		539	100
▪ महिला	51	-		51	100	51	-		51	100
स्थायी के अलावा अन्य	**71**			**71**	**100**	**78**			**78**	**100**
▪ पुरुष	64	-		64	100	68	-		68	100
▪ महिला	7	-		7	100	10	-		10	100
श्रमिक										
स्थायी	**993**			**993**	**100**	**1075**			**1075**	**100**
▪ पुरुष	965	-		965	100	1046	-		1046	100
▪ महिला	28	-		28	100	29	-		29	100
स्थायी के अलावा अन्य	**1**	-		**1**	**100**	**1**	-		**1**	**100**
▪ पुरुष	1	-		1	100	0	-		0	0
▪ महिला	0	-		0	0	1	-		1	100

3. निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण

क. औसत पारिश्रमिक/मजदूरी:

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का पारिश्रमिक/ वेतन/मजदूरी औसत (लाख रू. में)	संख्या	संबंधित श्रेणी का पारिश्रमिक/ वेतन/मजदूरी औसत(लाख रू. में)
निदेशक मंडल (बीओडी)				
▪ कार्यात्मक निदेशक	4	62.95	0	लागू नहीं
▪ सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	शून्य	0	लागू नहीं
▪ स्वतंत्र निदेशक	2	लागू नहीं	1	
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	1	38.87	0	0
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी:				
अधिकारियों	445	22.28	34	22.45
पर्यवेक्षकों	147	9.52	24	11.81
श्रमिकों	996	16.33	28	13.34

टिप्पणी:

(i) 31.03.2023 को निदेशक मंडल और केएमपी पर विचार किया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) और 17(2) के अनुसार वेतन और अनुलाभ के आधार पर औसत वेतन निकाला गया।

(ii) निदेशक मंडल और केएमपी का पारिश्रमिक विवरण निगमित गवर्नेंस रिपोर्ट के अंतर्गत आता है, जो वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 का हिस्सा है।

(iii) सरकार द्वारा नामित निदेशक को कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है।

(iv) स्वतंत्र निदेशक को बोर्ड और आईटी समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क प्राप्त होता है।

ख. संस्था द्वारा महिलाओं को दी गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में सकल मजदूरी, निम्नलिखित प्रारूप में:

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को दिया गया सकल वेतन	4.89%	4.89%

4. क्या आपके पास कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या योगदान किए गए मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है? (हां नहीं)

हाँ, मानव संसाधन विभाग के प्रमुख एक केन्द्र बिन्दु है जो व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या उसमें योगदान किए गए मानव अधिकार प्रभावों या मुद्दों के समाधान के लिए जिम्मेदार हैं ।

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

कंपनी में मानवाधिकार मुद्दों के निवारण के लिए कोई अलग तंत्र मौजूद नहीं है। हालाँकि, सेवा-संबंधी मामलों और अन्य मुद्दों पर कर्मचारियों की शिकायतों को हल करने के लिए शिकायत तंत्र काम कर रहा है।

कंपनी व्हिसल ब्लोअर तंत्र के तहत रिपोर्ट करने वाले या जांच में भाग लेने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव, प्रतिशोध या उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। व्हिसल ब्लोअर नीति, आचार संहिता और शिकायत नीति शिकायतकर्ता की पहचान की रक्षा करने और जांच के प्रत्येक चरण के दौरान गोपनीयता बनाए रखने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता रखती है। इसके अलावा, यौन उत्पीड़न से उत्पन्न मुद्दों को संबोधित करने और हल करने के लिए वैधानिक प्रावधानों के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की गई है, कार्य समिति काम करने की स्थिति, संरक्षा मुद्दों आदि से संबंधित शिकायतों से निपटती है और शिकायत निवारण नीति कर्मचारी शिकायतों की रिपोर्ट करने और उन्हें हल करने के लिए तंत्र प्रदान करती है।

कंपनी में जाति, पंथ, लिंग, धर्म, भाषा, शारीरिक विशेषताओं, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सेवा संबंधी मामलों और अन्य मुद्दों पर कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए निम्नलिखित समितियाँ मौजूद हैं : -

1) कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण समिति
2) लोक शिकायत का निपटारा लोक शिकायत अधिकारी द्वारा संबंधित विभाग के परामर्श से किया जाता है।
3) यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन ।
4) सामान्य मुद्दों पर विचार करने के लिए कर्मचारी संपर्क समिति
5) महिला कर्मचारियों के लिए कर्मचारी संपर्क समिति
6) व्हिसल ब्लोअर तंत्र, व्हिसल ब्लोअर को किसी भी उत्पीड़न / उत्पीड़न से बचाने के लिए है ।

6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	वर्ष के दौरान दाखिल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दाखिल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी
यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
बाल श्रम	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
वेतन	3	3	शिकायतों को वित्त वर्ष 2024-25 तक आगे बढ़ा दिया गया	2	2	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लंबित शिकायतों का समाधान किया गया
अन्य मानवाधिकार संबंधी मुद्दे	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
अन्य	3	0	-	1	1	लंबित शिकायत का समाधान वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया

7. **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज की गई शिकायतें:**

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के अंतर्गत दर्ज कुल शिकायतें	0	0
महिला कर्मचारी/ श्रमिक	86	99
पीओएसएच पर महिला कर्मचारियों/श्रमिकों की शिकायतों का प्रतिशत	0	0
पीओएसएच पर शिकायतें बरकरार रखी गईं	लागू नहीं	लागू नहीं

8. **भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।**

जीआरएसई में यौन उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता के प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए एक उचित तंत्र है। इसी तरह, विभिन्न मुद्दों पर शिकायत करने के लिए व्हिसल-ब्लोअर नीति है जिसके अनुसार शिकायतकर्ता को नीति के अनुसार कुछ संरक्षण दी गई है।

9. **क्या मानवाधिकार आवश्यकताएँ आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हाँ / नहीं)**

हां, मानवाधिकार की आवश्यकता व्यावसायिक समझौते या अनुबंध का हिस्सा बनती है। जीआरएसई और सेवा प्रदाता के बीच सेवा अनुबंध में बाल श्रम, न्यूनतम मजदूरी आदि जैसे मानवाधिकार आवश्यकताओं को पूरा करने वाले खंड शामिल हैं।

10. **वर्ष के लिए आकलन:**

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरण या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	100
जबरन/अनैच्छिक श्रम	100
यौन उत्पीड़न	100
कार्यस्थल पर भेदभाव	100
वेतन	100

जीआरएसई मानवाधिकार मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी संयंत्रों और कार्यालयों का व्यापक मूल्यांकन करता है। आंतरिक टीमें प्रत्येक सुविधा का कठोर मूल्यांकन करती हैं, जो किसी भी उल्लंघन की पहचान करने और उसे सुधारने के लिए डिज़ाइन किए गए मजबूत जांच और नियंत्रण द्वारा समर्थित है। इनका मूल्यांकन कंपनी की वरिष्ठ नेतृत्व टीम द्वारा नियमित रूप से चल रही समीक्षाओं के हिस्से के रूप में किया जाता है।

इसके अलावा, सभी जीआरएसई इकाइयों का समय-समय पर केंद्रीय और राज्य श्रम विभागों, पीएफ और ईएसआई विभागों और अन्य सरकारी संस्थानों या विभागों द्वारा प्रासंगिक कानून/अधिनियम/क़ानून से संबंधित अनुपालन और खामियों की पहचान के लिए निरीक्षण किया जाता है।

11. **उपरोक्त प्रश्न 10 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें?**

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने अपने परिचालनों की पूरी लगन से निगरानी की और कोई महत्वपूर्ण जोखिम या चिंता नहीं पाई। हालाँकि, जिम्मेदार निगमित प्रथाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, हम अपनी गतिविधियों की निरंतर निगरानी के माध्यम से सतर्क दृष्टिकोण बनाए रखते हैं।

<u>नेतृत्व संकेतक</u>

1. **मानवाधिकार शिकायतों/शिकायतों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/ प्रवर्तित की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।**

शून्य. कंपनी को 2023-24 के दौरान मानवाधिकार सिद्धांतों और दिशानिर्देशों के संबंध में कोई शिकायत/शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

2. **आयोजित किसी भी मानवाधिकार संबंधी परिश्रम के दायरे और कवरेज का विवरण।**

सभी स्थान वैधानिक प्रावधानों का 100% अनुपालन बनाए रखते हैं। इसकी विधिवत रिपोर्टिंग भी क़ानून के अनुसार संबंधित सरकारी कार्यालयों को की जाती है। इसके लिए उचित परिश्रम को समय-समय पर आंतरिक निरीक्षण के माध्यम से भी विनियमित किया जाता है।

3. **क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार संस्था का परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?**

हाँ

4. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:**

जीआरएसई ने मानवाधिकार मानदंडों पर अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों का मूल्यांकन नहीं किया क्योंकि ये संस्थाएं श्रम संबंधी कानूनों/अधिनियमों/क़ानूनों के अंतर्गत आती हैं और संबंधित सरकारी विभाग/संस्था द्वारा मूल्यांकन या निरीक्षण किया जाता है।

5. **उपरोक्त प्रश्न 4 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं

सिद्धांत 6

व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और उसे सुरक्षित रखने तथा पुनर्स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण:**

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (ए)	6,537 जीजे	5,657 जीजे
कुल ईंधन खपत (बी)	शून्य	शून्य
ऊर्जा खपत (सी)	6,537 जीजे	5,657 जीजे
नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (ए+बी+सी)	**6,537 जीजे**	**5,657 जीजे**
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (डी)	31,703 जीजे	29,906 जीजे
कुल ईंधन खपत (ई)	शून्य	शून्य
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (एफ)	शून्य	शून्य
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (डी+ई+एफ)	**31,703 जीजे**	**29,906 जीजे**
कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)	**38,240 जीजे**	**35,563 जीजे**
प्रति रुपया कारोबार पर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/ परिचालन से राजस्व)	**10.64 जीजे / करोड़**	**13.89 जीजे / करोड़**
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार की ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत / परिचालन से राजस्व पीपीपी के लिए समायोजित)	**215.14 जीजे / करोड़**	**280.78 जीजे / करोड़**
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता	**0**	**0**
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	0	0

परिचालन से राजस्व (करोड़ रु.) : वित्त वर्ष 2023-24: 3592.64 और वित्त वर्ष 2022-23: 2561.15

राजस्व समायोजित क्रय शक्ति समता (पीपीपी) की गणना के प्रयोजन के लिए, विश्व बैंक के अनुसार रूपांतरण कारक @20.22 आईएनआर/यूएसडी पर विचार किया गया है।

(पीपीपी हेतु सोर्स- https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP?skipRedirection=true&view=map)

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है ? यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं। - नहीं

2. **क्या इकाई के पास भारत सरकार की निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।**

लागू नहीं

3. **जल से संबंधित निम्नलिखित खुलासों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:**

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	2,92,000	2,73,750
(ii) भूजल	3,07,560	2,69,564
(iii) तीसरे पक्ष का पानी	4,09,211	2,68,520
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	0	0
(v) अन्य	0	0
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	**10,08,771**	8,11,834
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	**10,08,771**	8,11,834
जल तीव्रता प्रति रुपया कारोबार के अनुसार (कुल जल खपत / परिचालन से राजस्व)	**280.79 केएल/ करोड़**	**316.98 केएल/ करोड़**
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार में जल तीव्रता (कुल जल खपत / परिचालन से राजस्व, पीपीपी के लिए समायोजित)	**5,677.57 केएल/ करोड़**	**6,409.34 केएल/ करोड़**
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल की तीव्रता	**0**	**0**
जल तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	0	0

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम - नहीं

4. **छोड़े गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:**

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल के लिए		
▪ कोई उपचार नहीं	0	0
▪ उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	41,834	54,936
(ii) भूजल के लिए		
▪ कोई उपचारनहीं	0	0
▪ उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(iii) समुद्री जल को		
▪ कोई उपचार नहीं	0	0
▪ उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
▪ कोई उपचार नहीं	0	0
▪ उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(v) अन्य		
▪ कोई उपचार नहीं	0	0
▪ उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
छोड़ा गया कुल पानी (किलोलीटर में)	**41,834**	**54,936**

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम - नहीं

5. **क्या इकाई ने शून्य तरल निर्वहन के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।**

हाँ। अपशिष्ट जल/अपशिष्ट के उपचार के लिए हमारे उत्पादन स्थानों पर ईटीपी (10 केएलडी क्षमता तक) और सोक पिट स्थापित किए गए हैं। ईटीपी से उपचारित पानी का उपयोग बागवानी और अन्य गैर-पोर्टेबल उपयोगों के लिए किया जाता है।

6. **कृपया निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें:**

पैरामीटर	कृपया यूनिट निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
एनओएक्स	-	लागू नहीं	लागू नहीं
एसओएक्स	-	लागू नहीं	लागू नहीं
कणिकीय पदार्थ (पीएम)	-	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)	-	लागू नहीं	लागू नहीं
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	-	लागू नहीं	लागू नहीं
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)	-	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं। - लागू नहीं

7. **निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:**

पैरामीटर	कृपया यूनिट निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (जीएचजी का सीओ 2 , सीएच 4 , एन 2 ओ, एचएफ़सीएस, पीएफ़सीएस, एसएफ़ 6 , एनएफ़ 3 में विभाजन , यदि उपलब्ध हो)	सीओ2 समतुल्य मीट्रिक टन	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (जीएचजी का सीओ 2 , सीएच 4 , एन 2 ओ, एचएफ़सीएस, पीएफ़सीएस, एसएफ़ 6 , एनएफ़ 3में विभाजन , यदि उपलब्ध हो)	सीओ2 समतुल्य मीट्रिक टन	लागू नहीं	लागू नहीं
प्रति रुपया कारोबार पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / परिचालन से राजस्व)	-	लागू नहीं	लागू नहीं
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार के लिए कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / परिचालन से राजस्व)	-	लागू नहीं	लागू नहीं
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता	-	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	-	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

8. **क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।**

हाँ। कंपनी ऊर्जा संरक्षण उपायों और ऊर्जा प्रतिस्थापन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों का समाधान करती है। कैप्टिव खपत के लिए सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है। कंपनी ने अब तक मुख्य, एफओजे और आरबीडी यूनिटों में कुल 2250 केडब्ल्यूपी यानी 2.25 मेगावाट का रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। वर्ष के दौरान, उपरोक्त 2.25 मेगावाट इकाई से कुल बिजली उत्पादन 17,53,141 किलोवाट था, जिसमें से 74,364 किलोवाट सीईएससी ग्रिड को इंजेक्ट किया गया। इसके अलावा यह सुविधा ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में लगभग 14,90,169.85 किलोग्राम की कमी लाने में मदद करती है {केडबल्यूएच x 0.85 (यानी उत्सर्जन कारक) = सीओ2 का किलोग्राम}

9. **इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:**

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक कचरा (ए)	0	0
ई-कचरा (बी)	0	11.19
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (सी)	0	0.04
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (डी)	2900	4,000
बैटरी बर्बादी (ई)	0	8.13
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)	0	0
अन्य खतरनाक अपशिष्ट. कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (जी)	केबल – 11 गंदा तेल - 16	केबल - 5.39 गंदा तेल - 14.40
उत्पन्न अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट (एच)। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (रचना के आधार पर विभाजन अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री के आधार पर)	0	0
कुल (ए+बी + सी + डी + ई + एफ + जी + एच)	**2927**	**4,039.15**
प्रति रुपया कारोबार में अपशिष्ट तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट / परिचालन से राजस्व)	**0.82 मीट्रिक टन/करोड़**	**1.58 मीट्रिक टन / करोड़**
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपए में अपशिष्ट तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट / पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से राजस्व)	**16.58 मीट्रिक टन / करोड़**	**31.95 मीट्रिक टन / करोड़**
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता	**0**	**0**
अपशिष्ट तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	**0**	**0**

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया जाना	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	**0**	**0**
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल कचरा (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	900	1500
कुल	**900**	**1500**

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम - नहीं

10. आपके प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। आपके उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

विभिन्न उत्पादन इकाइयों ने खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और ट्रांसबाउंडरी आंदोलन) नियम, 2016, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जैसे विभिन्न अधिनियमों और नियमों द्वारा शासित पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण की दिशा में विभिन्न उपाय किए हैं। 1981), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जल अधिनियम 1974 (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण), आदि। सभी इकाइयाँ आईएसओ 14001 प्रमाणित हैं और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन करती हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा निर्धारित अनुसार सभी उत्सर्जन और अपशिष्ट उत्पादन की निगरानी की जाती है।

हमारी विनिर्माण गतिविधि में, अपशिष्ट उत्पादन में कमी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में लिया जाता है और धातु शीट को काटने के लिए हमारी नेस्टिंग योजना इस पहलू का ध्यान रखने के लिए बनाई जाती है। जीआरएसई में, पुनर्विक्रय मूल्य वाले ठोस अपशिष्ट/स्क्रैप को एकत्र किया गया, अलग किया गया, संग्रहीत किया गया और बेचा गया।

इकाइयों में उत्पन्न होने वाले खतरनाक कचरे का निपटान नियामक आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।

कंपनी, अपने संचालन के हिस्से के रूप में, पुराने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम (आईटी) और संचार सिस्टम से ई-कचरा उत्पन्न करती है, जिसे उनके जीवन की समाप्ति या क्षति के बाद निपटाने की आवश्यकता होती है। उत्पन्न और एकत्र किए गए ई-कचरे को निर्दिष्ट क्षेत्रों (कवर के तहत) में संग्रहीत किया जाता है और अधिकृत डिस्मेंटलर्स / रिसाइक्लर्स / रिफर्बिशर्स के माध्यम से निपटान के लिए एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से नीलाम किया जाता है।

11. यदि इकाई के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र इत्यादि) में/आस-पास संचालन/कार्यालय हैं, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/अनुमति की आवश्यकता होती है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

क्रम सं.	संचालन/कार्यालय के स्थान	संचालन का प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हां/नहीं) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है तो क्या करें?
जीआरएसई का पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में/आसपास कोई परिचालन/कार्यालय नहीं है।			

12. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	दिनांक	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए जाएंगे (हां/नहीं)	उपयुक्त वेब संपर्क
लागू नहीं					

हमारे किसी भी स्थान पर ऐसा कोई संयंत्र विस्तार नहीं किया गया है जिसके लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (‹ईआईए›) अधिसूचना, 2006 और उसके बाद के संशोधनों के तहत पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता हो।

13. क्या इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे कि जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (Y/N)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण प्रदान करें:

क्रम सं.	कानून निर्दिष्ट करें / विनियमन / दिशानिर्देश जिसका अनुपालन नहीं किया गया	गैर-अनुपालन के विवरण प्रदान करें	कोई जुर्माना / दंड /नियामक द्वारा की गई कार्रवाई प्रदूषण जैसी एजेंसियां नियंत्रण बोर्ड या न्यायालय द्वारा	सुधारात्मक कार्रवाई की गई, यदि कोई
लागू नहीं				

हां, जीआरएसई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है।

नेतृत्व संकेतक

1. **जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में):**

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

(i) क्षेत्र का नाम – गार्डन रीच, कोलकाता

(ii) परिचालन की प्रकृति – पोत निर्माण

(iii) जल निकासी, खपत और निर्वहन निम्नलिखित प्रारूप में:

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) ऊपरी तह का पानी	0	0
(ii) भूजल	79,280	95,430
(iii) तीसरे पक्ष का पानी	1,86,816.10	2,54,011
(iv) समुद्री जल/ अलवणीकृत जल	0	0
(v) अन्य	0	0
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	2,66,096.10	3,49,441
जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	2,66,096.10	3,49,441
प्रति रुपया कारोबार में जल तीव्रता (पानी की खपत/ कारोबार)	**74.07 के एल / करोड़**	**136.44 के एल / करोड़**
जल तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	0	0
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल के लिए		
▪ कोई उपचार नहीं	0	0
▪ उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	41,834	54,936
(ii) भूजल के लिए		
▪ कोई उपचारनहीं	0	0
▪ उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(iii) समुद्री जल को		
▪ कोई उपचार नहीं	0	0
▪ उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
▪ कोई उपचार नहीं	0	0
▪ उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(v) अन्य		
▪ कोई उपचार नहीं	0	0
▪ उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
छोड़ा गया कुल पानी (किलोलीटर में)	**41,834**	**54,936**

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम – नहीं

2. **कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन एवं इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:**

पैरामीटर	यूनिट	2023-24	2022-23
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (जीएचजी का सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफ़सीएस, पीएफ़सीएस, एसएफ़6, एनएफ़3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)	0	0	0
प्रति रुपए टर्नओवर पर कुल स्कोप 3 उत्सर्जन	0	0	0
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	0	0	0

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम - नहीं

3. **उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में सूचित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण, रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ प्रदान करें।**

लागू नहीं ।

4. **यदि इकाई ने संसाधन दक्षता में सुधार करने या उत्सर्जन / अपशिष्ट निर्वहन / उत्पन्न अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार इसके विवरण के साथ-साथ ऐसी पहलों के परिणाम भी प्रदान करें:**

एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक के रूप में, संगठन ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध को स्वीकार करता है। वैश्विक चुनौती का समाधान करने के लिए, जीआरएसई अपने उत्पादों और सेवाओं के कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए प्रयास कर रहा है, जिससे ग्राहकों को उत्पाद के जीवन चक्र में कम पर्यावरणीय पदचिह्नों के साथ एक स्थायी तरीके से बिजली उत्पन्न करने में सक्षम बनाया जा सके। आंतरिक परिचालन में भी, संगठन ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर एक बड़ा जोर दे रहा है। कंपनी ने विभिन्न जीआरएसई स्थानों पर सौर फोटो वोल्टेइक (रूफ टॉप) संयंत्रों की कुल 2.25 मेगावाट इकाई स्थापित की है, जिसने कंपनी को ऊर्जा मिश्रण को और अधिक टिकाऊ बनाने में मदद की है। कंपनी ने जल और ऊर्जा संरक्षण, वृक्षारोपण, अपशिष्ट प्रबंधन, संसाधन संरक्षण आदि से संबंधित कई परियोजनाएं भी शुरू की हैं।

5. **क्या इकाई के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? विवरण 100 शब्दों/वेब लिंक में दें।**

हाँ, जीआरएसई के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है। कोविड-19 के प्रकोप के दौरान भी यही तैयारी की गई और उस पर कार्रवाई की गई। व्यवसाय निरंतरता योजना और/या आपदा प्रबंधन योजना इंटरनेट/सार्वजनिक डोमेन पर प्रकाशित नहीं की गई थी।

6. **इकाई की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करें। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।**

पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव की सूचना नहीं है।

7. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यापार के मूल्य के आधार पर) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया था।**

शून्य। मूल्य श्रृंखला भागीदारों का उनके संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव के लिए स्वयं मूल्यांकन किया गया।

सिद्धांत 7

व्यवसाय, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न हों, तो उन्हें ऐसा जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए

<u>आवश्यक संकेतक</u>

1. **(ए) व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।**

कंपनी ने सात (07) व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों के साथ निगमित सदस्यता ली है।

(बी) शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जो इकाई सदस्य/संबद्ध है।

क्र.सं.	व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों तक पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)	राष्ट्रीय
2	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	राष्ट्रीय
3	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)	राष्ट्रीय
4	बंगाल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (बीसीसीआई)	राज्य
5	रक्षा प्रौद्योगिकीविदों का समाज (एसओडीईटी)	राष्ट्रीय
6	इंडियन शिपबिल्डर्स एसोसिएशन (आईएसबीए)	राष्ट्रीय
7	सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (एसआईडीएम)	राष्ट्रीय

2. **नियामक अधिकारियों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

जीआरएसई पर नियामक अधिकारियों द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण का कोई उदाहरण नहीं उठाया गया।

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई की गई
शून्य		

<u>नेतृत्व संकेतक</u>

1. **इकाई द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरण:**

जीआरएसई सरकार और नियामकों को उद्योग के प्रतिनिधित्व सहित विभिन्न व्यापार और उद्योग संघों के साथ मिलकर काम करता है। कंपनी व्यापक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए नीतिगत वकालत मामलों में पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से भाग लेती है।

क्र. सं.	सार्वजनिक नीति की वकालत	इस तरह की वकालत के लिए अपनाई गई विधि	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है (हां/नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
शून्य					

सिद्धांत 8

व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए:

<u>आवश्यक संकेतक</u>

1. **चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।**

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की दिनांक	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित है (हां नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में परिणाम संप्रेषित (हाँ/नहीं)	उपयुक्त वेब लिंक
शून्य					

2. **निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजनाओं की जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी इकाई द्वारा चल रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) का कार्य किया जा रहा है:**

क्र. सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए आर एवं आर चल रहा है	राज्य	ज़िला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या	आर एवं आर द्वारा कवर किए गए परियोजना प्रभावित परिवारों का प्रतिशत	वित्तीय वर्ष में परियोजना प्रभावित परिवारों को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपये में)
शून्य						

3. **समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के तंत्र का वर्णन करें।**

शिकायतें लोक शिकायत पोर्टल (www.pgportal.gov.in) के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं । इसके अतिरिक्त, कंपनी के सीएसआर विभाग के पास अपनी सभी सीएसआर परियोजनाओं में सामुदायिक फीडबैक तंत्र है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति/समूह इस वार्षिक अभ्यास के माध्यम से या आवश्यकतानुसार अपनी शिकायतें व्यक्त कर सकता है।

4. **आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट में इनपुट)।**

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
एमएसएमई/लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त	73.76% (लगभग)	63% (लगभग)
भारत के अंदर से सीधे प्राप्त	0	0

5. **छोटे शहरों में रोजगार सृजन – निम्नलिखित स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मचारियों या कार्यों सहित) को भुगतान की गई मजदूरी का खुलासा कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में करें**

स्थान	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
ग्रामीण	-	-
अर्ध शहरी	-	-
शहरी	-	-
महानगर	100%	100%

(स्थान को आरबीआई वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा - ग्रामीण / अर्ध-शहरी / शहरी / महानगरीय)

नेतृत्व संकेतक

1. **सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों में से प्रश्न 1):**

पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई की गई
लागू नहीं	

2. **सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी इकाई द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

क्र.सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि (रू में)
1	झारखंड	रांची	32.46 लाख
2	झारखंड	खूंटी	13.23 लाख

3. **(ए) क्या आपके पास कोई तरजीही खरीद नीति है जहां आप हाशिए पर मौजूद/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी को प्राथमिकता देते हैं? (हां / नहीं)**

हाँ, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति में एमएसई के लिए आदेश (एमएसएमई-भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा जारी) के अनुसार अधिमान्य खरीद होती है।

(बी) आप किन हाशिये पर पड़े/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?

जीआरएसई महिलाओं, एससी/एसटी व्यक्तियों के स्वामित्व वाले एमएसई जैसे हाशिए पर मौजूद/कमजोर समूहों से खरीदारी करता है।

(सी) यह कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है?

- एमएसई से की गई कुल खरीद: वित्त वर्ष 2023-24 – 73.74%, वित्त वर्ष 2022-23 – 58.19%
- सामाजिक श्रेणी (एससी/एसटी) उद्यमियों से खरीद: वित्त वर्ष 2023-24 – 1.69%, वित्त वर्ष 2022-23 – 0.82%
- महिला उद्यमियों से खरीद: वित्त वर्ष 2023-24 – 5.51%, वित्त वर्ष 2022-23 – 2.48%

4. **पारंपरिक ज्ञान के आधार पर, आपकी इकाई के स्वामित्व या अर्जित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण (चालू वित्तीय वर्ष में):**

क्र.सं.	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व/अधिग्रहण (हां नहीं)	साझा लाभ (हाँ/नहीं)	लाभ अंश की गणना का आधार
शून्य				

5. **बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।**

प्राधिकारी का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई की गई
शून्य		

6. **सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:**

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का प्रतिशत
I	गदाधर अभ्युदय प्रकल्प का समर्थन	534 लगभग	100
ii	रामकृष्ण सारदा मिशन को चिकित्सा उपकरण	लागू नहीं	लागू नहीं
iii	इस्लामिया अस्पताल को चिकित्सा उपकरण	लागू नहीं	लागू नहीं
iv	स्वास्थ्य जांच शिविर	7413 लगभग	100
v	टीबी निक्षय मित्रा	107 लगभग	100
vi	रक्तदान शिविर	140 लगभग	100
vii	मोतियाबिंद सर्जरी	314	100
viii	चिकित्सा तकनीशियनों को कौशल प्रशिक्षण	90	100
ix	क्राई परियोजना	300	100
x	स्कूल शौचालयों का रखरखाव	25000 लगभग	100
Xi	भारतीय मस्तिष्क पक्षाघात संस्थान (आईआईसीपी) की 3 कक्षाओं को गोद लेना	43 लगभग	लागू नहीं

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का प्रतिशत
xii	आईटीआई की प्रशिक्षण सुविधा और बुनियादी ढांचे का विकास	250 लगभग	100
xiii	जीआरएसई प्रशिक्षुओं को वजीफा, कौशल विकास और प्लेसमेंट सहायता	200 लगभग	लागू नहीं
xiv	युवाओं को कौशल प्रशिक्षण	30	100
xv	कोलकाता यातायात पुलिस को उपकरण	लागू नहीं	लागू नहीं
xvi	रामकृष्ण मिशन, नरेन्द्रपुर को पुराना कंप्यूटर	लागू नहीं	लागू नहीं
xvii	विशेष अभियान, स्वच्छता पखवाड़ा	लागू नहीं	लागू नहीं
xviii	स्वच्छ गंगा कोष में योगदान	अखिल भारत	लागू नहीं

सिद्धांत 9

व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्वक जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें।**

   रक्षा बलों के पास मुद्दों को उठाने के लिए एक सुस्थापित, संरचित और समय-समय पर बैठकें होती हैं। कंपनी द्वारा इसका पालन एवं अनुपालन किया जा रहा है।

2. **सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का कारोबार, जिनके बारे में जानकारी होती है:**

	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड	कंपनी के मुख्य उत्पाद युद्धपोत, जलयान, बेली ब्रिज, पोत इंजन और रणनीतिक/राष्ट्रीय संरक्षा अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए अन्य सहायक उपकरण हैं। अत: लागू नहीं
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	100%
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	कंपनी के मुख्य उत्पाद युद्धपोत, जलयान, बेली ब्रिज, पोत इंजन और रणनीतिक/राष्ट्रीय संरक्षा अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए अन्य सहायक उपकरण हैं। एक बार उत्पाद बिकने के बाद वे कंपनी के पास वापस नहीं आएंगे।

3. **निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:**

	2023-24		टिप्पणी	2022-23		टिप्पणी
	वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डाटा प्राइवेसी	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
विज्ञापन देना	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
साइबर संरक्षा	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएँ	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
अनुचित व्यापार आचरण	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
अन्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं

4. **संरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने की घटनाओं का विवरण:**

	संख्या	वापस बुलाने का कारण
स्वैच्छिक स्मरण	शून्य	लागू नहीं
जबरन वापस बुलाना	शून्य	लागू नहीं

5. **क्या इकाई के पास साइबर संरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (हाँ/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का एक वेब-लिंक प्रदान करें।**

   हाँ जीआरएसई साइबर संरक्षा नीति एक आंतरिक गोपनीय दस्तावेज है, इसलिए इसे वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है।

6. **विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें; ग्राहकों की साइबर संरक्षा और डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की संरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा जुर्माना/कार्रवाई ।**

   कंपनी को पिछले वित्तीय वर्ष में कोई महत्वपूर्ण शिकायत प्राप्त नहीं हुई जिसके लिए किसी सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता हो।

7. **डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें :**

   1) डेटा उल्लंघनों की संख्या - शून्य

   2) ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से संबंधित डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत – लागू नहीं

   3) डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो - लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. **चैनल/प्लेटफ़ॉर्म जहां इकाई के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी तक पहुंचा जा सकता है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।**

   जीआरएसई के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी वेब लिंक - www.grse.in से प्राप्त की जा सकती है ।

2. **उपभोक्ताओं को उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।**

   अनुबंध संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार ग्राहकों को उपकरण/सिस्टम पर परिचालन मैनुअल और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

3. **आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र मौजूद हैं।**

   कंपनी अपने ग्राहकों के साथ नियमित संपर्क में है और किसी भी व्यवधान के बारे में ईमेल द्वारा सूचित किया जाता है। अनुबंध में सहमत पत्र और कोई अन्य संचार माध्यम।

4. **क्या इकाई उत्पाद पर स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य जानकारी से अधिक जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी इकाई ने इकाई के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या संपूर्ण इकाई से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हाँ / नहीं)**

   लागू नहीं। कंपनी के उत्पाद ऐसे हैं जिन्हें प्रदर्शित/स्टेंसिल करने के लिए किसी मानक जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है।

वित्तीय विवरण

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.
Celebrate
एक पेड़ माँ के नाम
Plant a sapling to honour your mother
Click a Selfie with your mother

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का रिपोर्ट

के सदस्यों के लिए

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड** ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक का तुलन पत्र, और लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, तथा वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (जिसे आगे "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुरूप और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, 31 मार्च 2024 को कंपनी के मामलों की स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित लाभ, इक्विटी में बदलाव और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। चालू वर्ष में हमने जिन प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों की पहचान की है, वे इस प्रकार हैं:

मुख्य लेखापरीक्षा मामला	हमारे लेखा परीक्षा में इस मामले को कैसे संबोधित किया गया
1. पोत निर्माण अनुबंधों से राजस्व की मान्यता कंपनी का राजस्व मुख्य रूप से पोत निर्माण से प्राप्त होता है। ऐसे अनुबंधों पर राजस्व समय के साथ पहचाना जाता है क्योंकि प्रदर्शन दायित्वों को समय के साथ पूरा किया जाता है। कंपनी इंड एएस 115 के अनुसार प्रदर्शन दायित्व से राजस्व को तभी पहचानती है जब वह दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को उचित रूप से माप सकती है। पोत निर्माण के संबंध में प्रगति को इनपुट पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है, अर्थात पूरे अनुबंध के लिए अनुमानित वास्तविक लागतों की तुलना करके। जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 20 में बताया गया है, वर्ष के दौरान, कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹3,59,264.23 लाख (₹2,56,114.51 लाख) के कुल परिचालन राजस्व में से पोत निर्माण से ₹3,06,918.46 लाख (₹2,30,196.88 लाख) कमाए हैं। यह क्षेत्र हमारी लेखापरीक्षा के लिए इस तथ्य के कारण महत्वपूर्ण था कि पूर्णता के चरण के निर्धारण और निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि की दिशा में प्रगति के मापन तथा प्रत्येक अनुबंध को पूरा करने की लागत का अनुमान लगाने में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल होते हैं।	हमने राजस्व और लागत मान्यता प्रक्रिया पर कंपनी के नियंत्रण की समझ प्राप्त की ताकि प्रमुख नियंत्रणों के डिजाइन का आकलन किया जा सके। हमारी मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं • इंड एएस 115 के अनुसार प्रबंधन के निष्पादन दायित्वों के आकलन का मूल्यांकन करने के लिए अनुबंधों और सेवा आदेशों की समीक्षा; • परियोजना टीमों द्वारा अनुमोदित लागत अनुमान अनुसूचियां प्राप्त करना और प्रतिबद्ध व्यय, बजटीय दरों और आज तक की वास्तविक लागतों के साक्ष्य पर सहमति जताते हुए लागतों को पूरा करने का सत्यापन करना; • संभावित डिलीवरी समय के कारण अनुबंध की शर्तों के अनुसार देय परिसमाप्त क्षति के प्रबंधन के आकलन की पुष्टि करने के लिए पत्राचार की समीक्षा।

मुख्य लेखापरीक्षा मामला	हमारे लेखा परीक्षा में इस मामले को कैसे संबोधित किया गया
2. इन्वेंटरी वर्ष के अंत तक कंपनी के पास ₹3,98,444.14 लाख (₹291,850.49 लाख) मूल्य का इन्वेंटरी है, वित्तीय विवरणों के नोट 9 का संदर्भ लें। उपरोक्त में ₹3,86,725.80 लाख (₹278,271.69 लाख) मूल्य के कच्चे माल और उपकरण शामिल हैं, जो ज्यादातर परियोजना विशिष्ट हैं। कंपनी इन इन्वेंटरी का विस्तृत आइटमवार रिकॉर्ड रखती है और इन्वेंटरी के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए उन्हें परियोजनावार वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी इन्वेंटरी का नियमित भौतिक सत्यापन करती है, जिसमें ऐसी वस्तुओं की स्थिति और उपयोगिता का तकनीकी मूल्यांकन शामिल है और पहचान की गई अनुपयोगी/अप्रचलित वस्तुओं के लिए पुस्तकों में आवश्यक प्रावधान करती है। इन्वेंटरी के मूल्यांकन का आधार वित्तीय विवरणों के नोट 1.2(एच) में निर्धारित किया गया है। हमने इन्वेंट्री प्रबंधन को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना है क्योंकि इन्वेंट्री कंपनी की परिसंपत्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा, खरीद, जारी करने, खपत, इन्वेंट्री के लेखांकन, तकनीकी मूल्यांकन और भौतिक सत्यापन के माध्यम से अनुपयोगी, अप्रचलित वस्तुओं की पहचान की समय पर पहचान कंपनी की लाभप्रदता पर बड़ा प्रभाव डालती है।	हमारी इन्वेंट्री की लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं थे: • सामग्री की खरीद और जारी करने की मान्यता के लिए अपनाए जाने वाले आधार को समझना तथा यह सुनिश्चित करना कि ये सामान्य रूप से अपनाए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं। • वस्तुवार/अनुबंधवार सूची के रिकार्ड की समीक्षा। • प्रबंधन द्वारा किए गए इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन/तकनीकी मूल्यांकन पर रिपोर्ट की समीक्षा और उसके आधार पर पहचान की गई धीमी गति से चलने वाली/गैर-चलने वाली/अप्रचलित वस्तुओं के लिए वर्ष के अंत में प्रावधान की पर्याप्तता सुनिश्चित करना। हमने कंपनी की इन्वेंट्री प्रावधान नीति का गंभीरता से मूल्यांकन किया, जिसमें पुरानी इन्वेंट्री और उनकी मूवमेंट स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया; हमने इन्वेंट्री मदों के कुछ नमूनों के मूल्य का सत्यापन किया है ताकि यह पुष्टि की जा सके कि क्या उन्हें भारतीय लेखा मानक 2 के अनुसार लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से कम पर रखा गया है।

अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट में निहित जानकारी शामिल है जिसमें सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट, व्यवसाय जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट में निहित अन्य जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं है। इन रिपोर्टों को इस लेखा परीक्षा र की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा दायित्व है कि हम ऊपर बताई गई अन्य जानकारी को उपलब्ध होने पर पढ़ें, तथा ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत बयान है, तो हमें इस मामले की जानकारी शासन के प्रभारी लोगों को देनी होगी।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन (इक्विटी में परिवर्तन) और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने तथा लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया लेखा परीक्षा हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करें और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, तथा यह भी देखें कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में, जिनमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है, शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य विधि और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हम इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक "क"** में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में जहां तक लागू हो, निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं ।

2. अधिनियम की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों के अनुपालन में, हम इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक "ख"** में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

(ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(च) भारत सरकार के निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के आधार पर निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(छ) कंपनी के निदेशकों को प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधान, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के मद्देनजर लागू नहीं हैं।

(ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक "ग"** में दी गई हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(झ) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी के पास लंबित मुकदमे हैं, जिनके संबंध में देनदारियों का प्रावधान या तो आकस्मिक देनदारियों के रूप में किया गया है या उनका खुलासा किया गया है - वित्तीय विवरणों के लिए नोट 29 देखें। कंपनी की वित्तीय स्थिति पर इन लंबित मुकदमों का प्रभाव उनके न्यायिक परिणाम के अधीन है;

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वानुमानित हानि थी, सिवाय गारंटी मरम्मत और बोझिल अनुबंध के, जिसके संबंध में कंपनी के पास पर्याप्त प्रावधान है - वित्तीय विवरणों में नोट 19 देखें।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं की गई है।

iv.(क) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (यों) या संस्था (यों) में, विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित, कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेशित नहीं की गई है (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से),

इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

(ख) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, विदेशी संस्थाओं ("वित्त पोषण पक्ष") सहित, कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

(ग) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि इस संबंध में प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।

v. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसमें लेखा परीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन-देन के लिए पूरे वर्ष संचालित होता है। इसके अलावा, हमारे लेखा परीक्षा के दौरान हमें लेखा परीक्षा ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षा ट्रेल को संरक्षित किया जाता है।

कृते गुहा नंदी एण्ड कंपनी
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 302039ई

हस्ता/-
(सीए डॉ. बी एस कुण्डु)
साझेदार
सदस्यता सं. – 051221
यूडीआईएन: 24051221BKJSKS1004

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 22 मई, 2024

अनुलग्नक – क

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

(जैसा कि हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के शीर्षक "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के पैराग्राफ 1 में संदर्भित है)

i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में:

क) (ए) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है;

(बी) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख) कंपनी के पास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करने का कार्यक्रम है, ताकि हर तीन साल में एक बार सभी संपत्तियों को कवर किया जा सके, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए उचित है। तदनुसार, कंपनी के कुछ प्रभाग/इकाई की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा आंतरिक रूप से सत्यापन किया गया। ऐसे सत्यापन में पाई गई विसंगतियां, जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, को खातों में उचित रूप से निपटाया गया है। हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए ऐसे भौतिक सत्यापन की आवधिकता उचित है;

ग) सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) के स्वामित्व विलेख, बैलेंस शीट की तारीख पर कंपनी के नाम पर रखे गए हैं;

घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है;

ङ) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (जैसा कि 2016 में संशोधित किया गया है) और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च 2024 तक कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

ii) क) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा इन्वेंटरी (तीसरे पक्ष के पास पड़ी हुई इन्वेंटरी को छोड़कर) का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे विचार से, इस तरह के सत्यापन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया उचित है। भौतिक सत्यापन से उत्पन्न भौतिक स्टॉक और बुक रिकॉर्ड के बीच विसंगतियों को लेखा पुस्तकों में उचित रूप से निपटाया गया है। हालाँकि, इन्वेंटरी के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं थी;

ख) वर्ष के दौरान, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर की गई है। कंपनी को फंड आधारित सुविधाओं के लिए ₹21,000 लाख और गैर- फंड आधारित सुविधाओं के लिए ₹8,30,800 लाख की मंजूरी मिली है। कंपनी द्वारा बैंकों के साथ दाखिल किए गए स्टॉक और बुक डेट के तिमाही रिटर्न कंपनी की खाता बहियों के अनुरूप हैं। हालाँकि, कंपनी ने वर्ष की अंतिम तिमाही के संबंध में बैंकों के साथ बुक डेट स्टेटमेंट जमा करना अभी बाकी है।

iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वित्तीय विवरणों के नोट 6(ए) और 10(ए) में बताए गए इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड में निवेश के अलावा कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष में कोई निवेश नहीं किया है। कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित, या गारंटी के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। कंपनी द्वारा म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयरों में किए गए निवेश कंपनी के हितों के लिए हानिकारक नहीं हैं। खंड के अन्य मामले कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

iv) कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी नहीं दी है या कोई प्रतिभूति प्रदान नहीं की है, जहाँ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू होते हैं। इसके अलावा, 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, धारा 185 के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, यदि ऋण या ऋण में अग्रिम सरकार द्वारा पूर्व-अनुमोदित हैं; और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 रक्षा उत्पादन में लगी सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है।

v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने उस वर्ष के दौरान कोई जमा स्वीकार नहीं किया है या कोई राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जमा माना जाता है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश या धारा 73 से 76 के प्रावधान या कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम लागू होते हैं।

vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा लागत रिकॉर्ड बनाए रखना केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत पोतों के निर्माण, इंजीनियरिंग सामान और डीजल इंजन के विनिर्माण के संबंध में निर्दिष्ट किया गया है। हमने इस तरह के लागत रिकॉर्ड की व्यापक समीक्षा की है और हमारी राय है कि, प्रथम दृष्टया, निर्धारित खाते और रिकॉर्ड बनाए गए हैं और उनका रखरखाव किया गया है।

vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा हमारी पुस्तकों और खातों की जांच के आधार पर, कंपनी आम तौर पर उचित अधिकारियों के पास भविष्य निधि, ईएसआई, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित रही है। 31 मार्च, 2024 तक देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए उपरोक्त बकाया के संबंध में कोई निर्विवाद राशि देय नहीं है।

(ख) कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2024 को जमा नहीं किए गए विवादित वैधानिक बकाए का विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	सांविधि का नाम	बकाया का स्वरूप	वर्ष जिससे संबंधित हो	राशि (लाख रू.में)	फॉरम जहां विवाद लंबित है
1	पश्चिम बंगाल वैल्यू ऐडेड टैक्स अधिनियम, 2003	वर्धित मूल्य कर	2007-08	506.83	पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण
2	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	2008-09	1624.58	आयकर आयुक्त (अपील)
3	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	2016-17	8.61	आयकर आयुक्त (अपील)
4	वस्तु एवं सेवा कर	ब्याज देयता	2017-18	266.52	अपर आयुक्त, एलटीयू, निगमित प्रभाग
कुल				2406.54	
ऊपर उल्लिखित राशियों में ब्याज और जुर्माना शामिल नहीं है, जो लंबित मामलों के अंतिम निपटान पर देय हो सकता है।					

viii) पूर्व में अलिखित आय से संबंधित कोई लेन-देन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

ix) (क) कंपनी के पास बैंकों द्वारा स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमाएँ हैं (वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित दोनों सुविधाएँ)। कंपनी ने बैंक से अल्पावधि उधार लिया है। कंपनी ने ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है;

(ख) कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है;

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष के आरंभ में कोई सावधि ऋण बकाया नहीं है, इसलिए जिस उद्देश्य के लिए ऋण प्राप्त किया गया था, उसके अलावा अन्य सावधि ऋण के आवेदन की आवश्यकता नहीं होती है;

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच से पता चलता है कि, प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर जुटाई गई धनराशि का दीर्घकालिक प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया गया है;

(ङ) कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है, इसलिए किसी व्यक्ति या कंपनी से उनके खाते में कोई धन लेना या उनके दायित्वों को पूरा करना या उनके द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण लेना समस्या का विषय नहीं है। इस प्रकार, आदेश के खंड 3(ix)(e) और (f) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

x) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश का खंड 3(एक्स)(ए) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश का खंड 3(x)(b) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xi) हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार-

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई;

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है;

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3(xii)(a), (b) और (c) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन, जहां लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं तथा ऐसे लेन-देनों का विवरण, लागू लेखांकन मानकों के अनुसार, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

xiv) (क) कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है;

(ख) हमने लेखापरीक्षा वर्ष के लिए प्राप्त आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विधिवत विचार किया है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा हमारी लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी।

xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा अभिलेखों की हमारी जांच के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है, इसलिए आदेश का खंड 3(xv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xvi) (क) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है;

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं;

(ग) कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है;

(घ) कंपनी किसी ऐसे समूह से संबंधित नहीं है जिसके समूह में एक से अधिक सीआईसी शामिल हों।

xvii) कंपनी को हमारे लेखापरीक्षा में शामिल वित्तीय वर्ष के दौरान तथा तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।

xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी सांविधिक लेखापरीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है।

xix) वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचनाओं और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि

से एक वर्ष की अवधि के भीतर बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा चुका दिया जाएगा।

xx) (क) चालू परियोजनाओं के अलावा, कंपनी के पास कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अप्रयुक्त निधि नहीं है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है;

(ख) कंपनी के पास सीएसआर पर कोई चालू परियोजना नहीं है और इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत कोई भी राशि अप्रयुक्त नहीं है, जो किसी भी चालू परियोजना के अनुसरण में उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में विशेष खाते में स्थानांतरित की जानी आवश्यक है।

कृते गुहा नंदी एण्ड कंपनी
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 302039ई

हस्ता/-
(सीए डॉ. बी.एस कुंडू)
साझेदार
सदस्यता संख्या 051221
यूडीआईएन: 24051221BKJSKS1004

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 22 मई, 2024

अनुलग्नक "ख"

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण गार्डन रीच प बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

(जैसा कि हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के शीर्षक "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित है)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों पर रिपोर्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क्रम सं.	सवाल	जवाब
1.	क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।	कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एसएपी सिस्टम है। चूंकि आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन की कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है, इसलिए खातों की अखंडता और आईटी सिस्टम के बाहर संसाधित लेखांकन लेनदेन के वित्तीय निहितार्थों पर टिप्पणी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
2.	क्या कंपनी के मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब-किताब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है)	कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी भी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए किसी मौजूदा ऋण के पुनर्गठन और ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है। इसलिए, उपरोक्त कारणों से वित्तीय प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है।
3.	क्या केन्द्र/राज्य सरकारों और उसके अधीनस्थ अन्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त/प्राप्त की जा सकती है? क्या एजेंसियों को दी गई राशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा-जोखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	वर्ष के दौरान कंपनी को किसी भी योजना के लिए केन्द्र या किसी राज्य सरकार या किसी सरकारी एजेंसी से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए नियमों और शर्तों के अनुसार धनराशि की प्राप्ति और उसके उपयोग का लेखा-जोखा नहीं आता है।

कृते गुहा नंदी एण्ड कंपनी
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 302039ई

हस्ता/-
(सीए डॉ. बी एस कुण्डु)
साझेदार
सदस्यता सं. – 051221
यूडीआईएन: 24051221BKJSKS1004

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 22 मई, 2024

अनुलग्नक "ग"

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम तारीख की रिपोर्ट का अनुलग्नक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षा किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के साथ है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करें। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, आईसीएआई द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षा किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनानी चाहिए और उसे निष्पादित करना चाहिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुए थे।

हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई भौतिक कमज़ोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षा के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर एक भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए किया गया था।

कृते गुहा नंदी एण्ड कंपनी
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 302039ई

हस्ता/-
(सीए डॉ. बी एस कुण्डु)
साझेदार
सदस्यता सं. – 051221
यूडीआईएन: 24051221BKJSKS1004

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 22 मई, 2024

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय- विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पिणयां ।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसरण में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड,** कोलकाता का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की दायित्व है । अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं जो अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षण पर आधारित है । ऐसा उल्लेख किया गया है कि यह कार्य उन्होने 22 मई 2024 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया है ।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6)(a) के तहत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए **गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता** के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा संचालित की है । यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यकारी कागजातों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्यत: सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी कार्मिकों की जांच और कुछ लेखांकन रिकार्डों की चयनित जांच तक सीमित है ।

अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर या अनुपूरक की पेशकश करने के लिए आगे कोई टिप्पणी नहीं है ।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

हस्ता/-
(राजेश रंजन)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(रक्षा-वाणिज्यिक)

बैंगलोर
दिनांक: 25 जुलाई, 2024

तुलन पत्र

31 मार्च 2024 तक के अनुसार

(लाख ₹ में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार
परिसंपत्ति			
(1) निवर्तमान परिसंपत्ति			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3		
(i) आरओयू के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		47,516.22	48,826.43
(ii) परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार (आरओयू)		981.72	1,098.65
(ख) चल रहे पंजीगत कार्य	4	1,161.86	484.45
(ग) अमूर्त परिसंपत्ति	5	758.72	835.96
(घ) विकासधीन अमूर्त परिसंपत्ति	4(a)	1,314.39	119.60
(ङ) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) निवेश	6(a)	0.44	0.44
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	6(b)	9,016.45	9,044.06
(च) निवर्तमान कर परिसंपत्ति	7	19,842.75	20,584.35
(छ) अन्य निवर्तमान परिसंपत्ति	8	20.16	16.34
कुल निवर्तमान परिसंपत्ति		**80,612.71**	**81,010.28**
(2)वर्तमान परिसंपत्ति			
(क) वस्तुसूचियाँ	9	3,98,444.14	2,91,850.49
(ख) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) वर्तमान निवेश	10(a)	-	23,366.40
(ii) ट्रेड प्राप्तियाँ	10(b)	19,420.70	5,084.50
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	10(c)	527.00	1,398.55
(iv) उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त बैंक शेष	10(d)	3,71,506.84	4,31,382.07
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	10(e)	22,234.79	23,422.92
(ग) अन्य वर्तमान परिसंपत्ति	11	1,32,428.74	2,20,070.17
(घ) बिक्री के लिए रखी गई के रुप में वर्गीकृत परिसंपत्ति	12	15.99	7.90
कुल वर्तमान परिसंपत्ति		**9,44,578.20**	**9,96,583.00**
कुल परिसंपत्ति		**10,25,190.91**	**10,77,593.28**
इक्विटी एवं देयताएँ			
इक्विटी			
(क)इक्विटी शेयर पूंजी	13(a)	11,455.20	11,455.20
(ख) अन्य इक्विटी	13(b)	1,55,888.69	1,29,926.55
कुल इक्विटी		**1,67,343.89**	**1,41,381.75**
देयताएँ			
(1) निवर्तमान देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) लीज देयताएँ		828.84	923.16
(ii) ट्रेड देय	14		
(क) सूक्ष्म उद्धमों और लघु उद्धमों का कुल बकाया शेष		-	-
(ख) सूक्ष्म उद्धमों और लघु उद्धमों के अलावा कुल बकाया शेष		783.56	817.36
(ख) प्रावधान	15	9,201.35	8,933.37
(ग) आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)	16	1,398.39	1,451.90
कुल निवर्तमान देयताएँ		**12,212.14**	**12,125.79**
(2) वर्तमान देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) कर्ज	17(a)	5,558.48	30,117.18
(ik) लीज देयताएँ		179.74	170.41
(ii) ट्रेड देय			
(क) सूक्ष्म उद्धमों और लघु उद्धमों का कुल बकाया शेष	17(b)	50.32	236.15
(ख) सूक्ष्म उद्धमों और लघु उद्धमों के अलावा कुल बकाया शेष	17(b)	99,191.69	1,17,150.59
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	17(c)	3,546.52	2,894.56
(ख) अन्य वर्तमान देयताएँ	18	7,33,304.21	7,70,637.11
(ग) प्रावधान	19	3,803.92	2,879.74
कुल वर्तमान देयताएँ		**8,45,634.88**	**9,24,085.74**
कुल इक्विटी एवं देयताएँ		**10,25,190.91**	**10,77,593.28**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना			
कंपनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना	1		
महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय	2		

सहनोट्स 1 से 52 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं ।

हमारी उसी दिन की रिपोर्ट के अनुसार।

कृते गुहा नंदी एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 302039ई

हस्ता./-
(सीए डॉ बी एस कुण्डु)
साझेदार
सदस्यता सं. - 051221

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक: 22 मई का दिन, 2024

कृते निदेशक मण्डल

हस्ता./-
कमोडोर हरि पीआर, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08591411

हस्ता./-
आर. के दाश
निदेशक (वित्त)एवं सीएफ़ओ
डीआईएन - 08511344

हस्ता./-
एस. महापात्र
कंपनी सचिव
एसीएस 10992

लाभ और हानि का विवरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख ₹ में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
प्रचालनों से राजस्व	20	3,59,264.23	2,56,114.51
अन्य आय	21	29,962.19	20,183.55
कुल आय		**3,89,226.42**	**2,76,298.06**
व्यय			
खपत किए गए मालों की लागत	22(a)	2,06,036.78	1,49,524.39
पुन: बिक्री (बी एवं डी स्पेयर्स) हेतु उत्पादों का क्रय		19,706.56	11,210.06
चालू कार्य और स्क्रैप की वस्तुसूची में परिवर्तन	22(b)	(605.55)	472.66
उप संविदा प्रभार		52,493.24	31,793.34
कर्मचारी अनुलाभ व्यय	23	34,893.33	31,691.07
वित्त लागत	24	1,148.92	648.07
मूल्यह्रांस एवं परिशोधन व्यय	25	4,132.66	3,916.63
अन्य व्यय - परियोजना संबंधित	26	9,904.02	5,707.43
अन्य व्यय	27	13,424.37	10,812.62
कुल व्यय		**3,41,134.33**	**2,45,776.27**
कर पूर्व लाभ		**48,092.09**	**30,521.79**
कर व्यय	28(a)		
- वर्तमान कर		12,455.75	7,353.90
- आस्थगित कर		(90.43)	355.49
कुल कर व्यय		**12,365.32**	**7,709.39**
वर्ष के लिए लाभ		**35,726.77**	**22,812.40**
अन्य व्यापक आय			
वे मदें जो लाभ व हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं होंगे			
- परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: निर्धारण		146.67	72.61
-उपरोक्त मदों से संबंधित आयकर		(36.92)	(18.28)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, शुद्ध कर		**109.75**	**54.33**
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय		**35,836.52**	**22,866.73**
प्रति इक्विटी शेयर आय:			
(प्रति शेयर अंकित मूल्य 10 रु.)			
प्रति शेयर मूल एवं डाइल्यूटेड आय		31.19	19.91
कंपनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना	1		
महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय	2		

सहनोट्स 1 से 52 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं ।

हमारी उसी दिन की रिपोर्ट के अनुसार।

कृते गुहा नंदी एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 302039ई

हस्ता./-
(सीए डॉ बी एस कुण्डु)
साझेदार
सदस्यता सं. - 051221

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक: 22 मई का दिन, 2024

कृते निदेशक मण्डल

हस्ता./-
कमोडोर हरि पीआर, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08591411

हस्ता./-
आर. के दाश
निदेशक (वित्त)एवं सीएफ़ओ
डीआईएन - 08511344

हस्ता./-
एस. महापात्र
कंपनी सचिव
एसीएस 10992

नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2023 कोसमाप्त वर्ष	
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:				
कराधान से पूर्व लाभ		48,092.09		30,521.79
के लिए समायोजन -				
ब्याज आय		(27,135.47)		(17,834.00)
अवास्तविक उचित मूल्य लाभ (शुद्ध)		(572.70)		(268.17)
परिभाषित लाभ योजना के पुनर्माप पर बीमांकिक लाभ/हानि		109.75		54.33
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		4,132.66		3,916.63
परिसंपत्तियों - की रिटायरमेंट/राइटऑफ - निवल		306.43		(24.48)
वित्त लागत		1,148.92		648.07
विदेशी विनिमय में उतार-चढ़ाव का अवास्तविक हानि/(लाभ)		259.71		352.68
देयताएं जो रिटेन बेक की आवश्यकता नहीं है ।		(675.67)		(847.07)
कार्यकारी पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ		**25,665.72**		**16,519.78**
कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन :				
व्यापार और अन्य प्राप्यों में (अभिवृद्धि)/ह्रास	(14,081.10)		10,081.41	
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति में (अभिवृद्धि)/ह्रास (वर्तमान एवं गैर-वर्तमान)	1,215.74		94,410.95	
अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्ति में (अभिवृद्धि)/ह्रास	737.78		(5,196.15)	
अन्य वर्तमान परिसंपत्ति में (अभिवृद्धि)/ह्रास	87,641.43		(58,033.85)	
बिक्री (वर्तमान परिसंपत्ति) के लिए धारित परिसंपत्ति मे (अभिवृद्धि)/ह्रास	(8.09)		37.97	
वस्तुसूचियों में (अभिवृद्धि)/ह्रास	(1,06,593.65)		(1,74,623.69)	
व्यवसाय देनदारियों में (अभिवृद्धि)/ह्रास	(18,035.96)		76,146.78	
प्रावधान में(अभिवृद्धि)/ह्रास	1,867.83		(12,493.21)	
अन्य वित्तीय देनदारियों में(अभिवृद्धि)/ह्रास (वर्तमान एवं गैर-वर्तमान)	482.29		386.24	
अन्य वर्तमान देनदारियों में (अभिवृद्धि)/ह्रास	(37,162.50)		2,05,122.72	
अन्य गैर-वर्तमान देनदारियों (आस्थगित कर देयता) में (अभिवृद्धि)/ह्रास	(53.51)	(83,989.74)	373.77	1,36,212.93
परिचालनों से अर्जित (प्रयुक्त) नकदी		**(58,324.02)**		**1,52,732.71**
प्रदत्त करों (शुद्ध धन वापसी)		(12,365.32)		(7,709.39)
परिचालनात्मक गतिविधियों से (में प्रयुक्त) निवल नकदी		**(70,689.34)**		**1,45,023.32**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का क्रय (अमूर्त और पंजीगत चालू कार्य सहित)	(4,806.91)		(4,225.84)	
म्यूचुअल फंड में निवेश (निवल)	23,366.40		(3,657.28)	
सावधि जमा में निवेश (निवल)	59,875.23		(1,76,579.44)	
प्राप्त ब्याज	27,135.47	1,05,570.19	17,834.00	(1,66,628.56)
निवेश गतिविधियों से (में प्रयुक्त) निवल नकदी		**1,05,570.19**		**(1,66,628.56)**

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 कोसमाप्त वर्ष
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
ब्याज	(1,062.24)	(442.06)
लीज किराया का प्रमुख घटक	(170.40)	(162.53)
लीज किराया का ब्याज घटक	(85.41)	(88.80)
कर्ज (बैंक ओडी)	(24,559.97)	29,999.97
प्रदत लाभांश	(801.86)	(973.69)
अन्तरिम लाभांश	(9072.52)	(6300.36)
वित्तीय गतिविधियों से (में प्रयुक्त) निवल नकद	**(35,752.40)**	**22,032.53**
नकद और नकद समकक्षों में निवल (अभिवृद्धि)/ह्रास	**(871.55)**	**427.29**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य ओपेनिंग	**1,398.55**	**971.26**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य शेष	**527.00**	**1,398.55**

1. उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमों, 2015 के तहत यथा अधिसूचित नकदी प्रवाह विवरण के भारतीय लेखांकन मानक-7 में यथा निर्धारित "अप्रत्यक्ष विधि" के अतंर्गत तैयार किए गए हैं।

2. नकद एवं नकद समतुल्य में ऐसी कोई राशि शामिल नहीं है जो कंपनी के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।

3. तुलन पत्र तिथि के अनुसार नकद एवं नकद समतुल्य में निहित हैं:

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	1 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
बैंकों में शेष राशि		
चालू खाता	526.99	1398.54
हस्तगत नकदी	0.01	0.01
नकद और नकद समतुल्य	**527.00**	**1398.55**

4. ब्रैकेटों में दिया गया आकंड़ा संबंधित गतिविधियों से नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सहनोट्स 1 से 52 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं ।

हमारी उसी दिन की रिपोर्ट के अनुसार।

कृते गुहा नंदी एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 302039ई

हस्ता./-
(सीए डॉ बी एस कुण्डु)
साझेदार
सदस्यता सं. - 051221

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक: 22 मई का दिन, 2024

कृते निदेशक मण्डल

हस्ता./-
कमोडोर हरि पीआर, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08591411

हस्ता./-
आर. के दाश
निदेशक (वित्त)एवं सीएफ़ओ
डीआईएन - 08511344

हस्ता./-
एस. महापात्र
कंपनी सचिव
एसीएस 10992

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर कैपिटल

(लाख ₹ में)

1 अप्रैल, 2023 तक के अनुसार राशि	पूर्व अवधि की लुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	1 अप्रैल,2023 को शेष राशि पुन:प्रस्तुत किया गया	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार राशि
11,455.20	-	11,455.20	-	11,455.20

1 अप्रैल, 2022 तक के अनुसार राशि	पूर्व अवधि की लुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	1 अप्रैल,2022 को शेष राशि पुन:प्रस्तुत किया गया	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार राशि
11,455.20	-	11,455.20	-	11,455.20

ख. अन्य इक्विटी

(लाख ₹ में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय	कुल
	पूंजी रिडेम्पशन आरक्षित	आम रिजर्व	प्रतिधारित आय		
1 अप्रैल, 2023 तक के अनुसार शेष राशि	928.80	6,064.86	1,23,456.22	(523.33)	1,29,926.55
वर्ष (क) के लिए लाभ	-	-	35,726.77	-	35,726.77
वर्ष (ख) के लिए अन्य विस्तृत आय	-	-	-	109.75	109.75
(क+ ख) वर्ष हेतु कुल विस्तृत आय	-	-	35,726.77	109.75	35,836.52
प्रदत लाभांश (नोट 13 (ख)का संदर्भ लें)	-	-	(801.86)	-	(801.86)
अंतरिम प्रदत लाभांश (नोट 13 (ख)का संदर्भ लें)			(9,072.52)	-	(9,072.52)
31 मार्च, 2024 तक के अनुसार शेष राशि	**928.80**	**6,064.86**	**1,49,308.61**	**(413.58)**	**1,55,888.69**

(लाख ₹ में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय	कुल
	पूंजी रिडेम्पशन आरक्षित	आम रिजर्व	प्रतिधारित आय		
1 अप्रैल, 2022 तक के अनुसार शेष राशि	928.80	6,064.86	1,07,917.87	(577.66)	1,14,333.87
वर्ष (क) के लिए लाभ	-	-	22,812.40	-	22,812.40
वर्ष (ख) के लिए अन्य विस्तृत आय	-	-	-	54.33	54.33
(क+ ख) वर्ष हेतु कुल विस्तृत आय	-	-	22,812.40	54.33	22,866.73
प्रदत लाभांश (नोट 13 (ख)का संदर्भ लें)	-	-	(973.69)	-	(973.69)
अंतरिम प्रदत लाभांश (नोट 13 (ख)का संदर्भ लें)	-	-	(6,300.36)	-	(6,300.36)
31 मार्च, 2022 तक के अनुसार शेष राशि	**928.80**	**6,064.86**	**1,23,456.22**	**(523.33)**	**1,29,926.55**

सहनोट्स 1 से 52 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं ।

हमारी उसी दिन की रिपोर्ट के अनुसार।

कृते गुहा नंदी एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 302039ई

हस्ता./-
(सीए डॉ बी एस कुण्डु)
साझेदार
सदस्यता सं. - 051221

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक: 22 मई का दिन, 2024

कृते निदेशक मण्डल

हस्ता./-
कमोडोर हरि पीआर, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08591411

हस्ता./-
आर. के दाश
निदेशक (वित्त)एवं सीएफ़ओ
डीआईएन - 08511344

हस्ता./-
एस. महापात्र
कंपनी सचिव
एसीएस 10992

वित्तीय विवरणों के भाग का निर्माण करने वाले नोट्स

नोट 1: कंपनी का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की जानकारी

नोट 1.1: कंपनी का विवरण

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड ('जीआरएसई लिमिटेड' या 'कंपनी') को 26 फरवरी, 1934 को निगमित किया गया था । कंपनी, भारत में अधिवासित है जिसका पंजीकृत कार्यालय जीआरएसई, भवन, गार्डन रीच रोड, कोलकाता-700024 में है । कंपनी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध है । कंपनी मुख्य रूप से युद्धपोतों का निर्माण करती है ।

नोट 1.2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की जानकारी

(क) तैयारी का आधार

(i) अनुपालन का विवरण

इन वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के साथ-साथ कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित संशोधित और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (यहाँ इसके बाद से इसे 'इंड एएएस' के रूप में संदर्भित) के अनुसार तैयार किया गया है ।

लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में लगातार लागू किया जाता है ।

(ii) ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन

वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित को छोडकर ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है:

क) कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है;

ख) बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां – जिन्हें कम वहन राशि या उचित मूल्य घटाव बेचने के लागत आधार पर मापा गया है;

ग) परिभाषित लाभ योजनाएं - उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियां ।

(iii) वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण

तुलन पत्र में परिसंपत्तियां और देनदारियाँ, वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण पर आधारित है ।

परिसंपत्तियां और देनदारियाँ का वर्गीकरण, जहां कहीं लागू होने योग्य, कंपनी की विभिन्न व्यावसायिक क्रियाकलापों के सामान्य संचालन चक्रों पर आधारित होते हैं, जो निम्नानुसार है:

(क) पोत निर्माण और पोत की मरम्मत और रिफिट गतिविधियों के मामले में, सामान्य संचालन चक्र पर पोत के अनुसार अनुबंध की प्रभावी तारीख से लेकर गारंटी अवधि की समाप्ती तिथि तक की कुल समयावधि मानी जाती है ।

(ख) अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के मामले में, सामान्य संचालन चक्र 12 महीने का होता है ।

एक संपत्ति को वर्तमान परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब :

i. सामान्य संचालन चक्र में बेचे जाने या उपभोग किए जाने का साकार या इरादा की उम्मीद है,

ii. इसे मुख्य रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य के लिए रखा जाता है,

iii. इसे प्रतिवेदन अवधि के पश्चात बारह महीनों के भीतर निपटाय जाने की उम्मीद होती है, या

iv. नकद या नकद समकक्ष जब तक की प्रतिवेदन अवधि के पश्चात कम से कम बारह महीने के लिए एक विनिमय किए जाने या देयता का निपटान करने से प्रतिबंधित न हो ।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

एक देनदारी को वर्तमान देनदारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता जब यह :

i. इसका निपटान, सामान्य संचालन चक्र में किए जाने की उम्मीद होती है,

ii. इसे मुख्य रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य के लिए रखा जाता है,

iii. इसका निपटान, प्रतिवेदन अवधि के बाद, या बारह महीनों के भीतर किए जाने के लिए निर्धारित होता है

iv. प्रतिवेदन अवधि के पश्चात कम से कम बारह महीने के लिए देनदारी के निपटान को आस्थगित करने का कोई शर्त रहित अधिकार नहीं है ।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-वर्तमान के रूप में माना जाता है ।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

(iv) राशियों का पूर्णांकन

वित्तीय विवरणों और नोट्स में उल्लिखित सभी राशियों को अनुसूची III, की आवश्यकता के अनुसार जब तक किसी अन्य प्रकार से कुछ न कहा जाएं, निकटतम लाख में बदल दिया गया है ।

(v) क्रियाशील और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपये में प्रस्तुत किया गया है जो कंपनी की क्रियाशील मुद्रा है ।

(ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

I. संपत्ति,संयंत्र और उपकरण को यदि कोई हो तो,लागत, कम संचित मूल्यह्रांस और हानि में दर्शाया गया है ।

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत, शेष तुलन पत्र तिथि पर उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं है, इसका खुलासा चालू पूंजीगत कार्य रूप में किया गया है । इसमें सप्लाई कम इरेक्श्न कांट्रैक्ट, साइट पर प्राप्त पूंजी आपूर्ति का मूल्य और स्वीकृत, पारगमन में पूंजीगत सामान और निरीक्षण तथा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत शामिल है जो अभी तक उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं ।

(ii) लागत का मतलब है कि व्यापार मूल्य में छूट के बाद नकद मूल्य के रूप में मानी जाने वाली खरीद मूल्य, छूट और जुडने वाले शुल्क, गैर-वापसी योग्य करों और लागतों को सीधे उपयोग के लिए उपलब्ध परिसंपत्ति बनाने के लिए दायित्व, संयंत्र और उपकरण के पार्ट को बदलने की लागत, यदि मान्यता मानदंड पूरे किए जाते हैं तो दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए उधार लागत ।

(iii) जब कोई प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तब यदि मान्यता मानदंड संतोषजनक हो तो इसकी लागत को संयंत्र और उपकरण की वहन राशि के रूप में मान्यता दी जाती है । अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव लागतों को लाभ या हानि में व्यय के रूप में पहचान की जाती है ।

(iv) जहां संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत महत्वपूर्ण है और इनका उपयोगी जीवन अलग-अलग है, वहाँ उन्हें अलग-अलग घटक के रूप में माना जाता है और उनके अनुमानित उपयोग जीवन पर अवमूल्यन किया जाता है ।

(v) व्यक्तिगत रूप से 5000/- रुपये या उससे कम की संपत्ति में वृद्धि का उपयोग के लिए उपलब्ध होने पर वर्ष में 100% पर मूल्यह्रास किया जाता है।

(vi) मुख्य संपत्ति के साथ खरीदे गए पुर्जों को उस संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है

इंड एएस में रूपान्तरण

इंड एएस में रूपांतरित होने पर, कंपनी ने पिछले जीएएपी (भारतीय जीएपीपी) के 1 अप्रैल, 2015 तक केअनुसार मापे गए अपनी मान्य सभी संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों के वहन मूल्य को जारी रखने और उस वहन को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मानी गई लागत के रूप में इस्तेमाल करने का विकल्प चुना है ।

(ii) सेवानिवृत्ति और विमान्यता: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद की वहन राशि को निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है तो उसे विमान्य किया जाता है । किसी मद के विमान्यता/ निवृत्ति/ सेवानिवृत्ति की समाप्ति से उत्पन्न होने वाले लाभ/ हानि को प्रतिवेदन अवधि के लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है ।

(iii) संयुक्त रूप से वित्तपोषित परिसंपत्तियाँ

सम्पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बाहरी एजेंसियों के वित्तीय सहयोग से प्राप्त संयंत्र और उपकरण को सकल मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है ।

इंड एएस में रूपांतरित होने पर, कंपनी ने इंड एएस 101 के अंतर्गत छूट का विकल्प चुना है । इसलिए, संयंत्र और उपकरण जिन्हें पूंजीकृत किया गया था, कंपनी की शुद्ध लागत को उनके शुद्ध मूल्य से अग्रेनित किया गया है । 1 अप्रैल 2015 से ऐसी परिसंपत्तियों से किए गए किसी संयोजन को सकल मूल्य में प्रकट किया गया है और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवनकाल में परिशोधित कर दिया गया है ।

(iv) मूल्यह्रांस की विधियाँ, अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्य:

निम्नलिखित वस्तुओं को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में उल्लिखित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर, उपयोग की अवधि के अनुपात में, सीधी रेखा विधि के अंतर्गत, मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जहां तकनीकी आकलन के आधार पर अनुमानित उपयोगी जीवनकाल, पूर्व प्रवृत्तियाँ और प्रत्याशित उपयोगी जीवनकाल, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II से अलग है:

परिसंपत्ति की श्रेणी	विवरण	वर्ष
संयंत्र और उपकरण	गोलियथ क्रेन (250 टन क्षमता)	**25**
संयंत्र और उपकरण	हैंड पावर टूल्स जैसे ग्राइंडर, चिपर, ड्रिलिंग मशीनें; कसने वाले टूल्स जैसे बोतल पेंच, कीलक एवं गोफन, उत्तोलक/जंजीर-चरखी ब्लॉक, हुक बेड़ियाँ, मापने और जाचने वाला उपकरण	**08**
संयंत्र और उपकरण	विविध औज़ार/सामग्रियाँ और उनके उपसाधन; वेल्डिंग टॉर्च, गेस टॉर्च, पोर्टबल इलेक्ट्रोड चूल्हा, मास्क और हेलमेट; छोटे-छोटे यंत्र, मापन/नियंत्रण उपकरण	**05**
फर्नीचर और फिक्सचर	सभी इलेक्ट्रिकल/विद्युत उपकरण जैसे रेफ्रिजरेटर, एमडबल्यू/अन्य चूल्हे, टीवी सेट/मनोरंजन सिस्टम/ गीजर/वाटर हीटर,वाटर प्यूरिफायर और कूलर, एयर इलेक्ट्रोनिक मेडिकल गैजेट/उपकरण ,कैंटीन गैजेट्स/यूटिलिटी, संचार उपकरण	**05**

i. मौजूदा परिसंपत्तियों के एक अभिन्न अंग का निर्माण करने वाले संयोजन/विस्तार के संबंध में, मूल्यह्रास, संबंधित परिसंपत्ति के शेष जीवन पर प्रदान किया जाता है । महत्वपूर्ण संयोजन जिन्हें नियमित अंतराल पर बदलना पड़ता है/जोड़ना पड़ता है, उनका मूल्यह्रास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंधित मद के उपयोगी जीवन पर प्रदान किया जाता है ।

ii. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास

क) जब परिसंपत्ति उपयोग के लिए तैयार होती है तब परिसंपत्ति मूल्यह्रास शुरू होता है । यह उस तिथि के पहले समाप्त हो जाता है कि परिसंपत्ति को बिक्री के लिए रखा जाता है और परिसंपत्ति की मान्यता की तिथि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । मूल्यह्रास को परिसंपत्तियों के संबंधित उपयोगी जीवन पर उनकी लागत (फ्री होल्ड भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों के अलावा उनके अवशिष्ट मूल्यों को कम करके) को बट्टे खाते में डालने के लिए मान्यता दी जाती है ।

ख) अवशिष्ट मूल्य पर, कंप्यूटर और आईटी बाह्य उपकरणों को छोड़कर, संबंधित परिसंपत्तियों की मूल लागत के 5% की दर पर विचार किया जाता है ।

ग) कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों (सर्वर और नेटवर्क उपकरण को छोड़कर) को उनके उपयोगी जीवन में पूरी तरह मूल्यह्रास किया जाता है ।

iii. एक अनुमानित आधार पर लेखांकित अनुमान में किसी परिवर्तन के प्रभाव के साथ प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में अनुमानित उपयोगी जीवन, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास विधि की समीक्षा की जाती है ।

iv. उन परिसंपत्तियों के संबंध में जिनके उपयोगी जीवन को पुनरावृत किया गया है, परिसंपत्तियों के पुनरावृत शेष उपयोगी जीवन पर अपरिशोधित मूल्यह्रास योग्य शुल्क लिया गया है ।

v. एयर कंडीशनर्स को प्रमुख फर्नीचर और फिक्सचर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और उपयोगी जीवन को, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत फर्नीचर और फिक्सचर पर लागू होने योग्य माना गया है ।

vi. आंतरिक तकनीकी आकलन और मूल्यांकन के आधार पर ऐसी परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर लागत का 95% बट्टे खाते डालने के लिए सीधी रेखा विधि के अनुसार पुरानी मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाया जाता है ।

(ग) बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

गैर-परिसंपत्तियों के बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी वहन राशि को लगातार इस्तेमाल के माध्यम से वसूल करने के बजाए मुख्य रूप से एक बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी और एक बिक्री को अत्यंत संभावित माना जाता है । उन्हें उनकी कम वहन राशि और उचित मूल्य घटाव बिक्री की लागत पर मापा जाता है, सिवाय उन परिसंपत्तियों के लिए जैसे आस्थगित कर परिसंपत्तियां, कर्मचारी के लाभ से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियां और वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें इस आवश्यकता से विशेष रूप से छूट प्राप्त है ।

बिक्री के लिए रोककर रखी परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां और बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह की परिसंपत्तियों को तुलन पत्र में अन्य परिसंपत्तियों से अलग करके प्रस्तुत किया जाता है । बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह की देनदारियों को तुलन पत्र में अन्य देनदारियों से अलग करके प्रस्तुत किया जाता है ।

(घ) उधार संबंधी लागत

उधार संबंधी लागत जिसके लिए सीधे तौर पर एक योग्यतामूलक परिसंपत्ति (धनराशियों के अस्थायी उपयोग पर अर्जित शुद्ध आय) के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन जिम्मेदार होता है उस लागत को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है । उधार संबंधी लागत में ब्याज, धनराशि उधार लेने से जुड़ी अन्य लागत और उधार संबंधी लागत में एक समायोजन मानी जाने वाली सीमा तक आदान-प्रदान का अंतर शामिल होता है । एक योग्यतामूलक परिसंपत्ति एक ऐसी परिसंपत्ति है जिसे अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लगता है । अन्य सभी उधार संबंधी लागत को लाभ-हानि विवरण में चार्ज किया जाता है ।

(ङ) परिसंपत्तियों की क्षीणता

परिसंपत्तियों की क्षीणता पर इंड एएस 36 में परिभाषित किए गए अनुसार नकदी उत्पन्न करने वाले इकाइयों को तुलन पत्र की तारीख में स्थापित किया जाता है । तुलन पत्र की तारीख में, यदि क्षीणता का संकेत मिलता है और नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई की वहन राशि उसकी वसूल करने योग्य राशि से अधिक होती है (अर्थात उचित मूल्य घटाव निपटान की लागत और उपयोगरत मूल्य का अधिक) तो क्षीणता हानि को मान्यता दी जाती है । वहन राशि घटकर वसूली योग्य राशि बन जाती है और घटौती को लाभ-हानि विवरण में एक क्षीणता हानि के रूप में मान्यता दी जाती है ।

वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर, पूर्व लेखांकन अवधि में मान्यता प्राप्त क्षीणता हानि प्रतिलोम हो जाती है । क्षीणता के बाद, क्षीण परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर उसके पुनरावृत वहन मूल्य पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है ।

(च) अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्ति को अधिग्रहण की लागत घटाव संचित परिशोधन और संचित क्षीणता,यदि कोई हो, के रूप में व्यक्त किया जाता है । परिशोधन, उस तारीख से सीधी रेखा आधार पर उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर किया जाता है जिस तारीख से वे, क्षीणता परीक्षण के आधार पर, अपेक्षित उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाते हैं । सॉफ्टवेर जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग नहीं है, उसे एक अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उसे 5 वर्ष के उपयोगी जीवन में परिशोधित किया जाता है । विशिष्ट अवधि के लिए लाइसेंस फीस को कथित अवधि में सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है ।

5,000 रूपये या उससे कम मूल्य की अमूर्त परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत वस्तुओं को अधिग्रहण वर्ष या उपयोग वर्ष में सम्पूर्ण रूप से परिशोधित किया जाता है ।

इंड एएस में रूपान्तरण

इंड एएस में रूपांतरित होने पर, कंपनी ने पिछले जीएएपी (भारतीय जीएएपी) के आधार पर मापे गए,1 अप्रैल 2015 को मान्यता प्राप्त, अपनी सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के उसके मूल्य के साथ जारी रखने और उस मूल्य को अमूर्त परिसंपत्तियों की मानी गई लागत के रूप में इस्तेमाल करने का विकल्प चुना है ।

(छ) अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास पर होने वाले पूंजीगत व्यय को अमूर्त परिसंपत्तियों में शामिल किया जाता है और अनुसंधान एवं विकास पर राजस्व व्यय को उस वर्ष में व्यय के रूप में चार्ज किया जाता है जिसमें इसे व्यय किया जाता है ।

(ज) वस्तुसूचियां

वस्तुसूची का मूल्यांकन इंड एएस 2 के प्रावधानों के अनुसार है। लागत निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:

i. कच्चा माल, अवयव, स्टोर और अतिरिक्त पुर्जे: भारित औसत दरों

ii. संयंत्र की अंदर की वस्तुएँ: मानक लागत पर ।

iii. लागत पर :विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उपकरण, पारगमन में स्टोर, सामग्री और अन्य आपूर्ति।

iv. भौतिक सत्यापन के समय अप्रचलित, धीमी गति से चलने वाली और दोषपूर्ण वस्तु सूची की पहचान की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, ऐसी वस्तु सूची के लिए प्रावधान किए जाते हैं।

(1) किसी जलयान की डिलीवरी की तारीख से 4 साल या उससे अधिक समय तक नहीं चलने वाले परियोजना विशिष्ट स्टोर का मूल्य लागत का 50% माना जाता है।

(2) अप्रचलन उन वस्तुओं को प्रदान किया जाता है जिनकी शेल्फ लाइफ समाप्त हो चुकी है, नॉन मूविंग स्टोर (परियोजना विशिष्ट के अलावा) 4 साल और उससे अधिक के लिए और जिन्हें आगे उपयोग के लिए आवश्यक नहीं हो सकता है।

V. लागत पर: निर्माण और पोत मरम्मत अनुबंधों के अलावा प्रगति पर चल रहे कार्यों (ठेकेदारों द्वारा रखी गई सामग्री सहित) की सभी वस्तुएं

VI. अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर: स्क्रैप ।

VII. लागत पर:अंतर-यूनिट स्थानांतरण मद

नोट:

1) वस्तुसूची की लागत में खरीद की सभी लागत, रूपांतरण की लागत और वस्तु सूची को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागतें शामिल होती हैं।

2) सामान्य स्तर की गतिविधि को ध्यान में रखते हुए सुविधा के लिए इन-प्लांट वस्तुओं का मूल्यांकन मानक लागत पर किया जाता है और नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

झ) राजस्व मान्यता

लागू इंड एएस 115 को ध्यान में रखते हुए, ग्राहकों के साथ अनुबंध से होने वाले राजस्व को तब पहचाना जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है, जो इस विचार को दर्शाता है कि कंपनी ने इन वस्तुओं या सेवाओं के हकदार होने की बात इनके लिए ही कहीं थी ।

कंपनी यह भी विचार करती है कि क्या अनुबंध में अलग-अलग दायित्वों को प्रदर्शित करने वाले अन्य वादे हैं । अनुबंध में पहचाने गए प्रत्येक प्रदर्शित दायित्व के लिए, कंपनी अनुबंध की शुरूआत में ही यह निर्धारित करती है कि क्या यह हर समय पर प्रदर्शित सभी दायित्वों को संतुष्ट करता है या एक समय में प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करता है । यदि कंपनी समय के साथ प्रदर्शित दायित्व को पूरा नहीं करती है, तो प्रदर्शन दायित्व समय में एक बिन्दु पर संतुष्ट होता है ।

परिचालन से राजस्व प्राप्ति

(क) पोत निर्माण, पोत मरम्मत और अन्य निर्माण अनुबंधों से राजस्व प्राप्ति:

(i) पोत निर्माण, पोत मरम्मत और अन्य निर्माण अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को तक (या के रूप में) पहचान जाता है जब एक ग्राहक को दिए गए अच्छी सेवा या (अर्थात एक संपत्ति) को स्थानांतरित करके इकाई एक निष्पादन दायित्व को पूरा करती है । एक परिसंपत्ति तब (या के रूप में) हस्तांतरित की जाती है जब ग्राहक उस परिसंपत्ति का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है ।

कंपनी समय के साथ एक अच्छी सेवा का नियंत्रण स्थानांतरित करती है तब निष्पादन दायित्व को संतुष्ट कर पाती है । इस तरह से कंपनी के एक समय के राजस्व को पहचाना जाता है, यदि निम्न मानदंडों में से कोई एक का प्रस्ताव शामिल हो तो –

(क) ग्राहक एक साथ कंपनी के प्रदर्शन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और खपत करता है जैसा कि कंपनी करती है; या

(ख) कंपनी का प्रदर्शन संपत्ति बनाता है या बढ़ाता है (उदाहरण के लिए, कार्य प्रगति में) जिसे ग्राहक नियंत्रण के रूप में संपत्ति बनाया या बढ़ाया जाता है; या

(ग) कंपनी का प्रदर्शन कंपनी के लिए वैकल्पिक उपयोग के साथ संपत्ति नहीं बनाता है और कंपनी अब तक के समय के अंदर किए गए प्रदर्शन के भुगतान को लागू करने का अधिकार रखती है ।

(घ) एसबीएफए नीति के तहत पात्र अनुबंधों के संबंध में पोत निर्माण वित्तीय सहायता को समय-समय पर मान्यता दी जाती है जब प्रबंधन विश्वसनीय रूप से इसकी संभावित प्राप्ति को माप सकता है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व को मान्यता देती है तभी संस्था प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को यथोचित रूप से माप सकती है।

प्रगति मापने की विधि:

- वस्तु की प्रकृति के आधार पर, पोत निर्माण के संबंध में प्रगति को इनपुट विधि का उपयोग करके समय के साथ पहचान जाता है यानी सम्पूर्ण अनुबंध हेतु अनुमानित कुल लागत की वास्तविक लागतों के साथ तुलना करके । इन अनुमानों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है ।
- परिभाषित मरम्मत दायित्व वाले पोत की मरम्मत के अनुबंध हेतु, इनपुट विधि का उपयोग करके राजस्व को समय के साथ पहचाना जाता है यानी पूरे अनुबंध के लिए अनुमानित कुल लागतों की वास्तविक लागतों के साथ तुलना की जाती है ।
- पोत मरम्मत अनुबंध में जिसमें जिन पोतों को निरंतर मरम्मत की जरूरत होती है उनके लिए राजस्व को मान्यता पद्धति के आधार पर अपनी प्रगति को मापने के लिए आउटपुट विधि का उपयोग करना पड़ता है । इस मान्यता प्राप्त तिथि के आधार पर ही मान्यता दी जाती है क्यूंकि वस्तुओं और/या सेवाओं के आदान-प्रदान में विचार की पात्रता के अध्यधीन प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि का प्रतिनिधि है ।

(ii) नौसेना स्टोर से वस्तु की प्राप्ति के प्रमाण समय पर प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि के आधार पर बी एवं डी पुर्जों की आपूर्ति से प्राप्त राजस्व की पहचान की जाती है ।

(iii) संशोधन नौकरियों के लिए राजस्व मान्यता: संशोधन नौकरियों के मामले में, पूर्ण किए गए संशोधन के विरूद्ध राजस्व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर मान्यता प्राप्त है और यह उचित प्राधिकारी द्वारा जारी की जाती है और जिसके लिए अनुमोदन के लिए संशोधन लागत ग्राहक को प्रस्तुत किया जाता है, जो ग्राहक के ऑनसाइट प्रतिनिधि द्वारा विधिवत अनुशंसित है ।

(ख) डीजल इंजन के निर्माण के लिए अनुबंधों से प्राप्त राजस्व, डीजल इंजन के ओवरहालिंग और हेलो-ट्रैवर्सिंग सिस्टम (डेक मशीनरी का एक उत्पाद) जिसमें डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग या निर्माण शामिल है को विशेष रूप से डिजाइन उत्पादों और सेवा अनुबंधों, इनपुट विधि का उपयोग करके समय के साथ पहचाना जाता है । जबकि अन्य प्रावधान समय के साथ बिन्दु को आकर्षित करते हैं, वह पूर्व के (ए) (i) में उल्लेखित के आधार पर पहचाना जाता है ।

(ग) बेली ब्रिज अनुबंधों से राजस्व समय के आधार पर संतुष्ट होता है, क्यूंकि यह ओवर-टाइम के मानदंडों को पूरा नहीं करता है । आपूर्ति किए गए ब्रिज का प्रत्येक सेट अलग प्रदर्शन और अलग दायित्व हेतु निर्गत किया जाता है । इस प्रकार कंपनी राजस्व को पहचानती है (परिवहन सहित) जब नियंत्रण स्थानांतरित किया जाता है, तो पुल का सम्पूर्ण सेट ग्राहक को डिलीवर किया जाता है।

जब बेली ब्रिज का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया गया तो बेली ब्रिज अनुबंधों के लिए कई प्रदर्शन दायित्व जैसे कि बेली ब्रिज की बिक्री, स्थापना सेवा और उप-मार्ग का निर्माण, मुफ्त रखरखाव सेवा, परियोजना प्रबंधन सेवा आदि शामिल हैं, कंपनी बेली ब्रिज की बिक्री से संबन्धित प्रदर्शन दायित्व के आधार पर राजस्व को पहचानती है । हालांकि, अनुबंधों में अन्य प्रदर्शन दायित्वों के लिए, इनपुट विधि का उपयोग करके समय के साथ राजस्व को मान्यता दी जाती है । जबकि अन्य प्रावधान समय के साथ बिन्दु को आकर्षित करते हैं, वह पूर्व के (ए) (आई) में उल्लेखित के आधार पर पहचाना जाता है ।

(घ) डेक मशीनरी की बिक्री से राजस्व (हैलो-ट्रैवर्सिंग सिस्टम को छोडकर) वस्तुओं की डिलीवरी के समान जो मान्यता प्राप्त है इन्हें जब अनुबंध के अधीन परिसंपत्ति नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है, तो इसके प्रदर्शन दायित्वों को एक निश्चित समय पर संतुष्टि के आधार पर निर्धारित किया जाता है ।

(ङ) अन्य परिचालन राजस्व व्यापार से संबंधित गतिविधियों से अर्जित आय का प्रतिनिधित्व करता है जिसे तब मान्यता दी जाती है । जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट होने पर आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है ।

(च) जब किसी अनुबंध के लिए किसी पक्ष ने प्रदर्शन किया है, तो कंपनी अनुबंध परिसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में अनुबंध प्रस्तुत करती है, जो कंपनी के प्रदर्शन और ग्राहक के भुगतान के बीच के संबंधों पर निर्भर करती है ।

अनुबंध परिसंपत्ति: जब कंपनी द्वारा प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि के द्वारा मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व, ग्राहक द्वारा प्रतिफल के भुगतान के संतुष्टि प्रदर्शन दायित्व से अधिक हो जाता है, तो अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ।

अनुबंध दायित्व : जब प्रतिफल भुगतान के माध्यम से ग्राहक द्वारा संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व से अधिक हो जाता है, तो अंतर को अनुबंध देयताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ।

(छ) परिवर्तनीय निर्णय:

किसी अनुबंध में छूट, रिबेट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, जुर्माना (परिनिर्धारित क्षति) या या इसी तरह की अन्य मदों जैसे परिवर्तनीय विचार संविदात्मक प्रावधानों/ प्रबंधन आकलन और उस निवल राशि के आधार पर किए जाते हैं जिसके लिए

कंपनी किसी ग्राहक को वादा की गई वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होगी। यदि किसी संस्था की प्रतिफल की पात्रता भविष्य में किसी घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर है तो वादा किया गया प्रतिफल भिन्न हो सकता है।

अन्य आय

(क) प्रभावी आय दर (ईआरआई) का उपयोग करके ब्याज आय को मान्यता दी जाती है । ब्याज आय को लाभ और हानि के विवरण में "अन्य आय" में शामिल किया गया है और इसे रसीद की निश्चितता एवं समय के आधार पर गणना किया जाता है । फ़िक्स्ड डिपॉज़िट के मामले में, ब्याज की गणना तब की जाती है, जब वह प्रत्येक फ़िक्स्ड डिपॉज़िट पर लागू ब्याज दर को आरोपित करते हुए कंपनी को प्राप्त होता हो ।

(ख) अन्य मदों को उपार्जन के आधार पर मान्यता दी जाती है ।

बीमा संबंधी दावे

बीमा संबंधी दावों के खिलाफ बकाया राशियों की गणना, उपार्जित आधार पर की जाती है; दावों के संबंध में जिन्हें अभी तक बीमादार द्वारा प्रतिवेदन तिथि के अंत तक आखिर में निपटान करना होता है, क्रेडिट की गणना की कंपनी के वसूली योग्य मूल्य के अनुमान के आधार पर की जाती है ।

(ञ) विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन:

(i) आरंभिक मान्यता

विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेनों को,विदेशी मुद्रा राशि अर्थात लेनदेन की तारीख को क्रियाशील मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच के विनिमय दर का इस्तेमाल करके, क्रियाशील मुद्रा में रिकॉर्ड किया जाता है ।

(ii) रूपान्तरण

विदेशी मुद्रा संबंधी मौद्रिक वस्तुओं को प्रतिवेदन तिथि के समापन विनिमय दर का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है । गैर-मौद्रिक वस्तुएँ जिन्हें एक विदेशी मुद्रा में नामित एतिहासिक लागत के रूप में ले जाया जाता है उन वस्तुओं को लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है । सामग्रियों/सेवाओं के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को दी जाने वाली अग्रिम राशियों को गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियां मानी जाती है और इसके परिणामस्वरूप इन्हें लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है ।

(iii) विनिमय अंतर

मौद्रिक वस्तुओं के निपटान पर उत्पन्न होने वाले या उनसे अलग दरों पर कंपनी की मौद्रिक वस्तुओं के प्रतिवेदन पर उत्पन्न होने वाले, जिन पर उन्हें वर्ष के दौरान शुरू में रिकॉर्ड किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में सूचित किया गया था, विनिमय अंतरों को उस वर्ष में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में वे उत्पन्न होते हैं ।

(ट) अनुदान/अनुवृत्ति

i. पूंजीगत अनुदान/अनुवृत्तियाँ

विशिष्ट परिसंपत्ति से संबंधित पूंजीगत अनुदानों/अनुवृत्तियों का खुलासा सकल मूल्य पर किया जाता है और उपयोगी जीवन काल में पीपीई के संबंधित वस्तु का परिशोधन किया जाता है ।

ii. राजस्व अनुदान/अनुवृत्तियाँ

राजस्व वस्तुओं से संबंधित सरकारी अनुदानों को संबंधित व्यय के साथ समायोजित किया जाता है । एक विशिष्ट व्यय से संबंधित न होने पर, इसे आय के रूप में ग्रहण किया जाता है ।

(ठ) नकदी प्रवाह संबंधी विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है, जहां कर पूर्व लाभ/हानि को एक गैर-नकदी प्रकृति के लेनदेन,पूर्व या भावी संचालनगत नकद प्राप्तियों या भुगतान के किसी आस्थगन या उपार्जन और निवेश या वित्तपोषण प्रवाह से जुड़े आय या व्यय की वस्तुओं के पभावों के लिए समायोजित किया जाता है । कंपनी के वित्तीय क्रियाकलापों, परिचालन और निवेश से नकदी प्रवाह को अलग किया जाता है ।

(ड) नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समतुल्य में हाथ में मौजूद नकद, हाथ में मौजूद चेक, बैंकों में चालू खातों में थोड़े समय के लिए मौजूद शेष राशि, अत्यंत तरल निवेश जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम है और जिसमें मूल्य परिवर्तन का कम जोखिम होता है ।

(ढ) वित्तीय प्रपत्र

वित्तीय प्रपत्र एक ऐसा अनुबंध है जिससे एक संस्थान की एक वित्तीय परिसंपत्ति का तथा एक अन्य संस्थान की एक वित्तीय देनदारी या इक्विटी प्रपत्र की उत्पत्ति होती है ।

वित्तीय परिसंपत्ति

वर्गिकरण

कंपनी, वित्तीय लागत को तत्पश्चात परिशोधित लागत, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य या वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रबंधित करने के लिए अपने व्यवसाय मॉडल के आधार पर लाभ या हानि के उचित मूल्य और वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह विशेष लक्षणों पर मापी गई परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत करती है ।

आरंभिक मान्यता और माप:

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य प्लस पर मान्यता दी जाती है और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य दर्ज न की गई तो वित्तीय परिसंपत्ति के मामले में,लेनदेन लागत पर मान्य दी जाती है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार होती हैं ।

परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्ति :

वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है जब परिसंपत्ति को एक व्यावसायिक मॉडल के भीतर रखा जाता है, जिसका उद्देश्य, अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह को संग्रह करने के लिए परिसंपत्ति को रोककर रखना होता है और परिसंपत्ति की अनुबंधात्मक शर्तों के कारण निर्दिष्ट तिथियों को नकदी प्रवाह में वृद्धि होती है जो सिर्फ मूलधन और ब्याज दर (ईआईआर) विधि का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है । क्षीणता से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है । यह श्रेणी आमतौर पर व्यापार और अन्य प्राप्यों पर लागू होती है ।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्ति (एफ़वीटीओसीआई)

इस श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय परिसंपत्तिय को आरंभ में मापने के साथ-साथ प्रत्येक तिथि को उचित मूल्य पर मापा जाता है । उचित मूल्य मूवमेंट्स को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है ।

वित्तीय परिसंपत्ति की क्षीणता

कंपनी, एक अग्र दृष्टि आधार पर परिशोधित लागत पर ले जायी गई अपनी परिसंपत्ति से जुड़ी प्रत्याशित ऋण हानियों और एफ़वीओसीआई ऋण विलेखों का आकलन करती है । इस्तेमाल की गई क्षीणता क्रियाविधि, इस बात पर निर्भर करती

है कि ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं । नोट 35 में इस बात का विवरण दिया गया है कि कंपनी यह कैसे निर्धारित करती है कि ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं ।

सिर्फ व्यापार प्राप्यों के लिए, इंड एएस 109 वित्तीय लेखपत्रों द्वारा स्वीकृत सरलीकृत दृष्टिकोण को कंपनी लागू करती है, जिसके लिए प्राप्यों की आरंभिक मान्यता से प्रत्याक्षित आजीवन हानियों को मान्यता दिये जाने की जरूरत पड़ती है ।

सरकार/सरकारी विभागों/सरकारी कंपनियों से लिए जाने वाले कर्ज को आम तौर पर संदिग्ध नहीं माना जाता है । लेकिन, अनुबंध की दृष्टि से जो बकाया नहीं है उन्हें छोडकर, मामला दर मामला समीक्षा आधार पर, खातों में प्रावधान किए गए है ।

वित्तीय परिसंपत्ति की विमान्यता

एक वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता को मुख्य रूप से उस समय हटा दिया जाता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त होने के अधिकारों की समय सीमा समाप्त हो गई हो या जब कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह होने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया हो ।

वित्तीय देनदारियां

कंपनी की वित्तीय देनदारियां, किसी अन्य संस्थान को नकदी या कोई अन्य वित्तीय परिसंपत्ति देने या ऐसी शर्तों के अंतर्गत किसी अन्य संस्थान के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियां का आदान-प्रदान करने का अनुबंधात्मक दायित्व है जो कंपनी के लिए संभवत: प्रतिकूल होती हैं ।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में उधार, व्यापार और अन्य देय राशियां शामिल होती हैं ।

वर्गीकरण, आरंभिक मान्यता और माप

वित्तीय देनदारियों को प्रारंभ में उचित मूल्य घटाव लेनदेन लागतों पर मान्यता दी जाती है जो सीधे तौर पर वित्तीय देनदारियों को जारी करने से संबंधित होती हैं । वित्तीय देनदारियों को तत्पश्चात परिशोधित लागत पर मापी गई देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । परिशोधित लागत की गणना, अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का एक अभिन्न अंग है । प्राप्तियों (लेनदेन लागतों का शुद्ध) और ऋणमुक्ति राशि के बीच के अंतर को ब्याज की प्रभावी दर का इस्तेमाल करके उधार की अवधि में लाभ-हानि विवरण में दी जाती है ।

उत्तरवर्ती माप

आरंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को तत्पश्चात ईआईआर विधि का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है । मुनाफे और नुकसान को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब देनदारियों को विमान्य कर दिया जाता है और इसके अलावा इन्हें ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी मान्यता दी जाती है ।

ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है ।

वित्तीय देनदारी की विमान्यता

जब देनदारी के अंतर्गत दायित्व का निर्वाह हो जाता है या उसे रद्द कर दिया जाता है या उसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है तब वित्तीय देनदारी की मान्यता समाप्त हो जाती है । एक वित्तीय देनदारी की वह राशि समाप्त हो गई है या किसी अन्य पक्ष को स्थानांतरित कर दी गई है और प्रदत्त विचार राशि के बीच के अंतर को, जिसमें स्थानांतरित की गई गैर-नकदी परिसंपत्ति या स्वीकार की गई देनदारियां भी शामिल है, अन्य आय या वित्त लागत के रूप में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है ।

(ण) उचित मूल्य की माप

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को उचित मूल्य पर वित्तीय प्रपत्र को मापती है ।

उचित मूल्य वह कीमत है जो परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त होगी या मापने की तारीख को बाजार प्रतिभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेनदेन में एक देनदारी को स्थानांतरित करने के लिए प्रदान की जाएगी। उचित मूल्य की माप, इस अनुमान पर आधारित होती है कि परिसंपत्ति को बेचने के लिए या देनदारी को स्थानांतरित करने के लिए होने वाला लेनदेन:

- परिसंपत्ति या देनदारी के लिए प्रमुख बाजार में, या
- एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देनदारी के लिए सबसे लाभदायक बाजार में ।

कंपनी द्वारा प्रमुख या सबसे लाभदायक बाजार सुलभ होना चाहिए ।

एक परिसंपत्ति या एक देनदारी का उचित मूल्य, कल्पनाओं का इस्तेमाल करके मापा जाता है जिसका इस्तेमाल बाजार प्रतिभागी, यह मानते हुए परिसंपत्ति या देनदारी का मूल्य निर्धारण करते समय करेंगे कि बाजार प्रतिभागी, अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित में काम करते हैं ।

एक गैर-वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य की माप करते समय एक बाजार प्रतिभागी द्वारा परिसंपत्ति का सबसे अधिक और सबसे अच्छा इस्तेमाल करके या इसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी को बेचकर जो परिसंपत्ति का सबसे अधिक और सबसे अच्छा इस्तेमाल करेगा, आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की क्षमता को ध्यान में रखा जाता है ।

कंपनी ऐसी मूल्य निर्धारण तकनीकों का इस्तेमाल करती है जो परिस्थितियों के अनुसार उपर्युक्त होती हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध होते हैं, जहां संबंधित अवलोकन योग्य इनपुट का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाता है और गैर अवलोकन योगय इनपुट का कम से कम इस्तेमाल किया जाता है ।

सभी परिसम्पत्ति और देनदारियों को, जिनके लिए उचित मूल्य को मापा जाता है या वित्तीय विवरणों में खुलासा किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जिसका वर्णन नीचे किया गया है, जो निम्नतम स्तरीय इनपुट पर आधारित होते हैं जो कुल मिलाकर उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण होते हैं:

स्तर 1 — एक जैसी परिसंपत्ति या देनदारियों के बीच सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य;

स्तर 2 — मूल्य निर्धारण तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तरीय इनपुट जो उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य होता है;

स्तर 3 — मूल्य निर्धारण तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तरीय इनपुट जो उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य नहीं होता है ।

उन परिसम्पत्ति और देनदारियों के लिए जिन्हें एक आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की जाती है, कंपनी प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में वर्गीकरण (निम्नतम स्तरीय इनपुट के आधार पर जो कुल मिलाकर उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण होता है) का पुन: आकलन करके यह निर्धारित करती है कि पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं ।

कंपनी का वित्त विभाग आवर्ती उचित मूल्य की माप के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है, जैसे व्युत्पाद लेखपत्र और उचित मूल्य पर मापी गई अनुद्धरित वित्तीय परिसंपत्ति ।

(त) पट्टे

1 अप्रैल 2019 से इंड एएस 116 के कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से पट्टों को उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है और जिस तारीख को कंपनी द्वारा उपयोग के लिए पट्टे पर परिसंपत्ति उपलब्ध होती है, उसी पर देयता होती है । पट्टे से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्ति और देनदारियों को शुरू में वर्तमान मूल्य के आधार पर मापा जाता है । पट्टे देनदारियों में निश्चित भुगतानों को शुद्ध वर्तमान मूल्य (इन-सबस्टेंस फिक्स्ड़ पेमेंट्स सहित) और भिन्न पट्टा भुगतान शामिल है, यदि कोई हो, जो कि इंडेक्स या रेट पर आधारित हो, तो शुरुआत में इंडेक्स या रेट का उपयोग करके प्रारंभ तिथि के अनुसार मापा जाता है।

पट्टा में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टा भुगतान को छूट दी जाती है। यदि दर आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जो आम तौर पर कंपनी में पट्टों के लिए होता है, तो पट्टेदार की वृद्धिशील उधर लेने की दर का उपयोग किया जाता है, दर जो कि व्यक्तिगत पट्टेदार को समान नियमों, सुरक्षा और शर्तों के साथ एक समान आर्थिक वातावरण में उपयोग की जाने वाली परिसंपत्ति का अधिकार के लिए समान मूल्यक की परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक धनराशि का भुगतान करना होगा ।

वृद्धिशील उधार दर निर्धारित करने के लिए, कंपनी:

क) जहां संभव हो, हाल ही में व्यक्तिगत पट्टेदार द्वारा प्राप्त तीसरे पक्ष के वित्तपोषण को एक प्रांभिक बिंदु के रूप में उपयोग करता है, तीसरे पक्ष के वित्तपोषण के बाद से वित्तपोषण की स्थितियों में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

ख) कंपनी द्वारा रखे गए पट्टों के लिए क्रेडिट जोखिम हेतु समायोजित जोखिम-मुक्त ब्याज दर के साथ शुरू होने वाले बिल्ड-अप दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जिसमें हाल ही में तीसरे पक्ष के वित्तपोषण नहीं है, और

ग) पट्टे के लिए विशिष्ट समायोजन करता है, जैसे अवधि, देश, मुद्रा और सुरक्षा ।

पट्टा भुगतान का आबंटन मूलधन और वित्त लागत के मध्य किया जाता है । वित्त की लागत पट्टा अवधि में लाभ या हानि के रूप में प्रभारित की जाती है ताकि प्रत्येक अवधि के लिए देयता के शेष राशि पर लगातार आवर्ती ब्याज दर का उत्पादन हो ।

संपत्ति का उपयोग का अधिकार का मूल्य निम्नलिखित सहित माप जाता है:

(क) पट्टा देनदारी के प्रारंभिक माप की राशि

(ख) प्रारंभ तिथि से या उससे पहले किया गया कोई भी कम पट्टा भुगतान कोई पट्टा प्रोत्साहन प्राप्त किया गया हो और

(ग) कोई प्रत्यक्ष आरंभ लागत

संपत्ति का उपयोग का अधिकार आम तौर पर संपत्ति के उपयोगी जीवन और एक सीधी रेखा के आधार पर पट्टे की अवधि से अधिक मूल्यह्रास करता है । यदि कंपनी उचित रूप से खरीद विकल्प का उपयोग करने के लिए निश्चित है, तो अंतर्निहित संपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए संपत्ति के उपयोग का अधिकार का मूल्यह्रास किया जाता है ।

अल्पकालिक के पट्टों और कम-मूल्य के संपत्तियों के सभी पट्टों से संबंधित भुगतान को लाभ या हानि में व्यय के रूप में एक सीधी रेखा के आधार पर का मान्यता दी जाती है । अल्पावधि पट्टे 12 महीने या उससे कम की पट्टा अवधि के रूप में माना जाता है ।

पट्टादाता के रूप में कंपनी

कंपनी पट्टों को परिचालन या वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत करती है । एक पट्टे को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि कंपनी, सभी जोखिमों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करती है और पट्टेदार के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रूप से पुरस्कृत करती है, और इसे अन्यथा एक परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत करती है ।

(थ) कर्मचारी लाभ

I. अल्पकालिक दायित्व

पारिश्रमिकों वेतन के लिए देनदारियां, जिनमें गैर मौद्रिक लाभ भी शामिल हैं जिनका निपटान उस अवधि के समाप्त होने के बाद 12 महीने के भीतर सम्पूर्ण रूप से किए जाने की उम्मीद है जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है इन देनदारियों को प्रतिवेदिन अवधि के अंत तक कर्मचारियों की सेवाओं के संबंध में मान्यता दी जाती है और उन्हें देनदारियों का निपटान होने पर भुगतान की जा सकने वाली राशियों में मापा जाता है ।

II. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ संबंधी दायित्व

अर्जित छुट्टी और बीमार छुट्टी के लिए देनदारियां जिनका निपटान 12 महीने के भीतर सम्पूर्ण रूप से किए जाने की उम्मीद नहीं है इन देनदारियों को अनुमानित इकाई ऋण विधि का इस्तेमाल करके प्रतिवेदन अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले प्रत्याशित भावी भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है । प्रतिवेदन अवधि के अंत में गवर्नमेंट सिक्योरिटी (जी-सेक) का इस्तेमाल करके लाभ पर छूट दी जाती है जिनका समय संबंधित दायित्व के समय लगभग होता है । बीमांकिक कल्पनाओं में अनुभव समायोजन और परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुन: माप को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है ।

III. रोजगार - पश्चात दायित्व

कंपनी निम्नलिखित रोजगार - पश्चात योजनाओं का संचालन करती है:

(क) परिभाषित लाभ योजनाएँ जैसे ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और सेवानिवृत- पश्चात चिकित्सा योजना; और

(ख) परिभाषित योगदान योजनाएं जैसे पेंशन योजना ।

ग्रेच्युटी

ग्रेच्युटी कोष, एक परिभाषित लाभ योजना, विधिवत रूप से गठित स्वतंत्र ट्रस्ट के माध्यम से प्रदान किया जाता ही और वार्षिक योगदान, बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित होते हैं । आवश्यक पड़ सकने वाला कोई अतिरिक्त प्रावधान, कर्मचारी लाभों पर इंड एएस -19 के आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है ।

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देनदारी या परिसंपत्ति, प्रतिवेदन अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य घटाव योजना परिसंपत्तिय का उचित मूल्य होता है । परिभाषित लाभ दायित्व के गणना, अनुमानित इकाई ऋण विधि का इस्तेमाल बीमांकिक द्वारा प्रति वर्ष की जाती है ।

परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य, सरकारी बॉन्ड में प्रतिवेदन अवधि के अंत में बाजार उपज के संदर्भ द्वारा अनुमानित भावी नकदी बर्हिवाह पर छूट देकर निर्धारित किया जाता है जिनकी अवधि, संबंधित दायित्व की अवधि के लगभग होती है ।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना, योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य और परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध लाभ में छूट दर को लागू करके की जाती है ।

बीमांकिक कल्पनाओं में अनुभव समायोजनों और परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले पुन: मापन लाभ और हानियों को सीधे अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं । उन्हें तुलन पत्र में और इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण में धारित कमाई में शामिल किया जाता है ।

सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा योजना

मौजूदा कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा योजना,एक परिभाषित लाभ योजना है और इसका निर्धारण, अनुमानित इकाई ऋण अवधि का इस्तेमाल करके कर्मचारी लाभ पर इंड एएस -19 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जो सेवा की प्रत्येक अवधि को कर्मचारी लाभ हकदारी की अतिरिक्त इकाई में होने वाली वृद्धि के रूप में मान्यता देता है और अंतिम देयता का निर्माण करने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापता है ।

बीमांकिक कल्पनाओं में अनुभव समायोजनों और परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले पुन:मापन लाभों और हानियों को सीधे अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में वे होते हैं । उन्हें तुलन पत्र में और इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण में धारित आय में शामिल किया जाता है ।

अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्त पश्चात चिकित्सा लाभ, योगदान योजनाएं हैं और बीमा कंपनी को भुगतान की जाने वाले प्रीमियम को वर्ष के लाभ-हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है ।

भविष्य निधि और पेंशन योजना

पात्र कर्मचारी भविष्य निधि से लाभ प्राप्त करते हैं, जो एक परिभाषित लाभ योजना है। पात्र कर्मचारी और कंपनी दोनों, कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर भविष्य निधि योजना में मासिक योगदान करते हैं। ट्रस्ट द्वारा हितग्राहियों को जिस दर पर वार्षिक ब्याज देय है, उसका प्रशासन सरकार द्वारा किया जा रहा है। कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा घोषित की गई दर से कम नहीं भविष्य निधि पर ब्याज की घोषणा करनी होती है। यदि ट्रस्ट ब्याज देयता को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो कंपनी को कमी को पूरा करना होगा। चूंकि, योजना परिभाषित लाभ योजना है, इसलिए कंपनी को वही बीमांकिक रूप से मूल्यांकित किया गया है। मामले में, वर्ष के लिए अतिरिक्त देयता की आवश्यकता है, वही प्रदान किया जाता है।

पेंशन फ़ंड

अधिवर्षिता पेंशन योजना में परिभाषित अंशदान अनुमोदित पेंशन योजना के अनुसार लागू अंशदान दर पर लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है ।

(द) इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश

इक्विटी शेयरधारकों को दिये जाने वाले लाभांशों को एक देनदारी माना जाता है और उसे उस अवधि में शेयरधारकों की इक्विटी में से काट लिया जाता है जिस अवधि में सामान्य बैठक में इक्विटी शेयरधारकों द्वारा लाभांश को अनुमोदित किया गया है । अन्तरिम लाभांश के मामलों में भी उसे देनदारी माना जाता है और शेयरधारकों की इक्विटी में से काट लिया जाता है जिस अवधि में निदेशक मंडल द्वारा अन्तरिम लाभांश को अनुमोदित किया गया है ।

(ध) वर्तमान और आस्थगित कर का प्रावधान

आयकर व्यव में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल होता है । इसे उस हद तक लाभ-हानि विवरण में शामिल किया जाता है जिस हद तक यह एक व्यावसायिक संयोजन से, या सीधे इक्विटी में या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित होता है, जिस स्थिति में यह इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है, जैसा की लागू होता है ।

i. वर्तमान कर

वर्तमान कर में वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय या प्राप्य प्रत्याशित कर और पिछले वर्षों के संबंध में देय या प्राप्य कर में कोई समायोजन शामिल होता है । इसे प्रतिवेदन तिथि को अधिनियम या संभवत: अधिनियम कर दरों का इस्तेमाल करके मापा जाता है ।

वर्तमान कर परिसंपत्ति और देनदारियों को सिर्फ तभी ऑफसेट किया जाता है जब कंपनी:

- के पास मान्यता प्राप्त राशियों को लागू करने का एक कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार होता है; और
- का इरादा या तो एक शुद्ध आधार पर निपटान करना है या परिसंपत्ति को भुनाना और उसी समय देनदारी का निपटान करना है ।

II. आस्थगित कर

आस्थगित कर को प्रतिवेदन तिथि को अधिनियम या संभवत: अधिनियमित कर दरों और क़ानूनों का इस्तेमाल करके प्रतिवेदन तिथि को परिसंपत्तिय और देनदारियों के वहन मूल्यों और उनेक संबंधित कर आधारों के बीच के कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के भावी कर परिणामों के लिए मान्यता दी जाती है । आस्थगित कर परिसंपत्ति की उस हद तक मान्यता दी जाती है जिस हद तक यह संभावना होती है कि भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतरों,अप्रयुक्त कर हानियों और ऋणों का इस्तेमाल किया जा सकता है । सीधे इक्विटी में और अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर को अंतर्निहित लेनदेन के सहसंबंध में मान्यता दी जाती है ।

आस्थगित कर परिसंपत्ति और देनदारियों को सिर्फ तभी ऑफसेट किया जाता है जब:

क. संस्था के पास वर्तमान कर देनदारियों के खिलाफ वर्तमान कर परिसंपत्ति को अलग कानूनी तौर लागू करने योग्य अधिकार होता है; और

ख. आस्थगित कर परिसंपत्ति और आस्थगित कर देनदारियों का संबंध एक ही कराधानप्राधिकारी द्वारा लगाए जाने वाले आयकर से होता है ।

(न) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। इस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को बोनस निर्गम की घटनाओं के लिए समायोजित किया जाता है; मौजूदा शेयरधारकों को राइट्स इश्यू में बोनस तत्व; शेयर विभाजन; और रिवर्स शेयर स्प्लिट (शेयरों का समेकन)।

प्रति शेयर कम की गई आमदनी की गणना करने के उद्देश्य से, सभी मंद संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के कारण अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को समायोजित किया जाता है ।

(प) प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्ति

i. कानूनी दावों, वारंटियों, छूटों और रिटर्नों के लिए प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप एक वर्तमान कानूनी या निर्माणकारी दायित्व होता है, इस बात की संभावना रहती है कि दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की जरूरत पड़ेगी और विश्वसनीय ढंग से राशि का अनुमान लगाया जा सकता है । हालांकि प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, यदि कंपनी के पास वृहत संविदा है ।

ii. सौपीं गई पोतों के संबंध में गारंटी देनदारी का प्रावधान, बीमांकिक अनुमानों के आधार पर किया जाता है । अन्य सभी उत्पादों के लिए इस तरह का प्रावधान, लागू होने पर, प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर किया जाता है ।

iii. आकस्मिक परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी जाती है बल्कि वित्तीय विवरणों में इनका खुलासा किया जाता है जब आर्थिक अंतर्वाह संभावित होता है ।

iv. आकस्मिक देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है बल्कि नोट्स में खुलासा किया जाता है ।

v. प्रावधानों को, प्रतिवेदन अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक, प्रबंधन के व्यय संबंधी सर्वोत्तम अनुमान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है । वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छूट दर, एक पूर्व-कर दर होती है जो पैसे के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलनों और देनदारी के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है । समय गुजरने के कारण प्रावधान में होने वाली वृद्धि को ब्याज व्यय माना जाता है ।

अ. गैर-कर नागरिक मामलों में

गैर-कर नागरिक मामलों के संबंध में, प्रतिवेदन तिथि को प्रत्येक मामले की स्थिति की समीक्षा करके, लेखांकन प्रावधान के निर्माण पर विचार किया जाता है और जरूरत पड़ने पर नीचे दिये गए आधार पर खातों में प्रावधान किया जाता है:

क. मध्यस्था मामलों में जहां कंपनी ने मध्यस्थ विचार के प्रतिकूल परिणाम पर प्रतिवाद नहीं किया है या प्रतिवाद करना नहीं चाहती है उन मामलों में देनदारी को आकस्मिक नहीं माना जाता है और सम्पूर्ण प्रावधान पर विचार किया जाता है ।

ख. जहां मध्यस्थकर्ता द्वारा या निचली अदालत द्वारा एक प्रतिकूल विचार/निर्णय दिया जाता है और कंपनी द्वारा एक अपील को प्राथमिकता दी जाती है या प्राथमिकता देने का इरादा होता है, वहाँ निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है:-

i. मध्यस्थकर्ता द्वारा दावे के निपटान के बाद – विवादास्पद राशि का 25%

ii. उच्च अपील अदालत द्वारा दावे के निपटान के बाद – विवादास्पद राशि का 50% जब तक अंतिम अपील अदालत द्वारा निपटान नहीं हो जाता । संशोधन याचिका, उसी अदालत की बड़ी पीठ को कथित अदालत में संबंधित अपील प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है ।

ग. एक विचार/निर्णय के मामले में विवादास्पद दावे के सम्पूर्ण प्रावधान पर विचार किया जाता है जहां कंपनी, अपीलीय विचार पर प्रतिवाद करने के लिए आगे नहीं बढ़ती है ।

घ. सरकारी विभाग/सांविधिक प्राधिकरण द्वारा/ऐसे सरकारी विभाग/ सांविधिक प्राधिकरण द्वारा स्थापित न्यायाधिकरण या आयुक्त द्वारा की गई मांग के मामले में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है यदि उक्त मांग का प्रतिवाद ऐसे सरकारी/ विभाग/सांविधिक प्राधिकरण के ढांचे के भीतर कथित मांग पर किया जाता है और कंपनी के पक्ष में कानूनी राय/नवीनतम निर्णय के आधार पर अपील में मांग को हटाने की संभावना है।

आ. कराधान के मामलों में

कराधान के मामलों के संबंध में, दावे की राशि को आकस्मिक देनदारी माना जाता है और किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया जाता है यदि अपील चरण तक निर्णय, कंपनी के खिलाफ जाता है और यदि कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण या इसी तरह के मामालों में उच्च न्यायालय / उच्चतम न्यायालय के निर्णय के समक्ष ऐसे निर्णय पर प्रतिवाद करती है या प्रतिवाद करना चाहती है ।

हालांकि, जहां अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय, कंपनी के खिलाफ होता है वहाँ इस बात की परवाह किए बिना विवादास्पद राशि का पूरा प्रावधान किया जाता है कि कंपनी किसी उच्च मंच में ऐसे निर्णय पर प्रतिवाद करती है या नहीं ।

नोट 2: महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय:

इंड- एएस के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए कुछ वस्तुओं के लिए अनुमानों और मान्यताओं के उपयोग की आवश्यकता होती है, जो बैलेंस शीट और लाभ और हानि के विवरण में उनकी मान्यता और माप पर प्रभाव डाल सकते हैं। वसूल की गई वास्तविक राशि इन अनुमानों से भिन्न हो सकती है। लेखांकन अनुमान समय-समय पर बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों में उपयुक्त परिवर्तन किए जाते हैं क्योंकि प्रबंधन अनुमानों के आसपास की परिस्थितियों में परिवर्तन से अवगत हो जाता है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/भौतिक होते हैं और, यदि महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकट किया जाता है।

अनुमान और कल्पनाओं की आवश्यकता विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए पड़ती है:

i. **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल:**

पीपीई के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण और आकलन जिसमें लागत के घटकों को पूंजीकृत किया जा सकता है । पीपीई का उपयोगी जीवनकाल, कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूची II में उल्लिखित जीवनकाल पर आधारित होता है । जिन मामलों में, उपयोगी जीवनकाल, अनुसूची II में उल्लिखित जीवनकाल से अलग होता है, उन मामलों में, यह तकनीकी सलाह पर आधारित होता है, जहां परिसंपत्तियों की प्रकृति, अनुमानित उपयोग और संचालन संबंधी शर्तों, अतीत में उसे बदलने के इतिहास और रखरखाव संबंधी सहायता को ध्यान में रखकर सलाह दी जाती है । कल्पनाएं भी करनी पड़ती है जब कंपनी आकलन करती है कि एक परिसंपत्ति को पूंजीकृत किया जा सकता है या नहीं और परिसंपत्ति की लागत के किन-किन घटकों को पूंजीकृत किया जा सकता है ।

ii. **परिभाषित लाभ दायित्वों की मान्यता और माप:**

परिभाषित लाभ योजना से उत्पन्न होने वाले दायित्व का निर्धारण, बीमांकिक कल्पनाओं के आधार पर किया जाता है । प्रमुख बीमांकिक कल्पनाओं में शामिल है – छूट दर, वेतन वृद्धि का चलन और निहित भावी लाभ और जीवन प्रत्याशा । छूट दर का निर्धारण, सरकारी बॉन्डों में प्रतिवेदन अवधि के अंत में बाजार उपज के आधार पर किया जाता है । अंतर्निहित बॉन्डों की परिपक्वता की अवधि रोजगार के पश्चात लाभ दायित्वों की संभावित परिपक्वता के अनुरूप होती है ।

iii. **आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता**

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति को उस हद तक सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है जिस हद तक इस बात की संभावना रहती है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर का इस्तेमाल किया जा सकता है । प्रबंधन कल्पना करता है है कि कर योग्य लाभ आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता देते समय उपलब्ध होगा ।

iv. **अन्य प्रावधानों की मान्यता और माप:**

अन्य प्रावधान की मान्यता और माप, संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना के आकलन पर और बैलेंस शीट की तारीख को ज्ञात परिस्थितियों और पूर्व अनुभव पर आधारित होते हैं । इसलिए एक भावी तिथि को संसाधन का वास्तविक बहिर्वाह अन्य प्रावधानों में शामिल आंकड़ों से अलग हो सकता है ।

v. **दीर्घकालिक वित्तीय देनदारियों पर छूट**

सभी वित्तीय देनदारियों को आरंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मापा जाता है । जिन वित्तीय देनदारियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापना पड़ता है, उन मामलों में, प्रभावी ब्याज दर विधि का इस्तेमाल करके ब्याज को उपार्जित किया जाता है ।

नोट 3: सपंत्ति, संयंत्र और उपकरण

(लाख ₹ में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास और परिशोधन				निवल वहन राशि	
	क	ख	ग	घ = (क + ख - ग)	ङ	च	छ	ज =(ङ+च-छ)	झ=(घ-ज)	
	1 अप्रैल 2023 तक के अनुसार	जोड़	कटौतियां / समायोजन	31 मार्च 2024 तक के अनुसार	1 अप्रैल 2023 तक के अनुसार	अवधि हेतु व्यय	कटौतियां / समायोजन	31 मार्च 2024 तक के अनुसार	31 मार्च 2024 तक के अनुसार	31 मार्च 2023 तक के अनुसार
आरओयू के अलावा										
भूमि - फ्रीहोल्ड	5,125.72	-	-	5,125.72	-	-	-	-	5,125.72	5,125.72
भवन- फ्रीहोल्ड	10,881.97	968.78	533.58	11,317.17	1,635.80	387.80	101.36	1,922.24	9,394.93	9,246.17
संयंत्र और उपकरण	28,022.74	885.90	79.19	28,829.45	6,291.27	1,349.49	62.48	7,578.28	21,251.17	21,731.47
विद्युत संस्थापना	1,491.71	166.55	-	1,658.26	585.26	154.74	-	740.00	918.26	906.45
डॉक्स और जेटी	7,362.06	90.79	-	7,452.85	2,645.45	478.47	-	3,123.92	4,328.93	4,716.61
फर्नीचर और फिक्सचर	2,119.06	233.04	2.85	2,349.25	876.52	222.63	1.21	1,097.94	1,251.31	1,242.54
कार्यालय उपकरण	743.55	30.43	-	773.98	278.35	77.99	-	356.34	417.64	465.20
कंप्यूटर	3,658.58	419.92	13.42	4,065.08	2,301.54	483.65	12.63	2,772.56	1,292.52	1,357.04
लॉन्च, नौकाओं एवं नाव	117.29	-	-	117.29	26.28	6.16	-	32.44	84.85	91.01
वाहनों	44.91	-	-	44.91	28.78	4.34	-	33.12	11.79	16.13
मोटर लॉरी, ट्रेलर, मोबाइल क्रेन आदि	164.01	102.92	-	266.93	90.83	19.87	-	110.70	156.23	73.18
उप-कुल (1)	**59,731.60**	**2,898.33**	**629.04**	**62,000.89**	**14,760.08**	**3,185.14**	**177.68**	**17,767.54**	**44,233.35**	**44,971.52**
गत वर्ष	**55,967.26**	**4,203.46**	**439.12**	**59,731.60**	**12,219.42**	**2,884.32**	**343.66**	**14,760.08**	**44,971.52**	
जीआरएसई और भारतीय नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित परिसंपत्ति										
भवन	4,516.49	-	-	4,516.49	-	-	-	-	-	-
अल्प:नौसेना द्वारा वित्त पोषित	3,224.69	-	-	3,224.69	-	-	-	-	-	-
जीआरएसई (क) द्वारा वित्त पोषित भवन	1,291.80	-	-	1,291.80	434.56	54.32	-	488.88	802.92	857.24
संयंत्र और उपकरण	3,320.27	-	-	3,320.27	-		-	-	-	-
अल्प:नौसेना द्वारा वित्त पोषित	861.00	-	-	861.00	-		-	-	-	-
जीआरएसई (ख) द्वारा वित्त पोषित संयंत्र और उपकरण	2,459.27	-	-	2,459.27	1,809.51	105.29	-	1,914.80	544.47	649.76
डॉक्स और जेटी	33,894.69	-	-	33,894.69	-		-	-	-	-
अल्प:नौसेना द्वारा वित्त पोषित	28,240.08	-	-	28,240.08	-		-	-	-	-
जीआरएसई (ग) द्वारा डॉक्स और जेटी वित्त पोषित	5,654.61	-	-	5,654.61	3,306.70	412.43	-	3,719.13	1,935.48	2,347.91
उप-कुल (क+ख+ग)(2)	**9,405.68**	**-**	**-**	**9,405.68**	**5,550.77**	**572.04**	**-**	**6,122.81**	**3,282.87**	**3,854.91**
गत वर्ष	**9,405.68**	**-**	**-**	**9,405.68**	**4,857.83**	**692.94**	**-**	**5,550.77**	**3,854.91**	
आरओयू (1+2) के अलावा - कुल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	69,137.28	2,898.33	629.04	**71,406.57**	20,310.85	3,757.18	177.68	**23,890.35**	**47,516.22**	48,826.43
गत वर्ष	**65,372.94**	**4,203.46**	**439.12**	**69,137.28**	**17,077.25**	**3,577.26**	**343.66**	**20,310.85**	**48,826.43**	
संपत्ति के उपयोग का अधिकार										
पट्टादारी - भूमि	757.69	-	-	757.69	42.36	21.10	-	63.46	694.23	715.33
पट्टादारी - वाहन	529.92	-	-	529.92	146.60	95.83	-	242.43	287.49	383.32
कुल संपत्ति के उपयोग का अधिकार (आरओयू) (3)	**1,287.61**	**-**	**-**	**1,287.61**	**188.96**	**116.93**	**-**	**305.89**	**981.72**	**1,098.65**
गत वर्ष	**1,240.73**	**46.88**	**-**	**1,287.61**	**79.69**	**109.27**	**-**	**188.96**	**1,098.65**	
कुल सपंत्ति, संयंत्र और उपकरण (1+2+3)	70,424.89	2,898.33	629.04	**72,694.18**	20,499.81	3,874.11	177.68	**24,196.24**	**48,497.94**	49,925.08
गत वर्ष	**66,613.67**	**4,250.34**	**439.12**	**70,424.89**	**17,156.94**	**3,686.53**	**343.66**	**20,499.81**	**49,925.08**	

नोट :

(i) वर्तमान वर्ष की कटौती में परिसंपत्ति के स्क्रैपिंग का मूल्य ₹439.31 लाख (डीम्ड लागत ₹576.17 लाख), रिटायर्ड परिसंपत्ति का मूल्य ₹9.75 लाख (डीम्ड लागत ₹48.83 लाख) का समयोजन शामिल है। इसके अलावा इसमें वर्ष 2023-24 के दौरान ₹2.30 लाख (डीम्ड लागत ₹4.26 लाख) मूल्य की रिटायर्ड और बेची गई परिसंपत्ति भी शामिल है । 2022-23 में परिसंपत्ति और रिटायर्ड परिसंपत्ति की स्क्रैपिंग क्रमश: ₹80.22 लाख (डीम्ड लागत ₹324.36 लाख) और ₹7.66 लाख (डीम्ड लागत ₹86.76 लाख) थी। इसके अलावा इसमें गत वर्ष 2022-23 के दौरान ₹7.58 लाख (डीम्ड लागत ₹28.95 लाख) मूल्य की रिटायर्ड और बेची गई परिसंपत्ति भी शामिल है ।

(ii) 31 मार्च 2024 तक के अनुसार संयुक्त रूप से वित्त पोषित परिसंपत्ति ₹544.47 लाख (31 मार्च, 2023 तक के अनुसार ₹649.76 लाख) के संयंत्र एवं मशीनरी के साथ-साथ ₹61.88 लाख (31 मार्च, 2023: ₹70.01 लाख) मूल्य के न्यू ड्राई डॉक का इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन भी शामिल है ।

(iii) 31 मार्च 2024 तक के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण मॉडर्न हल शॉप, एक नया ड्राई डॉक, इंक्लाइंड बर्थ, पेंट सेल और अन्य विविध सुविधाएं जो आधारभूत अवसंरचना के विकास के आधुनिकीकरण के तहत बनाई गई हैं। ये परिसंपत्ति भारतीय नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से ₹32,325.77 लाख (मूल लागत) में वित्त पोषित किया गया है।

(iv) 31 मार्च, 2024 तक के अनुसार विशेषरूप से नौसेना (मूल लागत) द्वारा वित्त पोषित परिसंपत्ति ₹801.23 लाख (31 मार्च, 2023: ₹801.23 लाख) की है जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल नहीं किए गए हैं ।

(v) 61 की भूमि, गार्डन रीच रोड, कोलकाता का स्वामित्व भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पास है ।

(vi) 31 मार्च 2024 तक के अनुसार भवन राशि ₹95.96 लाख (मूल लागत) (31 मार्च,2023: 95.96 लाख) की है जिसमें दिल्ली शिपयार्ड हाउस में कंपनी का एक तिहाई हिस्सा है। भवन पर गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, मझगाँव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का संयुक्त रूप से अधिकार है ।

नोट 4: चालू पूंजीगत कार्य

(लाख ₹ में)

विवरण	क	ख	ग	घ= (क+ख-ग)
	1 अप्रैल 2023 तक के अनुसार	जोड़	कटौतियां /समायोजन	31 मार्च 2024 तक के अनुसार
संयंत्र एवं उपकरण	115.86	423.02	117.25	421.63
कंप्यूटर	337.80	18.23	351.49	4.54
सिविल निर्माण	30.79	1,498.01	793.11	735.69
कुल चालू पूंजीगत कार्य	**484.45**	**1,939.26**	**1,261.85**	**1,161.86**
गत वर्ष	**965.98**	**1,611.71**	**2,093.24**	**484.45**

नोट 4 (क): विकासाधीन अमूर्त संपत्ति

(लाख ₹ में)

विवरण	क	ख	ग	घ= (क+ख-ग)
	1 अप्रैल 2023 तक के अनुसार	जोड़	कटौतियां /समायोजन	31 मार्च 2024 तक के अनुसार
मूलरूप विकास	119.60	1,194.79	-	1,314.39
कुल चालू पूंजीगत कार्य	**119.60**	**1,194.79**	**-**	**1,314.39**
गत वर्ष	**-**	**119.60**	**-**	**119.60**

31 मार्च 2024 तक के अनुसार एजिंग शेड्यूल

31 मार्च 2024 तक के अनुसार

(लाख ₹ में)

सीडबल्यूआईपी	की अवधि के लिए सीडबल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
चालू परियोजना	1,161.86	-	-	-	1,161.85
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**1,161.86**	**-**	**-**	**-**	**1,161.85**

31 मार्च 2024 तक के अनुसार

(लाख रू. में)

विकासाधीन अमूर्त संपत्ति	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
चालू परियोजना	1,194.79	119.60	-	-	1,314.39
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**1,194.79**	**119.60**	**-**	**-**	**1,314.39**

परियोजना पूरा होने की अवधि

31 मार्च 2024 तक के अनुसार

(लाख ₹ में)

सीडबल्यूआईपी	में पूरा किया जाएगा			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक
चालू परियोजना				
संयंत्र एवं उपकरण	60.75	-	-	-
कंप्यूटर	13.70	-	-	-
सिविल निर्माण	115.93			
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-
कुल	**190.38**	**-**	**-**	**-**

31 मार्च 2024 तक के अनुसार

(लाख ₹ में)

विकासाधीन अमूर्त संपत्ति	में पूरा किया जाएगा			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक
चालू परियोजना				
मूलरूप विकास	325.17	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-
कुल	**325.17**	**-**	**-**	**-**

नोट 4: चालू पूंजीगत कार्य (जारी)

31 मार्च 2023 तक के अनुसार एजिंग शेड्यूल

31 मार्च 2023 तक के अनुसार (लाख ₹ में)

सीडबल्यूआईपी	की अवधि के लिए सीडबल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
चालू परियोजना	484.45	-	-	-	484.45
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**484.45**	**-**	**-**	**-**	**484.45**

31 मार्च 2023 तक के अनुसार (लाख ₹ में)

विकासाधीन अमूर्त संपत्ति	की अवधि के लिए सीडबल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
चालू परियोजना	119.60	-	-	-	119.60
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**119.60**	**-**	**-**	**-**	**119.60**

परियोजना पूरा होने की अवधि

31 मार्च 2023 तक के अनुसार (लाख ₹ में)

सीडबल्यूआईपी	में पूरा किया जाएगा			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक
चालू परियोजना				
संयंत्र एवं उपकरण	1.39			
कंप्यूटर	13.70		-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-
कुल	**15.09**	**-**	**-**	**-**

31 मार्च 2023 तक के अनुसार (लाख ₹ में)

विकासाधीन अमूर्त संपत्ति	में पूरा किया जाएगा			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक
चालू परियोजना	15.93	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-
कुल	**15.93**	**-**	**-**	**-**

नोट 5: अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(लाख ₹ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल वहन राशि	
	1 अप्रैल, 2023 तक के अनुसार	योग	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2024 तक के अनुसार	1 अप्रैल, 2023 तक के अनुसार	अवधि हेतु व्यय	कटौती / समायोजन"	31 मार्च 2024 तक के अनुसार	31 मार्च 2024 तक के अनुसार	31 मार्च 2023 तक के अनुसार
	क	ख	ग	घ = (क + ख - ग)	ङ	च	छ	ज=(-ङ+च-छ)	झ=(घ-ज)	
सॉफ्टवेयर (अधिग्रहित)	2,545.53	181.31	0.22	2,726.62	1,709.57	258.55	0.22	1,967.90	758.72	835.96
कुल अमूर्त परिसंपत्ति	**2,545.53**	**181.31**	**0.22**	**2,726.62**	**1,709.57**	**258.55**	**0.22**	**1,967.90**	**758.72**	**835.96**
गत वर्ष	**2,089.11**	**457.37**	**0.95**	**2,545.53**	**1,480.42**	**230.10**	**0.95**	**1,709.57**	**835.96**	

नोट 6: वित्तीय परिसंपत्ति (गैर वर्तमान)

नोट 6 (क): निवेश-गैर-वर्तमान

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार
इक्विटी लेखपत्र		
सम्पूर्ण रूप से प्रदत्त, अनुद्धृत		
लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर		
वुडलैंड्स मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड के 6,145 शेयर (31 मार्च 2023: 6,145) 10 ₹.के प्रत्येक इक्विटी शेयर	0.44	0.44
कुल निवेश	**0.44**	**0.44**
कुल गैर-वर्तमान निवेश	**0.44**	**0.44**
अनुद्धृत निवेश की कुल रकम	0.44	0.44

यह मानते हुए कि निवेश राशि मटिरियल नहीं है, प्रबंधन का मानना है कि उसका उचित मूल्य भी इममटिरियल होगा और इसलिए उसे रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार लागत पर वहन किया जाता है।

नोट 6(ख): अन्य वित्तीय परिसंपत्ति (गैर वर्तमान)

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार
एलआईसी में छुट्टी नकदीकरण निवेश	7,461.02	7,460.28
बिजली बोर्ड एवं अन्य के पास जमा	771.87	766.42
नौसेना से वसूलने योग्य आस्थगित ऋण	783.56	817.36
कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्ति (गैर वर्तमान)	**9,016.45**	**9,044.06**

नोट 7: गैर-वर्तमान कर परिसंपत्ति

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार
अग्रिम आयकर	7,766.96	4,466.96
जोड़ : टीडीएस और टीसीएस प्राप्य	34,776.09	26,361.94
	42,543.05	30,828.90
अल्प : आयकर का प्रावधान	(22,700.30)	(10,244.55)
कुल गैर-वर्तमान कर परिसंपति	**19,842.75**	**20,584.35**

नोट 8: अन्य गैर-वर्तमान परिसंपति

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार
पूर्व प्रदत व्यय	20.16	16.34
कुल अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्ति	**20.16**	**16.34**

नोट 9: वस्तुसूचियाँ

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार
कच्चे माल एवं उपकरण	2,17,660.70	1,47,535.18
पी17ए का परिवर्तनीय मदें	1,70,171.39	1,31,432.89
	3,87,832.09	2,78,968.07
अल्प:अप्रचलन एवं अचल के लिए प्रावाधान	(1,106.29)	(696.38)
	3,86,725.80	2,78,271.69
ट्रांसिट में स्टॉक	5,025.06	7,440.47
चल रहे कार्य	6,445.17	5,737.54
स्टोर, पुर्जे एवं उपभोज्य वस्तुएँ	169.58	220.18
स्क्रैप	78.53	180.61
कुल वस्तुसूचियाँ	**3,98,444.14**	**2,91,850.49**

कच्चे माल और उपकरण में तीसरे पक्ष के पास पड़े ₹44,475.14 लाख (31 मार्च, 2023:₹ 43,839.82 लाख) शामिल हैं।

उपरोक्त सूची में ₹ 399.02 लाख (31 मार्च, 2023: 530.48 लाख) मूल्य की सामग्री शामिल है जो पारगमन में है, बिक्री के रुप में नहीं मानी जाती है, क्योंकि नियंत्रण अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया है

नोट 10: वित्तीय परिसंपत्ति (वर्तमान)

नोट 10(क): वर्तमान निवेश

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार
एफ़वीटीपीएल में मापा गया म्यूचुअल फंड में निवेश	-	23,366.40
कुल वर्तमान निवेश	**-**	**23,366.40**

नोट 10 (ख): ट्रेड प्राप्य-वर्तमान

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार
ट्रेड प्राप्य		
असुरक्षित, अच्छा समझा गया	19,420.70	5,084.50
असुरक्षित, संदिग्ध समझा गया	0.58	25.74
	19,421.28	5,110.24
अल्प: संदिग्ध ट्रेड प्राप्य हेतु प्रावधान	0.58	25.74
कुल ट्रेड प्राप्य-वर्तमान	**19,420.70**	**5,084.50**

नोट 10: वित्तीय परिसंपत्ति (वर्तमान) (जारी)

व्यापार प्राप्य एजिंग शेड्यूल

31 मार्च, 2024 तक के अनुसार (लाख ₹ में)

विवरण	नियत भुगतान तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						
	देय नहीं	6 महीनों से कम	6 महिना -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
अनडिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - अच्छा समझा गया	5,769.95	12,246.56	937.86	198.25	97.68	170.40	19,420.70
अनडिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
अनडिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - क्रेडिट इंपैरेड	-	-	-	-	-	0.58	0.58
डिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - अच्छा समझा गया	-	-	-	-	-	-	-
डिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
डिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - क्रेडिट इंपैरेड	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**5,769.95**	**12,246.56**	**937.86**	**198.25**	**97.68**	**170.98**	**19,421.28**
अल्प: संदिग्ध ट्रेड प्राप्य हेतु प्रावधान							(0.58)
कुल ट्रेड प्राप्य - वर्तमान							**19,420.70**

31 मार्च, 2023 तक के अनुसार (लाख ₹ में)

विवरण	नियत भुगतान तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						
	देय नहीं	6 महीनों से कम	6 महिना -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
अनडिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - अच्छा समझा गया	936.62	3,541.76	131.94	143.51	129.64	201.03	5,084.50
अनडिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
अनडिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - क्रेडिट इंपैरेड	-	-	-	-	-	25.74	25.74
डिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - अच्छा समझा गया	-	-	-	-	-	-	-
डिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
डिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - क्रेडिट इंपैरेड	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**936.62**	**3,541.76**	**131.94**	**143.51**	**129.64**	**226.77**	**5,110.24**
अल्प: संदिग्ध ट्रेड प्राप्य हेतु प्रावधान							(25.74)
कुल ट्रेड प्राप्य - वर्तमान							**5,084.50**

नोट 10(ग) : नकद और नकद समतुल्य (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार
बैंकों में शेष राशियाँ		
- चालू खातों में	526.99	1,398.54
हस्तगत नकदी	0.01	0.01
कुल नकद और नकद समतुल्य	**527.00**	**1,398.55**

नोट 10: वित्तीय परिसंपत्ति (वर्तमान) (जारी)

नोट 10(घ): अन्य बैंक शेष

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार
03 माह से 12 माह की परिपक्वता वाले बैंक जमा	3,36,910.30	3,88,767.00
पी17ए के परिवर्तनीय मद के लिए निर्धारित फ्लेक्सि बैंक जमा	34,585.23	42,604.33
अवैतनिक लाभांश खाता	11.31	10.74
कुल अन्य बैंक शेष	**3,71,506.84**	**4,31,382.07**

नोट 10(ङ): अन्य वित्तीय परिसंपत्ति- वर्तमान

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार
सीमा शुल्क और पोर्ट ट्रस्ट के साथ जमा	2.73	2.73
एलआईसी में छुट्टी नकदीकरण निवेश	681.29	659.73
ब्याज प्रोद्भूत किंतू जमा हेतु अदेय	12,792.35	14,081.35
अनुबंध परिसंपत्ति	8,630.05	8,550.74
नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित ऋण का वर्तमान भाग	128.37	128.37
कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान	**22,234.79**	**23,422.92**

नोट 11 : अन्य वर्तमान परिसंपत्ति

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार
प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए या किसी और चीज के बदले में वसूली योग्य अग्रिम राशियाँ		
- कर्मचारी	221.54	358.95
- उत्पाद शुल्क	-	26.20
- बिक्री कर/वैट	67.08	67.08
- वस्तु एवं सेवा कर	92,642.00	67,248.83
- पूर्व प्रदत व्यय	2,588.44	2,163.44
- अन्य प्राप्य	33,863.79	1,49,488.28
- अन्य प्राप्य	3,045.89	717.39
कुल अन्य वर्तमान परिसंपत्ति	**1,32,428.74**	**2,20,070.17**

नोट 12: बिक्री के लिए रखी गई वर्गीकृत परिसंपत्तियां

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार
संयंत्र और उपकरण	14.08	5.65
फर्नीचर और फिक्सचर	1.05	1.39
कार्यालय उपकरण	0.86	0.86
बिक्री के लिय रखी गई परसंपत्ति के रुप में वर्गीकृत कुल परिसंपत्ति	**15.99**	**7.90**

गैर-आवर्ती उचित मूल्य मापन

प्रतिवेदन अवधि के दौरान बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्ति के रुप में वर्गीकृत परिसंपत्ति को उसकी वहनकारी राशि से कम और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट पर मापा गया था और प्रक्रिया के अनुसार निपटान करें ।कंपनी ने उचित मूल्य को रिलाईजेशन के ऐतिहासिक रुझान के आधार पर वहनकारी राशि से अधिक होने का अनुमान लगाया है।

नोट 13: इक्विटी शेयर कैपिटल एवं अन्य इक्विटी

नोट 13(क): इक्विटी शेयर कैपिटल

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
प्राधिकृत				
10 रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर (31 मार्च 2023 : 10 रुपए)	12,50,00,000	12,500.00	12,50,00,000	12,500.00
जारी,सब्सक्राइब्ड और पेड अप				
10 रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर (31 मार्च 2023 : 10 रुपए)	11,45,52,000	11,455.20	11,45,52,000	11,455.20
		11,455.20		11,455.20

बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या और राशि का पुनर्मूल्यांकन:

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के प्रारम्भ में	11,45,52,000	11,455.20	11,45,52,000	11,455.20
जोड़: उप-विभाजन पर शेयर जारी करना*	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	**11,45,52,000**	**11,455.20**	**11,45,52,000.00**	**11,455.20**

*कंपनी ने 30 जून, 2017 को हुई अपनी बोर्ड बैठक और 25 अगस्त, 2017 को हुई वार्षिक आम बैठक में कंपनी के प्राधिकृत शेयर पूंजी को उप-विभाजित किया । जिसमें ₹ 100/- ₹ प्रत्येक के 1,25,00,000 शेयरों में ₹ 10/- प्रत्येक के 12,50,00,000 शेयर शामिल हैं ।

इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें और अधिकार

इक्विटी शेयरों का सममूल्य ₹ 10/- (31 मार्च, 2023: ₹ 10/-) है। वे धारक को लाभांश में भाग लेने और धारित शेयरों पर भुगतान की गई राशि की संख्या के अनुपात में कंपनी के वाईडिंग अप प्रोसीड्स में हिस्सा लेने के लिए पात्र हैं।

व्यक्तिगत रूप से प्रॉक्सी द्वारा बैठक में मौजूद इक्विटी शेयरों के प्रत्येक धारक, एक वोट के हकदार हैं, और चुनाव में प्रत्येक शेयर एक वोट का हकदार है।

कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक	31 मार्च 2024 तक के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	होल्डिंग%	शेयरों की संख्या	होल्डिंग%
भारत के राष्ट्रपति	8,53,41,240	74.50%	8,53,41,240	74.50%
एचडीएफ़सी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	-	-	73,43,837	6.41%

प्रमोटरों का शेयरधारिता का प्रकटीकरण

31 मार्च, 2024 तक के अनुसार प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर

प्रमोटर का नाम	31 मार्च 2024 तक के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक के अनुसार		वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	
भारत के राष्ट्रपति	8,53,41,240	74.5%	8,53,41,240	74.5%	-

31 मार्च, 2023 तक के अनुसार प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर

प्रमोटर का नाम	31 मार्च 2023 तक के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक के अनुसार		वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	
भारत के राष्ट्रपति	8,53,41,240	74.5%	8,53,41,240	74.5%	-

नोट 13: इक्विटी शेयर कैपिटल एवं अन्य इक्विटी (जारी)

नोट 13(ख) : अन्य इक्विटी

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार
पूंजी रिडेम्प्शन रिजर्व	928.80	928.80
सामान्य आरक्षित	6,064.86	6,064.86
प्रतिधारित आय	1,49,308.61	1,23,456.22
अन्य व्यापक आय	(413.58)	(523.33)
कुल आरक्षित और अधिशेष राशियाँ	**1,55,888.69**	**1,29,926.55**

(i) प्रतिधारित आय

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार
आरंभिक शेष	1,23,456.22	1,07,917.87
अवधि हेतु शुद्ध लाभ	35,726.77	22,812.40
प्रदत्त लाभांश	(801.86)	(973.69)
अंतरिम प्रदत्त लाभांश	(9,072.52)	(6,300.36)
समापन शेष	**1,49,308.61**	**1,23,456.22**

(ii) अन्य व्यापक आय

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार
आरंभिक शेष	(523.33)	(577.66)
अन्य व्यापक आय की मदों को मान्यता दी गई		
- परिभाषित योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (निवल कर)	109.75	54.33
समापन शेष	**(413.58)**	**(523.33)**

अन्य आरक्षित राशियों की प्रकृति और उद्देश्य:

नोट:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के अनुसार, कंपनी ने शेयरों के नाममात्र मूल्य के बराबर राशि हस्तांतरित की है, इसलिए कंपनी के मुक्त रिजर्व से पूंजी रिडेम्प्शन रिजर्व खाते में खरीदा गया है। पूंजी रिडेम्प्शन रिजर्व मुक्त रिजर्व की प्रकृति में नहीं है।

(ii) सामान्य रिजर्व मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123(1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बनाया जाता है। यह एक नि:शुल्क रिजर्व है और किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है जैसे बोनस शेयर जारी करना, लाभांश का भुगतान, शेयरों का बाईबैक आदि।

नोट 14: वित्तीय देनदारियां (गैर वर्तमान)

ट्रेड देय -(गैर वर्तमान)

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार
ट्रेड देय		
रसी आस्थगित ऋण - विदेशी आपूर्तिकर्ता	783.56	817.36
कुल ट्रेड देय (गैर वर्तमान)	**783.56**	**817.36**

नोट 14: वित्तीय देनदारियां (गैर वर्तमान) (जारी)

ट्रेड देय एजिंग शेड्यूल

31 मार्च 2024 तक के अनुसार (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान के देय तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
एमएसएमई	-	-	-	-	-
अन्य	-	128.37	128.37	526.82	783.56
डिस्पूटेड बकाया-एमएसएमई	-	-	-	-	-
डिस्पूटेड बकाया-अन्य	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**128.37**	**128.37**	**526.82**	**783.56**

31 मार्च 2023 तक के अनुसार (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान के देय तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
एमएसएमई	-	-	-	-	-
अन्य	-	128.37	128.37	560.62	817.36
डिस्पूटेड बकाया-एमएसएमई	-	-	-	-	-
डिस्पूटेड बकाया-अन्य	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**128.37**	**128.37**	**560.62**	**817.36**

नोट 15: प्रावधान (गैर वर्तमान)

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार
उपार्जित अवकाश देनदारी	7,640.80	7,373.79
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	1,560.55	1,559.58
कुल प्रावधान (गैर वर्तमान)	**9,201.35**	**8,933.37**

नोट 16: आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)

शेष में अस्थाई अंतर शामिल है जो निम्नलिखित से सबंन्धित है: (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार
आस्थगित कर देनदारियां		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति	4,017.31	3,963.81
म्यूचुअल फंड के उचित मूल्यांकन पर लाभ	-	10.40
कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति	**4,017.31**	**3,974.21**
आस्थगित कर परिसंपत्ति		
परिभाषित लाभ दायित्व	2,550.64	2,445.59
संदिग्ध ट्रेड प्राप्तियों के लिए भत्ता	0.15	6.48
भारी अनुबंध के लिए प्रावधान	68.13	70.24
कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति	**2,618.92**	**2,522.31**
शुद्ध आस्थगित कर देनदारियां	**1,398.39**	**1,451.90**

नोट 16 (क) : आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)

आस्थगित कर देनदारियों/(परिसंपत्ति) में मूवमेंट (लाख ₹ में)

विवरण	सपंत्ति, सयंत्र और उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्ति	परिभाषित लाभ दायित्व	अन्य मद	कुल
01 अप्रैल 2022 तक	**3,711.48**	**(2,420.66)**	**(212.69)**	**1,078.13**
प्रभारित/(क्रेडिटेड):				
-लाभ या हानि हेतु	252.33	(43.21)	146.37	355.49
- अन्य व्यापक आय हेतु	-	18.28	-	18.28
31 मार्च, 2023 तक	**3,963.81**	**(2,445.59)**	**(66.32)**	**1,451.90**
प्रभारित/(क्रेडिटेड):				
- लाभ या हानि हेतु	53.50	(141.97)	(1.96)	(90.43)
-अन्य व्यापक आय हेतु	-	36.92	-	36.92
31 मार्च , 2024	**4,017.31**	**(2,550.64)**	**(68.28)**	**1,398.39**

नोट 17: वित्तीय देनदारियां (वर्तमान)

नोट 17(क): आदाता (वर्तमान) (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार
सुरक्षित अल्पावधि उधार :		
क) मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण		
- बैंक से	5,558.48	30,117.18
(आवधिक जमा द्वारा सुरक्षित)		
कुल आदाता (वर्तमान)	**5,558.48**	**30,117.18**

नोट 17(ख): ट्रेड देय (वर्तमान) (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार
ट्रेड देय		
- सुक्ष्म और लुघ उद्योग	50.32	236.15
- रूसी आस्थगित ऋण	128.37	128.37
-अन्य	99,063.32	1,17,022.22
कुल ट्रेड देय (वर्तमान)	**99,242.01**	**1,17,386.74**

व्यापार देय एजिंग शेड्यूल

31 मार्च, 2024 तक के अनुसार (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान के देय तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
एमएसएमई	50.32	-	-	-	50.32
अन्य	74,892.33	7,898.79	7,865.96	8,534.60	99,191.69
डिस्पूटेड बकाया-एमएसएमई	-	-	-	-	-
डिस्पूटेड बकाया-अन्य	-	-	-	-	-
कुल ट्रेड देय (वर्तमान)	**74,942.65**	**7,898.79**	**7,865.96**	**8,534.60**	**99,242.01**

31 मार्च, 2023 तक के अनुसार (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान के देय तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
एमएसएमई	236.15	-	-	-	236.15
अन्य	91,776.81	12,981.48	6,497.10	5,895.21	1,17,150.59
डिस्पूटेड बकाया-एमएसएमई	-	-	-	-	-
डिस्पूटेड बकाया-अन्य	-	-	-	-	-
कुल ट्रेड देय (वर्तमान)	**92,012.96**	**12,981.48**	**6,497.10**	**5,895.21**	**1,17,386.74**

नोट 17(ग): अन्य वित्तीय देनदारियां (लाख ₹ में)

विवरण	**31 मार्च, 2024 तक के अनुसार**	**31 मार्च, 2023 तक के अनुसार**
सुरक्षा जमा	511.25	439.14
उपार्जित व्यय		
उपार्जित वेतन और लाभ	919.94	931.13
किराया	15.53	15.53
अप्रदत्त लाभांश	11.31	10.74
अन्य देय राशियाँ	2,088.49	1,498.02
कुल अन्य वित्तीय देनदारियां	**3,546.52**	**2,894.56**

नोट 18: अन्य वर्तमान देनदारियां (लाख ₹ में)

विवरण	**31 मार्च, 2024 तक के अनुसार**	**31 मार्च, 2023 तक के अनुसार**
अनुबंध देनदारियां	7,32,716.82	7,70,137.71
सांविधिक देनदारियां	587.39	483.43
अन्य देनदारियां	-	15.97
कुल अन्य वर्तमान देनदारियां	**7,33,304.21**	**7,70,637.11**

नोट 19: प्रावधान (वर्तमान) (लाख ₹ में)

विवरण	**31 मार्च, 2024 तक के अनुसार**	**31 मार्च, 2023 तक के अनुसार**
गारंटी मरम्मत	1,050.86	600.01
उपार्जित अवकाश दायित्व	697.71	659.73
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	234.60	123.20
भारी अनुबंध	270.66	279.07
अन्य प्रावधान	1,550.09	1,217.73
कुल प्रावधान (वर्तमान)	**3,803.92**	**2,879.74**

व्यक्तिगत प्रावधान और महत्वपूर्ण अनुमानों के बारे में जानकारी

गारंटी मरम्मत

"डिलीवर किए गए पोतों और अन्य उत्पादों के संबंध में अनुमानित वारंटी दावों के लिए प्रावधान किया गया है जो प्रतिवेदन अवधि के अंत में अभी भी वारंटी के अधीन है। प्रबंधन, बीमांकिक रिपोर्ट के आधार पर डिलीवर किए पोतों के संबंध में भावी वारंटी दावों के लिए संबन्धित प्रावधान का अनुमान लगाता है जो ऐतिहासिक वारंटी दावा जानकारी के साथ-साथ हालिया रुझानों पर ध्यान देता है जो यह सुझाव दे सकता है कि पूर्व लागत जानकारी, भावी दावों से अलग हो सकती है। वर्तमान अवधि में लगाए गए पूर्वानुमान, पूर्व वर्ष में लगाए गए पूर्वानुमान के अनुरूप हैं। अनुमानित दावा जानकारी को प्रभावित कर सकने वाले कारकों में, कंपनी की उत्पादकता और गणुवत्ता पहलों की सफलता शामिल है।

अन्य उत्पादों के प्रबंधन के संबंध में प्रावधान के लिए ऐतिहासिक वारंटी दावा जानकारी के आधार पर प्रावधान का अनुमान है और किसी भी हाल के रुझान है कि भविष्य के दावों का सुझाव दे सकते है ऐतिहासिक मात्र से अलग हो सकता है ।

दुर्भर अनुबंध के लिए प्रावधान

31 मार्च 23 तक के अनुसार, वित्त वर्ष 22-23 तक प्रदान किए गए ₹ 647.56 लाख (गुयाना फेरी के लिए ₹ 200.43 लाख और बांग्लादेश बोट्स के लिए ₹ 447.13 लाख) के कुल दुर्भर प्रावधान में से असमायोजित दुर्भर प्रावधान ₹ 279.07 लाख (गुयाना फेरी के लिए ₹ 47.96 लाख और बांग्लादेश नौकाओं के लिए ₹ 231.11 लाख) था।

लागत/समय वृद्धि के कारण बांग्लादेश बोट के संबंध में चालू वित्त वर्ष में ₹ 155.22 लाख का अतिरिक्त दुर्भर प्रावधान किया गया है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल ₹ 163.63 लाख (गुयाना फेरी के लिए ₹ 47.96 लाख और बांग्लादेश बोट के लिए ₹ 115.67 लाख) समायोजित किया गया है और 31 मार्च 24 तक शेष असमायोजित शेष राशि ₹ 270.66 लाख है ।

दुर्भर नुकसान के लिए प्रावधान का मूवमेंट "प्रावधान के मूवमेंट" के तहत परिलक्षित होता है।

अन्य प्रावधान

अन्य प्रावधान प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारी संबंधित मानकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रावधानों में मूवमेंट

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रावधान के प्रमुख श्रेणी में मूवमेंट के बारे में निम्न प्रस्तुत है : (लाख ₹ में)

विवरण	गारंटी मरम्मत	दुर्वह अनुबंध का प्रावधान	अन्य प्रावधान
1 अप्रैल 2022 तक के अनुसार	**2,325.25**	**783.32**	**12,427.58**
लाभ या हानि में शलुक लिया गया/(जमा किया गया)			
मान्यता प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान	418.97	647.56	1,182.93
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	(2,144.21)	(1,151.81)	(12,392.78)
31 मार्च 2023 तक के अनुसार	**600.01**	**279.07**	**1,217.73**
लाभ या हानि में शलुक लिया गया/(जमा किया गया)			
मान्यता प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान	777.44	155.22	1,541.17
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	(326.59)	(163.63)	(1,208.81)
31 मार्च 2024 तक के अनुसार	**1050.86**	**270.66**	**1,550.09**

नोट 20: संचालन से राजस्व

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
(क) अनुबंध राजस्व		
- पोत निर्माण	3,06,918.46	2,30,196.88
- पोत मरम्मत	7,566.45	196.32
- सामान्य इंजीनियरिंग	379.25	-
- डीजल इंजन	4,410.93	2,188.93
(ख) उत्पादों की बिक्री		
-बी एवं डी स्पेयर्स	19,727.78	11,894.55
-बेली ब्रिज	11,476.52	5,646.68
- सामान्य इंजीनियरिंग	2,289.82	51.96
-डीजल इंजन	-	5.38

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
(ग) सेवाओं की बिक्री		
- पोत मरम्मत	1,722.72	3,201.42
-बेली ब्रिज	2,546.99	1,283.00
-सामान्य इंजीनियरिंग	24.31	-
- डीजल इंजन	378.84	102.20
(घ) विविध परियोजना	16.99	16.40
(ङ) परियोजना सहायता	1,387.25	-
(च) अन्य संचालनीय राजस्व		
- स्क्रैप की बिक्री	412.24	1,307.06
- प्रशिक्षण शुल्क	5.68	23.73
संचालन से कुल राजस्व	**3,59,264.23**	**2,56,114.51**

i. निर्यात अनुबंध से संचालन से उपरोक्त शामिल राजस्व ₹ 4,690.06 लाख (वित्त वर्ष 22- 23 : ₹ 5,978.19 लाख) है ।

ii. निर्यात बिक्री ₹ 4550.67 लाख (वित्त वर्ष 22-23 : ₹ 477.17 लाख)।

iii. कंपनी रक्षा उपकरणों के उत्पादन में लगी हुई है और अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 में संशोधन करके दिनांक 23 फरवरी, 2018 की अधिसूचना एस.ओ. 802 (e) के माध्यम से सेगमेंट रिपोर्टिंग से छूट दी गई थी। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इंड एएस 115 के तहत ऑपरेटिंग सेगमेंट पर कंपनी द्वारा अलग-अलग कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

नोट 21: अन्य आय

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय	27,135.47	17,834.00
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	812.54	578.30
उचित मूल्यांकन पर लाभ		
-म्यूचुअल फंड	-	41.30
-अन्य	998.76	442.24
किराया आय	74.75	12.90
बीमा दावे	53.50	47.12
देनदारियाँ/प्रावधान रिटेन बैंक	675.67	847.07
रिटायर्ड परिसंपत्ति (शद्ध) पर लाभ/(हानि)	132.89	100.25
अन्य आय	78.61	280.37
कुल अन्य आय	**29,962.19**	**20,183.55**

नोट 22(क): खपत की गई सामग्रियों की लागत

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल	31,336.99	47,928.06
उपकरण एवं घटक	1,74,699.79	1,01,596.33
खपत की गई सामग्रियों की कुल लागत	**2,06,036.78**	**1,49,524.39**

नोट 22(ख): चल रहे कार्य और स्क्रैप की वस्तुसची में परिवर्तन (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष		
- बेली ब्रिज यूनिट	4,603.60	4,339.84
- इंजन यूनिट	186.68	292.22
- अन्य	947.26	955.09
कुल आरंभिक शेष	**5,737.54**	**5,587.15**
समापन शेष		
- बेली ब्रिज यूनिट	3,659.29	4,603.60
- इंजन यूनिट	308.78	186.68
- अन्य	2,477.10	947.26
कुल समापन शेष	**6,445.17**	**5,737.54**
चल रहे कार्य की वस्तुस्तुची में कुल परिवर्तन	(707.63)	(150.39)
स्क्रैप की वस्तुस्तुची में परिवर्तन	102.08	623.05
चल रहे कार्य और स्क्रैप की वस्तुसची में कुल परिवर्तन	**(605.55)**	**472.66**

नोट 23: कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
वेतन और पारिश्रमिक	26,368.75	24,926.15
भविष्य निधि और अन्य कोश में योगदान	4,000.03	3,591.71
कर्मचारी कल्याण व्यय	4,524.55	3,173.21
कुल कर्मचारी लाभ व्यय	**34,893.33**	**31,691.07**

नोट 24: वित्त लागत

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
ब्याज व्यय		
-बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज व्यय	683.42	408.04
-एलडी देयता पर ब्याज व्यय	340.65	126.57
-लीज देयता पर ब्याज व्यय	85.41	88.80
-सूक्ष्म एवं सघु उद्यमों के बकाया पर ब्याज	39.44	24.66
कुल वित्त लागत	**1,148.92**	**648.07**

नोट 25: मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मलूयह्रास	3,874.11	3,686.53
अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन	258.55	230.10
कुल मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**4,132.66**	**3,916.63**

नोट 26: अन्य व्यय - परियोजना सबंन्धित

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
सुविधा किराया	507.83	58.45
बीमा	1,019.58	1,134.86
यात्रा व्यय	456.91	484.39
तकनीशियनों की फीस	6,817.32	3,182.36
जलावतरण और प्रवर्तीकरण संबंधित व्यय	300.57	263.21
बैंक प्रभार	366.44	357.47
विविध व्यय	435.37	226.69
कुल अन्य व्यय - परियोजना संबंधित	**9,904.02**	**5,707.43**

नोट 27: अन्य व्यय

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
स्टोर्स और स्पेयर्स पार्ट्स की खपत	160.82	91.44
बिजली और ईंधन	983.04	889.39
किराया	462.43	234.88
मरम्मत और रखरखाव		
- भवन	638.92	610.61
- संयंत्र एवं उपकरण	1,174.89	755.58
- अन्य	1,571.02	1,219.23
बीमा	594.74	580.15
दरें और कर	507.14	157.76
मार्केटिंग व्यय	275.87	110.54
स्टोर खाली करने और प्रेषण का खर्च	15.92	39.45
अगतिमान एवं अप्रचलित वस्तुस्तुची हेतु प्रावधान	409.92	236.81
परिवहन किराया शुल्क	374.81	368.91
यात्रा व्यय	312.11	275.51
विज्ञापन और प्रचार	372.56	337.37
बैंक चार्ज एवं कमीशन	116.27	34.89
मुद्रण और लेखन सामग्री	8.92	10.14
डाक एवं कूरियर	7.27	10.53
टेलीफोन और फैक्स	41.94	41.98
कानूनी खर्च	34.95	28.66
निगमित सामाजिक दायित्व	511.00	460.00
संदेहास्पद ऋणों के लिए भत्ता	8.05	59.88
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक:		
(क) लेखा परीक्षण शुल्क	8.60	8.60
(ख) कर लेखा परीक्षण शुल्क	1.25	1.25

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
(ग) अन्य सेवाओं हेतु शुल्क	7.45	5.57
सीआईएसएफ़ व्यय	3,429.69	3,235.50
रिटेन ऑफ की गई परिसंपत्ति संयंत्र एवं उपकरण	439.32	75.77
शुद्ध विदेशी मुद्रा हानि	259.71	352.68
अन्य विविध व्यय	695.76	579.54
कुल अन्य व्यय	**13,424.37**	**10,812.62**

उपरोक्त नोटों में संबंधित विभिन्न शीर्षों के तहतअनुसंधान और विकास पर कुल ₹ 2,395 लाख (विगत वर्ष ₹ 1,365 लाख) का व्यय परिलक्षित होता है ।

नोट 28 (क): आयकर व्यय

(लाख ₹ में)

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
आयकर व्यय		
वर्तमान कर		
वर्ष के लिए लाभ पर वर्तमान कर	12,455.75	7,353.90
कुल वर्तमान कर व्यय	**12,455.75**	**7,353.90**
आस्थगित कर		
आस्थगित कर (लाभ)/व्यय	(90.43)	355.49
कुल आस्थगित कर व्यय	**(90.43)**	**355.49**
आयकर व्यय	**12,365.32**	**7,709.39**

(ख) कर व्यय का मिलान और कर दर गुणित लेखांकन लाभ:

(लाख ₹ में)

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
भारत में अधिनियमित आयकर दर जो कर पूर्व कंपनी के लाभ पर लागू होती है	25.17%	25.17%
कर पूर्व लाभ	48,092.09	30,521.79
भारत में अधिनियमित आयकर दर पर कर व्यय पूर्व लाभ पर वर्तमान कर	**12,103.82**	**7,681.72**
व्ययों का प्रभाव जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती योग्य नहीं है	2,065.58	1,844.83
व्ययों का प्रभाव जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने योग्य है	(2,078.07)	(2,288.42)
निगमित सामाजिक दायित्व पर किए गए व्ययों का प्रभाव जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती योग्य नहीं हैं	128.61	115.77
आस्थगित कर परिसंपत्ति के आंकलन के परिवर्तन में समायोजन	(90.43)	355.49
यू/एस 234बी एवं सी का व्याज का प्रभाव	235.81	-
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल आयकर व्यय	**12,365.32**	**7,709.39**

नोट 29: आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक परिसंपत्ति

इंड एएस 37 "प्रावधान, के अनुसार आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक परिसंपत्ति " का प्रकटीकरण यहाँ नीचे दिया गया है: (लाख ₹ में)

(क) आकस्मिक देनदारियाँ	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार
(i) कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें कर्ज के रुप में स्वीकार नहीं किया गया	9,305.70	7,666.16
(ii) गारंटियाँ		
क) बैंकों द्वारा दी गई गारंटियाँ	5,23,823.04	4,34,298.13
ख) प्रदर्शन और वारंटियों के लिए क्षतिपूर्ति बांड	1,10,311.42	1,03,291.28
ग) असमाप्त साख पत्र	4,954.30	6,116.21
(iii) अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रुप से उत्तरदायी है		
क) बिक्री कर	506.83	506.83
ख) आय कर	1,633.19	1,633.19
ग) वस्तु एवं सेवा कर	266.52	142.17

(क) वर्ष 2007-08 के लिए आकलन बकाया और मांग की दिशा में, बिक्री कर के खाते में आकस्मिक देनदारी का परिमाण ₹ 506.83 लाख (31 मार्च 2023: ₹ 506.83 लाख) है । इस राशि को ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है और तदनुसार खातों में प्रदान नहीं किया गया है क्यूंकी मांग पश्चिम बंगाल बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील के अधीन है ।

(ख) आयकर राशि के कारण आकस्मिक देयता ₹ 1633.19 लाख (31 मार्च, 2023: ₹ 1633.19 लाख) है, आयकर प्राधिकरण द्वारा निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए फॉर्म 26एएस के आधार पर कर योग्य आय में मनमानी वृद्धि- ₹ 1624.58 लाख, और 80 जी छूट की अस्वीकृति - निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 8.61 लाख उपर्युक्त विवादों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और तदनुसार लेखाओं में प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि सभी मामले अपील के प्रथम चरण में हैं।

(ग) जून 20 से सितंबर 20 (वित्त वर्ष 2020-21) की अवधि के लिए इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण राजस्व अधिकारियों द्वारा आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के अतिरिक्त रिफंड की मांग के प्रति जीएसटी के कारण विवाद को जीआरएसई के पक्ष में निपटा दिया गया है, इसलिए ₹ 142.17 लाख की आकस्मिक देयता वापस ले ली गई है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 266.52 लाख का विवाद कथित देर से भुगतान के लिए ब्याज की मनमानी मांग से संबंधित है। उपर्युक्त विवाद को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और तदनुसार लेखाओं में प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि सभी मामले अपील के प्रथम चरण में हैं।

(घ) आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दिखाई गई राशि उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राप्त सर्वोत्तम संभव अनुमानों को दर्शाती है। नकदी प्रवाह की अनिश्चितता और समय विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं के परिणाम पर निर्भर करता है जो कंपनी या दावेदारों द्वारा लागू किया गया है और इसलिए इसका सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कंपनी उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा नहीं करती है। प्रबंधन की राय में, ऊपर उल्लिखित विवादों के लिए किसी प्रावधान को इस आधार पर आवश्यक नहीं माना जाता है कि कंपनी द्वारा की गई अपीलों के सफल परिणाम की उचित संभावना है।

नोट 30 : प्रतिबद्धताएँ

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार
अनुबंधों की अनुमानित राशि पूंजी खाते पर निष्पादित की जानी बाकी है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	3,404.37	3,207.34
उपरोक्त अग्रिम के विरुद्ध भुगतान किया गया	-	-

नोट 31: कर्मचारी लाभ दायित्व

(i) अवकाश दायित्व

अवकाश दायित्व, बीमारी और अर्जित अवकाश हेतु कंपनी की देनदारी को कवर करते हैं ।

पूर्व अनुभव के आधार पर, कंपनी सभी कर्मचारियों से उपार्जित अवकाश की सम्पूर्ण राशि ग्रहण करने की आशा नहीं करती है या अगले 12 महीने के भीतर भुगतान आवश्यक नहीं बनाती है । तदनुसार ₹ 697.71 लाख (31 मार्च 2023, ₹ 659.73 लाख) को वर्तमान के रुप में और शेष राशि को गैर वर्तमान के रुप में प्रस्तुत किया गया है । अवकाश दायित्व एक अवित्तपोषित योजना है, कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा बनाई रखी जाने वाली

योजना में योगदान करती है । बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, योजना में रखे गए धनकोष से बढ़कर अनुमानित दायित्व में सम्पूर्ण रुप से एक प्रावधान को मान्यता नहीं दी गई है ।

(लाख ₹ में)

विवरण	अवकाश दायित्व
31 मार्च 2023 तक के अनुसार	
वर्तमान अंश	659.73
गैर-वर्तमान अंश	7,373.79
कुल	**8,033.52**
31 मार्च 2024 तक के अनुसार	
वर्तमान अंश	697.71
गैर-वर्तमान अंश	7,640.80
कुल	**8,338.51**

(ii) रोजगार पश्चात दायित्व

(क) ग्रेच्युटी

कंपनी, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार भारत में कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की प्रदान करती है । लगातार 5 वर्ष तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी, ग्रेच्युटी के योग्य होते हैं । सेवानिवृत्ति/कार्य समापन पर देय ग्रेच्युटी की राशि, सेवा के वर्षों की संख्या के साथ 15 दिनों (एक महीने में 26 दिन मानते हुए) के वेतन के लिए समानुपातिक रुप से हिसाब करके प्राप्त कर्मचारियों का आखिरी बार उठाया गया मूल (महंगाई भत्ता सहित) वेतन प्रति माह में गुना करके मिलने वाली राशि है । ग्रेच्युटी योजना एक वित्तपोषित योजना है और कंपनी, भारत में मान्यता प्राप्त कोष में योगदान करती है ।

बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, योजना में रखे गए, धनकोष से बढ़कर अनुमानित दायित्व के लिए सम्पूर्ण रुप से एक प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है ।

(ख) सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा योजना

कंपनी, सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ योजना का संचालन करती है । यह योजना एक अवित्तपोषित योजना है । बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, अनुमानित दायित्व के लिए सम्पूर्ण रुप से एक प्रावधान को मान्यता दी गई है ।

उपरोक्त के अलावा, अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात दिए जाने वाले चिकित्सा लाभ, परिभाषित योगदान योजनाएं हैं और बीमा कंपनी को भुगतान किए गए ₹ 1,332.60 लाख (31 मार्च 2023: ₹ 1131.09 लाख) का प्रीमियम है । बीमा कंपनी को देय योगदान के अलावा कर्मचारियों के लिए कोई अन्य दायित्व नहीं है ।

(ग) भविष्य निधि

कंपनी द्वारा स्थापित छूट भविष्य निधि इंड एएस 19 कर्मचारी लाभ के तहत एक परिभाषित लाभ योजना है।

पात्र कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि का प्रबंधन कंपनी द्वारा भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुरुप एक ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। योजना भविष्य निधि प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित दर पर ब्याज की गारंटी देती है। कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा मूल वेतन (महंगाई भत्ते सहित) के 12% की दर से योगदान, उस पर संचित ब्याज के साथ, कर्मचारियों को कंपनी से अलग होने या सेवानिवृत्ति के समय, जो भी पहले हो, देय है। कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान करने पर तुरंत लाभ निहित होता है। योगदान उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण पर लगाया जाता है जब संबंधित निधियों में योगदान प्रासंगिक क़ानून के अनुसार देय होता है।

भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि में नियोक्ता का योगदान वर्ष 2023-24 के लिए (वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 1838.00 लाख) ₹ 2,100.86.00 लाख है।

प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों को ट्रस्ट द्वारा देय न्यूनतम ब्याज दर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है। ट्रस्ट के निवेश से रिटर्न (निवेश जोखिम में गिरावट सहित) और अधिसूचित ब्याज दर के बीच की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करना कंपनी का दायित्व है।

नोट 31: कर्मचारी लाभ दायित्व (जारी..)

कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए जीआरएसई के छूट भविष्य निधि से संबंधित कर्मचारी लाभ के इंड एएस 19 के अनुसार ब्याज दर गारंटी, परिसंपत्ति और देनदारियों के निर्धारण और प्रकटीकरण पर रिपोर्ट प्राप्त की है।

(लाख ₹ में)

Particulars	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
1 अप्रैल, 2023	44,497.50	(44,531.67)	(34.17)
वर्तमान सेवा लागत	4,255.10	-	4,255.10
ब्याज व्यय/(आय)	3,456.53	(3,629.33)	(172.81)
लाभ या हानि के रुप में मान्यता प्राप्त: कुलराशि	**7,711.63**	**(3,629.33)**	**4,082.30**
पुन:माप			
योजन परिसंपत्ति पर रिटर्न, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशियों को छोड़कर	-	111.23	111.23
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-	
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-	-	-
अप्रत्याशित अनुभव से बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(198.35)	-	(198.35)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(198.35)**	**111.23**	**(87.12)**
नियोक्ता योगदान /भुगतान किया गया प्रीमियम	-	(1,720.99)	(1,720.99)
लाभ भुगतान	(4,172.27)	4,172.27	-
प्रतिभागियों का योगदान	-	(2,534.11)	(2,534.11)
में स्थानांतरण	-	-	-
31 मार्च, 2024	**47,838.51**	**(48,132.60)**	**(294.09)**

वित्तीय वर्ष 2020-21 से कंपनी ने भविष्य निधि अंशदान को परिभाषित अंशदान योजना से परिभाषित लाभ योजना में वर्गीकृत करने के संबंध में अपनी लेखा नीति में परिवर्तन किया है। लेखांकन नीति में यह परिवर्तन लागू किया गया था और देखा गया था कि लाभ के लिए उपलब्ध शुद्ध परिसंपत्ति सेवानिवृत्ति लाभों के वर्तमान मूल्य की तुलना में अधिक है। इसलिए, वर्तमान वर्ष के दौरान कंपनी के खातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(iii) परिभाषित योगदान योजना:

अधिवर्षिता पेंशन निधि:

पेंशन योजना एक ट्रस्ट द्वारा प्रशासित है। कंपनी ने वर्ष 2023-24 (वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 479.19 लाख) के लिए नियोक्ता के योगदान के दिशा में एलआईसी को अधिकारियों और गैर-संगठित पर्यवेक्षकों हेतु ₹ 512.70 लाख की राशि हस्तांतरित की है।

असंगठित कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की शुरआत 01 जनवरी 2012 से की गई है । प्रचालकों और कार्यालय सहायकों के लिए नियोक्ता के योगदान की दिशा में एलआईसी को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 583.28 लाख (वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 741.24 लाख [बकाया के साथ]) लाख रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है ।

नोट 31: कर्मचारी लाभ दायित्व (जारी.)

(iv) तुलन पत्र मान्यता

(क) सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा योजना

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशियों और वर्ष के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में मूवमेंट निम्नलिखित हैं:

(लाख ₹ में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य
1 अप्रैल, 2022	1,607.01
वर्तमान सेवा लागत	64.56
ब्याज व्यय/(आय)	116.50
लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्राप्त: कुलराशि	**181.06**
पुन:माप	
योजन परिसंपत्ति पर रिटर्न, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशियों को छोड़कर	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/ हानि	(42.22)
अनुभव (लाभ)/ हानि	(63.07)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**105.29)**
नियोक्ता योगदान /भुगतान किया गया प्रीमियम	-
लाभ भुगतान	-
31 मार्च, 2023	**1,682.78**

(लाख ₹ में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य
1 अप्रैल, 2023	1,682.78
वर्तमान सेवा लागत	69.03
ब्याज व्यय/(आय)	117.29
लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्राप्त: कुलराशि	**186.32**
पुन:माप	
योजन परिसंपत्ति पर रिटर्न, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशियों को छोड़कर	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/ हानि	68.15
अनुभव (लाभ)/ हानि	(142.10)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(73.95)**
नियोक्ता योगदान /भुगतान किया गया प्रीमियम	-
लाभ भुगतान	-
31 मार्च, 2024	**1,795.15**

नोट 31: कर्मचारी लाभ दायित्व (जारी.)

(ख) ग्रेच्युटी

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशियों और वर्ष के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व में मूवमेंट निम्नलिखित हैं: (लाख ₹ में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
1 अप्रैल, 2022	11,980.53	(11,980.53)	-
वर्तमान सेवा लागत	717.96	-	717.96
ब्याज व्यय/(आय)	823.55	(868.58)	(45.03)
लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्राप्त: कुलराशि	**1,541.51**	**(868.58)**	**672.93**
पुन:माप			
योजन परिसंपत्ति पर रिटर्न, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशियों को छोड़कर	-	25.08	25.08
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(84.70)	-	(84.70)
अप्रत्याशित अनुभव से बीमांकिक (लाभ)/ हानि	92.31	-	92.31
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**7.61**	**25.08**	**32.69**
नियोक्ता योगदान /भुगतान किया गया प्रीमियम	-	(705.61)	(705.61)
लाभ भुगतान	(1,242.38)	1,242.38	-
31 मार्च, 2023	**12,287.27**	**(12,287.27)**	**-**

(लाख ₹ में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
1 अप्रैल, 2023	12,287.27	(12,287.27)	-
वर्तमान सेवा लागत	750.96	-	750.96
ब्याज व्यय/(आय)	814.96	(856.42)	(41.47)
लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्राप्त: कुलराशि	**1,565.92**	**(856.42)**	**709.49**
पुन:माप			
योजन परिसंपत्ति पर रिटर्न, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशियों को छोड़कर	-	(15.83)	(15.83)
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/ हानि	261.44	-	261.44
अप्रत्याशित अनुभव से बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(318.33)	-	(318.33)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(56.89)**	**(15.83)**	**(72.72)**
नियोक्ता योगदान /भुगतान किया गया प्रीमियम	-	(636.77)	(636.77)
लाभ भुगतान	(1,189.82)	1,189.82	-
31 मार्च, 2024	**12,606.47**	**(12,606.47)**	**-**

नोट 31: कर्मचारी लाभ दायित्व (जारी.)

(v) महत्वपूर्ण अनुमान : बीमांकिक कल्पनाएं

महत्वपूर्ण बीमांकिक कल्पनाएं निम्नलिखत है:

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
छूट दर	6.97%	7.25%
योजन परिसंपत्ति पर प्रत्याशित रिटर्न	6.97%	7.25%
वेतन वृद्धि दर	7.00%	7.00%
संघर्षण दर	1.00%	1.00%
मृत्यु दर	आईएएलएम (2012-2015) अल्टिमेट	आईएएलएम (2012-2014) अल्टिमेट

ग्रेच्युटी और चिकित्सा के लिए भावी मृत्यु दर से संबंधित कल्पनाएं, प्रकाशित आंकड़ों और अनुभव के अनुसार बीमांकिक सलाह पर आधारित हैं । ये कल्पनाएं, 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति के लिए वर्ष में औसत जीवन प्रत्याशा में बदल जाती है ।

(vi) संवेदनशीलता संबंधी विश्लेषण

भारित प्रधान कल्पनाओं में परिवर्तनों के लिए परिभाषित लाभ दायित्व के संवेदशीलता निम्नलिखित है : (लाख ₹ में)

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी) पर प्रभाव			
	31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2023	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट की दर (-/+ 0.5%)	12,146.21	13,098.10	11,845.41	12,759.14
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	-3.65%	3.90%	-3.60%	3.84%
वेतन वृद्धि दर (-/+ 0.5%)	12,840.27	12,356.28	12,547.18	12,007.88
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	1.85%	-1.98%	2.12%	-2.27%
संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	12,607.12	12,605.82	12,287.80	12,286.73
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	0.01%	-0.01%	0.00%	0.00%
जीवन प्रत्याशा/मृत्यु दर (-/+ 10%)	12,608.46	12,604.47	12,289.90	12,284.62
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	0.02%	-0.02%	0.02%	-0.02%

(लाख ₹ में)

विवरण	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ पर प्रभाव'			
	31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2023	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट की दर (-/+ 0.5%)	1,745.60	1,843.80	1,636.33	1,728.38
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	-2.76%	2.71%	-2.76%	2.71%
वेतन वृद्धि दर (-/+ 0.5%)	1,792.45	1,797.84	1,722.66	1,642.06
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	-0.15%	0.15%	2.37%	-2.42%
जीवन प्रत्याशा/मृत्यु दर (-/+ 10%)	1,790.48	1,799.81	1,680.25	1,685.30
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	-0.26%	0.26%	-0.15%	0.15%

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण, एक कल्पना में एक परिवर्तन पर आधारित है जबकि अन्य सभी कल्पनाओं को स्थिर रखा गया है । व्यवहार में, ऐसा होने की संभावना नहीं है, और कुछ कल्पनाओं में परिवर्तनों को एक दूसरे के साथ जोड़कर देखा जा सकता है । महत्वपूर्ण बीमांकिक कल्पनाओं में परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता की गणना करते समय, उसी विधि (प्रतिवेदन अवधि के अंत में अनुमानित इकाई ऋण विधि की मदद से गणित परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य) का इस्तेमाल किया गया है जो तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ देनदारी की गणना करते समय इस्तेमाल किया गया है ।

संवेदनशील विश्लेषण की तैयारी में इस्तेमाल की गई कल्पनाओं की विधियों और प्रकारों में पूर्व अवधि की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(vii) योजना परिसंपत्ति की प्रमुख श्रेणियाँ

परिभाषित लाभ योजनाएं (भविष्य निधि को छोड़कर) भारत की बीमा कंपनियों के साथ वित्त पोषित हैं। कंपनी के पास बीमा कंपनियों को प्रदान की जाने वाली धनराशियों को प्रबंधित करने की कोई स्वाधीनता नहीं होती है । इस प्रकार, योजना परिसंपत्तियों की प्रत्येक प्रमुख श्रेणी की रचना का खुलासा नहीं किया गया है ।

नोट 31: कर्मचारी लाभ दायित्व (जारी.)

(viii) जोखिम संकट

अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से कंपनी पर अनगिनत जोखिमों का संकट है जिनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण जोखिम संकटों के बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है :

निवेश जोखिम:

परिभाषित लाभ योजनाएं (भविष्य निधि को छोड़कर) भारत की बीमा कंपनियों के साथ वित्त पोषित हैं। कंपनी को बीमा कंपनियों को प्रदान की जाने वाली धनराशियों को प्रबंधित करने की कोई स्वाधीनता नहीं होती है ।

परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना भारत सरकार के बांडों के संदर्भ में निर्धारित छूट दर का उपयोग करके की जाती है। यदि योजना परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ इस दर से कम है, तो यह एक योजना घाटा पैदा करेगा।

ब्याज जोखिम:

योजना परिसमपत्ति पर ब्याज दर में कमी आने पर योजना देनदारी में वृद्धि होगी ।

जीवन प्रत्याशा:

परिभाषित लाभ योजना देनदारी के वर्तमान मूल्य की गणना, रोजगार के दौरान और रोजगार के अंत में दोनों समय योजना प्रतिभागियों के मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान की मदद से की जाती है । योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होने पर योजना देनदारी में वृद्धि होगी ।

वेतन वृद्धि जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देनदारी के वर्तमान मूल्य की गणना, रोजगार के दौरान और रोजगार के अंत में दोनों समय योजना प्रतिभागियों के मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान की मदद से की जाती है । योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होने पर योजना देनदारी में वृद्धि होगी ।

(ix) परिभाषित लाभ देनदारी और नियोक्ता का योगदान

31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रोजगार पश्चात लाभ योजनाओं में प्रत्याशित योगदान 1,969.37 लाख रुपये है ।

परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी) की भारित औसत अवधि, 12 वर्ष (31, मार्च 2023 - 12 वर्ष) है और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ की भारित औसत अवधि 40 वर्ष (31, मार्च 2023 – 40 वर्ष) है । छूट रहित ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नलिखित है :

(लाख ₹ . में)

विवरण	एक वर्ष से कम	एक वर्ष से अधिक
31 मार्च, 2024 तक के अनुसार		
परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी)	1,407.98	22,763.57
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	242.56	6,428.17
कुल	**1,650.54**	**29,191.75**
31 मार्च, 2023 तक के अनुसार		
परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी)	1,451.52	22,699.83
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	127.38	6,025.80
कुल	**1,578.90**	**28,725.63**

नोट 32: संबंधित पक्ष से लेनदेन

कंपनी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रित है, जिन्हें 74.50% स्वामित्व प्राप्त है ।

(क) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का मुआवजा

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	285.44	195.92
रोजगार पश्चात लाभ	11.77	8.01
कुल मुआवजा	**297.21**	**203.93**

संबंधित पक्षों को देय राशि के संबंध में वर्ष के दौरान कोई राशि बट्टे खाते में नहीं डाली गई है।

नोट 32: संबंधित पक्ष से लेनदेन (जारी.)

(ख) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन

चूंकि जीआरएसई रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के नियंत्रण में एक सरकारी संस्था है, कंपनी ने सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ संबंधित पार्टी लेनदेन के रूप में इंड एएस 24 के तहत आवश्यक विस्तृत प्रकटीकरण से छूट का लाभ उठाया है।

हालांकि, इंड एएस 24 के तहत आवश्यकतानुसार, व्यक्तिगत ₹प से महत्वपूर्ण लेनदेन निम्नलिखित हैं: -

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री		
'वस्तुओं की बिक्री (भारत सरकार के स्वामित्व वाली)	84,878.42	25,163.81
सेवाओं की बिक्री (भारत सरकार के स्वामित्व वाली)	9,204.83	2,482.68
अन्य लेनदेन		
शेयरधारक को भुगतान किया गया अंतिम लाभांश	597.39	725.40
शेयरधारक को भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश	6,759.03	4,693.77

(ग) वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/ख़रीदारी से उत्पन्न होने वाले बकाया शेष

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
व्यापार प्राप्य (वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री)	17,046.55	3,550.72
संस्थाएं (भारत सरकार के स्वामित्व वाली)		

नोट 33: उचित मूल्य मापन

श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024			31 मार्च, 2023		
	एफ़वीपीएल	एफ़वीओसीआई	परिशोधित लागत	एफ़वीपीएल	एफ़वीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्ति						
निवेश						
इक्विटी साधन	0.44	-	-	0.44	-	-
म्यूचुअल फंड	-			23,366.40		
ट्रेड प्राप्य	-	-	19,420.70	-	-	5,084.50
सुरक्षा जमा	-	-	774.60	-	-	769.15
नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित क्रेडिट	-	-	911.93	-	-	945.73
अनुबंध परिसंपत्ति	-	-	8,630.05	-	-	8,550.74
नकद एवं नकद समतुल्य	-	-	527.00	-	-	1,398.55
अन्य बैंक बैलेंस	-	-	3,71,506.84	-	-	4,31,382.07
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति						
ब्याज प्रोद्भूत लेकिन जमा हेतु देय नहीं	-	-	12,792.35	-	-	14,081.35
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	**0.44**	**-**	**4,14,563.47**	**23,366.84**	**-**	**4,62,212.09**
वित्तीय देनदारियां						
ऋण रकम	-	-	5,558.48	-	-	30,117.18
लीज देनदारियां	-	-	1,008.58	-	-	1,093.57
ट्रेड देय	-	-	1,00,025.57	-	-	1,18,204.10
सुरक्षा जमा	-	-	511.25	-	-	439.14
अन्य	-	-	3,035.27	-	-	2,455.42
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**-**	**1,10,139.15**	**-**	**-**	**1,52,309.41**

नोट 33: उचित मूल्य मापन (जारी)

(i) उचित मूल्य पदानुक्रम

इस अनुभाग में, वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों का निर्धारण करने में किए गए अनुमान और निर्णय शामिल हैं जिन्हें (क) उचित मूल्य पर मान्यता प्रदान की गई है और मापा गया है और (ख) परिशोधित लागत पर मापा गया है और जिसके लिए उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित किया गया है । उचित मूल्य का निर्धारण करने में इस्तेमाल किए गए इनपट्स की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

(लाख ₹ में)

31 मार्च, 2024 को उचित मूल्य- आवर्ती उचित मूल्य मापन पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तिय और देनदारियाँ	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्ति				
एफ़वीपीएल में वित्तीय निवेश				
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र - गैर-उद्धृत इक्विटी निवेश	-	-	0.44	0.44
म्युचुअल फंड में गैर-उद्धृत निवेश	-	-	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	**-**	**-**	**0.44**	**0.44**

31 मार्च, 2024 को प्रकट किए गए उचित मूल्यों हेतु परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति और देनदारियाँ	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्ति				
नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित क्रेडिट	-	-	911.93	911.93
ट्रेड प्राप्तियाँ	-	-	19,420.70	19,420.70
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	**-**	**-**	**20,332.63**	**20,332.63**
वित्तीय देनदारियाँ				
ट्रेड देय				
विक्रेताओ से कांटा गया एलडी	-	-	11,271.64	11,271.64
रसी आस्थगित क्रेडिट	-	-	911.93	911.93
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**-**	**-**	**12,183.57**	**12,183.57**

31 मार्च, 2023 को उचित मूल्य- आवर्ती उचित मूल्य मापन पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तिय और देनदारियाँ	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्ति				
एफ़वीपीएल में वित्तीय निवेश				
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र - गैर-उद्धृत इक्विटी निवेश	-	-	0.44	0.44
म्युचुअल फंड में गैर-उद्धृत निवेश		23,366.40	-	23,366.40
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	**-**	**23,366.40**	**0.44**	**23,366.84**

31 मार्च, 2023 को प्रकट किए गए उचित मूल्यों हेतु परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति और देनदारियाँ	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्ति				
नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित क्रेडिट	-	-	945.73	945.73
ट्रेड प्राप्तियाँ	-	-	5,084.50	5,084.50
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	**-**	**-**	**6,030.23**	**6,030.23**
वित्तीय देनदारियाँ				
ट्रेड देय				
विक्रेताओ से कांटा गया एलडी	-	-	3,994.26	3,994.26
रसी आस्थगित क्रेडिट	-	-	945.73	945.73
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**-**	**-**	**4,939.99**	**4,939.99**

नोट 33: उचित मूल्य मापन (जारी)

(ii) उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मूल्य निर्धारण तकनीक

वित्तीय साधनों का मूल्य निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विशिष्ट मूल्य निर्धारण तकनीकों मेंशीर्ष वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण शामिल है जो छूट युक्त नकद प्रवाह विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है ।

(iii) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति और देनदारियों का उचित मूल्य (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक के अनुसार		31 मार्च 2023 तक के अनुसार	
	वहनकारी मूल्य	उचित मूल्य	वहनकारी मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्ति				
नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित ऋण	911.93	911.93	945.73	945.73
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	**911.93**	**911.93**	**945.73**	**945.73**
वित्तीय देनदारियाँ				
ट्रेड देय				
विक्रेताओ से कांटा गया एलडी	11,271.64	10,286.83	3,994.26	3,450.25
रसी आस्थगित ऋण	911.93	911.93	945.73	945.73
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**12,183.57**	**11,198.76**	**4,939.99**	**4,395.98**

ट्रेड प्राप्य, ट्रेड देय, नकद एवं नकद समतलुय की वहनकारी राशियों को उनका उचित मूल्य ही माना गया है ।

वित्तीय साधनों के उचित मूल्य की गणना, एक ही परिपक्वता के लिए प्रतिवेदन तिथि को भारतीय स्टेट बैंक की फंड आधारित उधार ब्याज दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) का इस्तेमाल करके छूट प्राप्त नकदी प्रवाह के आधार पर किया गया । उन्हें प्रतिपक्ष ऋण जोखिम सहित अप्रत्यक्ष इनपुट के समावेश के कारण उचित मलूय पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्य के वर्गीकृत किया गाय है ।

नोट 34: वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की गतिविधियां विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों से जुड़ी हैं: ऋण जोखिम, तरलता जोखिम और बाजार जोखिम (अर्थात विदेशी मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और मूल्य जोखिम)।

इस नोट में जोखिम के उन स्रोतों का वर्णन किया गया है जो संस्था से जुड़ा रहता है और संस्था इस जोखिम को कैसे प्रबंधित करती है उसका भी वर्णन किया गया है:

जोखिम	से उत्पन्न होने वाला अनावृत्ति	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य और वित्तीय परिसंपत्ति परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं।	बैंक जमा और ऋण सीमा का विविधीकरण।
तरलता जोखिम	वित्तीय देनदारियां जो नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति वितरित करके तय की जाती हैं।	नकद प्रवाह का अनुमान लगाना और देनदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक तरल परिसंपत्ति के स्तर पर विचार करना।
बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा	भावी वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्ति और देनदारियां जिन्हें भारतीय रुपये (आईएनआर) में मूल्यवर्गित नहीं किया जाता हैं।	मुद्रा में उतार-चढ़ाव के लिए खरीदारों से प्रतिपूर्ति।

(क) ऋण जोखिम1

ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसे प्रतिपक्ष किसी वित्तीय साधन या ग्राहक अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेंगे, जिससे वित्तीय नुकसान हो सकता है। कंपनी पर अपनी परिचालन गतिविधियों (मुख्य रप से व्यापार प्राप्य) से ऋण जोखिम का उजागर किया है, जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास मौजूदा जमा, विदेशी मुद्रा लेनदेन और अन्य वित्तीय साधन शामिल हैं।

(i) व्यापार प्राप्य और अनुबंध संपत्ति

ग्राहक ऋण जोखिम को कंपनी की स्थापित नीति, प्रक्रियाओं और ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित नियंत्रण के आधार पर प्रत्येक व्यावसायिक इकाई द्वारा प्रबंधित किया जाता है । व्यापार प्राप्य, ब्याज रहित होते हैं और आम तौर पर इन पर कोई ऋण शर्त नहीं होती है । नियमित रप से बकाया ग्राहक प्राप्यों की निगरानी की जाती है । ट्रैड प्राप्यों को मुख्य रप से नौसेना (भारत सरकार के स्वामित्व वाली) से प्राप्त किया जाता है, इसलिए ऋण जोखिम को कम माना जाता है । इसके अलावा, कंपनी उन ऑर्डरों के लिए अग्रिम राशि प्राप्त करता है जो ऋण जोखिम को भी कम करता है । व्यापार प्राप्यों के वयोवृद्धि हेतु कृपया नोट 10(ख) का संदर्भ लें ।

(ii) वित्तीय साधन और जमा

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास मौजूद शेष राशियों से ऋण जोखिम को कंपनी की नीति के अनुसार कंपनी द्वारा प्रबंधित किया गया है । अधिशेष धनराशियों का निवेश, कंपनी की अधिशेष धनराशियों के निवेश पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है । जोखिमों की सघनता को कम करने के लिए और इसलिए प्रतिपक्ष द्वारा भुगतान करने की संभावित विफलता के माध्यम से वित्तीय हानि को कम करने के लिए सीमाएं निर्धारित की गई हैं ।

31, मार्च 2024 और 31, मार्च 2023 के तुलन पत्र के घटकों के लिए ऋण जोखिम हेतु कंपनी का अधिकतम अनावरण, वहनकारी राशियाँ हैं जिन्हें नोट 6 (ख), नोट 10 (ग) और नोट 10 (घ) में दिखाया गया है ।

नोट 34: वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

(ख) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जो एक इकाई को वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो नकदी या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को वितरित करके निपटाए जाते हैं।

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना है और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की एक पर्याप्त राशि के माध्यम से वित्तपोषण की उपलब्धता है । अंतर्निहित व्यवसाय की प्रकृति के कारण, कंपनी अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उपलब्ध पर्याप्त नकदी और तरल निवेशों का रखरखाव करती है ।

कंपनी की तरलता प्रबंधन नीति में नकदी प्रवाह का अनुमान लगाना और इन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक तरल परिसंपत्तियों के स्तर पर विचार करना और आंतरिक एवं बाहरी नियामक आवश्यकताओं, यदि कोई हो, के खिलाफ तुलन पत्र तरलता अनुपातों की निगरानी करना शामिल है ।

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिका सभी वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण करती है।

तालिका में प्रदर्शित राशियाँ, अनुबंधात्मक छूट-रहित नकदी प्रवाह और उनके वहनकारी शेष के बराबर 12 महीनों के भीतर बकाया शेष राशियाँ हैं क्योंकि छूट का प्रभाव बहुत अधिक नहीं है ।

(लाख ₹ में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता - 31 मार्च, 2024	एक वर्ष या उससे कम	एक वर्ष से अधिक	कुल
ऋण रकम	5,558.48	-	5,558.48
व्यापार देनदारियां	99,242.01	1,540.56	1,00,782.57
लीज देनदारियां	179.74	828.84	1,008.58
अन्य वित्तीय देनदारियां	3,546.52	-	3,546.52
कुल वित्तीय देनदारियां	**1,08,526.75**	**2,369.40**	**1,10,896.15**

(लाख ₹ में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता - 31 मार्च, 2023	एक वर्ष या उससे कम	एक वर्ष से अधिक	कुल
ऋण रकम	30,117.18	-	30,117.18
व्यापार देनदारियां	1,17,386.74	1,668.94	1,19,055.68
लीज देनदारियां	170.41	923.16	1,093.57
अन्य वित्तीय देनदारियां	2,894.56	-	2,894.56
कुल वित्तीय देनदारियां	**1,50,568.89**	**2,592.10**	**1,53,160.99**

(ग) बाजार ज़ोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम

एक वित्तीय साधन के भावी नकदी प्रवाह या उचित मूल्य से संबंधित जोखिम में, विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा ।

कंपनी पर विदेशी मुद्रा जोखिम का संकट मंडराता रहता है क्योंकि यह विदेशी विक्रेताओं से घटकों को आयात करती है । इसके अलावा, कंपनी अपनी कुछ पोतों को विदेशी ख़रीदारों को निर्यात करती है और उस पर, विदेशी मुद्रा लेनदेनों से उत्पन्न होने वाले विदेशी विनिमय जोखिम का संकट मंडराता रहता है । विदेशी विनिमय जोखिम, एक मुद्रा में नामांकित मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देनदारियों और भावी वाणिज्यिक लेनदेनों से उत्पन्न होता है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (₹पये) नहीं होती है । विदेशी मुद्रा में भुगतान और आयात के खाते में बहिर्वाह काफी हद तक ख़रीदारों से प्रतिपूर्ति योग्य होता है । निर्यात के मामले में जोखिम को, अत्यंत संभावित विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह के पूर्वानुमान के माध्यम से मापा जाता है ।

नोट 34: वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

विदेशी मुद्रा जोखिम एक्स्पोसर

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति एक्सपोजर (विदेशी मुद्रा राशि को क्लोजिंग रेट से गुणा करके) इस प्रकार है: (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024			31 मार्च, 2023		
	ईयूआर	जीबीपी	यूएसडी	ईयूआर	जीबीपी	यूएसडी
वित्तीय परिसंपत्ति	-	-	1,071.98	-	-	-
वित्तीय देनदारियों	1,508.85	75.65	80.96	1,622.62	76.02	47.83
विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए शुद्ध जोखिम	**(1,508.85)**	**(75.65)**	**991.02**	**(1,622.62)**	**(76.02)**	**(47.83)**

संवेदनशीलता

विनिमय दरों में परिवर्तन में लाभ या हानि की संवेदनशीलता, मुख्य रुप से विदेशी मुद्रा नामांकित वित्तीय साधनों से उत्पन्न होता है । (लाख ₹ में)

विवरण	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
यूरो संवेदनशीलता		
भारतीय रुपये/यूरो में 4.83% (31 मार्च 2023 - 5.51 %)* की वृद्धि	(73)	(89)
भारतीय रुपये/यूरो में 1.84% की कमी (31 मार्च 2023 - 2.66%)*	28	43
जीबीपी संवेदनशीलता		
भारतीय रुपये/ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में 4.43 % (31 मार्च 2023 - 4.58%)* की वृद्धि	(3)	(3)
भारतीय रुपये/ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में 1.66 % (31 मार्च 2023 - 1.64%)* की कमी	1	1
यूएसडी संवेदनशीलता		
भारतीय रुपये/यूएस डॉलर में 5.70 % (31 मार्च 2023 - 7.07%)* की वृद्धि	(5)	(3)
भारतीय रुपये/यूएस डॉलर में 3.58 % (31 मार्च 2023 - 1.81%)* की कमी	3	1

*अन्य सभी परिवर्तनीय राशियों को स्थिर मानते हुए

नोट 35: पूंजी प्रबंधन

(क) जोखिम प्रबंधन

पूंजी को प्रबंधित करते समय कंपनी के उद्देश्य निम्नलिखित है :

- एक निरंतर चिंता के रुप में जारी रखने की अपनी क्षमता की रक्षा करना, ताकि वे शेयरधारकों के लिए रिटर्न और अन्य हितधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रख सकें, और
- पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक अनुकूल पूंजी संरचना को बनाए रखना ।

पूंजी संरचन को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधरकों को दिए जाने वाले लाभांश की रकम को समायोजित कर सकती है, शेयरधरकों को पूंजी लौटा सकती है या नए शेयर जारी कर सकती है ।

तुलन पत्र में कुल इक्विटी के अंतर्गत उल्लिखित राशि को पूंजी माना गया है ।

(ख) प्रस्तावित और प्रदत्त लाभांश

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
(i) इक्विटी शेयर		
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश - 0.70 रु. (31 मार्च, 2022 - रु. 0.85) प्रति पूर्ण प्रदत्त शेयर	801.86	973.69
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश - 7.92 रु.(31 मार्च, 2023 - रु. 5.50) प्रति पूर्ण प्रदत्त शेयर	9,072.52	6,300.36
(ii) लाभांश जिन्हें प्रतिवेदन अवधि के अंत में मान्यता प्रदान नहीं किया गया है		
उपरोक्त लाभांशों के अलावा, वर्ष के अंत के बाद से मंडल ने प्रत्येक सम्पूर्ण रुप से प्रदत्त इक्विटी शेयर पर 1.44 रु. (31 मार्च, 2023: 0.70 रु.) के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफ़ारिश की है । यह प्रस्तावित लाभांश, आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है ।	1,649.55	801.86

नोट 36: प्रति शेयर आय

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
बुनियादी और मंदित आय प्रति शेयर की गणना करने के लिए इस्तेमाल की गई कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों के कारण होने वाला लाभ (लाख रुपये में)	35,726.77	22,812.40
बुनियादी और मंदित आय प्रति शेयर की गणना करने के लिए भाजक के रूप में इस्तेमाल किए गए इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या	11,45,52,000	11,45,52,000
बुनियादी और मंदित आय प्रति शेयर (रुपये)	**31.19**	19.91

नोट 37: निगमित सामाजिक दायित्वों (सीएसआर) क्रियाकलापों पर व्यय

वर्ष के दौरान जिन विभिन्न मदों के अंतर्गत सीएसआर व्यय किया गया उनका विवरण नीचे दिया गया है : (लाख ₹ में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII का संबंधित खंड	सीएसआर गतिविधियों का विवरण	खर्च की गई राशि
i) खंड (i)	स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता	400.37
iii) खंड (ii)	कौशल विकास प्रशिक्षण	108.63
iii)खंड (iv)	केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में योगदान	2.00
	कुल	**511.00**

(लाख ₹ में)

विवरण	2023-24	2022-23
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	510.88	457.32
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:		
i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	166.97	-
ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य	344.03	460.00
वर्ष के अंत में कमी	-	-
विगत वर्षों की कुल कमी	-	-
कमी का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	i. निवारक स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना। ii. कौशल विकास प्रशिक्षण iii. केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में योगदान	i) स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने सहित स्वास्थ्य निवारक को बढ़ावा देना ii) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन iii) दिव्यांग बच्चों के बीच विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना iv) दिव्यांग बच्चों को रोजगार बढ़ाने वाले व्यवसाय सहित कौशल v) केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में योगदान
प्रासंगिक लेखांकन मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष के दौरान संविदात्मक दायित्व और मूवमेंट में प्रवेश करके किए गए दायित्व के संबंध में प्रावधान	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट 38 : निर्माण अनुबंध

तुलन पत्र के तारीख को, कंपनी या तो एक परिसंपत्ति के रूप में या एक देनदारी के रूप में प्रत्येक अनुबंध के लिए शुद्ध अनुबंध स्थिति की रिपोर्ट देती है । एक अनुबंध, एक परिसंपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है जहां खर्च की गई लागत और मान्यता प्राप्त लाभ (अल्प मान्यता प्राप्त नुकसान), प्रगति बिलिंग से अधिक है; एक अनुबंध, एक देनदारी का प्रतिनिधित्व करता है जहां मामला ठीक विपरीत है ।

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
(i) वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व	3,19,275.09	2,32,582.13
(ii) उस तिथि तक सभी अनुबंधों की प्रतिवेदन तिथि तक की गई लागत और मान्यता प्राप्त लाभ (अल्प मान्यता प्राप्त नुकसान) का कुल परिणाम	9,27,096.39	6,80,595.78
(iii) प्रगति अनुबंधों के लिए ग्राहक अग्रिमों की बकाया (सकल) राशि	15,50,895.50	13,59,524.24

नोट 39: रूसी (यूएसएसआर) आस्थगित राष्ट्र ऋण

रूसी संघ एवं भारत सरकार के बीच एक अंतर सरकारी करार प्रोक्योरमेंट के संबंध में रूबल में रूसी आस्थगित राष्ट्र ऋण को पुन: संरचित करने के लिए किया गया।

उक्त करार के अंतर्गत 01.04.1992 को रूबल में बकाया ऋण को 01.04.1990 तथा 01.04.1992 के बीच रु.-रूबल विनिमय दर की विभिन्नता पर भारतीय रु. में परिणित किया गया और विनिमय दर विभिन्नता की राशि को वर्ष 2037 तक 45 वर्षों में देय आस्थगित रु. भुगतान व्यवस्था के अधीन भारत सरकार द्वारा पुनर्निर्धारित किया गया । इस पुनर्निर्धारित भुगतान की भी प्रतिपूर्ति भारतीय नौसेना द्वारा की जाती है । तदनुसार 31 मार्च 2024 को ऐसी राशि को विदेशी आपूर्तिकर्ता आस्थगित ऋण के रूप में रखा गया है जो कुल ₹ 911.93 लाख (छूट रहित राशि ₹ 1,668.94 लाख) (31 मार्च 2023: ₹ 945.73 लाख) (छूट रहित राशि ₹ 1,797.32 लाख) है ।

नोट 40:

(क) कंपनी प्रत्येक तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से सामान्य प्रैक्टिस के तौर पर अचल परिसंपत्तियों का भौतिक निरीक्षण करती है । चालूवर्ष में इस प्रकार का भौतिक निरीक्षण जीआरएसई फिटिंग आउट जेट्टी यूनिट, तारातला यूनिट और केंद्रीय डिजाइन कार्यालय में किया जा चुका है । पाई गई विसंगतियाँ को लेखा में प्रदर्शित किया गया है ।

(ख) रांची में डीजल इंजन प्लांट लगाने के लिए 62 एकड़ भूमि हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची से 1966 में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार सरकार के आदेश पर औद्योगीकरण ड्राइव के भाग के रूप में निःशुल्क प्राप्त हुई थी। तब से भूमि पर जीआरएसई का निर्बाध कब्जा है और उस पर स्थायी स्ट्रक्चर (टाइटल डीड एचईसी रांची के पास है) का निर्माण किया गया है। डीजल इंजन प्लांट रांची की विविध परिसंपत्तियाँ उक्त परिसर पर संस्थापित/रखी गई हैं और 31 मार्च 2024 तक के अनुसार इनकी बुक लागत ₹ 1055.38 लाख (मुल लागत ₹ 3,287.13 लाख) है । उक्त भूमि पर जीआरएसई के अधिकार को नजरंदाज करते हुए तत्कालीन बिहार सरकार ने फरवरी 1996 में एचईसी के पक्ष में कनवेयन्स डीड तैयार कर दी। बाद में एचईसी ने अपने दिनांक 7 अगस्त 1999 के पत्र के माध्यम से 30 वर्षों की लीज जिसकी प्रभावी तारीख 01.04.1996 से है, हेतु एकबारगी प्रीमियम के रूप में ₹ 1488 लाख और इस प्रीमियम के 10% के तौर पर ₹ 148.8 लाख प्रति वर्ष वार्षिक लीज किराए के रूप में दावा किया जिसे जीआरएसई ने अस्वीकार कर दिया। एचईसी ने अप्रैल 2013 के दौरान भारत सरकार के पीएमए, डीपीई को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया और तदनुसार पीएमए के समक्ष निवेदन किया कि जीआरएसई को आगे की अवधि हेतु लीज करार, किराए और प्रीमियम के लिए निदेश दे क्योंकि उनका दावा पूर्णतया आधारहीन, फालतू और असंगत है और जीआरएसई को "अनधिकृत निवासी" आदि घोषित करें। जीआरएसई ने एचईसी के इस संदर्भ के मेंटेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के संबंध में प्रारम्भिक प्रतिरोध उठाया और दावा किया कि यह न तो तथ्यों और न ही कानून के अनुसार सस्टेनेबल है। इस मामले पर जोया हडके , एकमात्र मध्यस्थ, पीएमए को न्यायिक निर्णय करना था जिन्होंने दोनों पक्षों की सारी बातें सुनने के बाद, 30.06.2015 के आदेश के अनुसार, कहा कि पक्षों के बीच में किसी समझौते की अनुपस्थिति में, मध्यस्थ मंच के पास इस विवाद का निपटान करने का क्षेत्राधिकार नहीं है और एचईसी के संदर्भ को अस्वीकार कर दिया। तदनुसार,मध्यस्थता मामला का निपटारा किया गया । एचईसी द्वारा कोई भी अपील दायर नहीं किया गया ।

जीआरएसई ने भी मार्च 2014 में रांची स्थित सक्षम सिविल कोर्ट में सिविल मुकदमा (2014 का टीएस- 117) भी दायर किया है जिसमें एचईसी और झारखंड सरकार प्रतिवादी हैं, जहां जीआरएसई ने न्यायालय से इस बात की घोषणा करने के लिए प्रार्थना की है कि जीआरएसई ने भमि कानून के अनुसार उक्त भूमि पर डीजल इंजन प्लांट को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए स्थायी लाइसेन्स तथा स्थायी आदेश निःशुल्क प्राप्त किया है तथा जीआरएसई द्वारा भूमि के अधिकार में और वहाँ उद्योग का संचालन करने में हस्तक्षेप करने से एचईसी को रोकते हुए स्थायी निषेधाज्ञा देने का निवेदन किया है । इस मामले की सुनवाई चल रही है।

एचईसी ने जीआरएसई की डीईपी यूनिट [मामला संख्या पी.पी.अधिनियम/आरईवी/2018-01दिनांक 28.4.2018] द्वारा कब्जा की गई उक्त भूमि से 'अनधिकृत कब्जा' का आरोप लगाते हुए एचईसी द्वारा उक्त अधिनियम के तहत नियुक्त संपदा अधिकारी के समक्ष सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कबजा धारियों की बेदखली)अधिनियम 1971 के अतंर्गत एक आवेदन दायर किया है।

जीआरएसई ने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका [डब्ल्यूपी (सी) सं. 2018 के 3359] दायर की है 'घोषणा' की प्रार्थना करते हुए कि सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम के तहत संपदा अधिकारी के समक्ष संक्षिप्त कार्यवाही का रखरखाव नहीं किया गया है जिसमें जमीन के टाइटल, अधिकार, ब्याज और कब्जे से संबंधित कानून के जटिल और जटिल प्रश्न शामिल हैं और इसके अलावा रांची में सक्षम सिविल कोर्ट पहले से ही कारवाई के स्वयं के कारण पर मामले का न्याय कर रहा है। हाईकोर्ट ने 14.8.2018 को एचईसी को निर्देश दिया कि वह विपक्ष दायर करे और जीआरएसई को उक्त भूमि से बेदखल न करे । इस बीच, एचईसी के दृष्टिकोण पर सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने के लिए विभिन्न संभावनाओ का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ।

उपरोक्त के मद्देनजर, ब्याज रहित ₹ 5,654.40 लाख (विगत वर्ष ₹ 5505.60 लाख) की राशि ऋण के रूप में न मानते हुए आकस्मिक देयताएँ के रूप में दर्शाई गई है।

नोट 41 :

विक्रेताओ को विविध लेनदारों के खाते में 31 दिसंबर,2023 तक के शेष राशि की पुष्टि करने के लिए पत्र भेजे गए थे । कुछ विक्रेताओं से प्राप्त जवाब के आधार पर जहां आवश्यक है,लेखा में समायोजन किया गया है ।

नोट 42 :

(क) कंपनी ने अपने देनदारों के संदर्भ में शेष राशि की पुष्टि हेतु पत्र भेजें हैं । हालांकि देनदारों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है अतः कंपनी की राय में,शेष राशि का मूल्य वसूली योग्य है जो व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो,खातों में उल्लिखित राशि के बराबर है ।

(ख) चूंकि ग्राहक भारतीय नौसेना और तटरक्षक हैं अतः ग्राहकों से प्राप्त राशि मुख्यत: पोत प्रभाग के संदर्भ में प्राप्त राशि है । अन्य प्रभागों के संदर्भ में ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम मुख्यत: सरकारी विभागों से प्राप्त है ।

नोट 43:

01.04.2019 से भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस 116) की शुरुआत के साथ, कंपनी ने पूर्वव्यापी ट्रांजीक्शन विधि का उपयोग करते हुए इसे अपनाया है ।

भुगतान किए गए वास्तविक पट्टा किराया जिन्हें अब तक व्यय के रूप में मान्यता दी गई थी,अब पट्टा देयता में कमी के रूप में दर्ज किए गए है।

वर्ष के दौरान, ₹ 60.19 लाख (वित्त वर्ष 2022-23: ₹ 60.19 लाख) और ₹ 110.21 लाख के वाहन (वित्त वर्ष 2022-23: 102.34 लाख रु.) के पट्टा होल्ड भूमि के लिए भुगतान किए गए किराए हेतु अन्य खर्चों के तहत किराया और परिवहन शुल्क इसी पट्टा देयता के साथ समायोजित किया गया है। वित्त लागत पर ₹ 85.41 लाख (वित्त वर्ष 2022-23: ₹ 88.80 लाख) के पट्टा किराया पर ब्याज नहीं देना और मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय में ₹ 116.93 लाख (वित्त वर्ष 2022-23: ₹ 109.27 लाख) के आरओयू संपत्ति का परिशोधन शामिल है।

पट्टा देनदारियों का विवरण नीचे संलग्न है:

(लाख ₹ में)

विवरण	01 अप्रैल 2023 तक के अनुसार	अतिरिक्त / समायोजन	ब्याज की समाप्ति	कुल नकद बहिर्वाह	31 मार्च 2024 तक के अनुसार
भूमि	659.15	-	56.40	60.19	655.36
वाहन	434.42	-	29.01	110.21	353.22
कुल	**1,093.57**	**-**	**85.41**	**170.40**	**1,008.58**

बिना छूट के आधार पर परिसंपत्ति की संविदात्मक परिपक्वता का आधार:

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक के अनुसार	31 मार्च 2023 तक के अनुसार
1 वर्ष से कम	-	-
1 वर्ष से अधिक	981.72	1,098.65
कुल	**981.72**	**1,098.65**

बिना छूट के आधार पर देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता का आधार:

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक के अनुसार	31 मार्च 2023 तक के अनुसार
1 वर्ष से कम	179.74	170.41
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	578.44	641.01
5 वर्ष से अधिक	1,777.13	1,894.30

नोट 44:

कंपनी के पास उपलब्ध सूचना/दस्तावेजों के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार है:

(लाख ₹ में)

क्रं.सं.	विवरण	2023-24	2022-23
क)	लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान नहीं की गई मूलधन राशि	50.32	236.15
ख)	लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान नहीं किए जाने पर देय ब्याज	1.34	3.47
ग)	धारा 16 के प्रावधान के अतंर्गत भुगतान की गई ब्याज की राशि सहित वर्ष के दौरान नियुक्त दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं को अदा की गई राशि	-	-
घ)	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	38.10	21.19
ङ)	वर्ष/अवधि के दौरान प्रोद्भूत ब्याज की राशि और लेखांकन वर्ष के अंत में भुगतान न की गई शेष राशि	39.44	24.66
च)	आगे की ब्याज की राशि देय शेष है और आने वाले वर्षों में भी देय है, ऐसी तारीख तक जब ऊपर के रूप में ब्याज बकाया वास्तव में भुगतान न कर दिया जाए	-	-

नोट 45 :

मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट (एमबीए) के तहत विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत कुल निधि आधारित सीमाएँ ₹ 21,000 लाख (31 मार्च, 2023: ₹ 21,000 लाख) और गैर-निधि आधारित सीमाएँ ₹ 8,30,800 लाख (31 मार्च, 2023: ₹ 8,30,800 लाख) हैं। उक्त सीमाएँ यस बैंक द्वारा स्वीकृत ₹ 30,000 लाख की गैर-निधि आधारित सीमा को छोड़कर संपूर्ण चालू परिसंपत्तियों (फिक्स्ड डिपॉजिट को छोड़कर) के बंधक द्वारा सुरक्षित हैं, जो असुरक्षित है।

31 मार्च, 2024 तक बकाया फिक्स्ड डिपॉजिट (ओडीएफडी) के विरुद्ध बैंक ओवरड्राफ्ट ₹ 5,558.48 लाख है। ओडीएफडी का लाभ बैंक के पास रखे गए ₹ 24,500 लाख के फिक्स्ड डिपॉजिट के बदले उठाया गया था।

31 मार्च, 2023 तक के अनुसार बैंक द्वारा दी गई गारंटी ₹ 5,23,823.04 लाख है ।

नोट 46: वसूली या परिसंपत्ति और देनदारियों के निपटान का प्रकटीकरण

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2023	
	12 महीनों से कम	12 महीनों से अधिक	12 महीनों से कम	12 महीनों से अधिक
परिसंपत्ति				
(1) गैर - चालू परिसंपत्ति				
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	48,497.94	-	49,925.08
(ख) चालू पूंजीगत कार्य	1,161.86	-	484.45	-
(ग) अमूर्त परिसंपत्ति	-	758.72	-	835.96
(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति	1,314.39	-	119.60	-
(ङ) वित्तीय परिसंपत्ति				
(i) निवेश	-	0.44	-	0.44
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	-	9,016.45	-	9,044.06
(च) गैर-चालू कर परिसंपत्ति	-	19,842.75	-	20,584.35
(छ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्ति	-	20.16	-	16.34
(2) चालू परिसंपत्ति				
(क) वस्तु सूचियाँ	3,98,444.14	-	2,91,850.49	-
(ख) वित्तीय परिसंपत्ति				
(i) चालू निवेश	-	-	23,366.40	-
(ii) व्यापार प्राप्य	19,420.70	-	5,084.50	-
(iii) नकद और नकद समकक्ष	527.00	-	1,398.55	-
(iv) उपरोक्त (iii) के अलावा बैंक बेलेंस	3,71,506.84	-	4,31,382.07	-
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	22,234.79	-	23,422.92	-
(ग) अन्य चालू परिसंपत्ति	1,32,428.74	-	2,20,070.17	-
(घ) बिक्री के रुप में परिसंपत्ति वर्गीकृत है	15.99	-	7.90	-
देनदारियाँ				
(1) गैर - चालू देनदारियाँ				
(क) वित्तीय देनदारियाँ				
(i) पट्टा देनदारियाँ	-	828.84	-	923.16
(ii) व्यापार देयताएँ	-	783.56	-	817.36
(ख) प्रावधान	-	9,201.35	-	8,933.37
(ग) आस्थगित कर देनदारियाँ (निवल)	-	1,398.39	-	1,451.90
(2) चालू देनदारियाँ				
(क) वित्तीय देनदारियाँ				
(i) उधार राशि	5,558.48	-	30,117.18	-
(ik) लीज देनदारियां	179.74	-	170.41	-
(ii) व्यापार देयताएँ				
(क) सुक्ष्म और लघू उद्धमों का कुल बकाया	50.32	-	236.15	-
(ख) सुक्ष्म और लघू उद्धमों के अलावा अन्य कुल बकाया	99,191.69	-	1,17,150.59	-
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	3,546.52	-	2,894.56	-
(ख) अन्य चालू देनदारियाँ	7,33,304.21	-	7,70,637.11	-
(ग) प्रावधान	3,803.92	-	2,879.74	-

नोट 47 :

अचल संपत्तियों का अधिकार डीड कंपनी के नाम पर नहीं है / संयुक्त रूप से है

बैलेंस शीट से मिलता जुलता मद	संपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	डीड के नाम पर किए गए अधिकार	चाहे टाइटल डीड धारक प्रवर्तक, निदेशक या प्रवर्तक / निदेशक के रिश्तेदार हों या प्रमोटर/डायरेक्टर के कर्मचारी हों ।	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	इमारत	₹ 95.96 लाख	मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व । (प्रत्येक का 1/3 हिस्सा)	लागू नहीं	15.06.1998	मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व । (प्रत्येक का 1/3 हिस्सा शेयर)

नोट 48:

अनुपात	न्यूमीरेटर	डेनोमीरेटर	31 मार्च 24 तक के अनुसार	31 मार्च 23 तक के अनुसार	भिन्नता का %	भिन्नता का कारण
वर्तमान अनुपात (समय से)	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	1.12	1.08	4%	
ऋण इक्विटी अनुपात (समय से)	ऋण (लंबी अवधि)	इक्विटि	0.005	0.007	-24%	
ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय से)	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय (पीएटी, मूल्यह्रास और ब्याज)	ऋण सेवा (ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकाना)	1.31	33.77	-96%	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 30,117.18 लाख रुपये (बैंक ओडी) का पूर्णभुगतान किया गया है और इसके परिणामस्वरूप ऋण-सेवाएं अधिक और अनुपात कम हुआ है।
इक्विटि से रिटर्न (%)	कर पश्चात लाभ कम वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)	शेयरधारक की औसत इक्विटी	23.14%	17.08%	36%	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और तदनुसार कर के बाद लाभ में भी वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप इक्विटी पर रिटर्न अधिक हुआ है।
इनवेंट्री टर्नओवर अनुपात (समय से)	बेचे गए सामान की लागत	औसत सूची	0.99	1.20	-18%	
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय से)	क्रेडिट बिक्री	औसत व्यापार प्राप्तियां	29.32	25.33	16%	
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय से)	क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	3.73	4.78	-22%	
शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात (समय से)	परिचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी	3.63	3.53	3%	
शुद्ध लाभ अनुपात (%)	पीएटी	परिचालन से राजस्व	9.94%	8.91%	12%	
नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%)	ईबीआईटी	नियोजित पूंजी	29.17%	21.81%	34%	वर्ष के दौरान लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप निवेशित पूंजी पर रिटर्न में वृद्धि हुई है।
निवेश पर रिटर्न (%)	निवेशित फंड से आय	औसत निवेश	7.30%	4.87%	50%	फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड पर औसत रिटर्न पिछले वर्ष के 5.92% से बढ़कर 7.10% हो गया है। इससे अनुपात पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

नोट 49:

कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) या संस्था (ओं) को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से) ") इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से पहचानी गई पार्टी को उधार देगा या निवेश करेगा। कंपनी को इस समझ के साथ किसी भी पार्टी (फंडिंग पार्टी) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी ("अंतिम लाभार्थी")) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करेगी ।

नोट 50:

बंद की गई कंपनियों के साथ संबंध (लाख ₹ में)

समाप्त की गई कंपनी का नाम	समाप्त की गई कंपनी के साथ लेन-देन की प्रकृति	31 पर मार्च, 2024 तक के अनुसार बकाया शेष	समाप्त की गई कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का खुलासा किया जाना चाहिए	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार बकाया शेष	समाप्त की गई कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का खुलासा किया जाना चाहिए
बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	देय	6.34	विक्रेता	6.34	विक्रेता
बीसीजी कंसल्टेंट लिमिटेड	देय	0.03	विक्रेता	0.03	विक्रेता

नोट 51:

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के अनुरूप करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पुन: समूहित/पुन: व्यवस्थित किया गया है। पिछले वर्ष के लिए राशियों और अन्य खुलासे को चालू वर्ष के वित्तीय विवरण के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है और वर्तमान वर्ष से संबंधित राशियों और अन्य प्रकटीकरणों के संबंध में पढ़ा जाना है।

नोट 52:

निदेशक मंडल द्वारा 22 मई 2024 को वित्तीय विवरणों को जारी करने की अनमुति दी गई थी

हमारी उसी दिन की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते गुहा नंदी एवं कं.
सनदी लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण संख्या – 302039ई

हस्ता./-
(सीए. डॉ. बी. एस. कुंडु)
साझेदार
सदस्यता सं.- 051221

हस्ताक्षर स्थान : कोलकाता
दिनांक : 22 मई, 2024

कृते निदेशक मण्डल

हस्ता./-
कमोडोर हरि पीआर, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 08591411

हस्ता./-
आर. के. दाश
निदेशक (वित्त) एवं सी.एफ.ओ
डीआईएन – 08511344

हस्ता./-
एस . महापात्र
कंपनी सचिव
एसीएस 10992

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
पंजीकृत और निगमित कार्यालय: जीआरएसई भवन, 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता-700024
फ़ोन: (033)-24698101, **फ़ैक्स:** (033)-24698150
वेबसाइट: www.grse.in **ईमेल:** co.sec@grse.co.in
सीआईएन: L35111WB1934GOI007891

108 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड की 108** वीं वार्षिक आम बैठक **शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 को** 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस / अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों के द्वारा निम्नलिखित व्यवसायों के संचालन के लिए आयोजित की जाएगी :

सामान्य व्यवसाय:

(1) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ निदेशक मंडल, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर विचार करना और उन्हें अंगीकृत करना।

(2) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹7.92 प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना और ₹1.44 प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश घोषित करना (अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए/के दौरान प्रति इक्विटी शेयर ₹9.36 का कुल लाभांश)।

(3) श्री राजीव प्रकाश (डीआईएन: 08590061) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना।

(4) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार, लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक कंपनी द्वारा आम बैठक में या कंपनी द्वारा आम बैठक में निर्धारित तरीके से तय किया जाएगा। इसलिए, यह प्रस्तावित है कि सदस्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए बोर्ड को अधिकृत कर सकते हैं, जैसा कि उचित समझा जाए।

विशेष व्यवसाय:

(5) **कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि करना।**

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करने तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"**संकल्प लिया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 61 और अन्य लागू प्रावधानों (इसके किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) और इसके तहत बनाए गए नियमों और कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के प्रावधानों के अनुसार, कं पनी की अधिकृत शेयर पूंजी मौजूदा ₹1,25,00,00,000 (एक सौ पच्चीस करोड़ रुपये मात्र) जो ₹10 (केवल दस रुपये) प्रत्येक के 12,50,00,000 (बारह करोड़ और पचास लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है को बढ़ाकर ₹2,00,00,00,000 (दो सौ करोड़ रुपये मात्र) की जाएगी, जिसे ₹10 (केवल दस रुपये) प्रत्येक के 20,00,00,000 (बीस करोड़) इक्विटी शेयरों में 7,50,00,000 (सात करोड़ पचास लाख) इक्विटी शेयर ₹10 (केवल दस रुपये) का निर्माण कर, विभाजित किया जाएगा जो सभी मामलों में कंपनी के मौजूदा शेयरों के साथ समतुल्य होंगे।"

(6) **कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन में अधिकृत शेयर पूंजी में बदलाव।**

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करने तथा यदि उचित समझा जाए तो साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

यह संकल्प लिया गया कि कं पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') (इसके किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) की धारा 13, 61 और अन्य लागू प्रावधानों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन के मौजूदा खंड V को एतद्द्वारा परिवर्तित और प्रतिस्थापित किया जाता है:

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 2,00,00,00,000 (दो सौ करोड़ रुपये मात्र) है, जो ₹ 10 (दस रुपये मात्र) प्रत्येक के 20,00,00,000 (बीस करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

"इसके अतिरिक्त यह भी संकल्प लिया गया कि उपरोक्त संकल्पों को प्रभावी करने के उद्देश्य से, कंपनी के निदेशक मंडल (जिस अभिव्यक्ति में उसकी एक समिति भी शामिल होगी) को ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो इसके लिए आवश्यक हों।"

(7) **31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक की पुष्टि करना।**

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करने तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"**संकल्प लिया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (इसमें किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित, जो इस समय लागू हैं) के अनुसार, मैसर्स चटर्जी एंड कंपनी, लागत लेखाकार, जिन्हें कंपनी की लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा लागत लेखा परीक्षक के रूप में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड का लेखा परीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया है , को देय पारिश्रमिक ₹58,000/- प्लस लागू कर और उपरोक्त लेखा परीक्षा के संबंध में किए गए जेब से बाहर के खर्च की पुष्टि की जाती है।"

"इसके अतिरिक्त यह भी संकल्प लिया गया कि कंपनी के निदेशक मंडल को इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए सभी कार्य करने तथा सभी आवश्यक, उचित या समीचीन कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

मण्डल के आदेशानुसार
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

हस्ता./-
(संदीप महापात्र)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
आईसीएसआई सदस्यता संख्या एसीएस 10992

दिनांक: 08 अगस्त, 2024
स्थान: कोलकाता

टिप्पणियाँ:

1. **कंपनी अधिनियम, 2013** ('अधिनियम') की धारा 102 के अनुसरण में एक व्याख्यात्मक विवरण , जिसमें संलग्न नोटिस के मद संख्या 5, 6 और 7 के अंतर्गत विशेष व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं, इसके साथ संलग्न है।

2. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 के साथ पठित समय-समय पर जारी किए गए बाद के परिपत्रों, जिनमें सबसे नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर , 2023 (एमसीए परिपत्र) है और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") ने अपने परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 (इसके बाद सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के माध्यम से कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। उक्त परिपत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीबद्धता विनियम") के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की 108वीं वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। 108वीं वार्षिक आम बैठक के लिए स्थान जीआरएसई भवन, 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024 में कंपनी का पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय होगा।

3. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में उपस्थित होने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। चूंकि यह एजीएम परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, एजीएम के लिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए एजीएम का प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और रूट मैप इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं। हालांकि, **संस्थागत/कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने और ई-वोटिंग के जरिए मतदान करने के लिए अपने संबंधित बोर्ड या शासी निकाय के प्रस्ताव/प्राधिकरण की स्कैन की हुई प्रति कंपनी को** investor.grievance@grse.co.in पर भेजें ।

4. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुसार, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस -2) पर सचिवीय मानक और सेबी लिस्टिंग विनियमों के नियम 44 को एमसीए और सेबी द्वारा जारी परिपत्रों और सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 09 दिसंबर, 2020 के साथ पठित करें, कंपनी एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने की सुविधा प्रदान कर रही है।

5. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड ('एनएसडीएल') रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भागीदारी और रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगा। सदस्य ध्यान दें कि एनएसडीएल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी प्रदान करने के लिए तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता का उपयोग कर सकता है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने की प्रक्रिया इस नोटिस में बताई गई है और यह कंपनी की वेबसाइट www.grse.in पर भी उपलब्ध है ।

6. कंपनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स ए.के. लाभ एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, कोलकाता के सीएस अतुल कुमार लाभ, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एफसीएस-4848/सीपी-3238) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपूर्ण ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है।

7. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें **शनिवार, 14 सितंबर , 2024 से शुक्रवार, 20 सितंबर , 2024 तक** (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी।

8. सदस्यों का वोटिंग अधिकार **शुक्रवार, 13 सितंबर, 2024 ("रिकॉर्ड तिथि") यानी बुक क्लोजर तिथि के शुरू होने से एक दिन पहले** कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा । केवल वे सदस्य जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि पर डिपॉजिटरी (एनएसडीएल/सीडीएसएल) द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दिखाई देते हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने के हकदार होंगे। एक व्यक्ति जो रिकॉर्ड तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे तदनुसार इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए मानना चाहिए।

9. **सदस्य किसी भी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-वोटिंग) पर अपना वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 15 सितंबर, 2024 को सुबह 9 बजे** शुरू होगी और **गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 को शाम 5 बजे** समाप्त होगी। **इसके बाद,** वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी। **इसके अलावा, एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के जरिए ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डालने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए वोट दिया है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, हालांकि, वे बैठक में वोट देने के पात्र नहीं होंगे।** प्रत्यक्ष **रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे** https://www.evoting.nsdl.com/ **पर एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से कंपनी द्वारा प्रदान की गई दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करें ।**

10. सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस नोटिस में " *ई-वोटिंग के लिए निर्देश* " अनुभाग के अंतर्गत दिए गए निर्देशों को पढ़ें।

11. वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के साथ 108 वीं एजीएम की यह सूचना उन सभी सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके नाम डिपॉजिटरी (एनएसडीएल/सीडीएसएल) से प्राप्त **23 अगस्त, 2024** को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दिखाई देते हैं।

12. वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के साथ 108वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.grse.in और एनएसडीएल की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर भी अपलोड की जा रही है। नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 को स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com से भी क्रमशः देखा जा सकता है ।

13. ई-वोटिंग के परिणाम एजीएम के समापन से दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किए जाएंगे और अपेक्षित संख्या में वोट प्राप्त होने पर एजीएम की तिथि पर प्रस्ताव पारित माने जाएंगे। घोषित परिणाम, स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट www.grse.in पर 'निवेशक कॉर्नर' अनुभाग के अंतर्गत डाले जाएंगे। मतदान के परिणाम उन स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए जाएंगे जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, डिपॉजिटरी, आरटीए और एनएसडीएल की वेबसाइट यानी www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे ।

14. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

15. नोटिस में उल्लिखित सभी दस्तावेज इस नोटिस के प्रसारित होने की तिथि से लेकर वार्षिक आम बैठक की तिथि तक बिना किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य investor.grievance@grse.co.in पर ईमेल भेज सकते हैं ।

16. वार्षिक आम बैठक के दौरान, सदस्य https://www.evoting.nsdl.com पर एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली में लॉग इन करके अधिनियम की धारा 170 के तहत बनाए गए निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रजिस्टर और उनकी शेयरधारिता तथा अधिनियम की धारा 189 के तहत निदेशकों की रुचि वाले अनुबंधों और व्यवस्थाओं के रजिस्टर और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों तक पहुंच सकते हैं ।

17. एजीएम में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशक के संबंध में आईसीएसआई द्वारा जारी सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 36(3) और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (एसएस-2) में अपेक्षित विवरण इस नोटिस के अनुलग्नक के रूप में प्रदान किए गए हैं। नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशक से अपेक्षित घोषणाएँ प्राप्त हुई हैं।

18. प्रश्न या स्पष्टीकरण के मामले में , सदस्यों से अनुरोध है कि वे लाभांश सहित सभी पत्राचार कंपनी/आरटीए को investor.grievance@grse.co.in / rta@alankit.com पर करें ।

लाभांश से संबंधित जानकारी

1. यदि वार्षिक आम बैठक में लाभांश घोषित किया जाता है, तो इसका भुगतान घोषणा की तिथि से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज होंगे।

2. जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट कर लिया है, उन्हें लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा। जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है, उनके पंजीकृत पते पर लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट भेजे जाएंगे।

3. डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों को सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ पंजीकृत बैंक विवरण, जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते रखते हैं, का उपयोग कंपनी द्वारा लाभांश के भुगतान के लिए किया जाएगा। कंपनी या उसका आरटीए बैंक विवरण में किसी भी बदलाव के लिए डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। ऐसे बदलावों की सूचना केवल सदस्यों के डीपी को दी जानी है। इसलिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे डीपी के साथ अपनी आवासीय स्थिति, पैन, श्रेणी, ईमेल पता, डाक पता, जैसा लागू हो, पूरा करें और/या अपडेट करें।

4. प्रत्यक्ष रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिपत्रों के अनुसार समय पर लाभांश प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस) मोड का विकल्प चुनें। हम सदस्यों से लाभांश प्राप्त करने के लिए ईसीएस का उपयोग करने का आग्रह करते हैं। बैंक खाता विवरण अपडेट करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए कृपया *"अन्य जानकारी"* अनुभाग के अंतर्गत बिंदु संख्या 5 देखें।

5. आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश आय सदस्यों के हाथों में कर योग्य है और कंपनी को आईटी अधिनियम में निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर ("टीडीएस") काटना आवश्यक है। सदस्य की आवासीय स्थिति और कंपनी के साथ पंजीकृत/जमा किए गए दस्तावेजों के आधार पर कर कटौती की दर अलग-अलग होगी। कृपया ध्यान दें कि सदस्यों के रजिस्टर में रिकॉर्ड तिथि पर उपलब्ध विवरण पर कंपनी लागू टीडीएस प्रावधानों का अनुपालन करने के उद्देश्य से भरोसा करेगी:

क. निवासी सदस्य

(क) निवासी सदस्यों के लिए स्रोत पर कर कटौती

क्र. सं.	विवरण	विधारित कर की दर	अपेक्षित दस्तावेज़ (यदि कोई हो)
1	कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में वैध पैन अपडेट किया गया	10%	किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं (यदि कोई छूट नहीं मांगी गई है) यदि लाभांश ₹5,000/- से अधिक नहीं है, तो कोई टीडीएस/विथहोल्डिंग टैक्स नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा, कृपया नीचे पैरा 8 देखें।
2	कोई पैन नहीं/कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में वैध पैन अपडेट नहीं है/व्यक्तिगत मामले में पैन आधार से लिंक नहीं है	20%	किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं (यदि कोई छूट नहीं मांगी गई है) यदि सदस्य का पैन कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के पास अद्यतन/पंजीकृत नहीं है, तो लाभांश राशि की परवाह किए बिना टीडीएस/विथहोल्डिंग टैक्स काट लिया जाएगा। कृपया नीचे पैरा 8 भी देखें।

क्र. सं.	विवरण	विधारित कर की दर	अपेक्षित दस्तावेज़ (यदि कोई हो)
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206एबी में परिभाषित "निर्दिष्ट व्यक्ति" की श्रेणी में आता है	20%	कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत सदस्य के पैन को आयकर विभाग के रिपोर्टिंग पोर्टल पर "धारा 206AB और 206CCB के लिए अनुपालन जांच कार्यक्षमता" पर मान्य किया जाएगा और तदनुसार, यदि व्यक्ति "निर्दिष्ट व्यक्ति" है, तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206एबी के संदर्भ में 20% टीडीएस काटा जाएगा । कृपया नीचे पैरा 14 और 15 भी देखें।
4	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा जारी कम/शून्य कर कटौती प्रमाणपत्र की उपलब्धता	प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दर	आयकर प्राधिकरण से कम कर कटौती प्रमाण पत्र प्राप्त करें
5	आयकर नियम 37बीए के अंतर्गत लाभ	आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लाभार्थी स्वामी पर लागू होने वाली दरों के आधार पर	यदि पंजीकृत सदस्य जैसे क्लियरिंग सदस्य / मध्यस्थ / स्टॉक ब्रोकर शेयरों के लाभकारी सदस्य नहीं हैं और यदि लाभकारी स्वामी के संबंध में आयकर नियम फॉर्म 37बीए (2) के तहत घोषणा प्रदान की जाती है, तो लाभकारी सदस्यों पर लागू दरों पर टीडीएस / विथहोल्डिंग कर काटा जाएगा।

(ख) निवासी सदस्यों को लाभांश भुगतान पर स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं होगी, यदि सदस्य कंपनी / आरटीए के साथ नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत और पंजीकृत करते हैं

क्र. सं.	विवरण	विधारित कर की दर	अपेक्षित दस्तावेज़ (यदि कोई हो)
1	फॉर्म 15जी/15एच प्रस्तुत करना	शून्य	फॉर्म संख्या 15G (कंपनी या फर्म के अलावा किसी भी व्यक्ति पर लागू) / फॉर्म 15H (60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति पर लागू) में घोषणा, कुछ शर्तों को पूरा करना।
2	वे सदस्य जिन पर आयकर, 1961 की धारा 194 लागू नहीं होती, जैसे एलआईसी, जीआईसी, आदि।	शून्य	आयकर, 1961 की धारा 194 के अंतर्गत छूट के लिए दस्तावेजी साक्ष्य।
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 196 के अंतर्गत आने वाले सदस्य जैसे सरकार, आरबीआई, केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम और म्यूचुअल फंड।	शून्य	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 196 के अंतर्गत कवरेज के लिए दस्तावेजी साक्ष्य
4	श्रेणी I और II वैकल्पिक निवेश कोष	शून्य	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197ए (1F) के तहत लाभ का दावा करने के लिए सेबी पंजीकरण प्रमाणपत्र
5	• मान्यता प्राप्त भविष्य निधि • स्वीकृत सुपरएनुएशन फंड • स्वीकृत ग्रेच्युटी फंड	शून्य	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी परिपत्र संख्या 18/2017 के अनुसार आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य
6	राष्ट्रीय पेंशन योजना	शून्य	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197ए (1E) के अनुसार कोई टीडीएस नहीं। वैध दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
7	आयकर अधिनियम के प्रावधानों या किसी अन्य कानून या अधिसूचना के अनुसार टीडीएस कटौती से छूट प्राप्त कोई भी निवासी सदस्य	शून्य	टीडीएस कटौती से छूट को प्रमाणित करने वाले आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य

ख. अनिवासी सदस्य:

यदि अनिवासी सदस्य नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित निम्नलिखित दस्तावेज कंपनी/आरटीए के पास जमा करते हैं और पंजीकृत करते हैं तो अनिवासी सदस्यों को लाभांश भुगतान पर विथहोल्डिंग कर

क्र. सं.	विवरण	विधारित कर की दर	अपेक्षित दस्तावेज़ (यदि कोई हो)
1	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) / विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई)	20% (लागू अधिभार और उपकर सहित)	एफआईआई/एफपीआई पंजीकरण प्रमाणपत्र।
2	अन्य अनिवासी सदस्य	20% (लागू अधिभार और उपकर सहित) या कर संधि दर जो भी लाभकारी हो	कर संधि की लाभकारी दर का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित कर दस्तावेजों की आवश्यकता होगी: i) जिस वर्ष लाभांश प्राप्त हुआ है, उसके लिए सदस्य के निवास देश के राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी कर निवास प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति ii) पैन की स्व-सत्यापित प्रति iii) इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार फॉर्म 10F iv) स्व-घोषणा, निम्नलिखित बिंदुओं को प्रमाणित करते हुए: (क) सदस्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अपने निवास के देश का कर निवासी है और बना रहेगा; (ख) सदस्य कंपनी द्वारा घोषित लाभांश पर कर रोकथाम के प्रयोजनों के लिए लाभकारी डीटीएए दर का दावा करने के लिए पात्र है; (ग) सदस्य के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि डीटीएए के लाभों के लिए उसका दावा किसी भी तरह से कमजोर है; (घ) सदस्य कंपनी में अपनी शेयरधारिता और कंपनी से प्राप्त होने वाले लाभांश का अंतिम लाभकारी स्वामी है; तथा (ङ) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सदस्य की भारत में कर योग्य उपस्थिति या स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है। (नोट: लाभकारी कर संधि दर का अनुप्रयोग अनिवासी सदस्य द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की पूर्णता और कंपनी की संतुष्टि के लिए समीक्षा पर निर्भर करेगा)
3	किसी विदेशी बैंक की भारतीय शाखा	शून्य	आयकर प्राधिकरण से धारा 195(3) के तहत कम कर कटौती प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया। स्व-घोषणा जिसमें पुष्टि की गई हो कि आय उसके स्वयं के खाते से प्राप्त हुई है न कि विदेशी बैंक की ओर से
4	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा जारी निम्न/शून्य कर कटौती प्रमाणपत्र की उपलब्धता	प्रमाण पत्र में दर निर्दिष्ट	आयकर प्राधिकरण से कम कर कटौती प्रमाण पत्र प्राप्त

6. हमें उचित टीडीएस/कर कटौती दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप उपरोक्त विवरण/दस्तावेज **शुक्रवार, 13 सितंबर, 2024** को या उससे पहले प्रदान करें। **शुक्रवार, 13 सितंबर, 2024** के बाद प्राप्त कर निर्धारण/कटौती पर किसी भी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि टीडीएस दर का आवेदन कंपनी द्वारा रिकॉर्ड तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर में उपलब्ध सदस्य विवरण और कंपनी/आरटीए के पास उपलब्ध अन्य दस्तावेजों के आवश्यक सत्यापन के अधीन है।

7. यदि आपसे उपर्युक्त विवरण/दस्तावेज प्राप्त न होने पर उच्च दर से टीडीएस काटा जाता है, तो सदस्य के पास आयकर रिटर्न दाखिल करने और पात्र होने पर उचित रिफंड का दावा करने का विकल्प अभी भी उपलब्ध है।

8. ऐसे निवासी व्यक्तिगत सदस्यों के मामले में कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा जिनका लाभांश ₹5000 से अधिक नहीं है। हालाँकि, जहाँ कंपनी / आरटीए रिकॉर्ड में पैन अपडेट नहीं है या अमान्य पैन के मामले में और व्यक्तिगत सदस्य को संचयी लाभांश भुगतान ₹5000 से अधिक है, कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206AA के संदर्भ में धारा 194 के तहत टीडीएस / विथहोल्डिंग टैक्स काटेगी।

इसके अलावा, 1 जुलाई 2024 से उन सदस्यों का पैन, जो आवश्यकतानुसार पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहे हैं, निष्क्रिय हो जाएगा और आयकर अधिनियम की धारा 206एए के संदर्भ में 20% की दर से टीडीएस काटा जाएगा।

सभी सदस्यों से अनुरोध है कि 13 सितंबर , 2024 को या उससे पहले अपने सभी फोलियो होल्डिंग्स के विरुद्ध अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) और कंपनी/आरटीए (यदि शेयर प्रत्यक्ष रूप में हैं) के साथ अपने पैन को अपडेट करें।

9. कंपनी अपने सदस्यों को लाभांश के भुगतान के बाद कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकृत ईमेल के माध्यम से टीडीएस प्रमाणपत्र की सॉफ्ट कॉपी की व्यवस्था करेगी। सदस्य आयकर विभाग की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in से फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकेंगे।

10. सदस्य/सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी के किसी गलत प्रस्तुतीकरण, अशुद्धि या चूक के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी आयकर मांग (ब्याज, जुर्माना, आदि सहित) की स्थिति में, ऐसे सदस्य/सदस्य कंपनी को क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होंगे, तथा कंपनी को सभी जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराने और किसी भी अपीलीय कार्यवाही में सहयोग करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

11. विभिन्न स्थिति/श्रेणी और एकल पैन के अंतर्गत कई खातों में शेयर रखने वाले सदस्य ध्यान दें कि, जिस स्थिति में शेयर एक पैन के तहत रखे गए हैं, उस पर लागू कर में से जो अधिक होगा, उसे विभिन्न खातों में उनकी संपूर्ण होल्डिंग पर माना जाएगा।

12. सदस्य द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी विसंगति के मामले में, कंपनी इस संबंध में किसी भी अतिरिक्त सूचना के बिना, लागू दर से उच्च कर काट लेगी।

13. संयुक्त सदस्यों के मामले में, सदस्य रजिस्टर में पहले नामित सदस्य को किसी भी लागू लाभकारी कर दर का दावा करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

14. आयकर अधिनियम की धारा 206एबी में परिभाषित निर्दिष्ट व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसने आयकर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा को या उससे पहले तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष यानी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है; और उसके मामले में स्रोत पर काटे गए कर और स्रोत पर संग्रहित कर की कुल राशि तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में ₹50,000/- या उससे अधिक है।

15. उपरोक्त के बावजूद, यदि पैन 'निर्दिष्ट व्यक्ति' की श्रेणी में आता है, तो सदस्य को अनिवार्य रूप से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत में स्थायी प्रतिष्ठान की स्थिति प्रदान करने वाला घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206एबी के अनुसार, यदि उक्त घोषणापत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो कंपनी ऊपर उल्लिखित लागू दर से दोगुनी दर पर स्रोत पर कर काटेगी।

16. यह संचार संपूर्ण नहीं है और लाभांश भुगतान के मामले में सभी संभावित कर परिणामों का पूर्ण विश्लेषण या सूचीकरण होने का दावा नहीं करता है। सदस्यों को उनके द्वारा की जाने वाली अपेक्षित कार्रवाई के लिए अपने कर सलाहकारों से परामर्श करना चाहिए।

अन्य सूचना

1. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के साथ अवैतनिक लाभांश खाते में पड़े किसी भी धन का दावा करें क्योंकि कंपनी ऐसे खाते में पड़े किसी भी धन को, जो खाते में ऐसे हस्तांतरण की तिथि से सात वर्ष की अवधि के लिए अवैतनिक या दावा रहित रहता है, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा करने के लिए बाध्य है। विस्तृत अवैतनिक/अवैतनिक लाभांश इतिहास कंपनी की वेबसाइट www.grse.in पर उपलब्ध है ।

2. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने खाते में जमा अघोषित लाभांश को भुनाने के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड से संपर्क करें। विस्तृत लाभांश इतिहास और आईईपीएफ में हस्तांतरण की नियत तिथियां कंपनी की वेबसाइट www.grse.in पर उपलब्ध हैं।

3. सेबी ने अनिवार्य किया है कि कंपनी की प्रतिभूतियों का कारोबार केवल डीमैट रूप में ही किया जा सकता है। संशोधित सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 40 में यह भी अनिवार्य किया गया है कि प्रत्यक्ष रूप में रखी गई सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों का हस्तांतरण, संचरण और स्थानांतरण केवल डीमैट मोड में ही किया जाएगा। इसके अलावा, सेबी ने अपने परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि सूचीबद्ध कंपनियाँ डुप्लिकेट शेयर जारी करने, शेयरों के आदान-प्रदान, समर्थन, शेयर प्रमाणपत्रों के उप-विभाजन/समेकन आदि से संबंधित निवेशक सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय प्रतिभूतियों को केवल डीमैट मोड में जारी करेंगी । इसे देखते हुए और प्रत्यक्ष शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टफोलियो प्रबंधन में आसानी के लिए अपने द्वारा प्रत्यक्ष रूप में रखे गए शेयरों को डीमैट रूप में ही रखें।

4. प्रत्यक्ष रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए, सेबी ने आधार से जुड़े पैन और केवाईसी विवरण (यानी ईमेल पता, पिन कोड के साथ डाक पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, नामांकन आदि) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। यदि कंपनी/आरटीए के रिकॉर्ड में उपर्युक्त कोई भी दस्तावेज/विवरण उपलब्ध नहीं है, तो सदस्य तब तक शिकायत दर्ज करने या आरटीए से कोई सेवा अनुरोध प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे, जब तक कि वे पूर्ण केवाईसी विवरण/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2024 से, ऐसे सदस्यों को लाभांश का कोई भी भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जाएगा।

5. ऐसे सदस्य जिनके केवाईसी विवरण (अर्थात ई-मेल पता, पिन कोड सहित डाक पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, आधार से जुड़े पैन विवरण आदि) कंपनी या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत/अद्यतित नहीं हैं, और जो एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट और कंपनी द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले अन्य सभी पत्र-व्यवहार प्राप्त करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपने केवाईसी विवरण पंजीकृत/अद्यतित करवा सकते हैं:

(क) डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ ई-मेल पते सहित अपने केवाईसी विवरण को अपडेट कर सकते हैं।

(ख) प्रत्यक्ष रूप में शेयर रखने वाले सदस्य नीचे उल्लिखित फॉर्म को विधिवत भरकर आवश्यक सहायक दस्तावेजों और हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र के साथ कंपनी/आरटीए को प्रस्तुत कर सकते हैं:

क्र. सं.	विवरण	रूप
1.	पैन, डाक पता, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण का पंजीकरण या उनमें परिवर्तन/अद्यतन	ISR-1
2.	बैंकर द्वारा शेयरधारक के हस्ताक्षर की पुष्टि	ISR-2
3.	नामांकन का पंजीकरण	SH-13
4.	नामांकन रद्द करना या उसमें परिवर्तन करना	SH-14
5.	नामांकन से बाहर निकलने की घोषणा	ISR-3

उपरोक्त दस्तावेज मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, कंपनी के आरटीए/ आरटीए को investor.grievance@grse.co.in / rta@alankit.com पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं ।

6. अधिनियम की धारा 72 के प्रावधानों के अनुसार नामांकन सुविधा कंपनी में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए उपलब्ध है। प्रत्यक्ष रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने अभी तक अपना नामांकन पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे फॉर्म SH-13 जमा करके इसे पंजीकृत करें। यदि कोई सदस्य पहले के नामांकन को रद्द करना या छोड़ना चाहता है और नया नामांकन दर्ज करना चाहता है, तो वह इसे फॉर्म ISR-3 या SH-14 में जमा कर सकता है। उक्त फॉर्म कंपनी की वेबसाइट www.grse.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य नामांकन औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपने संबंधित डीपी से संपर्क कर सकते हैं।

7. अनिवासी भारतीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे स्थायी निपटान के लिए भारत लौटने पर अपनी आवासीय स्थिति में परिवर्तन के बारे में कंपनी/आरटीए (यदि शेयरधारिता प्रत्यक्ष रूप में है)/संबंधित डीपी (यदि शेयरधारिता डीमैट रूप में है) को तत्काल सूचित करें।

8. **ई-मेल आईडी पंजीकृत करने में किसी भी प्रश्न/कठिनाई के मामले में, सदस्य** कंपनी /**आरटीए को** investor.grievance@grse.co.in पर लिख सकते हैं ।

ई-वोटिंग के लिए निर्देश

सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 44 और धारा 108 तथा अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के अनुपालन में, समय-समय पर संशोधित संबंधित नियमों के साथ, कंपनी अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है, ताकि वे एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट डाल सकें। कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एनएसडीएल की सेवाएँ ली हैं ।

रिमोट ई-वोटिंग - प्रमुख तिथियां:

रेकॉर्ड तिथि (इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर मतदान करने के हकदार सदस्यों का निर्धारण करने के लिए बुक क्लोज़र होने के प्रारंभ से एक दिन पहले की तिथि)	शुक्रवार, 13 सितंबर , 2024
बुक क्लोज़र की तिथियाँ (वह अवधि जिसके दौरान कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स बंद रहेंगी)	शनिवार, 14 सितम्बर, 2024 से शुक्रवार, 20 सितम्बर , 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित)
दूरस्थ ई-मतदान अवधि	
प्रारंभ दिनांक और समय	रविवार, 15 सितंबर, 2024 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी) ।
समाप्ति तिथि और समय	गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 को शाम 5.00 बजे (भारतीय समयानुसार)

ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके का विवरण नीचे दिया गया है। इसके अलावा, एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में "दो चरण" शामिल हैं जो इस प्रकार हैं:

चरण 1 **: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच:**

I. **डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि**

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक।	1. मौजूदा आईडीईएएस उपयोगकर्ता एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट https://eservices.nsdl.com पर पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से जा सकते हैं। ई-सेवा होम पेज पर "लॉगिन" के अंतर्गत " लाभकारी स्वामी" आइकन पर क्लिक करें जो 'IDeAS' अनुभाग में उपलब्ध है , यह आपको अपनी मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएं देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत **"ई-वोटिंग तक पहुंच" पर क्लिक करें** और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी **एनएसडीएल पर क्लिक करें** और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2. यदि आप आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं , तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "आईडीईएएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें । ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध आइकन "लॉगिन" पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपके सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई- **वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें** और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। 4. शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप " एनएसडीएल स्पीड " सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। NSDL Mobile App is available on App Store Google Play
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल Easi/Easiest सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के ज़रिए लॉग इन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुँचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi/Easiest लॉग इन करने के लिए उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएँ और लॉग इन आइकन और न्यू सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और फिर अपने मौजूदा myeasi उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करें। 2. सफल लॉगिन के बाद Easi/Easiest उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख पाएगा, जहाँ कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग चल रही है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख पाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुँचने के लिए लिंक भी दिए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सके। 3. यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉगिन और न्यू सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुँच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज किए गए पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख पाएगा जहाँ ईवोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुँचने में भी सक्षम होगा।

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारण करने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट : जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें 'यूजर आईडी भूल गए/पासवर्ड भूल गए' विकल्प का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक जिन्हें डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए सहायता की आवश्यकता है, वे नीचे दिए गए हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं:

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022 - 4886 7000 और 022 - 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

II. डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और प्रत्यक्ष मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि।

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?

1. एनएसडीएल के ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न यूआरएल: https://www.evoting. nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च होने के बाद, 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।

   वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सेवाओं यानी आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएएस लॉगिन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं । एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करके एनएसडीएल ई-सेवाओं में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

4. आपकी **उपयोगकर्ता आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:**

शेयर रखने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या **प्रत्यक्ष**		आपकी उपयोगकर्ता आईडी है:
क)	उन सदस्यों के लिए जो एनएसडीएल के पास डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	8 अक्षर वाली डीपी आईडी के बाद 8 अंक वाली क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12****** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी IN300***12****** होगी।
ख)	उन सदस्यों के लिए जो सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12********** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी 12********** होगी
ग)	प्रत्यक्ष रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	सम संख्या के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या उदाहरण के लिए यदि फ़ोलियो संख्या 001*** है और सम संख्या 101456 है तो उपयोगकर्ता आईडी 101456001*** होगी

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:

   (क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन कर सकते हैं और अपना वोट डाल सकते हैं।

   (ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए मजबूर करेगा।

(ग) अपना ‹प्रारंभिक पासवर्ड› कैसे पुनः प्राप्त करें?

i) अगर आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट अकाउंट या कंपनी में रजिस्टर है, तो आपका ‹आरंभिक पासवर्ड› आपको आपके ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। एनएसडीएल से आपको भेजे गए ईमेल को अपने मेलबॉक्स से ट्रेस करें। ईमेल खोलें और अटैचमेंट यानी .pdf फ़ाइल खोलें। .pdf फ़ाइल खोलें। .pdf फ़ाइल को खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल अकाउंट के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल अकाउंट के लिए क्लाइंट आईडी के आखिरी 8 अंक या फ़िज़िकल फ़ॉर्म में रखे गए शेयरों के लिए फ़ोलियो नंबर है। .pdf फ़ाइल में आपकी ‹यूज़र आईडी› और आपका ‹आरंभिक पासवर्ड› होता है।

ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है।

6. **यदि आप «प्रारंभिक पासवर्ड» प्राप्त करने में असमर्थ हैं या आपको प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं:**

(क) "उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?" पर क्लिक करें (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रखते हैं) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प ।

(ख) प्रत्यक्ष उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?» (यदि आप प्रत्यक्ष मोड में शेयर धारण कर रहे हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है ।

(ग) यदि आप उपरोक्त दो विकल्पों से भी पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप evoting@ nsdl.com पर अपना डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि बताते हुए अनुरोध भेज सकते हैं।

(घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "नियम और शर्तें" से सहमत पर टिक करें।

8. अब आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।

9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2 : अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर आम बैठक में शामिल हों।

I. एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और एजीएम में कैसे शामिल हों?

1. **चरण 1 में सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों को देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।**

2. रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान जिस कंपनी के लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं, उसका "ईवीईएन" चुनें और जनरल मीटिंग के दौरान अपना वोट डालें। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको "जॉइन मीटिंग" के अंतर्गत दिए गए "वीसी/ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि वोटिंग पेज खुल गया है।

4. उचित विकल्प अर्थात सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट डालें, उन शेयरों की संख्या सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और संकेत मिलने पर «सबमिट» और «पुष्टि करें» पर क्लिक करें।

5. पुष्टि होने पर, "वोट सफलतापूर्वक डाला गया" संदेश प्रदर्शित होगा।

6. आप पुष्टिकरण पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोट का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

7. एक बार जब आप प्रस्ताव पर अपना वोट पुष्टि कर देंगे, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत/कॉर्पोरेट सदस्यों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेईपीजी प्रारूप) विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ, जो वोट देने के लिए अधिकृत हैं, ई-मेल द्वारा जांचकर्ता को investor.grievance@grse.co.in पर भेजना आवश्यक है। इसकी एक प्रति evoting@ nsdl.co.in पर भी भेजी जानी है । संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) भी अपने लॉगिन में «ई-वोटिंग» टैब के अंतर्गत प्रदर्शित «बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र अपलोड करें» पर क्लिक करके अपना बोर्ड संकल्प/पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकरण पत्र आदि अपलोड कर सकते हैं।

2. बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, वह सदस्य जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में प्रथम धारक के रूप में आता है, वोट देने का हकदार होगा।

3. प्रत्यक्ष रूप में शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक, जो नोटिस भेजे जाने के बाद शेयर प्राप्त करते हैं और कंपनी के सदस्य बनते हैं और कट-ऑफ तिथि यानी 23 अगस्त, 2024 तक शेयर रखते हैं , वे evoting@nsdl.com पर या आरटीए को उनकी ई-मेल आईडी rta@alankit.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। । हालांकि, यदि आप पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए" या "प्रत्यक्ष उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड" विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं। डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करते हैं और नोटिस भेजने के बाद कंपनी के सदस्य बन जाते हैं और कट ऑफ तारीख यानी 23 अगस्त, 2024 तक शेयर रखते हैं , *वे "चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच"* अनुभाग के तहत ऊपर वर्णित चरणों का पालन कर सकते हैं

4. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पाँच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?" या "प्रत्यक्ष उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?" विकल्प से गुजरना होगा ।

5. किसी भी प्रश्न के मामले में , आप www.evoting. nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ़एक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी

म्हाले को evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं। सदस्य कंपनी के ईमेल पते investor.grievance@grse.co.in पर कंपनी सचिव को भी लिख सकते हैं ।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश

1. सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में शामिल होने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच के लिए नीचे बताए गए चरणों का पालन कर पहुंच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के सामने "ज्वाइन मीटिंग" टैब में "वीसी/ओएवीएम लिंक" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि ज्वाइन मीटिंग टैब के नीचे दिए गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवीएन प्रदर्शित होगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

2. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी । इसमें 2% या उससे अधिक शेयरधारिता रखने वाले बड़े शेयरधारक, प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक, जांचकर्ता आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।

3. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए कैमरे की अनुमति देनी होगी और अच्छी गति से इंटरनेट का उपयोग करना होगा।

4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले मोबाइल डिवाइस, टैबलेट या लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले सदस्यों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी तरह की उपरोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

5. चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, एजीएम की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए, जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं, अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए investor.grievance@grse.co.in पर मंगलवार, **17 सितंबर , 2024 को शाम 5.00 बजे** तक अपना अनुरोध भेज सकते हैं । इसके अलावा, सदस्यों को अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए investor.grievance@grse.co.in पर पहले से ही अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मंगलवार, 17 सितंबर, 2024 को शाम 5.00 बजे तक कंपनी द्वारा प्राप्त प्रश्न/प्रश्नों पर केवल एजीएम के दौरान विचार किया जाएगा और उनका जवाब दिया जाएगा।

6. जिन सदस्यों ने खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें ही बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। जब किसी पूर्व-पंजीकृत वक्ता को बैठक में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह जवाब नहीं देता है, तो अगले वक्ता को बोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तदनुसार, सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि वे वीडियो/कैमरा युक्त डिवाइस से जुड़ें और अच्छी इंटरनेट स्पीड का उपयोग करें। इसके अलावा, कंपनी एजीएम के सुचारू संचालन के लिए प्रश्नों की संख्या और वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। समय के हित में, प्रत्येक वक्ता से अनुरोध है कि वह अपने आवंटित समय के 2-3 मिनट में अपने विचार व्यक्त करें।

7. जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता हो, वे एनएसडीएल की वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हाले से evoting@nsdl.co.m पर संपर्क कर सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।

वार्षिक आम बैठक के दिन ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के लिए निर्देश

1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान ही है।

2. केवल वे सदस्य, जो वी.सी./ओ.ए.वी.एम. सुविधा के माध्यम से ए.जी.एम. में उपस्थित होंगे तथा जिन्होंने प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है तथा जिन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, ए.जी.एम. में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।

3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालाँकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

4. जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान प्रौद्योगिकी के उपयोग में सहायता की आवश्यकता है, वे "शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश" अनुभाग के अंतर्गत ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक वक्तव्य

मद संख्या (5) एवं (6)

कंपनी की वर्तमान अधिकृत शेयर पूंजी ₹125 करोड़ है और कंपनी की सब्सक्राइब्ड, जारी और चुकता शेयर पूंजी ₹114.55 करोड़ है। समग्र व्यवसाय वृद्धि और भविष्य के विस्तार और परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने महसूस किया कि कंपनी को भविष्य में इक्विटी के माध्यम से धन जुटाने की आवश्यकता हो सकती है। वर्तमान में, किसी भी इक्विटी फंड जुटाने या शेयर पूंजी के किसी अन्य प्रकार के पुनर्निर्माण पर विचार करने की गुंजाइश बहुत सीमित है क्योंकि चुकता शेयर पूंजी ₹114.55 करोड़ है जबकि अधिकृत शेयर पूंजी ₹125 करोड़ है। बोर्ड ने 26 मार्च 2024 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को मौजूदा ₹1,25,00,00,000 (एक सौ पच्चीस करोड़ रुपये मात्र) से बढ़ाकर ₹10 (केवल दस रुपये) प्रत्येक के 12,50,00,000 (बारह करोड़ और पचास लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित करके ₹2,00,00,00,000 (दो सौ करोड़ रुपये मात्र) करने का फैसला किया, जिसे ₹10 (केवल दस रुपये) प्रत्येक के 20,00,00,000 (बीस करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया, ताकि शेयर पूंजी की भविष्य की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

परिणामस्वरूप, कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन के मौजूदा खंड V को अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि और प्रस्तावित बढ़ी हुई अधिकृत शेयर पूंजी के प्रतिस्थापन को प्रतिबिंबित करने के लिए परिवर्तित करने की आवश्यकता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के साथ धारा 61 (जिसमें वर्तमान में लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल है) में प्रावधान है कि शेयर पूंजी वाली कोई सीमित कंपनी, यदि अपने एसोसिएशन के लेखों द्वारा अधिकृत है, तो अपनी आम बैठक में अपने सदस्यों की सहमति से या डाक मतपत्र के माध्यम से, अपने एसोसिएशन के ज्ञापन की शर्तों को बदल सकती है ताकि अपनी अधिकृत शेयर पूंजी को उस राशि से बढ़ाया जा सके, जिसे वह उचित समझे। इसके अलावा, कंपनी के एसोसिएशन के लेखों (एओए) का अनुच्छेद 9 कंपनी को भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) के अनुमोदन के अधीन अपनी अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाने का अधिकार देता है।

निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 03 जुलाई 2024 के माध्यम से कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि और कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन में परिणामी संशोधन के लिए अपनी मंजूरी दे दी।

अधिकृत शेयर पूंजी में प्रस्तावित वृद्धि के लिए कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन के मौजूदा खंड-V में इस बैठक की सूचना के संकल्प संख्या 6 में निर्धारित तरीके से परिवर्तन की आवश्यकता होगी।

मौजूदा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ प्रस्तावित संशोधन को प्रतिबिम्बित करने वाले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की एक प्रति एजीएम की तिथि अर्थात 20 सितम्बर, 2024 तक सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।

कंपनी के किसी भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का इस नोटिस के मद संख्या 5 और 6 में दिए गए प्रस्तावों से किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, कोई सरोकार या रुचि नहीं है।

बोर्ड सदस्यों को दिए गए नोटिस के मद संख्या 5 और 6 में दिए गए प्रस्तावों को पारित करने की सिफारिश करता है।

आइटम नंबर (7)

कंपनी के निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर, मैसर्स चटर्जी एंड कंपनी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी, ताकि 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्डों की लेखा परीक्षा की जा सके, जिसकी लेखा परीक्षा फीस 58,000/- रुपये होगी, साथ ही उक्त लेखा परीक्षा के संबंध में किए गए कर और जेब से किए गए खर्च भी शामिल होंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के अनुसार, लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक को कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तदनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक के अनुमोदन के लिए नोटिस के मद संख्या 7 में निर्धारित एक साधारण प्रस्ताव पारित करने के लिए सदस्यों की सहमति मांगी जाती है ।

कंपनी के किसी भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों को नोटिस के मद संख्या 7 में दिए गए समाधान से किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्य रूप से, कोई सरोकार या रुचि नहीं है।

बोर्ड सदस्यों को नोटिस की मद संख्या 7 में निर्धारित प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश करता है।

मण्डल के आदेशानुसार
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड

हस्ता./-
(संदीप महापात्र)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
आईसीएसआई सदस्यता संख्या एसीएस 10992

दिनांक: 08 अगस्त , 2024
स्थान: कोलकाता

अनुलग्नक

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 36(3) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक-2 के अंतर्गत अपेक्षित 108वीं वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होने वाले/नियुक्ति चाहने वाले/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के बारे में अतिरिक्त जानकारी निम्नानुसार है:

श्री राजीव प्रकाश (डीआईएन: 08590061)	
आयु	54 वर्ष
नियुक्ति की तिथि	23 जून 2022
योग्यता	• भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा अधिकारी (आईपीएंडटीएएफएस) - 1995 बैच • दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से अंग्रेजी में बीए ऑनर्स • इरास्मस विश्वविद्यालय के सामाजिक अध्ययन संस्थान से विकास अध्ययन में एम.ए.
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुभव और विशेषज्ञता	श्री राजीव प्रकाश (डीआईएन: 08590061), संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली), आयु 54 वर्ष को रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड के अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामित निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने 23 जून 2022 से कंपनी में सरकारी नामित निदेशक का पद ग्रहण किया। श्री राजीव प्रकाश को वित्त के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है और उन्होंने भारत सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। जून 2022 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली) के पद पर नियुक्त होने से पहले, उन्होंने संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग में उप महानिदेशक (वायरलेस योजना और वित्त) के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा, वे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड और बीईएमएल लिमिटेड के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक भी थे। वे 14 सितंबर 2022 से ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं।
सूचीबद्ध संस्थाएं (जीआरएसई के अलावा) जिनमें व्यक्ति निदेशक पद और बोर्ड की समितियों की सदस्यता भी रखता है।	• 08 दिसंबर 2023 से 29 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए बीईएमएल लिमिटेड के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक।
पिछले तीन वर्षों में सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक पद से इस्तीफा	शून्य
अन्य असूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक पद	• 14 सितम्बर 2022 से ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक।
अन्य असूचीबद्ध कंपनियों की समितियों की सदस्यता / अध्यक्षता	शून्य
नियम एवं शर्तें पारिश्रमिक के विवरण के साथ नियुक्ति	कंपनी रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी है, इसलिए निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति और ऐसी नियुक्ति की शर्तें भारत सरकार के पास हैं। इसके अलावा, श्री राजीव प्रकाश, सरकारी नामित निदेशक को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया था और वे सरकार के अगले आदेश तक पद पर बने रहेंगे। वे किसी भी पारिश्रमिक या बैठने की फीस के हकदार नहीं हैं।
वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या	6 बोर्ड मीटिंग
अन्य निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	कोई नहीं
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या (स्वयं और लाभकारी स्वामी के रूप में)	शून्य

P75
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.
MAKE IN INDIA
100+

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.
Handing Over of
Survey Vessel Large (INS Sandhayak)
to
Indian Navy

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
GARDEN REACH SHIPBUILDERS & ENGINEERS LIMITED

CIN L35111WB1934GOI007891

पंजीकृत कार्यालय: जीआरएसई भवन 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024

Registered Office: GRSE Bhavan, 61, Garden Reach Road, Kolkata - 700 024

Tel: 033-2469 8101 • Fax: 033-2469 8150 • E-mail: co.sec@grse.co.in • website: www.grse.in